श माला, खंड 3, अंक 14

गुरुवार, 16 दिसम्बर, 1999
25 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

ARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 18/4/2001

(खण्ड 3 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे. एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी ज उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

त्रयोदश माला खंड 3, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)

अंक 14, गुरुवार, 16 दिसम्बर, 1999/25 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 264	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 265 से 280	25-57
अतारांकित प्रश्न संख्या 2585 से 2713	57-206
सभा पटल पर रखे गए पत्र	207-211
सभापति तालिका	211-212
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मंगलौर में प्रस्तावित विद्युत संयंत्र से कोजोट्रिक्स प्रोमोटरों के अलग हो जाने के कारण कर्नाटक राज्य को होने वाली कथित हानि	213-226
श्री एस. बंगरप्पा	213
श्री पी.आर. कुमारमंगलम	213-215, 224-225
श्री आर.एल. जालप्पा	222-223
श्री के.एच. मुनियप्पा	223
श्री सी.के. जाफर शरीफ	223-224
मध्य प्रदेश में मंत्री की हत्या के बारे में	227-237
सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक - *पुरःस्थापित*	238
नियम 377 के अधीन मामले	239-244
(एक) ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियों के विस्तार केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश्वर सिंह	239

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) इकाई में कार्य शीघ्र शुरू किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्य नाथ	239-240
(तीन) पश्चिम बंगाल में इतहार, रतुआ, खरबा और रायगंज में बार-बार आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	240
(चार) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा गुजरात में विशेष रूप से पाटन जिले में कुओं में विस्फोटों के कारण उत्पन्न हुई पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	240-241
(पाँच) आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पेद्दाक्ल्लापुडी रेल समपार पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	241
(छह) बिहार में सहरसा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में कोसी के मछुआरों के लाभ हेतु एक विशेष पैकेज स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिनेश चंद्र यादव	242
(सात) कलकत्ता में परिक्रमा रेल के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	242-243
(आठ) हिमाचल प्रदेश में सोलन में पेयजल की विकट समस्या का समाधान करने के लिए केंद्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य	243
(नौ) मध्य प्रदेश में विदिशा में खरी फाटक रोड स्थित रेलवे गेट पर अधोगामी पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री शिवराज सिंह चौहान	243-244
(दस) महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	244
(ग्यारह) 'डार्क ब्लॉक' के रूप में घोषित स्थानों में रहने वाले किसानों को सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	244
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	244-266
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम जेठमलानी	245-247
श्री पवन कुमार बंसल	247-256

विषय	कॉलम
श्री वरकला राधाकृष्णन	256-261
श्री राशिद अलवी	261-264
श्री विजयेंद्र पाल सिंह बदनोर	264-265
श्री प्रभुनाथ सिंह	265-266
नियम 193 के अधीन चर्चा	267-298
सरकार की विनिवेश नीति	
श्री इंद्रजीत गुप्त	267-275
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	275-280
श्री किरीट सोमैया	280-286
श्री बसुदेव आचार्य	286-292
डॉ. बी.बी. रमैया	292-296
डॉ. वी. सरोजा	296-298

लोक सभा

गुरुवार, 16 दिसम्बर, 1999/25 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सियाचिन में सैनिकों के लिए वाहन-वास एवं रसद व्यवस्था

*261. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाचिन में सैनिकों के लिए वाहन-वास एवं रसद व्यवस्था में सुधार करने के उपाय ढूँढने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उस दिशा में सुधार लाने हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सियाचिन में तैनात सैन्य बलों के लिए संभारिकीय आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है। सरकार का सतत् प्रयास रहता है कि सैन्य बलों को अपेक्षित संभारिकी सहायता मुहैया कराई जाती रहे ताकि वे उन्हें सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकें।

2. इस संबंध में किए गए कतिपय महत्वपूर्ण उपाय निम्नवत् हैं :

शस्त्रास्त्र

(क) उन्नत किस्म के गोलाबारूद सहित उन्नत स्वचालित ग्रेनेड लांचर (हल्का प्रतिरूप)

(ख) हथियारों के लिए रात्रिदर्शी उपकरण।

(ग) हल्की दूरबीनें।

(घ) रात्रिदर्शी उपकरणयुक्त अतिरिक्त स्नाइपर राइफल।

(ङ) 155 मि.मी. गन के लिए उन्नत किस्म के गोला बारूद की उपलब्धता।

(च) डिस्पोजेबल राकेट लांचर।

(छ) विशेष बलों के लिए अत्याधुनिक सब-मशीन कारबाइन।

संचार

(क) उन्नत संचार ग्रिड का संस्थापन। उन्नत किस्म के दूरसंचार केंद्र, रेडियो सेट तथा अत्याधुनिक रेडियो सेट।

(ख) विश्वसनीय संचार व्यवस्था के लिए वी.एस.ए.टी.।

(ग) बेहतर तार संचार के लिए हाई एल्टिट्यूड केबल।

(घ) सौर पैनल बैटरी चार्जिंग।

वस्त्रादि

(क) विशेष किस्म के वस्त्रों की आवश्यकता को पूर्णतः पूरा कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय में प्रचलित परिपाटी यह है कि बेहतर व ज्यादा आरामदायक उपस्करों की उपलब्धता के अनुरूप वस्त्रों के संबंध में निरंतर समीक्षा करके उनमें सुधार किया जाता रहे।

चिकित्सा

(क) उच्च कैलोरीयुक्त विशेष राशन दिया जाना।

(ख) मानव विष्टा के निपटान के लिए बायो-डाइजेस्टर का संस्थापन।

(ग) आपात स्थिति में हताहतों को निकालने संबंधी उपस्कर।

(घ) ऊँचे स्थानों पर पल्मोनरी ओडमा पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए अपेक्षित हाइपरबैरिक चैंबर की अधिक उपलब्धता।

(ङ) सेंट्रल हीटिंग सिस्टम।

आवास

(क) फाइबरयुक्त मजबूत प्लास्टिक-कुटीर की व्यवस्था।

(ख) जहाँ भी व्यवहार्य हो, जेनरेटर सेट की व्यवस्था।

सामग्री की ढुलाई

(क) ईंधन तेल के लिए पाइपलाइन बिछाया जाना। 290 कि.मी. पाइपलाइन बिछाए जाने की योजना है जिसमें से 74 कि.मी. पहले ही पूरी हो चुकी है।

(ख) बर्फ भित्तियों पर भार ढोने के लिए ट्रालियाँ।

सैन्य बलों का आवागमन

छुट्टी पर जाने वाले सैन्य कार्मिकों को ले जाने के लिए सिविल विमान किराए पर लिया जाना।

कल्याणकारी उपाय

(क) केबल टी.वी. जैसी मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था।

(ख) सैन्य कार्मिकों द्वारा अपने परिवारों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए इनमारसेट आधारित स्थानीय दूरभाष केंद्र की उपलब्धता (इसके लिए दूर संचार विभाग ने 31 मार्च, 2000 तक दरों में कमी करके उसे 25% कर दिया है)।

(ग) वाशिंग व ड्राइक्लीनिंग संयंत्र।

(घ) सभी मौसमों की मानीटरिंग के लिए स्टेशन-3।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, हथियारों/उपस्करों की कुछ मदों के लिए संविदा की गई है तथा इन उपस्करों के भारत पहुँचते ही उन्हें सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इनमें एंटी मैटीरियल राइफल, दस्ती थर्मल इमेजर, दस्ती आई.ओ.ई., युद्ध क्षेत्र पर निगरानी रखने वाला रेडार (एम. आर.) युद्ध क्षेत्र पर निगरानी रखने वाला रेडार (एस.आर.)। इन सभी उपस्करों/हथियारों की सुपुर्दगी दिसंबर, 1999 से आरंभ होकर समय-समय पर की जाती रहेगी। इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 327.5 कि.मी. सड़कें भी बनाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय रक्षा मंत्री ने बहुत एग्जॉस्टिव उत्तर दे दिया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने कैमिकल टॉयलट के बारे में कुछ ज्यादा वक्तव्य में नहीं बताया है। मैं रक्षा मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि 3 मई 1998 को कारगिल सैक्टर में जब शैफर्ड गए थे, उस समय पता चल गया था कि पाकिस्तान की ओर से बड़ी तादाद में फौजें आ रही हैं और हमारे बंकर्स कैप्चर हो गए हैं। जब सर्दी खत्म होती है तो वे एकदम आते हैं। सर्दी के वक्त सब बंकर्स खाली करा दिए जाते हैं। मैं रक्षा मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1984 में सियाचिन सैक्टर में एक मेघदूत ऑपरेशन हुआ था। 1987 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। पाकिस्तान के आज के राजकर्त्ता जनरल मुशर्रफ ने 1987 में सियाचिन सैक्टर में ब्रिगेड की कमांड संभाली थी। उस समय उन्होंने स्टेटमैंट में कहा था कि साल्टरो रीच हम काबिज करेंगे। जेहाद के वक्त उन्होंने यह बात कही थी। इसके बाद वह चले गए और जनरल बन गए। उनके दिल में यह इच्छा थी कि भारत आने के लिए पाकिस्तान की ओर से जो तीन रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ते पर भारत में आक्रमण कर दिया जाए। उन्होंने इसके लिए कारगिल का रास्ता सोचा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी सेना तैनात नहीं थी। भारत में युद्ध होने के बाद....*(व्यवधान)*

श्री ताराचंद साहू : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या हो गई है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर के बाद इस बात को उठाया जाए।

श्री ताराचंद साहू : अध्यक्ष महोदय, क्वश्चन ऑवर सस्पैंड किया जाए।....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या हाल है?....*(व्यवधान)* बहुत अच्छी बात है।....*(व्यवधान)*

श्री श्रीचंद कृपलानी : मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है ....*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : अपनी सरकार पर आपको विश्वास नहीं है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, वे मेरे भाषण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्हें अपनी सरकार में विश्वास नहीं है। यह बाधा मेरी ओर से नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से प्रश्न पूछिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं रक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसके बाद हमारे चुनाव आ गए। हम बार-बार अंदर और बाहर यह कहते रहे कि यह किसकी जिम्मेदारी है कि इसमें इंटैलीजेंस एजेंसीज है या सरकार है? सरकार को इंटैलीजेंस की रिपोर्ट मिलने के बाद उसने कौगनिजेंस नहीं लिया। एक शैपहर्ड जाकर देखता है कि पाकिस्तान की ओर से गड़बड़ियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष जी, जिस पर चर्चा नहीं हुई, देश को पता नहीं चला कि इंटेलीजेंस एजेंसी...

अध्यक्ष महोदय : शिंदे जी, आप सीनियर मैंबर हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। सूची में 20 प्रश्न हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : जिस पर देश का इतना बड़ा नुकसान हो गया, जो देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उनसे पूछना हमारा कर्तव्य है...

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 1984 में सियाचिन में मेघदूत आप्रेशन हो गया था और हमारी मिलिट्री

इंटैलीजेंसी की एक टीम वहाँ जाती थी और मालूम हुआ कि ड्रेस बाहर के देशों से मँगाने के लिए आर्डर क्यों दे रहे हैं, उसी समय हमें मालूम हो गया था कि वहाँ से आप्रेशन होने वाला है। यही लॉजैस्टिक का क्वश्चन हम पूछना चाहते हैं और इसीलिए यह बैकग्राउंड बता रहे हैं। मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने वहाँ जो चार आफिसर्स भेजे थे...

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी : महोदय यह प्रश्न कारगिल से नहीं सियाचिन से संबंधित हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, सियाचिन पर 12 महीनों बर्फ गिरती है और 22 हजार फीट...

अध्यक्ष महोदय : शिंदे जी, आप प्रश्न पूछिए, आप कितना टाइम लेते हैं?

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और उन्होंने उन सैनिकों की दुखद घटना को देखने के लिए चार अधिकारियों को भी भेजा है।

[हिन्दी]

आपने जो चार आफिसर्स वहाँ भेजे, उसकी क्या रिपोर्ट मिली है, आपने लौजेस्टिक में क्या बढ़ोत्तरी की है, सरकार देश को यह बताए।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही सीमित प्रश्न पूछा है जबकि सियाचिन का मामला बहुत बड़ा मामला है। जब मैं वहाँ पहली बार गया और जो स्थिति देखी तब हमने यह महसूस किया था कि वहाँ हमारे जवानों और अधिकारियों की जो जो आवश्यकताएँ हैं, उनमें से बहुत-सी उन्हें नहीं मिल रही हैं, वे पूरी नहीं हो पा रही हैं। जब मैंने स्वयं यह सब देखा तो उसको समझने के बाद हमने सोचा कि हमारे तमाम अधिकारियों को उन जगहों पर जाना चाहिए जहाँ हमारी सेना तैनात है। इसे केवल सियाचिन तक ही सीमित न रखा जाए बल्कि सियाचिन के अलावा जम्मू कश्मीर के वे पहाड़ी हिस्से, राजस्थान, कच्छ, पूर्वांचल और अंडमान निकोबार जहाँ जहाँ हमारी सेना बागियों से लड़ रही है। हमने जो आदेश दिया था, उसमें यह कहा था कि अपने टैन्योर में कम-से-कम दो बार अधिकारियों को उन इलाकों में जाना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष देखे बगैर यह समझना मुश्किल है कि हमारे जवान किस हालात में काम कर रहे हैं? यह कार्य तब से जारी है। अधिकारी अकसर जाते हैं और जो समस्याएँ हैं, उन्हें समझकर उसके इलाज के लिए जो कदम उठाने चाहिए, वे उठाने की दिशा में उनकी अपनी मदद होती है। उस समय एक ऐसी बात कही गई कि हमने सजा के लिए अधिकारियों को वहाँ भेजा है, तो ऐसी सजा की कोई बात नहीं है। हमने तो यह आदेश दिया था कि अधिकारियों को ऐसे स्थान पर जाना चाहिए तभी हम उनकी समस्याओं को समझ पाएँगे। इसलिए दो बार अपने टैन्योर में जाना चाहिए। उनके जाने पर जो रिपोर्ट मिलती है, उस आधार पर फैसले लिए जाते हैं। इसलिए हमने लिखित उत्तर में जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें जो उनकी अनेक समस्याएँ रही हैं, वे पिछले डेढ़ साल में अमल में लाई हुई बातें हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, जब चार अधिकारियों को रक्षा मंत्री जी ने भेजा था, तभी मैं वहाँ जाकर उनको धन्यवाद भी दे आया था। सियाचीन सेक्टर पर संसद का सदस्य होने के नाते हम वहाँ गए थे और आज भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कारगिल में आपने नया कवर खोल दिया है। जहाँ जम्मू कश्मीर से पूरा टैरेन दिखता था, आज नया कवर आपने वहाँ खोल दिया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन जो नया कवर अभी अगस्त से चल रहा है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ के चलते अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। आप अपने मंत्रालय से जल्दी ऐक्शन लेने को कहेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है।

लिखित उत्तर में इन्होंने जो मूवमेंट ऑफ मैटीरियल में (क) ईंधन तेल के लिए पाइप लाइन बिछाया जाना। 290 कि.मी. पाइप लाइन बिछाए जाने की योजना है जिसमें से 74 कि.मी. पहले ही पूरी हो चुकी है ऐसा कहा है। लेकिन जो बची हुई लाइन है, वह कब कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि इतनी ऊँचाई पर इतनी ठंड रहती है कि तापमान शून्य से 50 डिग्री नीचे तक रहता है और हेलीकॉप्टर से वहाँ जाते हैं तो पाँच मिनट भी वहाँ नहीं रुक सकते हैं, .लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो ऊँचाई पर जे.एम. 9842 है, वहाँ 22,000 फुट की ऊँचाई पर जहाँ चाइना पास है, वहाँ भी ये लाइन जा रही है। मैं स्ट्रैटेजिकली नहीं पूछना चाहता हूँ ताकि दूसरे देशों को मालूम हो जाए लेकिन मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कैरोसीन की जो पाइपलाइन है उसका काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमने पेपर में पढ़ा कि बगल वाले देशों के लोग जो जूते ग्लेशियर्स में इस्तेमाल करते हैं वह इटैलियन शूज़ इस्तेमाल करते हैं और वह युद्ध के समय हमारे पास बहुत कम थे और उससे बहुत नुकसान हो जाता था। आज युद्ध में उतना नुकसान नहीं होता है। आज भी वहाँ रहते हुए हर रोज़ दो सोल्जर बिना युद्ध के मरते हैं। इसको रोकने के लिए आपने वहाँ क्या प्लान किया है?

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, एक जमाना था जब वहाँ पर काफी लोगों की मृत्यु युद्ध से ज्यादा शीत वातावरण के कारण होती थी। लेकिन स्थिति में अभी बहुत सुधार हुआ है। 1998 में पूरे वर्ष में इस प्रकार की मौत के शिकार हुए लोगों की संख्या मात्र 11 हैं और इस साल चूँकि उस इलाके में भी काफी ऐक्शन रहा और बहुत हमले भी हो गए और उसका सामना करते हुए, युद्ध में मरे हुए लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन जो ऐक्सपोज़र होता है, उसके चलते 14 दिसंबर तक का जो आँकड़ा है, यह संख्या 21 है। इस साल जो उनकी सुरक्षा के लिए यानी जिस प्रकार का वहाँ मौसम है, उसका सामना करने के लिए उनको जो चीजें मिलनी चाहिए आज उनकी हर तरह से पूर्ति हो चुकी है। किसी तरह की कोई कमी नहीं है—जूतों से लेकर हाथों के ग्लब्ज़ तक। डेढ़ साल पहले उनके हाथों में जो ग्लब्ज़ थे, वह फ्रॉस्ट बाइट देने वाले थे, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। जहाँ तक आपने पाइपलाइन की बात कही तो उसका काम जारी है और जैसे आप स्थिति को खुद जानते हैं, देश के अन्य इलाकों म पाइपलान वगैरह लगाना जिस तेजी से हो सकता है, यहाँ उसका 10 गुना अधिक समय निश्चित लगता है। यह काम बहुत शीघ्र ही पूरा किया जाएगा और उस संकल्प के साथ वह काम हो रहा है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, सियाचिन के संबंध में लॉजिस्टिक के बारे में यह सवाल है और पिछले डेढ़-दो साल में लॉजिस्टिक में ही नहीं, बल्कि वहाँ के जवानों के मोराल पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा है। यह पहले मंत्री हैं जो वहाँ एक बार नहीं अनेकों बार गए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक पूर्व सैनिक होने के नाते उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वहाँ सिर्फ लॉजिस्टिक का ही सवाल नहीं है, पिछले डेढ़-दो साल में उनके मोराल में भी काफी तरक्की हुई है और लॉजिस्टिक में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमैंट हुआ है, उसमें और इम्प्रूवमैंट की जरूरत है। उस पर मंत्री जी द्वारा काफी अच्छा जवाब दे दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड क्वश्चन यह है कि आपने वैलफेयर के बारे में 'बी' पार्ट में कहा है कि वहाँ से जवानों को टेलीफोन करने की सुविधा दी गई है और अभी सिर्फ 25 प्रतिशत उनसे उसकी कीमत वसूली जा रही है, बाकी छूट दे दी गई है। माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि सैटेलाइट के द्वारा यह बात होती है और इसलिए यह बहुत एक्सपैंसिव है। यदि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमैंट उसमें 25 प्रतिशत की पूरी छूट देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या रक्षा मंत्रालय इस बात की व्यवस्था करेगा कि संबंधित लोगों को महीने में एक दफा कुछ निश्चित समय दो या तीन मिनट के लिए फ्री कॉल दे दे या उसकी पूरी छूट टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमैंट दे, अन्यथा 25 प्रतिशत रक्षा मंत्रालय दे, क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे?

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चाहे वे सियाचिन के जवान हों या हमारे देश के अन्य जवान हों। वे हमारी रक्षा करते हैं, सीमा पर लड़ते हैं। लेकिन जब जवान देहात में छुट्टी पर आते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको जो सुविधाएँ मिलती हैं वे ठीक से मिलती हैं या नहीं, चाहे वह कैंटीन का खाना हो, कपड़ा हो या अन्य जो सुविधाएँ डिफैंस से मिलती हो, दुख की बात यह है हमारे देश के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें कैंटीन में खाना तथा अन्य सुविधाएँ भी ठीक से नहीं मिलती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में हमारे जवानों को चाहे कैंटीन में खाने की सुविधा हो या अन्य सुविधाएँ हों, वे ठीक से मिलेंगी या नहीं और भविष्य में आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं?

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, देश की कोई ऐसी जगह नहीं हैं जहाँ हमारी सेना तैनात हो और मैं वहाँ न पहुँचा हूँ। सियाचिन में मैं अभी तक दस बार गया हूँ। आखिरी बार अभी दस दिन पहले गया था, जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया था। दौलत बेगोल्डी और काराकोरम पास के बगल में ट्रैक जंक्शन हो या जहाँ-जहाँ भी सेना के जवान तैनात हैं, वे कैंटीन में खाना नहीं खाते हैं। उनका खाना एक साथ पकता है और एक साथ ही वे खाते हैं और हम भी हर स्तर पर उनके साथ खाना खाएँगे। जहाँ तक क्वालिटी का जो मामला यहाँ उठाया गया है, उसके बारे में मेरा कहना है कि चूँकि अभी तक हमने उन्हीं के साथ खाना खाया है, अलग खाना नहीं खाया है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : आप जाएँगे तो वे अच्छा खाना बनाएँगे। रेगुलर खाना कैसा होता है, यह महत्त्वपूर्ण है।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : बनाने वाले जवान ही होते हैं, सेना के लोग ही खाना बनाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जॉर्ज फर्नांडीज, इस बार आप रात्रि भोजन में अपने साथ खाने के लिए माननीय सदस्य को आमंत्रित कर सकते हैं।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : मैं वहाँ उन्हें भेजने को तैयार हूँ...*(व्यवधान)* मैं, उन्हें जब वे वहाँ जाना चाहें और स्वयं निरीक्षण करना चाहें भेजने के लिए तैयार हूँ।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : आप अचानक विजिट करिए।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, जो बात यहाँ कही गई है उसमें किसी प्रकार का दम नहीं है, यह मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ और यदि इसके बारे में कोई शिकायत माननीय सदस्य के पास आई हो या भविष्य में आए तो वह हमें भेजें, उसमें सुधार करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी, वह हम करेंगे। लेकिन आपके प्रश्न में किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं है, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. भाटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सियाचिन हमारे लिए अत्यंत सामरिक महत्त्व का क्षेत्र है और इस प्रकार हम इस पर इतना अधिक धन खर्च कर रहे हैं और काफी लंबे समय से इसकी रक्षा कर रहे हैं। सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा कई बार आक्रमण किया गया है लेकिन हमारी सशस्त्र सेना द्वारा उन्हें अत्यंत सरलता पूर्वक खदेड़ा गया है। कारगिल युद्ध का उद्देश्य सियाचिन क्षेत्र से हमारा संचार संपर्क तोड़ना था अब सरकार जागी है और उसने निरीक्षण राडर और एंटी मटिरियल राइफल जैसी आधुनिक सामग्री के लिए क्रयादेश दिए हैं। सरकार ने क्रयादेश पहले क्यों नहीं दिए थे जबकि सियाचिन क्षेत्र की महत्ता है और हम काफी लंबे समय से उसकी रक्षा कर रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ क्या उस सीमा में अन्य क्षेत्र हैं जो हमारे दुश्मनों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और इस संबंध में सरकार क्या कर रही है।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, यह बात सही नहीं है कि ऑर्डर अभी जा रहे हैं। हमने पिछले 18 महीनों में पहले दिन से जो स्थिति देखी, उस स्थिति में सुधार लाने का कार्य उसी दिन से शुरू किया। कुछ चीजें खरीदने में देरी इसलिए होती है कि ये चीजें कोई ऑफ दि शैल्फ तो उपलब्ध नहीं होती हैं। जो भी हथियार आपको चाहिए उनकी डिलीवरी होने तक कभी-कभी तो एक साल से तीन-चार साल तक लग जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ ....*(व्यवधान)*

श्री आर.एल. भाटिया : लेकिन आपने कारगिल युद्ध में पहले नहीं बल्कि बाद में क्रयादेश दिया है।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, मैं फिर यह कहना चाहता हूँ कि कारगिल के बाद ऑर्डर देने की जो माननीय सदस्य की समझ है, यह समझ ठीक नहीं है। हमने जैसा कहा कि पहले दिन से इस चीज पर हमारा ध्यान गया और जो सुधार करना संभव था, वह सुधार का कार्य शुरू हुआ और उस सुधार में जितने भी अत्याधुनिक शस्त्र खरीदने संभव थे, उनको खरीदने का काम शुरू हो गया, लेकिन इसमें एक बात यह होती है कि शस्त्र उतने ही खरीद पाएँगे जितने पैसे पार्लियामेंट ने वोट करके उपलब्ध कराए हैं। पार्लियामेंट के वोट से बाहर तो पैसा कहीं से आना नहीं है। इसलिए जहाँ तक यह प्रश्न है कि अत्याधुनिक हथियार पहले क्यों नहीं आए, तो इसकी खोज अगर करनी हो, तो पिछले 10 सालों में इस सदन द्वारा वोट किया हुआ कितना पैसा कैपीटल एक्सपैंडीचर, विशेषरूप से शस्त्र आदि खरीदने के मामले में रक्षा मंत्रालय को स्वीकृत किया, वह पता लगाया जाए और यह भी कि क्या वह पैसा ठीक ढंग से खर्च हुआ, यानी उस धन से जितने हथियार आदि खरीदने संभव थे, उनको खरीदने के लिए प्रयास हुआ या नहीं, इसकी अगर जांच हो जाए, तो आपके प्रश्न का उत्तर आप मिल जाएगा।

[अनुवाद]

लंबित परियोजनाएँ

+

***262. श्री रामदास आठवले :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता और विकास संबंधी कई राज्य परियोजनाएँ स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार उक्त परियोजनाएँ कब से लंबित हैं; और

(ग) इन्हें स्वीकृति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और विकास से संबंधित कुछ परियोजनाएँ स्वीकृति के लिये सरकार के पास लंबित पड़ी हैं।

(ख) और (ग) पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण स्वच्छता अभियान राज्य सरकारों द्वारा चुने गए 58 प्रायोगिक जिलों में चरण 1 में कार्यान्वित किया जा रहा है। निम्नलिखित छः प्रस्तावों को राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति ने 25-11-99 को हुई बैठक में अनुमोदित कर दिया है और वित्तीय स्वीकृति के लिए इन पर कार्रवाई की गई है :

1. खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश
2. वैशाली जिला, बिहार
3. पश्चिमी जिला, सिक्किम
4. दक्षिणी जिला, सिक्किम
5. कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु
6. कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु

30 नवंबर, 1999 तक प्राप्त महाराष्ट्र से चार और तमिलनाडु से एक प्रस्ताव की अगली राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति के लिए जाँच की गई है। समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य परियोजनाओं के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है :

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के प्रायोगिक जिलों से नवंबर-दिसंबर, 1999 में तीस क्षेत्र सुधार परियोजनाएँ प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा परियोजनाओं को अनुमोदित करने के पश्चात् इनका वित्त पोषण प्रारंभ होगा।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों/अलग-अलग संस्थाओं द्वारा भेजे जाते हैं। स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से प्रस्तावों की जाँच की गई है और प्राथमिकता निश्चित की गई है। निधियों की उपलब्धता और दिशानिर्देशों के साथ परियोजनाओं की अनुरूपता को ध्यान में रखते हुए परियोजनाएँ स्वीकृत की जाएँगी। 1999 में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार 115 परियोजनाएँ लंबित हैं।

ग्रामीण आवास के अंतर्गत 1.4.1999 से ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य किफायती आवासों के निर्माण और पर्यावास विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभिनव और प्रमाणित निर्माण प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्रियों को बढ़ावा देना/प्रचार करना है। इस योजना के अंतर्गत आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से नौ विशेष परियोजनाएँ प्राप्त हुई हैं और परियोजना जाँच समिति और अनुमोदन समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उनको स्वीकृत किया जाएगा।

लंबित परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	कोई नहीं
3.	असम	18
4.	बिहार	2
5.	गोवा	कोई नहीं

6.	गुजरात	12
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	5
9.	जम्मू व कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	12
11.	केरल	1
12.	मध्य प्रदेश	10
13.	महाराष्ट्र	16
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	8
19.	पंजाब	2
20.	राजस्थान	10
21.	सिक्किम	कोई नहीं
22.	तमिलनाडु	16
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	13
25.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	167

श्री सुंदर लाल पटवा : श्रीमन, मैं इस लोक सभा में प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहली बार खड़ा हुआ हूँ और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे रामदास जी के प्रश्न का उत्तर देना है।

श्री माधवराव सिंधिया : आपको श्री ओवेसी के प्रश्न का उत्तर भी देना है।

श्री सुंदर लाल पटवा : अच्छा, मुझे श्री ओवेसी जी के प्रश्न का भी उत्तर देना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका श्रेय श्री रामदास आठवले को जाता है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, मेरे पहले प्रश्न का जवाब श्री सुंदर लाल पटवा जी देने जा रहे हैं। मैं अपेक्षा करूँगा कि मेरे प्रश्न का जवाब भी सुंदर आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता और विकास के जो प्रोग्राम हैं, वे प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए आपने 58 पायलट डिस्ट्रिक्ट को चुना है और 167 पेंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने देश में काफी जिले हैं। सिर्फ 58 जिलों का समावेश करने से अपने देश की स्वच्छता इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जो पेंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं, फर्स्ट पेज में आपने 58 पायलट डिस्ट्रिक्ट ले लिए हैं तो फिर आप सैकिंड में कितने जिलों का समावेश करने वाले हैं? इसी के साथ-साथ आपने आठवीं योजना में 260.33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि आप नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितने धन का प्रावधान करने वाले हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता पर ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए ग्रामीण विकास डिपार्टमैंट और आपका मंत्रालय इस बारे में क्या करने वाला है? आने वाले बजट में इसको 1 हजार करोड़ रुपए देने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका डिपार्टमैंट इस बारे में सीरियसली विचार कर रहा है और आपसे सुंदर रिप्लाई मिलने वाला है या नहीं?

श्री सुंदर लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया है, उसके कई भाग हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस विभाग को 1 हजार करोड़ रुपए का आबंटन किया जाए, ऐसा लोक सभा में प्रस्तावित करके मेरी मदद की है। फर्स्ट पेज में....*(व्यवधान)* नौवीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दो साल में जो बजट आबंटित हुआ है, उसका उपयोग हो रहा है। तीसरा साल चल रहा है। चौथे और पाँचवें साल में जितना बजट आबंटित होगा, उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे इस मामले में सहमत हूँ कि ग्रामीण विकास और स्वच्छता अभियान जितना शीघ्रतम संभव हो सके, उतना होना चाहिए।

श्री रामदास आठवले : मेरा दूसरा सवाल यह है कि ग्रामीण इलाकों में दलित, आदिवासियों की जो बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं इसलिए उनकी स्वच्छता कराने के बारे में कोई प्रोग्राम केंद्रीय सरकार द्वारा बनाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रोग्राम बनाने का विचार आपका है या नहीं? यदि इस तरह का विचार आप नहीं करने वाले हैं तो क्यों नहीं करने वाले हैं?

श्री सुंदर लाल पटवा : मैं आपसे इस मामले में सहमत हूँ। वह हमारी प्राथमिकता का विषय है।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : धन्यवाद महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जलापूर्ति, परती भूमि विकास--जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ डी.आर.डी.ए. अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से--आवास, और पी.एम.आर.वाई आदि के अंतर्गत कई अन्य योजनाएँ जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। यह देखा गया है कि जो भी कार्यक्रम वहाँ चलाए जा रहे हैं, वे

आशा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं या तो कुछ कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहे हैं अथवा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य नहीं है। अतः ये ठीक काम नहीं कर रही हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ क्या गुणवत्ता और धनराशि पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच कोई समन्वय एजेंसी होगी यह इसलिए है क्योंकि कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं।

क्या केंद्र सरकार कार्यक्रमों में संसद सदस्यों की भूमिका रखने के उद्देश्य से सांसदों की भूमिका के बारे में अत्यंत गंभीरता से सोच रही है?

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : मैं इस सवाल के लिए माननीय सदस्य का आभारी हूँ। मैं स्वयं सोच रहा हूँ और मुझे कई माननीय सदस्यों ने आग्रह भी किया है, इस बात के प्रति असंतोष जाहिर किया है। हमारी जो प्रक्रिया है, उसमें सारी योजनाएँ और प्रयत्न राज्य सरकारों द्वारा संपादित किए जाते हैं। हम केवल पैसा स्वीकार करने वाली एजेंसी हैं और मौनीटरिंग सेंटर के माध्यम से जितना हो सकता है, उतना करते हैं। परंतु क्रियान्वयन की सारी सूचनाएँ जो केंद्र द्वारा प्रदत्त की जाती हैं, हमें अधिकांश रूप से उसी पर अवलंबित करना पड़ता है। माननीय सदस्य का जो कथन है कि संसद सदस्य का उसमें कितना रोल है, उसके बारे में मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें माननीय सदस्यों का अधिकतम रोल हो और उनका पूरा श्रेय रहे।....*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : पूरा हाउस कहता है कि वहाँ एम.पीज की कोई वैल्यू नहीं है।....*(व्यवधान)*

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर में दिया है कि निम्नलिखित छः प्रस्तावों को राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति ने 25.11.99 को हुई बैठक में अनुमोदित कर दिया है। उसमें जो नाम दिए हैं, जो निर्लंबित प्रश्न है, 30 नवंबर 1999 तक महाराष्ट्र की चार और तमिलनाडु की एक राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति की जाँच की गई है। समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि समिति की बैठक कब आयोजित की जाएगी? महाराष्ट्र के चार प्रपोजल जो लंबित पड़े हैं, वे कब तक क्लीयर किए जाएँगे? महाराष्ट्र की 16 योजनाएँ निलंबित पड़ी है। वे 16 योजनाएँ कौन-सी हैं और लंबित पड़ी हुई योजनाओं के क्या नाम हैं, मंत्री महोदय उसका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री सुंदर लाल पटवा : श्रीमन, लंबित योजनाओं के नाम इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपको सूचित कर दूँगा। परंतु जहाँ तक इन योजनाओं की स्वीकृति और उनके क्रियान्वयन का प्रश्न है, हम उसे अति शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। आपको उसकी निश्चित तिथि पता लग जाएगी।

जहाँ तक माननीय संसद सदस्यों के इन्वॉल्वमैंट का सवाल है, इस समय विजिलैंस और मौनीटरिंग की जो कमेटी है, उसमें माननीय संसद सदस्य, सदस्य हैं और डी.आर.डी.ए. में भी सदस्य हैं।....*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : पार्लियामैंट के मैंबरों के लिए कहीं नहीं है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं आप से अनुरोध कर रहा हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूड़ी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। .... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रश्न काल में यह प्रक्रिया नहीं हैं। कृपया समझिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले जवाब देने दें प्लीज।

....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : केन्द्र से जाने वाले सभी पैसे का सांसद को....*(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : जिला परिषद का सी.ओ. चेयरमैन है। ....*(व्यवधान)* पार्लियामैंट के सदस्य को डी.आर.डी.ए. का सदस्य बनाया जाए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनिल बसु : महोदय, हमारे पास इस समिति के बारे में कोई सूचना नहीं है....*(व्यवधान)* मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए महोदय....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री सुरेश जाधव, यह बहुत हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न काल में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : पहले मेरा जवाब पूरा हो जाये। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें पहले पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : श्रीमन माननीय सदस्यों के असंतोष से मैं पूरी तरह परिचित हूं। अभी जो व्यवस्था है, वह पर्याप्त नहीं है, संतोषजनक नहीं है। कुछ राज्यों ने डी आर.डी.ए. को खत्म करके जिला पंचायत में मिला दिया है। यह भी स्थिति है।....*(व्यवधान)* कृपया सुन लें। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया चुप रहिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : कृपया मुझे कंपलीट करने दें। अध्यक्ष महोदय, कल ही मैंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है कि डी.आर.डी.ए. को जहाँ समाप्त कर दिया गया है, वहाँ उनकी पुनर्स्थापना की जाए और अब मैं सोच रहा हूँ और शीघ्र ही इसको क्रियान्वित करने का मेरा इरादा है कि डी.आर.डी.ए. और विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन के रूप में संसद सदस्य को कैसे बनाया जाए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इसको शीघ्रतम क्रियान्वित किया जाए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : डी.आर.डी.ए. पर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया उन्हें पूरा तो करने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : आपने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्लीज़।

....*(व्यवधान)*

श्री सुंदर लाल पटवा : श्रीमन्, सदन की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि आदेश है, मैं इस आदेश की शिरोधार्य करता हूँ और इसका शीघ्रातिशीघ्र परिपालन कराऊँगा।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्रीजी को घोषणा करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसे अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने किया है। मुख्य प्रश्न जिसे मैं माननीय मंत्री के सन्मुख रखना चाहता हूँ वह सफाई कर्मचारियों की समस्या से संबंधित है। हम नई सहस्ताब्दि और 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन भारत में आज भी हम सफाई कर्मचारियों की समस्या को झेल रहे हैं और सफाई कर्मचारियों को आज भी सिर पर मैला ढोना पड़ता है।

महोदय, इस सरकार ने दो कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहला संपूर्ण सफाई अभियान अर्थात् स.स.अ. है और दूसरा पुनर्गठित केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अर्थात् के.ग्रा.स्व.का. है। लेकिन यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 52 वर्षों के पश्चात् और इन दो कार्यक्रमों के बावजूद सफाई करने वाले इस देश के कुछ हिस्सों में अभी भी मैला सिर पर ढोते हैं। अतः मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव है अथवा क्या केंद्र सरकार मैला ढोने की इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देगी।

महोदय, हमारे पास न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नामक कार्यक्रम हैं जो मुख्य रूप से मैला ढोने को समाप्त करने के लिए हैं।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये गरीब लोग अभी भी सिर पर मैला ढो रहे हैं? पश्चिम बंगाल में मैला ढोने की व्यवस्था अभी भी विद्यमान हैं। अतः मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार के पास कोई योजना है कि वह देखे कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : केवल प्रस्ताव ही नहीं यह हमारा दायदा है। ....*(व्यवधान)* 52 वर्ष तक का सवाल मुझसे पूछने का कोई औचित्य नहीं होगा। मैं स्वयं एक छोटे से गाँव से आता हूँ। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत ग्राम पंचायत का पंच बनकर की।

एक माननीय सदस्य : आप मास लीडर हैं।

श्री सुंदर लाल पटवा : धन्यवाद। इस लोक सभा में मेरा प्रवेश नया-नया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकूँ। जो समस्या माननीय सदस्य ने उठाई है, वह आज भी मौजूद है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इससे हमारे देश का सिर नीचा होता है, ऊँचा नहीं होता। कोशिश होगी इस समस्या का पूरी तरह से निराकरण हो जाए। अध्यक्ष महोदय, सदन से मेरी प्रार्थना है कि तीन चौथाई भारत जहाँ रहता है, प्रधानमंत्री जी ने उसके विकास का जिम्मा मुझे सौंपा है, परंतु मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस विभाग को ग्लैमरस विभाग नहीं माना जाता। ग्लैमर और ग्लिटर जितनी होती है, वह एक चौथाई भारत में है, तीन चौथाई भारत में नहीं है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : उसके लिए तो मनोहर जोशी जी हैं, पासवान जी हैं और यादव जी हैं, वे आपके साथ बैठे हैं।

श्री सुंदर लाल पटवा : मैं तो ग्लैमरस नहीं हूँ।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : आप में हैं।

श्री सुंदर लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि जो अंतर ग्रामों और शहरों में दिख रहा है, उसको पाट सकूँ। ग्राम से लोग भागकर शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने न आएँ तथा शहर से लोग गाँवों में स्वच्छ हवा के लिए जाएँ।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : आपके पहले दिन का जवाब आपको ग्लैमरस बना गया।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में पाक गतिविधियाँ

***263. श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात में भारत-पाक सीमा के पार कुछ क्षेत्रों में पाक सेना की बढ़ती हुई गतिविधियाँ और सैनिक टुकड़ियों की आवाजाही और अस्त्र-शस्त्र जमा करने की गतिविधियाँ देखी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) भारत पाक सीमा पर दक्षिणी राजस्थान और कच्छ क्षेत्र के नजदीक कुछ छुटपुट सैन्य गतिविधियाँ और सैन्य-टुकड़ियों की आवाजाही देखी गई है। इन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि पाकिस्तानियों की कार्यवाहियों में से एक यह भी कि वे हमारी सीमाओं के नीचे सुरंगें खुदवा रहे हैं, जिससे वे सभी अपने आदमियों और सामग्री को हमारे देश के भीतर घुसपैठ करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सुरंगे अभी हाल ही में हमारे बी.एस.एफ. और हमारी गुप्तचर विभाग के नाक के नीचे खोदी गई। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है; अगर हाँ, तो क्या यह कारगिल के बाद उसी तरह की दूसरी गुप्तचर विभाग की असफलता नहीं है? माननीय मंत्री इन गतिविधियों के संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की सरगर्मियों पर संपूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, ऐसी स्थिति पंजाब में भी पाई गई थी और कैसी स्थिति में यह काम हुआ, इसकी जांच अभी जारी है ; जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसको हम सदन के सामने लाएँगे।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान के पास अब यह सामर्थ्य है कि वह सीमा के पास शीघ्र प्रक्षेपास्त्र तैनात कर सकती है जिसमें परमाणु अस्त्र वहन करने की क्षमता है और जो कि भारत के कई शहरों को निशाना बना सकते हैं। अगर यह सच है तो, क्या सरकार तक तत्संबंधी किसी योजना पर कार्यवाही कर रही है जिससे वह पाकिस्तान की ओर से होने वाले इस शीघ्र तैनात कर सकने की क्षमता की वजह से उसके होने वाले पूरे परमाणु हमले का सामना कर सकें। और, अगर ऐसी कोई योजना है तो, उस योजना की प्रकृति क्या है?

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के पास समूचे भारत को किसी भी इलाके में पहुँचाने वाले जैसे मिसाइल हैं, यह बात आज से नहीं बहुत लंबे अरसे से सबको मालूम है। पाकिस्तान के पास न्युक्लियर कैपेबिलिटी है, यह भी नई बात नहीं है, बहुत पहले से मालूम है, जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं और जिनके पास यह जानकारी हासिल है। मिसाइल का इस्तेमाल कन्वैंशनल शस्त्र के लिए भी किया जा सकता है और न्युक्लियर शस्त्र के लिए भी किया जा सकता है? यह बात भी सर्वविदित है। पाकिस्तान के इरादे हम लोगों के प्रति अच्छे नहीं हैं, यह भी

सब लोग जानते हैं और जो भी चुनौती है, उसका सामना करने के लिए जो-जो कार्य करना चाहिए, वह कार्य हमारे रक्षा विभाग से पूरे तौर पर हो रहा है। आपने पूछा है कि उसकी जानकारी रखी जाए तो, अध्यक्ष जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए ब्यू-रचना की जानकारी रखना उचित नहीं होगा।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, जो नई बात है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। जो इसमे नई बात थी, वह यह थी कि तेजी से तैनात करने वाली न्युक्लियर वैपन्स की क्षमता, यानि वास्तव में स्थापित नहीं हुई, पर जब कभी करना चाहें तो बहुत कम समय में, तेजी से तैनात हो सकें। देश की रक्षा की दृष्टि से इसके भी कुछ प्लांस हैं या नहीं? आप नेचर न बताएँ, मगर प्लान अपने तैयार हैं या नहीं?

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : जी, हाँ। हैं।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है। नया मिलिट्री रूल आने के पश्चात् वह अधिक आक्रामक हुआ है और कारगिल जैसी पुनरावृत्ति यहाँ बार्डर पर हो सकती है। इसके बारे में सरकार का क्या विचार है? दूसरी बात आई.एस.आई. इन्फिल्ट्रेटर्स के द्वारा जो वैपन्स और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, उस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, कारगिल जैसी पुनरावृत्ति देश के अन्य किसी हिस्से में हो सकती है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। क्योंकि कारगिल एक तो ऊँचाई पर है और दूसरे 1972 से लेकर 1999, वहाँ जिस स्थिति में सेना कुछ इलाकों में तैनात रही और अलिखित, लेकिन हम सब जानते हैं कि 27 साल का समय बिना किसी हरकत के उस इलाके में रहा था। कारगिल से हम मानते हैं, पाकिस्तान ने सबक सीखा है और हमें जो सीखना चाहिए था, हम भी सीखे हैं। देश के अन्य किसी भी सीमा से पाकिस्तान ऐसा कोई भी हमला हम लोगों पर करे, जो कारगिल में उन्होंने प्रयास किया था, वह संभव है, यह हम नहीं मानते हैं।

जहाँ तक आई.एस.आई. नारकोटिक्स की तस्करी करने की बात है, देश में नारकोटिक्स की तस्करी करने वाली जमात आई.एस.आई. के अलावा बहुत हैं। इसलिए नारकोटिक्स के विरोध की लड़ाई लगातार चलती रही है और चलती रहेगी।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद्र पाल : महोदय, क्या मैं माननीय रक्षा मंत्री से जान सकता हूँ कि कारगिल संघर्ष के दौरान हुई चूकों की जाँच करने के संबंध में स्थापित सुब्रह्मण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है अथवा सरकार कब तक अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगी?

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : महोदय, समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। हमें शीघ्र रिपोर्ट मिलने की आशा है। इसके प्राप्त होते ही आप टीका-टिप्पणी कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि संसद के इस सत्र के आरंभ होने से पूर्व, श्री सुब्रमण्यम सरकार से मिले। दूरदर्शन पर इसका व्यापक प्रचार किया गया था कि कारगिल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके बाद मैंने दूरदर्शन के सी.ई.ओ. को लिखकर समाचार की अक्षरशः प्रति माँगी, जिसे उन्होंने अभी तक मुहैया नहीं कराया है। उसके बाद श्री सुब्रमण्यम प्रधानमंत्री से मिले और दूसरे दिन के समाचार पत्रों में यह समाचार आया कि रिपोर्ट 15 दिसंबर तक प्रस्तुत कर दी जाएगी। आज 16 दिसंबर है। क्या मंत्रीजी स्पष्ट रूप से बता सकेंगे कि रिपोर्ट चालू सत्र के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत हो जाएगी, अथवा इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है? इसके पीछे क्या राज है? दो प्रकार की रिपोर्टें हैं।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : इस रिपोर्ट के पीछे कोई रहस्य नहीं है। समिति कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, यह समिति निर्णय लेंगी। हमें आशा है कि रिपोर्ट हम तक शीघ्र पहुँच जाएगी। मुझे, तथापि, एक मुद्दा सुब्रमण्यम समिति के सदस्यों का प्रधानमंत्री से मिलने के संबंध में प्रस्तुत करना है। सुब्रमण्यम समिति के सदस्य संबंधित लोगों से एक से अधिक बार मिलें और उन्होंने विभिन्न स्रोतों से स्पष्ट जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न किया और उसके पश्चात वे अपने पास उपलब्ध जानकारी को दूसरों के सम्मुख ला रहे हैं। इसलिए, जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ वह है कि सुब्रमण्यम समिति का प्रधानमंत्री से मिलने का रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में किसी प्रकार की देरी करने के प्रयत्न के रूप में नहीं देखना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, यह काफी गंभीर मामला है। मैंने इसे शून्य काल में भी उठाया था....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, यह प्रश्न सीमा पर पाक गतिविधियों से संबंधित है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह दूरदर्शन ने समाचार दिया था कि रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसके बाद यह खबर आई कि श्री सुब्रमण्यम प्रधानमंत्री से मिले और रिपोर्ट 15 दिसंबर तक आ जाएगी। स्पष्टतः मैंने सोचा कि, रिपोर्ट के पूरा हुए बिना वे क्यों प्रधानमंत्री से मिलेंगे। यह काफी विलक्षण बात है।

श्रीमती कृष्णा बोस : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारत पाक सीमा पर कोई सेना की टुकड़ी को तैनात नहीं किया गया है, उन्होंने तो वास्तव में अपनी सेना को वापस बुला लिया है। उन्होंने दुनिया को यह भी ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अपने रक्षा-व्यय में कई करोड़ रुपए की कटौती की है। एक ओर वह यह कह रहे हैं, दूसरी ओर, हमें यह पता चलता है कि उनकी सेना-दल या शस्त्र एकत्र करने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है, अगर वे सुरंगे खोद रहे हैं, तो यह काफी खतरनाक है। एक समय था कि हम सोचते थे कि सत्ता के अलग-अलग केंद्र हैं और लोग अलग-अलग बोल रहे हैं, लेकिन अभी सत्ता का केंद्र एक ही है। मैं रक्षा मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे पास कोई ठोस नीति पाकिस्तान की, हमारे प्रति इस मतवैशिन्य दृष्टिकोण का जवाब देने के लिए नहीं है। क्या हम, उदाहरण के लिए, विश्व जनमत प्राप्त करने जा रहे हैं और उन्हें इस मत-भिन्नता के बारे में बता रहे हैं।

श्री जॉर्ज फर्नांडीज : महोदय, जहाँ तक पाकिस्तान की यह घोषणा कि वह अपनी सेना को जो सीमा के साथ तैनात किए थे वापसा बुला रहा है, लेकिन सच यह है कि कारगिल संघर्ष के चर्मोत्कर्ष पर अपने सैनिकों को शांति क्षेत्र से हमारी सीमा पर तैनात कर दिया है। जब पाकिस्तान ने कुछ समय पूर्व यह घोषणा कि थी कि वो अपनी सेना को वापस बुलाएगा, इस घोषणा से वह यथार्थ में यह व्यक्त करने का प्रयत्न कर रही है कि उसने सेना को वापस कैंप में बुला लिया है जो आगे बढ़ गई थी।

यह अभी तक नहीं हुआ और अभी, हाल में यह घोषणा हुई कि अंततः उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया है।

जहाँ तक संपूर्ण देश में पाकिस्तान की कार्यवाही के संबंध में जवाबी नीति बनाने का संबंध है, मुझे लगता है कि राजनयिक स्तर पर और कूटनीति के द्वारा भी जो विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त है, सैनिक अधिकारी अपनी विभिन्न देशों की व्यक्तिगत यात्रा पर परस्पर बातचीत करते हैं, हमारा मात्र यह प्रयास नहीं रहा है अपितु हम संपूर्ण दुनिया को पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर उत्पन्न किए गए माहौल को बता पाने में भी सफल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्री जी का ध्यान आज 16 दिसंबर 'विजय दिवस' की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज के दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को हराया था और पाकिस्तानी सेना के 92 हजार सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्म-समर्पण किया था। आज हमें भारतीय सैनिकों का अभिनंदन करना चाहिए।.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए।

इंदिरा आवास योजना हेतु धनराशि

+

***264. श्री पी.डी. एलानगोवन :**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित राज्यवार धनराशि और निर्धारित किए गए लक्ष्य अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान नए निर्माण/उन्नयन के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुबंध-II में दिए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य योजना के अंतर्गत प्रदान की गई बजटीय सहायता की मात्रा पर निर्भर होंगे।

अनुबंध-I

चालू वित्त वर्ष (1999-2000) के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि और निर्धारित लक्ष्य

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन			नए निर्माण/ उन्नयन हेतु कुल लक्ष्य
		केन्द्र	राज्य	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11036.00	3678.67	14714.67	88288
2.	अरुणाचल प्रदेश	754.00	251.33	1005.33	5666
3.	असम	15658.00	5219.33	20877.33	121765
4.	बिहार	38598.00	12866.00	51464.00	308784
5.	गोवा	68.00	22.67	90.67	544
6.	गुजरात	3243.00	1081.00	4324.00	25944
7.	हरियाणा	1171.00	390.33	1561.33	9368
8.	हिमाचल प्रदेश	515.00	171.67	686.67	3870
9.	जम्मू व कश्मीर	618.00	206.00	824.00	4644
10.	कर्नाटक	5898.00	1960.00	7864.00	47184
11.	केरल	3552.00	1184.00	4736.00	28416
12.	मध्य प्रदेश	9183.00	3061.00	12244.00	73464

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	10585.00	3528.33	14113.33	84680
14.	मणिपुर	693.00	231.00	924.00	5208
15.	मेघालय	1057.00	352.33	1409.33	7944
16.	मिजोरम	260.00	86.67	346.67	1954
17.	नागालैंड	653.00	217.67	870.67	4907
18.	उड़ीसा	9154.00	3051.33	12205.33	73232
19.	पंजाब	745.00	248.33	993.33	5960
20.	राजस्थान	3233.00	1077.67	4310.67	25864
21.	सिक्किम	122.00	40.67	162.67	917
22.	तमिलनाडु	5846.00	1948.67	7794.67	46768
23.	त्रिपुरा	1433.00	477.67	1910.67	10769
24.	उत्तर प्रदेश	23565.00	7855.00	31420.00	187629
25.	पश्चिम बंगाल	12064.00	4021.33	16085.33	96127
26.	अंडमान निकोबार	129.00	0.00	129.00	727
27.	दा. व न. हवेली	69.00	0.00	69.00	414
28.	दमन व दीव	27.00	0.00	27.00	162
29.	लक्षद्वीप	3.00	0.00	3.00	17
30.	पांडिचेरी	67.00	0.00	67.00	402
	कुल	160000.00	53234.66	213233.66	1271618

अनुबंध-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान निर्मित मकानों की राज्यवार संख्या और 1999-2000 के लिए लक्ष्य

राज्य का नाम	निर्मित मकान		नए निर्माण/उन्नयन के लिए वर्ष 1999-2000 के कुल लक्ष्य
	1997-98	1998-99	
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	104115	61430	88288
अरुणाचल प्रदेश	932	470	5666
असम	17516	20937	121765
बिहार	103506	125082	308784
गोवा	512	482	544
गुजरात	24439	21820	25944
हरियाणा	4505	10043	9368
हिमाचल प्रदेश	1843	3874	3870
जम्मू व कश्मीर	6172	5400	4644
कर्नाटक	43522	37369	47184
केरल	12834	9452	28416
मध्य प्रदेश	101549	102901	73464
महाराष्ट्र	60709	54532	84680
मणिपुर	1096	1125	5208
मेघालय	316	734	7944
मिजोरम	302	519	1954
नागालैंड	1933	2290	4907
उड़ीसा	50023	50671	73232
पंजाब	3235	3831	5960
राजस्थान	34858	32955	25864
सिक्किम	590	543	917
तमिलनाडु	55830	68207	46768
त्रिपुरा	1665	3235	10769
उत्तर प्रदेश	94535	181274	187629
पश्चिम बंगाल	43931	36246	96127
अंडमान निकोबार	6	12	727
दा. व न. हवेली	100	6	414
दमन व दीव	38	0	162
लक्षद्वीप	110	40	17
पांडिचेरी	214	290	402
कुल	770936	835770	1271618

*अनंतिम।

[अनुवाद]

श्री पी.डी. एलानगोवन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की शेष नौवीं योजना के अंतर्गत देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए ज़िलों में अधिक आवास बनाने की कोई योजना है, अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार गरीब लोगों को आवास आबंटन के संबंध में किसी आरक्षण प्रक्रिया या किसी आर्थिक मानदंड का अनुसरण करती है और हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : जहाँ तक इंदिरा आवास योजना के घरों के निर्माण का प्रश्न है, उसमें घरों का आबंटन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है तथा इंदिरा आवास योजना मूलतः उन्हीं परिवारों के लिए आबंटित करती है जिनका जीवन-स्तर गरीबी रेखा से नीचे है।

[अनुवाद]

श्री पी.डी. एलानगोवन : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के धरमपुरी और सेलम जिलों में अब तक कितने आवासों का निर्माण किया जा चुका है। कृपया मुझे ब्लॉक-स्तर पर पिछले तीन सालों का ब्यौरा दीजिए।

लाभार्थियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? क्या इसका अधिकार जिलाधिकारी के पास है या इनका चयन राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है? लाभार्थियों के चुनाव में संसद सदस्यों की क्या भूमिका है?

[हिन्दी]

श्री सुंदर लाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्यों के रोल के बारे में उल्लेख कर चुका हूँ। उन्हें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का अवसर मिले, इसका पूरा प्रयास होगा। जहाँ तक जिलेवार आवास आवंटन का प्रश्न है, माननीय सदस्य प्रत्येक जिले के बारे में अगर अलग से सूचना देंगे तो मैं अभी तक के आवास की जानकारी दे सकूँगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न देना

*265. **श्री चंद्र भूषण सिंह** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबों अथवा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को खुले बाजार से केवल लगभग 25 प्रतिशत कम मूल्य पर बेचे जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा को दुगुना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार गरीबी की रेखा से ऊपर के 60 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों से बाहर करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण विमान

*266. **श्री जी. गंगा रेड्डी** :
डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा प्रशिक्षण विमान वायुसेना के उच्च प्रशिक्षण के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो प्राथमिकता के आधार पर उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान को वायुसेना में शामिल किए जाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान को किस स्रोत से प्राप्त करने का प्रस्ताव है और इसकी सुपुर्दगी की समय-सारणी क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) इस समय, वायुसेना के लड़ाकू पायलटों को मिग-21 विमान पर उच्च प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह विमान पुराना है तथा इसे चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाया जा रहा है। वायुसेना में उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों को शामिल करने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन विकल्पों में उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों को पट्टे पर प्राप्त करना तथा बाद में उनका प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के आधार पर देश में ही उत्पादन शुरू करना शामिल है। उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों के चुनिंदा विक्रेताओं के साथ तकनीकी विचार-विमर्श शीघ्र किए जाने की संभावना है।

(ग) उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान के स्रोत तथा इसके सुपुर्दगी-कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एयर इंडिया के पुराने हो रहे बेड़े को बदलना

*267. **श्री किरीट सोमैया** :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का पिछले वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में 122 करोड़ रुपए का निवल घाटा इस वर्ष की पहली छमाही में कम होकर केवल 5.5. करोड़ रुपए रह गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसने यह भी महसूस किया है कि उसके पुराने हो रहे बेड़े को बदलने के लिए उसमें नए विमानों को शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पुराने विमानों को बदलने पर कुल कितना खर्च आएगा; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अप्रैल 1999 से सितंबर, 1999 की अवधि के दौरान, एअर इंडिया को पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 127.37 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में 5.29 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई थी।

(ख) से (ङ) कुछ समय से एअर इंडिया अपने विमान बेड़े की योजना पर कार्य कर रही है, परंतु इसने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

परती भूमि का विकास

*268. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृति के लिए और वित्त पोषण हेतु भेजी गई परती भूमि विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) भूमि संसाधन विभाग बनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए "समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम" को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा तैयार किए जाते हैं और स्वीकृति के लिए इस विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएँ 4 से 5 वर्षों की अवधि के लिए परियोजना दर परियोजना के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सहित राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से 343 परियोजनाएँ प्राप्त हुई हैं।

(ख) भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 से अब तक समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत 132 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान 82 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पिछले तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99 तक) के दौरान राजस्थान राज्य सहित समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1996-97	50.80
1997-98	53.86
1998-99	61.99

ब्रिटेन और भारत के बीच विमान सेवाएँ

*269. श्री जी.एस. बसवराज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज ने भारत सरकार से अपने आकाश क्षेत्र को मुक्त करने और ब्रिटेन तथा भारत के बीच विमान सेवाओं पर पाबंदियों को कम करने के लिए संपर्क किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्रिटिश एयरवेज के अनुरोध/संपर्क करने के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विदेशी विमान कंपनियों के लिए हमारे आकाश को खुला रखने के अनुरोधों पर विचार करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड अपनाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) यू.के. सरकार भारत तथा यू.के. के बीच मौजूदा विमान यातायात संबंधी अधिकारों के उदारीकरण संबंधी द्विपक्षीय बातचीत की इच्छुक रही है। यद्यपि 1996 में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए दो दौर की बातचीत की गई, लेकिन किसी सहमति पर नहीं पहुँचा जा सका, क्योंकि यू.के. सरकार ने अतिरिक्त अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में एअर इंडिया को हीथ्रो विमानपत्तन पर सुविधाजनक स्लाट्स सुनिश्चित करने में अपनी असमर्थता जताई थी। अब, यू.के. सरकार ने फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने अगले वर्ष के शुरू में किसी समय द्विपक्षीय चर्चा करने संबंधी अपनी इच्छा के बारे में सूचित कर दिया है।

रूसी विमानवाहक पोत "गोर्शकोव" के लिए सौदा

*270. श्री राम नायडू दग्गुवाटि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के रुग्ण पड़े विमानवाहक पोत 'गोर्शकोव' को खरीदने का नौसेना का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह 20 वर्ष पुराना विमानवाहक पोत, 5 वर्ष पूर्व अपने बायलर के फट जाने के कारण काले सागर में रुग्णावस्था में निष्क्रिय खड़ा हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पोत को आधुनिक अस्त्रों से पुनः लैस करने के लिए कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस सौदे के संबंध में विशेषकर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि रूस से इसके पुर्जे लाना कठिन है, विशेषज्ञों की क्या राय है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (घ) रूसी संघ सरकार ने भारत को वायुयान वाहक "एडमिरल गोर्शकोव" भेंट स्वरूप देने की पेशकश की है। नौसेना मुख्यालय के विशेषज्ञों ने वर्ष 1995, 1998 तथा 1999 में पोत का मूल्यांकन किया है। नौसेना मुख्यालय प्रमुखतया सेवा से हटा लिए गए युद्धपोत "भा. नौ. पो. विक्रांत" के प्रतिस्थापन के रूप

में वायुयान वाहक गोर्शकोव का अर्जन करने के संबंध में कार्रवाई कर रहा है।

2. इस युद्धपोत की मई से दिसंबर, 1988 तक की सबसे बड़ी संक्रियात्मक तैनाती के दौरान, यह काला सागर से भूमध्य सागर तक चला तथा बाद में "सेवरोमार्स्क" के नौसेना बंदरगाह तक गया, जहाँ पहुँचकर यह रूस के उत्तरी बेड़े में शामिल हो गया। पश्चिमी मीडिया ने तब यह खबर दी थी कि युद्धपोत की बॉयलर ट्यूब फट गई थी जिसके कारण उसमें भयानक आग लग गई थी और परिणामतः उसका संक्रियात्मक इस्तेमाल बंद कर देना पड़ा था। हालाँकि रूस ने इस समाचार का खंडन करते हुए दावे के साथ कहा था कि यह एक मामूली किस्म की घटना थी जो चालक की चूक की वजह से स्टीम पाइप के फट जाने के चलते हुई थी। नौसेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि भारतीय नौसेना दल ने वर्ष 1995 की विस्तृत वार्ताओं तथा मशीनरी स्थलों की यात्रा के दौरान उक्त घटना की जाँच की थी। यह पोत फिलहाल श्वेत सागर के बंदरगाह शहर सेवरोडविंस्क की "सेवमाश" गोदी में खड़ा है।

3. यह उल्लेखनीय है कि एडमिरल गोर्शकोव को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से पूर्व इसकी मरम्मत एवं रिफिटिंग की जानी है, उसका आधुनिकीकरण तथा रूपांतरण किया जाना है तथा इसे हथियार प्रणालियों से उपयुक्त रूप से सुसज्जित किया जाना है। इस संबंध में रूस से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि रिफिटिंग और आधुनिकीकरण में लगभग 549 मिलियन अमरीकी डालर का खर्चा आएगा। इस संबंध में पूर्ण ब्यौरे अभी तक तैयार किए जाने हैं। युद्धपोत की प्राप्ति के लिए रूस के प्रस्ताव पर विचार किए जाने के अतिरिक्त, सरकार नौसेना मुख्यालय और रूस के साथ विचार-विमर्श करके वाजिब लागत का पता लगाने के लिए भी आवश्यक उपाय कर रही है।

4. युद्धपोत के भारतीय नौसेना में शामिल कर लिए जाने पर इसके हिस्से पुर्जों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार आवश्यक उपाय कर रही है।

पश्चिमी क्षेत्र में निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं

*271. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :**
श्री थावरचंद गेहलोत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम मध्य और दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की प्रगति की वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो इनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम, मध्य और दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत रेल लाइनों के निर्माण/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण/विद्युतीकरण हेतु पश्चिमी क्षेत्र की राज्य सरकारों से कुछ नए प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हाँ। पश्चिमी क्षेत्र में राज्य सरकारों से नए अर्थात् 1.4.99 के बाद के प्राप्त प्रस्ताव निम्नलिखित कार्यों के लिए हैं :

1. अहमदाबाद-वीजापुर आमान परिवर्तन
2. विंडमिल स्टेशन से बेडी पोर्ट क्षेत्र नई लाइन
3. जामनगर-बेडी पोर्ट-रोसिपायर नई लाइन

इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

विवरण

योजना	परियोजना	किमी	लागत	31.3.1999 तक व्यय	परिव्यय 1999-2000	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
मध्य रेलवे						
नई लाइन	पणवेल-करजत	28	107	15.46	8	पूरी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और 2.7 कि.मी. लंबी सुरंग पर कार्य आरंभ किया गया है। 13 किलोमीटर की लंबाई में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ किया गया है।
नई लाइन	बारामती-लोनद	54	75	0.001	2	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण आरंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन	कोपरगाँव-शिरडी	16	32	0.001	0.001	अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त हो गई हैं। बहरहाल, प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के आधार पर पुनतांबा से शिरडी तक वैकल्पिक संरेखन योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।
नई लाइन	अमरावती-नाइखेड़	138	175.3	26.33	6	70% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। 27 खंडों में 18 खंडों के लिए मिट्टी कार्य संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। 1999-2000 के लिए आबंटित धन के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।
नई लाइन	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ	250	353	0.84	3	अहमदनगर छोर से 15 किलोमीटर और बीड से तालगाँव छोर से 11 किलोमीटर के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अहमदनगर छोर से 15 किलोमीटर और पर्ली-वैजनाथ छोर से 11 किलोमीटर के भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और दस्तावेज राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं और उनके द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कार्य की प्रगति की जाएगी। बीड में स्टेशन इमारत का निर्माण किया जा रहा है।
आमान परिवर्तन	मिरज-लातूर	359	339	61.87	46.5	इस कार्य की प्रगति चरणों में की जा रही है। पहले चरण में लातूर से लातूर रोड (42 कि.मी.) और कुरडूवाडि से पंढरपुर तक का कार्य प्रगति कर रहा है। कुरडूवाडि-पंढरपुर को 1999-2000 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। कुरडूवाडि-लातूर (119 किलोमीटर) पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
दोहरीकरण	दौंड-बिगवान	27.7	32.42	12.27	20	यह कार्य मार्च, 2000 तक पूरा हो जाएगा।
दोहरीकरण	दिवा-वसाई	42	94.85	54.85	40	यह कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। प्रथम चरण में वसई रोड से कामन तक 11 किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है। कामन से भिवांडी तक (17 कि.मी.) का लक्ष्य मार्च, 2000 है। भिवांडी से दिवा का लक्ष्य मार्च 20001 है बशर्ते अतिक्रमण हटा दिए जाएं और धन उपलब्ध हो।
दोहरीकरण	पणवेल-रोहा-भूमि अधिग्रहण	75	4.1	3.95	0.15	1999-2000 में भूमि अधिग्रहण पूरा हो जाने की संभावना है।
दोहरीकरण	सेवाग्राम-चिटौडा	3.97	12.58	4.58	8	मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया है। गिट्टी आपूर्ति, इमारत निर्माण और रेलपथ संपर्क संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 28.2.2000 तक पूरा हो जाएगा।
दोहरीकरण	दिवा कल्याण 5वीं-6वीं लाइन का दोहरीकरण	11	47.7	0	0.5	यह 1999-2000 के बजट में शामिल नया कार्य है। विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।
महानगर परिवहन परियोजना	कुर्ला-ठाणे 5वीं और 6वीं लाइन (भांडुप से ठाणे चरण-II)	10	58.3	2	13.5	अनुमान स्वीकृत हैं। रेलवे भूमि से 450 झोपड़ियों तथा दुकानों को हटाने तथा पुनर्स्थापन के कारण चालू कार्य में विलंब होने की संभावना है। कार्य की प्रगति 13.5% है।

1	2	3	4	5	6	7
महानगर परिवहन परियोजना	कुर्ला-ठाणे 5वीं और 6वीं लाइन (चरण-I)	8	49.84	31.69	22.5	कार्य की प्रगति 42% है। रेलवे भूमि पर अत्यधिक अतिक्रमण और निर्मित संरचनाओं के अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य की प्रगति अवरुद्ध हो रही है।
महानगर परिवहन परियोजना	ठाणे-तुर्भे-नेरुल/ वाशी, न्यू मुम्बई में गलियारा सं. 2 का भाग	22.5	403.4	67.87	15.3	वास्तविक प्रगति 32% है। सिडको द्वारा झेली जा रही वित्तीय तंगी के कारण यह कार्यों की निर्धारित अनुसूची से पीछे चल रही है। सीमित स्टेशन सुविधाओं के साथ यह परियोजना लक्ष्य पर चालू की जा सकती है लेकिन ठाणे (पूर्व) में भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण परियोजना में विलंब होने की संभावना है।
महानगर परिवहन पस्योजना	सीवुड-उरान विद्युतीकृत खंड	22.3	495.4	3.2	6.3	सिडको द्वारा झेली जा रही वित्तीय तंगी के कारण यह कार्य दो चरणों में विभाजित कर दिया गया है। बेलापुर-सीवुड-उरान खंड में एकल लाइन के निर्माण के साथ प्रथम चरण मार्च, 2003 में पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते सिडको से धन उपलब्ध हो।
महानगर परिवहन परियोजना	बेलापुर-पनवेल दोहरीकरण	10.9	279.8	64.45	12.6	वास्तविक प्रगति 42% है। सिडको द्वारा देखी जा रही वित्तीय तंगी के कारण यह कार्यों की निर्धारित अनुसूची से पीछे चल रही है। सीमित स्टेशन सुविधाओं के साथ यह परियोजना लक्ष्य पर चालू की जा सकती है।
दक्षिण मध्य रेलवे						
नई लाइन	मुनीराबाद-मेहबूब-नगर	222	439	4.35	4	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
आमान परिवर्तन	सिकंदराबाद-मुदखेड़ एवं जनकमपेट-बोधान	256	276.3	5	20	मुदखेड़ से निजामाबाद (96 किलोमीटर) तक प्रथम चरण में कार्य आरंभ किया गया है। मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। यह चरण अगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा बशर्ते धन उपलब्ध हो।
आमान परिवर्तन	मुदखेड़-अदिलाबाद	162	170.2	6.57	1	यह कार्य बोल्ट के अंतर्गत प्रगति पर है। इस कार्य की प्रगति धीमी और केवल 15% है। संविदा शर्तों के अनुसार अपेक्षित रियायत दे दी गई है और ठेकेदार द्वारा धन की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्य वर्ष 2000-2001 में पूरा होने की संभावना है।
दोहरीकरण	होजपेट-गुंतकल (आमान परिवर्तन)	115	159.1	10.12	20	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुलों तथा गिट्टी के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं है।
रेलवे विद्युतीकरण	रेनीगुंटा-गुंतकल-होजपेट	448	251	4.43	0.0001	पहले रोका गया यह कार्य नवंबर, 1998 में दोबारा आरंभ किया गया है। प्रारंभिक कार्य आरंभ किए गए हैं। लक्ष्य तिथि मार्च, 2004।

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम रेलवे						
नई लाइन	दौसा-गंगापुर	92.7	151.84	1.05	1	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। दौसा-बामानिया प्रथम खंड की 34 हेक्टेयर भूमि के प्रथम ब्लाक खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं।
नई लाइन	कपड़वंज-मोडासा	59.7	40.81	15.54	7	यद्यपि यह कार्य 78-79 में स्वीकृत किया गया था लेकिन यह कई वर्षों तक रुका रहा। नाडियाड और कपड़वंज के बीच आमान परिवर्तन जो स्वीकृत परियोजना का भाग था, 1992-93 में पूरा हो गया था। नई लाइन भाग का कार्य 94-95 में दोबारा आरंभ किया गया था। कार्य अब प्रगति पर है और जून, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
नई लाइन	गोधरा-इंदौर देवास मकसी	316	297.14	17.12	4	यह कार्य चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। देवास और मकसी में बीच प्रथम चरण का कार्य अब प्रगति पर है। 8 बड़े पुलों में से 6 पुलों पर कार्य प्रगति पर है और शेष पुलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। 49 छोटे पुलों में से 48 पुल पूरे हो गए हैं और शेष एक प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य और गिट्टी आपूर्ति जैसे अन्य कार्य भी प्रगति पर हैं। यह खंड 9वीं योजना अवधि में पूरा होने की संभावना है बशर्ते धन उपलब्ध हो।
आमान परिवर्तन	नीमच-रतलाम	135	116.74	4.57	5	दीर्घकालिक मदों पर कार्य आरंभ किया गया है। धन की उपलब्धता के अनुसार अगामी वर्षों में इस कार्य की योजना बनाई जाएगी और इसे पूरा किया जाएगा।
आमान परिवर्तन	भिलडी-वीरमगाम	157	59.88	5.01	7	वीरमगाम और मेहसाणा के बीच कार्य प्रगति पर है और धन की उपलब्धता के अनुसार इसकी प्रगति की जा रही है। इस कार्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
आमान परिवर्तन	राजकोट-वेरावल	185	100	25.66	3	मिट्टी, छोटे पुलों तथा बड़े पुलों का सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य आरंभ किया गया है और प्रगति पर है। धन की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में इस कार्य को पूरा किए जाने की संभावना है।
आमान परिवर्तन	गांधीधाम-भुज	58	41.04	8.22	20	यह कार्य अच्छी प्रगति पर है और जून, 2000 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।
आमान परिवर्तन	गांधीधाम-पालनपुर	313	318	0.0001	10	यह नया कार्य है जिसे 1998-99 के बजट में शामिल किया गया था। अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाने के बाद यह कार्य आरंभ किया जाएगा।
आमान परिवर्तन	आगरा-बांदीकुई	152	161.03	10.06	10	धन की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य की प्रगति की जा रही है। अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
आमान परिवर्तन	वांकानेर-मलिया मियाना	97	82.48	15.01	35	यह कार्य अच्छी प्रगति पर है। मोरबी से मलिया मियाना और दाहिंसरा-नवलाखी तक प्रथम चरण कार्य पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7
						शेष खंड दिसंबर, 2000 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है बशर्ते धन उपलब्ध हो।
आमान परिवर्तन	अजमेर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़	300	262	20.5	25	प्रथम चरण में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच कार्य प्रगति पर है। अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
आमान परिवर्तन	सुरेंद्रनगर-भावनगर	385	356.11	1	30	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस परियोजना के लिए आंशिक निजी वित्तपोषण की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। दीर्घकालिक मदों जैसे बड़े पुलों, शिरोपरि उपस्कर क्रॉसिंग शिफ्ट करने का कार्य आरंभ किया गया है।
आमान परिवर्तन	धांगधरा-कुडा साइडिंग	22	8.77	0.1	1	यह कार्य गुजरात सरकार और उद्योग मंत्रालय के साथ एक-तिहाई भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है और दिसंबर, 2000 तक पूरा हो जाएगा।
दोहरीकरण	बोलाई-कालीसिंध-किसौनी-बेड़छा	25.7	49.29	22.43	1.	4 ब्लाक खंडों पर कार्य प्रगति पर है और धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जा रहा है। मकसी-पीरमरोड (7.75 किलोमीटर) पूरा हो गया है और बोलाई-कालीसिंध (5.50 किलोमीटर) मार्च, 2000 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
दोहरीकरण	कालापीपल-फांदा/ मकसी-भोपाल	41.5	53	0.01	0.01	कम परिचालनिक प्राथमिकता और धन की तंगी के कारण यह कार्य अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
महानगर परिवहन परियोजना	विरार-दहानू रोड में स्वचल सिगनल प्रणाली	64	27.19	0.36	11.7	सितंबर, 1998 में विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। कार्य अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है।
महानगर परिवहन परियोजना	सांताक्रूज-बोरीविली 5वीं लाइन	15.8	82.42	43.46	18	वास्तविक प्रगति 72% है। अनधिकृत अतिक्रमण हटाने में विलंब के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। भारतीय खाद्य निगम की पृथक लाइन के प्रस्तावित वस्तुपरक आशोधन सहित 82.42 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। सांताक्रूज से अंधेरी से प्रथम ब्लाक खंड 31.3.2000 तक चालू हो जाने की संभावना है।
महानगर परिवहन परियोजना	बोरीविली और विरार के बीच चौहरीकरण	26	401.66	7.04	36	प्रारंभ में यह कार्य बोल्ट के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव था। बोल्ट योजना 1998 में निरस्त कर दी गई थी। मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे और बड़े पुलों तथा क्वार्टरों का निर्माण प्रगति पर है। महत्वपूर्ण पुल सं. 73 और 75 के लिए परामर्श कार्यों के लिए निविदाएं दे दी गई हैं और कार्य के निष्पादन के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
रेल विद्युतीकरण	उधना-जलगाँव	306	138.12	12.06	12.2	मार्च, 2002 का लक्ष्य है। प्रारंभिक कार्य आरंभ किए गए हैं। कार्य अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है।

अनैतिक व्यापार पद्धतियां

*272. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवंबर, 1999 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बड़ी संख्या में उपभोक्ता सामान का विनिर्माण करने वाली फर्मों/दुकानदार उपभोक्ताओं के अधिकारों की उपेक्षा करके अनैतिक व्यापार पद्धतियों में संलिप्त हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार, वस्तुओं के विक्रेता दोषपूर्ण वस्तुओं की मरम्मत करने/उन्हें बदलने अथवा उपभोक्ताओं को धन वापिस करने आदि के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए "बेचा गया माल वापिस नहीं होगा" आदि को कानून के तहत लागू नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई/उन्हें किसी प्रतिफल के लिए सुपुर्द की गई दोषपूर्ण वस्तुओं के मामले में उनके हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंध पर्याप्त तथा प्रभावशाली हैं। पीड़ित उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहारों के विरुद्ध उपयुक्त राहत प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों में प्रतितोष की माँग करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

सतर्कता तथा निगरानी समितियां

*273. डॉ. बलिराम :
श्री सी. कुप्पुसामी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु जिला ब्लाक/पंचायत स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये समितियाँ ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो निधियों का दुरुपयोग न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) जी, हाँ। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने, सतर्कता बरतने तथा निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य, जिला तथा खंड स्तर पर सतर्कता तथा निगरानी समिति बनाएं।

(ख) सतर्कता तथा निगरानी समितियों के गठन की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन समितियों के गठन तथा इनके सही कार्य करने के विषय में यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से विचार-विमर्श कर रहा है। बहुत से राज्यों में इन समितियों ने पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

(घ) सतर्कता या निगरानी समितियों के अतिरिक्त मंत्रालय ने प्रगति रिपोर्टों वित्त विवरणियों/लेखा परीक्षा रिपोर्टों, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण, विभिन्न समितियों द्वारा समीक्षा तथा समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्टों के माध्यम से एक व्यापक प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया है।

विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां प्रतिवर्ष अधिकांशतः दो किस्तों में रिलीज की जाती हैं। ऐसे सभी मामलों में दूसरी किस्त की रिलीज के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

सतर्कता तथा निगरानी समितियों के गठन की राज्य-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य	जिस स्तर पर सतर्कता तथा निगरानी समितियां गठित की गई		
		राज्य	जिला	खंड
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
2.	अरुणाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
3.	असम	हाँ	हाँ	हाँ
4.	बिहार	हाँ	हाँ	हाँ
5.	गोवा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	गुजरात	हाँ	हाँ	हाँ
7.	हरियाणा	हाँ	हाँ	हाँ
8.	हिमाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
9.	जम्मू व कश्मीर	#	#	#
10.	कर्नाटक	हाँ	@	@
11.	केरल	हाँ	हाँ	हाँ
12.	मध्य प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
13.	महाराष्ट्र	हाँ	हाँ	हाँ
14.	मणिपुर	हाँ	हाँ	हाँ

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	हाँ	हाँ	हाँ
16.	मिजोरम	हाँ	हाँ	हाँ
17.	नागालैंड	हाँ	हाँ	हाँ
18.	उड़ीसा	हाँ	हाँ	हाँ
19.	पंजाब	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
20.	राजस्थान	हाँ	हाँ	हाँ
21.	सिक्किम	हाँ	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
22.	तमिलनाडु	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23.	त्रिपुरा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
24.	उत्तर प्रदेश	हाँ	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
25.	पश्चिम बंगाल	हाँ	हाँ	हाँ
26.	अंडमान निकोबर	हाँ	हाँ	हाँ
27.	दादर व नगर हवेली	हाँ	हाँ	हाँ
28.	दमन व दीव	हाँ	हाँ	जिला जैसा
29.	लक्षद्वीप	हाँ	हाँ	हाँ
30.	पांडिचेरी	हाँ	राज्य जैसा	हाँ

@ कर्नाटक में राज्य, जिला तथा तालुका स्तर पर कर्नाटक विकास कार्यक्रम समीक्षा समिति गठित की गई है जो सतर्कता तथा निगरानी समिति के समान ही कार्य करती हैं।

जम्मू और कश्मीर में जिला विकास बोर्ड की एक प्रणाली है जो ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करता है। राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि किसी अन्य जिला स्तरीय समिति का गठन कराना समिति को दुबारा गठित करने के समान होगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

*274. श्री नवल किशोर राय :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ठीक ढंग से कार्यान्वयन नहीं कर रही हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या न्याय प्रक्रिया में विलंब के कारण दोषी व्यक्तियों को फायदा हो रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य आयोगों तथा जिला मंचों की स्थापना से अब तक उनमें दायर किए गए मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्षवार आँकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (ङ) राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को उपयुक्त तौर पर कार्यान्वित कर रही हैं। तथापि, अध्यक्षों/सदस्यों आदि के पद रिक्त होने के कारण राज्य प्रतितोष मंचों के कार्य न करने की कुछ घटनाएँ केंद्रीय सरकार के ध्यान में आई हैं। केंद्रीय सरकार ऐसे मामलों में राज्य सरकारों, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, को उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करने की सलाह देती है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता न्यायालय स्थापना काल से अब तक दायर मामलों की संख्या	
	राज्य आयोग	जिला मंच
1	2	3
आंध्र प्रदेश	9198	107065
अरुणाचल प्रदेश	19	181
असम	1174	6675
बिहार	5301	40523
गोवा	959	3220
गुजरात	7350	58425
हरियाणा	8262	64593
हिमाचल प्रदेश	1997	12958
जम्मू व कश्मीर	3232	10436
कर्नाटक	7827	59515
केरल	11867	98120
मध्य प्रदेश	7120	55973
महाराष्ट्र	14799	89316
मणिपुर	40	791
मेघालय	70	237
मिजोरम	17	505
नागालैंड	4	89
उड़ीसा	7010	34475
पंजाब	5337	32528
राजस्थान	17179	127660
सिक्किम	14	90

1	2	3
तमिलनाडु	10596	49221
त्रिपुरा	192	880
उत्तर प्रदेश	22835	222430
पश्चिम बंगाल	5135	49086
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21	199
चंडीगढ़	1939	14998
दादरा व नगर हवेली	0	32
दमण व दीव	1	64
दिल्ली	9496	66547
लक्षद्वीप	7	35
पांडिचेरी	469	1571

[अनुवाद]

ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम

*275. **श्री. ए. वेंकटेश नायक :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण जल-आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक परियोजना-वार प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) से (घ) विश्व बैंक के सहयोग से देश में निम्नलिखित समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजनाएं शुरू की गई हैं/की जा रही हैं :

(i) विश्व बैंक के सहयोग से महाराष्ट्र के 10 जिलों के 560 गाँवों को कवर करने वाली यू.एस. डॉलर : 140.8 मिलियन की परियोजना लागत से महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना 1991 में शुरू की गई और जून, 1998 में पूरी हुई।

(ii) विश्व बैंक के सहयोग से यू.एस. डॉलर 71.0 मिलियन की लागत वाली और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के 1000 गाँवों को लाभान्वित करने के लक्ष्य से उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का कार्यान्वयन अगस्त, 1996 में शुरू किया गया और उसके मई 2002 के अंत तक पूरा होने की आशा है।

(iii) विश्व बैंक के सहयोग से यू.एस. डॉलर 92.0 मिलियन अनुमानित लागत की और कर्नाटक के 16 जिलों के 1113 गाँवों को कवर करने की उम्मीद वाली कर्नाटक समेकित जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का कार्यान्वयन 1998 में शुरू हुआ और इसके दिसंबर, 1998 तक पूरी होने की आशा है।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के संबंध में पिछले तीन वर्षों और अद्यतन वर्ष (दिसंबर, 1998 तक) के दौरान प्राप्त विश्व बैंक सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :

प्राप्त सहायता (यू.एस. डॉलर मिलियन में)

राज्य	परियोजना का नाम	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अक्टूबर 1999 तक)
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	26.690	13.024	19.908	-
कर्नाटक	कर्नाटक समेकित ग्रामीण जिला आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	8.997	8.134	29.119	10.276
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	2.403	0.705	6.258	0.412

अलाभकारी रेल लाइनों पर निवेश

*276. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलाभकारी रेल लाइनों पर निवेश के कारण भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जोन-वार अलाभकारी रेल लाइनें कौन-कौन-सी हैं;

(ग) क्या सरकार इन रेल लाइनों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इससे हुई हानि को सरकार का किस तरह पूरा करने का विचार है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसी लाइनों को बंद करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जिन विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने इस मामले की जांच की है, उनके सुझाव के अनुसार रेलें, इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही हैं।

(ङ) रेलों ने राज्य सरकारों को हानियों में 50:50 के आधार पर भागीदारी करने का भी सुझाव दिया है, परंतु इसका अनुकूल प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, रेलें अपने परिचालन में हानियों को कम करने के प्रयास कर रही हैं।

विवरण

अलाभप्रद शाखा लाइनों के नाम और उन पर 1998-99 के दौरान हुआ जोनवार घाटा

(आँकड़े हजार रुपयों में)

क्र.सं.	शाखा लाइन का नाम	लागत	शुद्ध घाटा
1	2	3	4
मध्य रेलवे			
1.	नेरल-मथेरन (छो.ला.-21 किमी)	1420	54826
2.	करजत-खोपोली (ब.ला.-200 किमी)	1856	11809
3.	ग्वालियर-भिंड (छो.ला.-84 किमी)	2721	35120
4.	ग्वालियर-शिवपुर-कलां (छो.ला.-200 किमी)	6579	104969
5.	धोलपुर-तांतपुर-सिरमुत्रा (छो.ला.-89 किमी)	900	32447
6.	ऐट-कोंच (ब.ला.-14 किमी)	609	16817
7.	कुर्डुवाड़ी-मिरज-लातूर (छो.ला.-327 किमी)	17913	95808
8.	पचौरा-जामनर (छो.ला.-56 किमी)	1823	13276
9.	माजरी-राजपुर (ब.ला.-21 किमी)	953	5206
10.	गुना-मक्सी (ब.ला.-193 किमी)	206951	43191
11.	दौंड-बारामती (ब.ला.-44 किमी)	1509	12900
	जोड़	243234	426369
पूर्व रेलवे			
12.	भीमगढ़-पलास्थली (ब.ला.-27 किमी)	2550	4221
13.	बारासत-हसनाबाद (ब.ला.-53 किमी)	26412	28339
14.	सांतीपुर-नबाद्वीपघाट (छो.ला.-27.5 किमी)	1196	9653
15.	बर्द्धमान-कटवा (छो.ला.-53 किमी)	2618	12607
16.	भागलपुर-मंदारहिल (ब.ला.-50 किमी)	4670	11092
17.	बरहईपुर-लक्ष्मीकांतपुर (ब.ला.-37 किमी)	12434	1765
18.	जमालपुर-मुंगेर (ब.ला.-10 किमी)	624	2763
19.	सोनारपुर-कैनिंग (ब.ला.-29 किमी)	8785	14659
20.	दिलदारनगर-तारीघाट (ब.ला.-19 किमी)	1520	1860
21.	कल्याणी-कल्याणी सीमांता (ब.ला.-4 किमी)	8630	8964
22.	तीनपहाड़-राजमहल (ब.ला.-12 किमी)	770	2105
23.	लक्ष्मीकांतपुर-कुल्पी (ब.ला.-10 किमी)*	351589	63326
	जोड़	421598	161294
उत्तर रेलवे			
24.	रोहतक-गोहाना (ब.ला.-32 किमी)	3043	12157
25.	गोहाना-पानीपत (ब.ला.-39 किमी)	3256	12217
26.	रोहतक-भिवानी (ब.ला.-49 किमी)	9200	38217
27.	शामली-सहारनपुर (ब.ला.-64 किमी)	317131	44173
28.	दिल्ली-शाहदरा-शामली (ब.ला.-87 किमी)	285184	17393
29.	तुगलकाबाद-शकूरबस्ती (ब.ला.-26.60 किमी)	55920	29953
30.	कालका-शिमला (छो.ला.-97 किमी)	27793	116132
31.	लालगढ़-श्रीकोलायत जी (ब.ला.-46 किमी)	1064	15500
32.	गढ़ी-हरसरू-फार्रुखनगर (मी.ला.-11 किमी)	648	2816
33.	सरदार शहर-रतनगढ़ (मी.ला.-43 किमी)	705	9724
34.	दलमऊ-दरियापुर (ब.ला.-25 किमी)	2224	4788
35.	अमृतसर-अटारी (ब.ला.-25 किमी)	2788	11085
36.	फगवाड़ा-नवांशहर-दोआबा (ब.ला.-36 किमी)	9977	31117
37.	बटाला-कादियान (ब.ला.-19 किमी)	897	14903
38.	वेरका-डेराबाबा नानक (ब.ला.-46 किमी)	7707	73285
39.	अमृतसर-खेमकरण (ब.ला.-77 किमी)	8901	8082
40.	राय का बाग-पोखरण (ब.ला.-192 किमी)	5088	21996

1	2	3	4
41.	मेड़तारोड-मेड़ता सिटी (ब.ला.-14.5 किमी)	238	3278
42.	रानीवाड़ा-भिलड़ी (मी.ला.-71 किमी)	16022	51669
43.	समदड़ी-मुनाबाव (मी.ला.-71 किमी)	4111	83242
	जोड़	761897	601727
पूर्वोत्तर रेलवे			
44.	बनमांखी-बिहारीगंज (मी.ला.-27 किमी)	2301	19315
45.	सकरी-जयनगर (मी.ला.-70 किमी)	3319	60078
46.	नरकटियागंज-भिखनातोरी (मी.ला.-47 किमी)	691	15414
47.	सेलमपुर-बरहज बाजार (ब.ला.-22 किमी)	748	7433
48.	इंदारा-दोहरीघाट (मी.ला.-40 किमी)	865	14229
49.	मनकापुर-कटरा (ब.ला.-30 किमी)	503	19367
50.	आनंदनगर-नौतनवा (मी.ला.-49 किमी)	3477	18131
51.	झांझारपुर-लौकहा बाजार (मी.ला.-43 किमी)	786	29438
52.	मथुरा-वृंदावन (मी.ला.-13 किमी)	658	5196
53.	मंघाना-ब्रह्मवर्त (मी.ला.-9 किमी)	421	2965
54.	काशीपुर-रामनगर (ब.ला.-27 किमी)	1457	23367
55.	रामपुर-न्यू हल्द्वानी (ब.ला. 89.16 किमी)	766900	56520
	जोड़	782126	271453
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे			
56.	न्यू जलपाईगुड़ी-दार्जिलिंग (छो.ला.-88 किमी)	8795	43107
57.	कटिहार-मनिहारीघाट (मी.ला.-36 किमी)	1874	31599
58.	कटिहार-जोगबनी (मी.ला.-108 किमी)	4522	87253
59.	सिंगाबाद-ओल्ड मालदा (ब.ला.-24 किमी)	9350	21967
60.	बरसोई-राधिकापुर (मी.ला.-53 किमी)	2219	987
61.	अलीपुरद्वार-बामनहाट (मी.ला.-71 किमी)	3141	45269
62.	तेजपुर-रंगापाड़ा नार्थ (मी.ला.-27 किमी)	1081	28815
63.	फकीराग्राम-धुबरी (मी.ला.-65 किमी)	2722	28726
64.	करीमगंज-महिषासन (मी.ला.-10 किमी)	729	8632
65.	बराईग्राम-दुल्लवचेरा (मी.ला.-28 किमी)	1675	7528
66.	कटखल-लालाबाजार (मी.ला.-36 किमी)	891	8622
67.	चापरमुख-सिलघाट (मी.ला.-81 किमी) और चापरमुख-हैबरगाँव (ब.ला.-27 किमी)	110408	9142
68.	सिमलगुड़ी-नागिनीमारा (मी.ला.-14 किमी)	748	739
69.	मरियानी-जोरहाट टाउन (मी.ला.-17 किमी)	2549	10363
70.	सिमलगुड़ी-मोरनहाट (मी.ला.-54 किमी)	2868	2047
71.	मैकुम-डांगरी (मी.ला.-30 किमी)	2583	642
72.	धर्मनगर-पेंचारथल-कुमारघाट (मी.ला.-41.08 किमी)*	482400	68245
73.	सिलचर-जिरीबाम (मी.ला.-49.16 किमी)*	447750	62471
74.	लालाबाजार-जमीरा-बैराबी (मी.ला.-48.15 किमी)*	440022	67871
75.	बालीपारा-गामानी-भालुकपोंग (मी.ला.-35 किमी)*	165886	41628
	जोड़	1692213	575653
दक्षिण रेलवे			
76.	शोरानूर-नीलांबर (ब.ला.-66 किमी)	10983	4071
77.	विल्लुपुरम-पांडीचेरी (मी.ला.-38 किमी)	1868	12432
78.	मिल्थुराईपूंडी-फोड्डिकराई (मी.ला.-46 किमी)	4093	3151
79.	मेट्टूपालयम-उदगमंडलम (मी.ला.-46 किमी)	9498	28843
80.	मदुरै-बोडीनरयकानूर (मी.ला.-90 किमी)	8179	13909
81.	नंजागुड-चामराज नगर (मी.ला.-35 किमी)	1516	19409
82.	तिरुनेलवेली-तिरुचंदूर (मी.ला.-62 किमी)	4000	17910
83.	सागरजंबागुरु-तालागुप्पा (मी.ला.-16 किमी)	1815	8877
84.	त्रिचूर-गुरुवायूर (ब.ला.-24 किमी)*	284117	4643
85.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग (ब.ला.-99 किमी)*	917004	2108
	जोड़	1243073	115353
दक्षिण मध्य रेलवे			
86.	भीमावरम-नरसापुर (ब.ला.-29 किमी)	6759	8716
87.	गुडूडीवाडा-मछलीपत्तनम (ब.ला.-40 किमी)	2608	12238
88.	जंकमपेट-बोधन (मी.ला.-20 किमी)	790	2396
89.	मुदखेड़-आदिलाबाद (मी.ला.-162 किमी)	9389	23412
90.	आदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी (ब.ला.-20 किमी)*	266998	18865
	जोड़	286544	65627

1	2	3	4
	दक्षिण पूर्व रेलवे		
91.	खुर्दा रोड-पुरी (ब.ला.-43 किमी)	49635	52798
92.	नौपाड़ा-गुनुपुर (छो.ला.-90 किमी)	737	20356
93.	पुरुलिया-कोटशिला और राँची-लोहारदगा (मी.ला.-104 किमी)	8621	125334
94.	रायपुर-धमतरी (छो.ला.-89 किमी)	1946	65722
95.	सतपुड़ा रेलवे (मी.ला.-1007 किमी)	12954	759390
96.	रूपसा-तालबाँध (छो.ला.-89 किमी)	2493	29106
97.	कन्हन-रामटेक (ब.ला.-24 किमी)	3062	17455
98.	बोंडामुंडा-नवगाँव-पुरनापानी (ब.ला.-29 किमी.)	21173	252
99.	जखपुरा-दैतारी (ब.ला.-33 किमी)	97663	53926
100.	हटिया-नवगाँव (ब.ला.-18 किमी)	134458	39209
101.	बोबली-सलूर (ब.ला.-18 किमी)	7235	7379
102.	तुमसर रोड-तिरोडी (ब.ला.-24 किमी)	4193	20210
103.	टाटा-बदामपहाड़ (ब.ला.-99.05 किमी)	85796	17946
104.	तुपकदीह-तालगरिया (ब.ला.-33 किमी)*	222118	94187
105.	संतरागाछी-बारागछिया (ब.ला.-24 किमी)*	321841	59711
	जोड़	973925	1362981
	पश्चिम रेलवे		
106.	बिल्लीमोरा-वघई (छो.ला.-63 किमी)	3004	10092
107.	घुच्छापुरा-तेनखला (छो.ला.-38 किमी)	1820	821
108.	चोरांदा-मोतीकोरल (छो.ला.-19 किमी)	894	1792
109.	समनी-दहेज (छो.ला.-39 किमी)	1881	2115
110.	ब्रोच-जम्बूसर-कवि (छो.ला.-76 किमी)	3648	3562
111.	छोटा उदयपुर-जम्बूसर (छो.ला.-150 किमी)	7203	7666
112.	चंडेड-मालसर (छो.ला.-87 किमी)	4146	7533
113.	नादियाड-कपड़वंज (छो.ला.-45 किमी)	2139	2971
114.	नादियाड़-भद्रान (छो.ला.-58 किमी)	2763	1606
115.	गांधीधाम-न्यू कांडला (छो.ला.-12 किमी)	7475	19281
116.	मावली जंक्शन-बारी सदरी (मी.ला.-82 किमी)	3991	63512
117.	प्रांची रोड़-कोडिनार (मी.ला.-26 किमी)	1468	12206
118.	सिहोर-पालीताना (मी.ला.-27 किमी)	1568	7283
119.	राजुला जं.-राजुला सिटी (मी.ला.-9 किमी)	541	2155
120.	रानुज नेत्राना रोड-कोकोसी	3080	5125
121.	मेहसाणा-तरंग हिल (मी.ला.-56 किमी)	2356	8422
122.	हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा (मी.ला.-55 किमी)	1492	8698
123.	आनंद-कैंबे (ब.ला.-51 किमी)	2374	13221
124.	बोरीइवी-वडताल-स्वामीनारायण (ब.ला.-6 किमी)	731	2563
125.	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच (ब.ला.-222 किमी)*	1563444	404
	जोड़	1616018	181028
	कुल जोड़	8020628	3761485

*आँकड़े 1997-98 से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों पर राजसहायता

*277. **श्री राजो सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य पदार्थों पर दी गई राजसहायता अनुदान में बढ़ोत्तरी का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त राजसहायता में लगातार वृद्धि को रोकने की दृष्टि से सरकार ठोस कदम उठा रही है या उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य राज्य सरकारों को रिलीज की गई खाद्य राजसहायता की राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
1996-97	5166
1997-98	7500
1998-99	8700

(ख) और (ग) राजसहायता में वृद्धि को रोकने की दृष्टि में हैंडलिंग लागत को कम/नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं/किए जा रहे हैं :

(i) हालाँकि अनाज की वसूली मौसमी होती है, फिर भी भंडारण लागत में कमी करने के लिए 75 प्रतिशत की औसत क्षमता उपयोगिता हासिल करने के प्रयास करना,

(ii) भाड़े पर खर्च को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित 1:1.35 के वसूली और संचलन अनुपात का अनुसरण करने का प्रयास करना,

(iii) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में हानियों को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करना,

(iv) रेलवे डेमरेज प्रभारों के भार में कमी करना,

(v) केंद्रीय निर्गम मूल्य से अधिक मूल्य पर खुले बाजार में स्टाक रिलीज करना,

(vi) प्रचालनों के बढ़ते आयाम का ध्यान रखे बिना परिणामी प्रवेश स्तर के पदों की न्यूनतम भर्ती कर प्रशासनिक लागत पर नियंत्रण रखना,

(vii) इकानमिक लागत पर निगरानी रखने की कोशिश करना,

(viii) क्षति को कम करने के प्रयास करना, और

(ix) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों में गरीब पर केंद्रित करने के तरीके ढूढ़ने के प्रयास करना।

मुफ्त रेलवे पास

*278. श्री चंद्रेश पटेल :
श्रीमती कांति सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के लिए मुफ्त रेलवे पास जारी करने हेतु क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान श्रेणीवार कितने मुफ्त रेलवे पास जारी किए गए;

(ग) क्या मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान जारी मुफ्त रेलवे पासों का नवीकरण किया है;

(घ) यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों और संस्थाओं के पासों का नवीकरण किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे ने अक्तूबर, 1999 से सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्थाओं/पत्रकारों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सभी मार्गों के लिए मान्य प्रथम श्रेणी के मुफ्त पास जारी करना बंद करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्व में जारी किए मुफ्त पासों का दुरुपयोग हो रहा है; और

(ज) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) समय-समय पर घोषित योजनाओं के अनुसार और रेल मंत्री की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत विभिन्न कोटियों को मानार्थ कार्ड पास जारी किए जाते हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जारी किए गए मानार्थ मुफ्त रेलवे पासों की कोटिवार संख्या नीचे दी गई है :

कोटि		पिछले दो वर्षों (1.1.98 से 30.11.99 तक) के दौरान जारी किए गए पासों की संख्या	
1	2	3	4
I.	कार्ड पास	1998	1999
(1)	स्वतंत्रता सेनानी (इनकी लागत गृह मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है)	32,500	25,454
(2)	अर्जुन पुरस्कार विजेता/ओलंपिक पद विजेता/एशियाई और राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता	371	84
(3)	शौर्य पुरस्कारों (रक्षा) की वीर चक्र श्रृंखला प्राप्तकर्ता	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	
(4)	शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्तकर्ता और शौर्य (पुलिस) के लिए पुलिस पदक प्राप्तकर्ता	-यथोक्त-	
(5)	भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद संघ, भारतीय ओलंपिक संगठन और भारतीय ओलंपिक संगठन से संबद्ध राज्य ओलंपिक एसोसिएशनों के अध्यक्ष/सचिव	19	49
(6)	हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य	35	9
(7)	पूर्व रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री/रेल उपमंत्री	1	6
(8)	रेल मंत्री के विवेक से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेलकूद, कल्याण गतिविधियों से जुड़े संगठनों को, और अन्य को चिकित्सा आदि के आधार पर।	106	317
II.	चैकपास		
	(एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और वहाँ से वापस आने के लिए इकहरी यात्रा हेते मानार्थ पास)		
	(1) लाइसेंसधारी पोर्टर	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	

1	2	3	4
	(2) रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री और रेलवे बोर्ड के स्वविवेक से सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेलकूद और कल्याण संबंधी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों को।	1690	950

(ग) जी हाँ।

(घ) पूर्व रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री/रेल उपमंत्री, जिनके लिए आजीवन पास जारी किए जाते हैं और उनका नवीकरण अपेक्षित नहीं है, के मामले को छोड़कर उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित एक से सात तक की कोटियों के संबंध में मानार्थ कार्ड पासों का एक/दो वर्षों के बाद नवीकरण कराना अपेक्षित होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल मंत्री की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत जिन मानार्थ कार्ड पासों का नवीकरण किया गया, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी हाँ।

(च) मितव्ययिता संबंधी उपाय के रूप में स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत नए मानार्थ कार्ड पास जारी न करने का विनिश्चय किया गया है।

(छ) जी हाँ।

(ज) वर्ष 1998 और 1999 (नवंबर, 1999 तक) के दौरान मुफ्त रेलवे पासों के दुरुपयोग के पाँच मामलों का पता चला है। एक मामले में पास रद्द कर दिया गया है और अन्य मामलों में पास जब्त कर लिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों और संस्थानों के पासों का नवीकरण किया गया है, उनके नामों की सूची

श्री/सुश्री/श्रीमती		श्री/सुश्री/श्रीमती	
1		2	
1.	के. यादव रेड्डी	2.	नसीब पठान
3.	कुमारी चंपा राव	4.	अरविंद चतुर्वेदी
5.	ए.के. सिंह	6.	कांची कामकोटि पीठाधिपीठ का एक प्रतिनिधि
7.	के. बीरेंद्र प्रताप सिंह	8.	तेज नारायण यादव
9.	सुरेंद्र शर्मा	10.	बी. चंद्रशेखर
11.	वी.वी. ईश्वरन	12.	स्पिक मैके के 9 सदस्य
13.	एस.डी. आर्य	14.	श्रीमती के. देवी
15.	लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन का पदाधिकारी	16.	प्रेम नाथ सिंह
17.	सुरेश कुमार	18.	श्रीमती मंजुला कौशिक .
19.	चरण लाल साहू	20.	एस.एम. आसिफ़
21.	एच.सी. बड़िवाल	22.	जे. प्रजापति
23.	अफ़ाक अहमद खान	24.	सूर्यमणि भिओक्योड
25.	प्यारे लाल सरोज	26.	दौलतराम जैन
27.	स्वामी बुद्धनंद जी महाराज	28.	एम.एस.डी. सिंह
29.	श्रीमती कंचन और श्री के. कृष्ण	30.	जे.बी. राजू
31.	बी.पी. मुखर्जी	32.	इश्तियाक अहमद
33.	देवीदास गुप्ता	34.	श्रीमती निर्मला भागे
35.	गोविंदराम चौहान	36.	रोहिताश कुमार
37.	एस.के. रुंगटा	38.	एस.बी. पांडेय
39.	अशोक सिंह	40.	स्वामी आत्मज्ञानानंद जी
41.	मोहम्मद मदनी	42.	अवधेश कुमार सिंह
43.	श्रीमती शशि सिंह यादव	44.	विजय प्रताप सिंह
45.	अजित कुमार सिंह	46.	श्रीमती संतोष भारद्वाज
47.	राम रतन सिंह	48.	आर. दुबे
49.	अरुण कुमार वर्मा	50.	सुश्री रत्ना बोहरा
51.	महादेव रॉय	52.	मुकेश कुमार पटेल
53.	हरे राम गुरू	54.	जे.एस. ढल
55.	श्रीमती लक्षी देवी	56.	डॉ. के.एस. होरा
57.	सुश्री ममता रानी सिंह	58.	एल.बी. चौबे
59.	श्रीमती जयमाला जैन	60.	जी.एम. अल्लत
61.	जगदीश अरोड़ा	62.	सुमेश मिश्रा
63.	गिरीश रस्तोगी	64.	एस.पी. मिश्रा
65.	मनोज सलूजा	66.	श्रीमती ऊषा
67.	स्वामी हरिनारायण नंद	68.	सांभा प्रसाद सिंह
69.	जे.जी. औगद	70.	आर.के. मिशन के पदाधिकारी
71.	शंकर सुहेल	72.	घनश्याम शर्मा
73.	प्रशांत कुमार शाही	74.	अतुल कुमार अंजन
75.	अशोक सिंह	76.	हामिद अली
77.	बी.वी. रमन	78.	योगेंद्र खंडूरी
79.	महासुखलाल बी. कामदार	80.	डॉ. नेरेला वेणू माधव
81.	एम.डब्ल्यू. सिद्दीकी	82.	एच.आई. सिद्दीकी
83.	माता कल्याणी	84.	अतुल त्रिवेदी

1	2
85. च. कीर्ति	86. के. विक्रम राव
87. मौलाना जमील अहमद इलियासी	88. स्वामी त्रिगुणानंद जी
89. शत्रुजित सिंह	90. बी.बी. सिंह
91. एच.एन. शर्मा	92. आल इंडिया उर्दू राइटर एंड जनरलिस्ट्स फोरम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के पदाधिकारी
93. प्रमोद तिवारी	94. टी.आर. रामाकृष्णन
95. डॉ. जी. मणिरत्नम	96. विजयपाल सिंह तोमर
97. सिस्टर मैरी मस्कारेन्हास	98. वेदाचार्या वैसस गुरिजी
99. सुश्री प्रभात शोभा पंडित	100. टी.जी.के. मेनन
101. राजेंद्र तिवारी	102. अजय कुमार निषाद
103. श्रीमती जी. सरला कुमारी	104. एन.के. वेंकटेश्वर
105. सुंदर लाल बहुगुणा	106. धर्मवत्सल दास और मुनि वत्सल दास
107. ईश्वर चंद्र दास और विश्व विहारी दास	108. सिस्टर एम. निर्मला, मिशनरी ऑफ चेरिटी
109. संत विवेक दास आचार्य	110. संजय कुमार सिंह
111. कांची कामकोटि पीठाधिपीठ	112. एच.एच. स्वामी नारायण नंद भारती
113. मौलाना फुजैल अहमद कासमी	114. हरिओम जटिया
115. बी.वाई. पारित	116. सुश्री प्रमिला ठाकुर
117. सुश्री सघा वर्दे	118. सुश्री चंपा लिमय
119. सुनील शास्त्री	120. मनमोहन चौधरी
121. सुश्री दीपा कौल	122. शम्स उर हुदा शम्स
123. श्रीमती के.सी. अजमेरा	124. अर्शादुल कादरी
125. दिवर सैयद जैनुल आबिदीन	126. राजीव कुमार
127. मुकेश चंद्र	128. अबूबकर मौलवी
129. फैजुल आरिफीन गुलाम	130. आर.एस. गोवई
131. शहबजादा अब्दुल रहमान	132. उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ एंड पार्टी
133. चौधरी गंगाराम	134. सुश्री सुधा पांडिय
135. ब्रजेश निगम	136. एम.सी. बिवाल
137. एस.के. बंद्योपाध्याय	138. इंडियन एडल्ट एजुकेशन एसोसिएशन के पदाधिकारी
139. शेख अबूबेकर	140. शकील चंद्रा
141. एम.एम. बहुगुणा	142. जफर इकबाल
143. मधुकर सिंधे	144. जस्टिस आर.के. शुक्ला
145. चाँदमल कुमावत	146. मिथिलेश द्विवेदी
147. फुजैल अहमद काजी	148. कैप्टन अब्बास अली
149. सुश्री मनोरमा	150. डी. सुंदरानी
151. परमानंद पांडिय	152. श्री निवास गिरि महराज
153. लल्लन प्रसाद व्यास	154. एस.जे. आनंद
155. स्पिक मैके के 3 सदस्य	156. स्पिक मैके के 3 सदस्य
157. कांची कामकोटि पीठाधिपीठ का एक प्रतिनिधि	158. कांची कामकोटि पीठाधि पीठ का एक प्रतिनिधि
159. डॉ. एस. कुमार और दो अन्य (भारत स्काउट्स एंड गाईड्स)	160. एल.एम. जैन (भारत स्काउट्स एंड गाईड्स)
161. मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी की दो सिस्टर्स	162. मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी के दो ब्रदर्स

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा समाप्त करना

*279. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों विशेषकर महानगरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा को समाप्त करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जवानों के कल्याण संबंधी समिति

*280. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्थायी और संस्थागत आधार पर जवानों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने हेतु कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में समिति ने अब तक कितनी प्रगति की है; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (घ) कारगिल की स्थिति और देश में आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा के लिए 07 जुलाई, 1999 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जवानों व भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति तय करने के लिए एक समिति गठित किए जाने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। वित्त मंत्री के अलावा आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य हैं।

इस समिति की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

जवाहर रोजगार योजना

2585. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की वित्तीय प्रगति संतोषजनक स्तर से कहीं नीचे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का उन राज्यों को नए मार्गनिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है जिनका उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) और (ख) केंद्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को जारी निधियों का इस्तेमाल कार्यान्वयन स्तर पर अलग-अलग कारणों की वजह से संतोषजनक नहीं रहा है। 1996-97 से 1998-99 के दौरान राज्य में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के दौरान निधियों की उपलब्धता और इनका इस्तेमाल नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	कुल उपलब्धता	प्रयुक्त राशि	इस्तेमाल का प्रतिशत
1996-97	18441.70	12837.59	69.61
1997-98	17260.69	12404.99	71.87
1998-99	18311.38	12372.19	67.57

(ग) और (घ) जवाहर रोजगार योजना को सरल बनाया गया है, पुनर्गठित किया गया है और इसे 1.4.99 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुनर्निमित किया गया है। मंत्रालय ने एक क्षेत्र अधिकारी योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य विशेष के क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उनको आबंटित राज्य का तिमाही में कम-से-कम एक दौरा करने और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सहित अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादन की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाती है। जुलाई, 1999 से सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में एक निष्पादन समीक्षा समिति गठित की गई है जो योजनाओं/कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए तिमाही आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा करेगी। इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने के लिए गठित ब्लाक जिला और राज्य स्तरीय निगरानी और सतर्कता समिति द्वारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों की निगरानी भी की जाती है। कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य मुख्यालय में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का कार्य सँभालने वाले अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्र निरीक्षण के जरिए वास्तविक निगरानी को अनिवार्य किया गया है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में ग्राम सभा के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे प्रत्येक कार्य के कार्यान्वयन का निरीक्षण, पर्यवेक्षक, और निगरानी करने के लिए हरेक गाँव के लिए एक सतर्कता समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा द्वारा योजना के अंतर्गत कार्यों की सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने का भी प्रावधान है।

[हिंदी]

राइफल फैक्टरी के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

2586. डॉ. बलिराम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइफल फैक्टरी ईशापुर (पश्चिम बंगाल) के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी तुरंत नहीं मिलती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और आज की स्थिति अनुसार इस संबंध में कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) सभी लंबित आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने संबंधी स्कीम का उद्देश्य सेवाकाल के दौरान मरने वाले या स्वास्थ्य के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार के आश्रित सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी के दिवंगत हो जाने या सेवानिवृत्त हो जाने के कारण दयनीय आर्थिक स्थिति में हैं, तथा जिसके पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं है, को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देकर संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक तंगी की स्थिति में राहत देना और उन्हें कठिन परिस्थिति से निकालने में सहायता देना है।

इस स्कीम के उद्देश्य तथा इस संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन वर्ष के दौरान ईशापुर राइफल निर्माणी के मृतक/चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किए गए कर्मचारियों के 168 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई है।

इस समय लंबित सभी 69 आवेदनों के संबंध में कार्रवाई जारी है। इनका निपटारा उन विभिन्न एजेंसियों के जवाब पर निर्भर करेगा जिन्हें इन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र, आर्थिक स्थिति आदि के सत्यापन के बारे में लिखा गया है।

[अनुवाद]

सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु मुआवजा

2587. श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सामाजिक सेवाओं के दायित्वों के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार से मुआवजा माँगा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार का क्या रुख है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय रेलें अंतर मंत्रालय कार्य दल, जिसका गठन इस मामले में विस्तृत जाँच करने के लिए विशेष रूप से किया गया था, द्वारा आकलित सामाजिक सेवा दायित्व के आधार पर क्षतिपूर्ति की माँग कर रही है। कार्य दल ने वर्ष 1994-95 के लिए सामाजिक सेवा दायित्व का आकलन 886 करोड़ रु. किया था और इस भार को वहन करने के लिए रेलों को क्षतिपूर्ति किए जाने की सिफारिश की है। इसी प्रणाली के आधार पर वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के सामाजिक दायित्वों पर क्रमशः 882 करोड़, 1065 करोड़ और 1357 करोड़ रु. की राशि निकलती है।

(ग) वित्त मंत्रालय ने कार्य दल की सिफारिश के अनुसार रेलों को क्षतिपूर्ति करने के लिए असमर्थता व्यक्त की है। बहरहाल, यह मामला उपयुक्त स्तर पर उठाया जा रहा है।

लेह और लद्दाख के लिए सड़क–लिंक

2588. श्री महेश्वर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह और लद्दाख के लिए श्रीनगर के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहोल-स्पीति जिले से भी एक अन्य मार्ग है;

(ख) क्या मंत्रालय का प्रस्ताव, सुरक्षा संबंधी कारणों और श्रीनगर में आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर तथा शीतकाल में हिमपात के कारण सड़क मार्ग में बाधा आने के कारण, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और लाहोल-स्पीति होकर लेह और लद्दाख तक एक सुरंग–मार्ग बनाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग बनाने पर शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ करने का कार्य भूतल परिवहन मंत्रालय को करना है। इस मंत्रालय द्वारा तकनीकी रिपोर्टों की जाँच करने के बाद पूँजी-निवेश पर निर्णय लिया जाना है।

(ग) प्रारंभिक योजना में 8.9 कि.मी. लंबी सुरंग बनाई जानी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र को गेहूँ और चावल का अतिरिक्त कोटा

2589. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अक्तूबर, 1998 से लेकर अब तक महाराष्ट्र को गेहूँ और चावल का अतिरिक्त कोटा देने के लिए सहमत हो गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक इनकी माहवार कितनी मात्रा आबंटित की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य मासिक आबंटन के अतिरिक्त महाराष्ट्र को अक्तूबर, 1998 और इसके बाद गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर अतिरिक्त आबंटन के रूप में प्रति माह 20000 टन चावल और 20000 टन गेहूँ का आबंटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नवंबर, 1998 में महाराष्ट्र को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू मूल्य पर 10000 टन अर्जेंटीना गेहूँ का अतिरिक्त आबंटन भी किया गया था।

छावनी क्षेत्र सीमा से चुंगी और पथकर का हटाया जाना

2590. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्र सीमा से चुंगी और पथकर को हटाने के लिए सिकंदराबाद छावनी बोर्ड से जून, 1999 में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके अनुरूप अनुमति प्रदान किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं और चुंगी तथा पथकर को हटाने के लिए कब तक अनुमति प्रदान किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) जी, हाँ। बोर्ड का प्रस्ताव जुलाई, 1999 में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा विचार किया गया था, जिसने इस मामले में कुछ

स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया है। अपेक्षित स्पष्टीकरण मिलने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

उपभोक्ता फोरमों में लंबित मामले

2591. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपभोक्ता न्यायालयों में राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां जिला फोरम कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) इन लंबित मामलों के निपटान हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य आयोगों और जिला मंचों में अनिर्णीत मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सितंबर, 1999 के अंत तक 52 जिलों में जिला मंच कार्य नहीं कर रहे थे।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला मंचों को मामलों का निपटान जहाँ तक संभव हो, प्रतिपक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर और यदि प्रश्नाधीन वस्तु का विश्लेषण या परीक्षण करने की आवश्यकता हो तो 150 दिनों के भीतर करना होता है।

विवरण

राज्य आयोगों/जिला मंचों में अनिर्णीत मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग में अनिर्णीत मामले	जिला मंचों में अनिर्णीत मामले
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	17
2.	आंध्र प्रदेश	2096	20593
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	31
4.	असम	683	1043
5.	बिहार	3194	13469
6.	चंडीगढ़ प्रशासन	197	4080
7.	दादरा व नगर हवेली	0	9
8.	दमण व दीव	1	34
9.	दिल्ली	3728	17951
10.	गोवा	91	600
11.	गुजरात	2764	18553
12.	हरियाणा	2517	15410
13.	हिमाचल प्रदेश	107	1956
14.	जम्मू व कश्मीर	622	2189
15.	कर्नाटक	2496	7245
16.	केरल	887	5828
17.	लक्षद्वीप	0	5
18.	मध्य प्रदेश	2677	8733
19.	महाराष्ट्र	5684	19708
20.	मणिपुर	3	55
21.	मेघालय	27	39
22.	मिजोरम	12	228
23.	नागालैंड	0	4
24.	उड़ीसा	3449	1902
25.	पांडिचेरी	70	58
26.	पंजाब	1666	9059
27.	राजस्थान	11924	16232
28.	सिक्किम	0	9
29.	तमिलनाडु	2237	6795
30.	त्रिपुरा	57	171
31.	उत्तर प्रदेश	17841	59988
32.	पश्चिम बंगाल	1363	5056
	योग	66404	231050

[हिन्दी]

वित्त निदेशक के पद

2592. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय तथा इसके सरकारी उपक्रमों में वित्त निदेशक और अन्य निदेशकों के रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एअर इंडिया में इस समय निदेशक (वित्त) का पद रिक्त है। एअर इंडिया में निदेशक

(इंजीनियरिंग), निदेशक (सी. डब्ल्यू एंड पी) निदेशक (निगमित कार्य) तथा निदेशक (उड़ानगत सेवा) के पद भी रिक्त हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन पदों को भरा जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय पर्यटन विकास निगम की परियोजनाएँ

2593. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अपना नेटवर्क बढ़ने की दृष्टि से देश के संयुक्त क्षेत्र में और विदेश में कई परियोजनाएँ शुरू की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम होटलों के निर्माण में तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता उपलब्ध करा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के साथ 7 संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं इनमें जो अद्यतन संयुक्त उद्यम हैं उनमें पंजाब पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के साथ पंजाब अशोक होटल निगम लिमिटेड की स्थापना संयुक्त रूप से नवंबर, 1998 में की है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। भारत पर्यटन विकास निगम, होटल परियोजनाओं को चालू रखने के विचार से वाणिज्यिक आधार पर अपनी परामर्श सेवाएं दे रहा है। इन सेवाओं में मुख्यरूप से तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, निर्माण के समय तकनीकी सेवाएं और होटल के प्रचालन के दौरान प्रबंधन परामर्श सेवाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

कटिहार जिले से विमान सेवाएँ

2594. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार शहर के दक्षिण छोर में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे से विमान सेवाएँ आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो विमान सेवाएं कब से आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) कटिहार में एक हवाई पट्टी जो प्रयोग में नहीं लाई जा रही है वह बिहार राज्य सरकार की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का निदेशक मंडल

2595. श्री विजय गोयल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का निदेशक मंडल पुनर्गठित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें शामिल किए गए सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बोर्डों को कब तक पुनर्गठित कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने निम्नानुसार एअर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के निदेशकमंडलों का पुनर्गठन कर दिया है :

एयर इंडिया लिमिटेड

1. श्री रवींद्र गुप्ता, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, अंशकालिक अध्यक्ष
2. श्री एम.पी. मैसक्रैहंस प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड
3. श्री अनिल बैजल, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड
4. श्री पी.के. ब्रह्मा, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय (श्री पी.के. ब्रह्मा ने नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है)
5. श्री डी.वी. गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
6. अध्यक्ष, आई.सी.आई.सी.आई.

इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड

1. श्री अनिल बैजल, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक,
2. श्री एम.पी. मैसक्रैहंस, प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड
3. श्री ए.पी. सिंह, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
4. श्री पी.के. ब्रह्मा, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार

(श्री ए.पी. सिंह ने अब नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव का कार्यभार छोड़ दिया है)

(श्री पी.के. ब्रह्मा ने नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है)

5. श्री डी.वी. गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण।

6. अध्यक्ष, आई.डी.बी.आई.

यह भी निर्णय लिया गया है कि दोनों निदेशक-मंडलों में प्रत्येक में चार कार्यकारी निदेशकों तथा पाँच गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपभोक्ता अदालतों को मजबूत बनाने के लिए सहायता

2596. श्री मोहन रावले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पठित की गई उपभोक्ता-अदालतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हाँ। महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों को सबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार योजना आयोग द्वारा एक-बारगी अनुदान स्कीम के अनुमोदन के समय उक्त राज्य में कार्य कर रहे एक राज्य आयोग और 31 जिला मंचों के आधार ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए संबंधित स्कीम के तहत 3.6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। महाराष्ट्र सरकार के 3.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अभी तक ऐसी स्कीम नहीं है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए आगे और अधिक सहायता प्रदान की जा सके।

कोव्वूर-भद्राचलम रोड रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण

2597. श्री के. येरननायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोव्वूर और भद्राचलम रोड के बीच नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) कोव्वूर से भद्राचलम रोड तक एक नई लाइन के लिए एक सर्वेक्षण को अद्यतन करने से संबंधित कार्य को 1999-2000 के बजट में शामिल कर लिया गया है, जिसे अब शुरू कर दिया गया है। परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण के परिणामों के उपलब्ध हो जाने के बाद संभव हो सकेगा।

(ग) इस वर्ष में सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है। सर्वेक्षण की प्रगति के लिए अपेक्षित निधियां पुनः विनियोग द्वारा मुहैया कराई जाएंगी।

दिल्ली छावनी में स्टेशन रोड की खराब स्थिति

2598. श्री सानबुमा खुंगुर वैसीमुथियारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली छावनी में 'स्टेशन रोड' नाम की सड़क की खराब स्थिति से अवगत है जो धौला कुँआ से दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन की ओर जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली छावनी बोर्ड ने किस कारणवश रोड का अच्छा रख-रखाव नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सड़क निर्माण कार्य में लगी घटिया सामग्री की छानबीन और जिम्मेदारी निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज़) : (क) और (ख) यह सड़क सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एम.ई.एस.) के प्रबंधाधीन है, न कि दिल्ली छावनी बोर्ड के। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण एम.ई.एस. इस सड़क का रख-रखाव अच्छी तरह नहीं कर सकी है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। इस सड़क का निर्माण 1946 में किया गया था और 1987-88 में इसे सुदृढ़ किया गया। इस सड़क पर अधिक यातायात के चलने के कारण इसकी स्थिति खराब है।

पुनःप्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाएं

2599. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में कार्यान्वयनाधीन पुनःप्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य सहित समूचे देश में बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हा, बायोमास गैसीकरण, ब्रिकेटिंग संयंत्र, सौर तापीय जलतापक (घरेलू एवं औद्योगिक दोनों), सौर प्रकाशवोल्टीय, घरेलू रोशनी/ लालटेन/ग्रामीण स्तरीय विद्युत, पवन ऊर्जा से ग्रिड संबंद्ध विद्युत, लघु पन बिजली, बायोमास दहन तथा खोई आधारित सहउत्पादन विद्युत जैसे अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में काफी सारे कार्यक्रमों/परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

(ख) से (घ) प्रशासनिक अनुमोदन/वित्तीय मंजूरियों/निधि रिलीज करना इत्यादि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के चालू एवं सतत कार्यकलापों के भाग हैं। इन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है।

परियोजनाओं को प्रस्तुत करना

2600. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 612.42 करोड़ रु. की लागत वाली प्रस्तुत की गई 58 परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने 31 मार्च, 1998 तक 217.90 करोड़ रु. की धनराशि जारी कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने शेष 106.88 करोड़ रु. की राशि जारी करने की मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस धनराशि को जारी न करने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 571.02 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 58 उप मिशन परियोजनाएँ अनुमोदित की हैं जिनमें से भारत सरकार का अंश 428.07 करोड़ रुपए है।

(ख) उप मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1993-94 और 1997-98 (31.3.98 तक) के बीच आंध्र प्रदेश सरकार को 216.51 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने नवंबर, 1998 में 210.18 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने जनवरी, 1999 में दुबारा 104.21 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने दुबारा अक्टूबर 1999 में 67.59 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार को 1998-99 के दौरान 110.46 करोड़ रुपए और 1999-2000 के दौरान (15.2.99 तक) 32.47 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य सरकार को उप मिशन के तहत निधियां इस शर्त पर जारी की जाती हैं कि उपयोग प्रमाण-पत्र/लेखा महापरीक्षक प्रमाण-पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र और व्यय संबंधी विवरण आदि उपलब्ध कराए जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार को आगे निधियों की रिलीज राज्य सरकार से परियोजना की प्रगति और अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति पर निर्भर है।

अंडमान निकोबार में मीटर गेज रेल लाइन परियोजना

2601. श्री विष्णु पद राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर से डिग्लीपुर तक मीटर गेज रेल लाइन के निर्माण का कोई विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक नई बड़ी लाइन के निर्माण हेतु एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि 250 कि.मी. लंबी लाइन की लागत 793.77 करोड़ रुपए होगी और प्रतिफल की लागत ऋणात्मक होगी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना का कार्य प्रारंभ करना फिलहाल संभव नहीं पाया गया है।

झारे और खोई का निपटान

2602. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार झारे (प्रैस-मड) और खोई (बगैस) का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ; और

(ख) इस खोई और झारे का उपयोग/निपटान करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) चीनी मिलों द्वारा उत्पादित झारे (प्रैस-मड) तथा खोई की मात्रा के आंकड़ों को नहीं रखा जाता है। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि झारे कुल पेरे गए गन्ने का लगभग 3 से 5 प्रतिशत होता है और इसके अधिकांश भाग का उपयोग किसानों द्वारा खाद के रूप में किया जाता है जबकि खोई कुल पेरे गए गन्ने का 33 प्रतिशत होता है जो अधिकतर चीनी फैक्ट्री के विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया के लिए भाप उत्पन्न करने हेतु ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एक सामान्य फैक्ट्री में लगभग 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत गन्ने की खोई को बचाया जाता है जो कागज, पार्टिकल बोर्ड, पेराई बंद मौसम के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीनी फैक्ट्रियों को बेचा जाता है।

विजयवाड़ा मंडल में रेल पटरियों में दरार का पता लगाना

2603. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा मंडल में रेल पटरियों में दरारों का पता लगाने के लिए गहन सर्वेक्षण हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां। समस्त भारतीय रेलों पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) रेलपथ की कमियों का पता लगाने के लिए पटरियों की नियमित रूप से पराश्रव्य दोष संसूचक जांच एवं झलाई की जा रही है।

(ii) पटरियों/झलाई की टूट-फूट का पता लगाने के लिए कीमैन द्वारा प्रतिदिन कदम-कदम पर रेलपथ का निरीक्षण किया जाता है।

(iii) सर्दी के दौरान जब पटरी का तापमान निर्धारित तापमान से कम हो जाता है तब रेलपथ में पटरियों/झलाई की टूट-फूट का पता लगाने के लिए ठंडे मौसम में गश्त लगाई जाती है।

सेना में रेजीमेंट बनाना

2604. श्री राम मोहन गाइडे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को आंध्र रेजीमेंट बनाने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और अनेक संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नई रेजीमेंट बनाने हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की किसी विशेष वर्ग, पंथ, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर कोई नई रेजीमेंट खड़ी करने की नीति नहीं है, बल्कि ऐसी सेना रखने की नीति है जिसमें सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो।

सेना भर्ती कार्यालय और सैनिक स्कूल खोलना

2605. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे सेना भर्ती कार्यालयों और सैनिक स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में कुछ और सेना भर्ती कार्यालय और सैनिक स्कूल खोलने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक खोला जाएगा; और

(घ) नए सेना भर्ती कार्यालय और सैनिक स्कूल खोलने के लिए पृथकतः क्या मानदंड/कार्यविधि अपनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) सेना भर्ती कार्यालयों और सैनिक स्कूलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) 1 अप्रैल, 1998 से नई भर्ती नीति लागू होने से सभी प्रकार की भर्तियां खुली रैलियां के माध्यम से की जाती हैं और भर्ती कार्यालयों की भूमिका भर्ती की योजना बनाने और प्रशासनिक कार्यकलापों तक ही सीमित है। अतः नए भर्ती कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सैनिक स्कूल सामान्यतया राज्य सरकारों के अनुरोध पर खोले जाते हैं क्योंकि सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए अपेक्षित भूमि, भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस समय किसी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो।

विवरण

सेना भर्ती कार्यालय

क्रम सं.	जोनल भर्ती कार्यालय/शाखा भर्ती कार्यालय का नाम	राज्य
1	2	3
1.	शाखा भर्ती कार्यालय, विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश
2.	शाखा भर्ती कार्यालय, सिकंदराबाद	वही
3.	शाखा भर्ती कार्यालय, गुंटूर	वही
4.	शाखा भर्ती कार्यालय, सिलचर	असम
5.	शाखा भर्ती कार्यालय, जोरहाट	वही
6.	शाखा भर्ती कार्यालय, नारंगी	वही
7.	शाखा भर्ती कार्यालय, कटिहार	बिहार
8.	जोनल भर्ती कार्यालय, दानापुर	वही

1	2	3
9.	शाखा भर्ती कार्यालय, गया	बिहार
10.	शाखा भर्ती कार्यालय, मुज्जफरपुर	वही
11.	शाखा भर्ती कार्यालय, रांची	वही
12.	स्वतंत्र भर्ती कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली
13.	शाखा भर्ती कार्यालय, जामनगर	गुजरात
14.	शाखा भर्ती कार्यालय, अहमदाबाद	वही
15.	जोनल भर्ती कार्यालय, अंबाला	हरियाणा
16.	शाखा भर्ती कार्यालय, चर्खी दादरी	वही
17.	शाखा भर्ती कार्यालय, रोहतक	वही
18.	शाखा भर्ती कार्यालय, हिसार	वही
19.	शाखा भर्ती कार्यालय, हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
20.	शाखा भर्ती कार्यालय, पालमपुर	वही
21.	शाखा भर्ती कार्यालय, मंडी	वही
22.	शाखा भर्ती कार्यालय, शिमला	वही
23.	शाखा भर्ती कार्यालय, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
24.	शाखा भर्ती कार्यालय, श्रीनगर	वही
25.	जोनल भर्ती कार्यालय, बेंगलूर	कर्नाटक
26.	शाखा भर्ती कार्यालय, मंगलौर	वही
27.	शाखा भर्ती कार्यालय, बेलगाँव	वही
28.	शाखा भर्ती कार्यालय, कालीकट	केरल
29.	शाखा भर्ती कार्यालय, त्रिवेंद्रम	वही
30.	जोनल भर्ती कार्यालय, पुणे	महाराष्ट्र
31.	शाखा भर्ती कार्यालय, औरंगाबाद	वही
32.	शाखा भर्ती कार्यालय, मुंबई	वही
33.	शाखा भर्ती कार्यालय, कोल्हापुर	वही
34.	शाखा भर्ती कार्यालय, नागपुर	वही
35.	जोनल भर्ती कार्यालय, जबलपुर	मध्य प्रदेश
36.	शाखा भर्ती कार्यालय, भोपाल	वही
37.	शाखा भर्ती कार्यालय, ग्वालियर	वही
38.	शाखा भर्ती कार्यालय, महू	वही
39.	शाखा भर्ती कार्यालय, रायपुर	वही
40.	जोनल भर्ती कार्यालय, शिलांग	मेघालय
41.	शाखा भर्ती कार्यालय, रंगापहाड़	नागालैंड
42.	शाखा भर्ती कार्यालय, बेहरामपुर	उड़ीसा
43.	शाखा भर्ती कार्यालय, कटक	वही
44.	शाखा भर्ती कार्यालय, सम्भलपुर	उड़ीसा
45.	जोनल भर्ती कार्यालय, जालंधर	पंजाब
46.	शाखा भर्ती कार्यालय, अमृतसर	वही
47.	शाखा भर्ती कार्यालय, फिरोजपुर	वही
48.	शाखा भर्ती कार्यालय, लुधियाना	वही
49.	शाखा भर्ती कार्यालय, पटियाला	वही
50.	जोनल भर्ती कार्यालय, जयपुर	राजस्थान
51.	शाखा भर्ती कार्यालय, जोधपुर	वही
52.	शाखा भर्ती कार्यालय, अलवर	वही
53.	शाखा भर्ती कार्यालय, झुंझनू	वही
54.	शाखा भर्ती कार्यालय, कोटा	वही
55.	जोनल भर्ती कार्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु
56.	शाखा भर्ती कार्यालय, कोयम्बटूर	वही
57.	शाखा भर्ती कार्यालय, त्रिची	वही
58.	जोनल भर्ती कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
59.	शाखा भर्ती कार्यालय, आगरा	वही
60.	शाखा भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा	वही
61.	शाखा भर्ती कार्यालय, अमेठी	वही
62.	शाखा भर्ती कार्यालय, बरेली	वही
63.	शाखा भर्ती कार्यालय, लैंसडाउन	वही
64.	शाखा भर्ती कार्यालय, पिथौरागढ़	वही
65.	शाखा भर्ती कार्यालय, मेरठ	वही
66.	शाखा भर्ती कार्यालय, वाराणसी	वही
67.	जोनल भर्ती कार्यालय/जी.आर.डी., कुनराघाट	वही
68.	जोनल भर्ती कार्यालय, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
69.	शाखा भर्ती कार्यालय, सिलीगुड़ी	वही
70.	शाखा भर्ती कार्यालय, कचरापाड़ा	वही
71.	शाखा भर्ती कार्यालय/जी.आर.डी., घूम	वही

कुछ रेजीमेंट प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा केवल अपनी रेजीमेंट/कोर के लिए भी कुछ भर्ती की जाती है।

सैनिक स्कूल

क्रम सं.	स्कूल का नाम	राज्य
1	2	3
1.	कोरुकोंडा	आंध्र प्रदेश
2.	गोलपाड़ा	असम

1	2	3
3.	तिलैया	बिहार
4.	बालघड़ी	गुजरात
5.	कुंजपुरा	हरियाणा
6.	सुजानपुरा तिरा	हिमाचल प्रदेश
7.	नगरोटा	जम्मू एवं कश्मीर
8.	बीजापुर	कर्नाटक
9.	कझाकुतम	केरल
10.	सतारा	महाराष्ट्र
11.	रीवा	मध्य प्रदेश
12.	इम्फाल	मणिपुर
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
14.	कपूरथला	पंजाब
15.	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
16.	अमरावती नगर	तमिलनाडु
17.	घोड़ाखाल	उत्तर प्रदेश
18.	पुरूलिया	पश्चिम बंगाल

विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों की लेखा परीक्षा

2606. श्री एन.आर.के. रेड्डी :
श्री के. येरननायडू:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों की कोई लेखा परीक्षा की जाती है;

(ख) क्या अर्जेंटीना स्थित पर्यटक कार्यालय की लेखा परीक्षा की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी लेखा परीक्षा कब तक की जाएगी?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में भारत सरकार पर्यटक कार्यालय 1998 में ही खोला गया है, अतः इसकी लेखा परीक्षा अभी अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

सेना को संचार सेवाएं

2607. डॉ. अशोक पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पा रहा है क्योंकि उग्रवादियों के पास उपलब्ध संचार उपस्कर बहुत ही अत्याधुनिक स्तर के हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो आतंकवादियों पर काबू पाने के लिए सेना को आधुनिक संचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी, अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं जो कि विश्व-बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। आतंकवादियों के पास मौजूद संचार सुविधाओं के प्रभावी उपयोग को रोकने के लिए समुचित निगरानी रिसीवरों, जैमरों और दिशा खोजी उपस्करों के रूप में आवश्यक उपाए किए गए हैं।

कारगिल के शहीदों के लिए आवास योजना

2608. श्री रामपाल सिंह :
डॉ. अशोक पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना और नौसेना आवास योजना के अंतर्गत कारगिल के शहीदों के लिए एक विशेष आवास योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इस योजना को शुरू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में नागर विमानन सुविधाओं का विस्तार

2609. श्री राधा मोहन सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नागर विमानन सुविधाओं के विस्तार हेतु कोई परियोजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है तथा प्रत्येक परियोजना को पूरा करने की लक्षित तिथियां क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 10.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पटना विमानपत्तन पर टर्मिनल भवन का विस्तार कार्य पूरा कर लिया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाएं

2610. श्री अशोक प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से संबंधित उन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो अभी भी लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बजट में शामिल वे रेलवे परियोजनाएँ जिन पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है :

1. इटावा-मैनपुरी : नई लाइन
2. गोंडा-सीतापुर-लखनऊ के प्रथम चरण के रूप में गोंडा-बहराइच: के आमान परिवर्तन
3. आनंदनगर-नौतनवा सहित गोंडा गोरखपुर लूप : आमान परिवर्तन
4. कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा का भाग : आमान परिवर्तन
5. मुगलसराय-जाफराबाद : विद्युतीकरण
6. गोरखपुर-सहजनवाँ : दोहरीकरण
7. खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर : विद्युतीकरण कार्य शुरू करने में विलंब के कारण और सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं :

रेलों में एक्सपेंडिड बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात सरकार द्वारा परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। क्रम संख्या-1 की परियोजना के लिए रेलों के एक्सपेंडिड बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त कर ली गई हैं और अनुमोदन के लिए सरकार को भेजी जाएँगी उसके बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

संसाधनों की तंगी और उनकी सापेक्ष निचली प्राथमिकता के कारण क्रम संख्या 6 एवं 7 की परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं।

हासन-बंगलौर रेलमार्ग का निर्माण

2611. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हासन-बंगलौर रेलमार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त मार्ग के निर्माण का कार्य किस वर्ष आरंभ किया गया था और इसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था और अब तक कितना व्यय किया जा चुका है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) हसन-बेंगलूरू नई लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की कुल लंबाई 166.70 कि.मी. है। उसमें से हसन और श्रवणबेलगोला के बीच 40 कि.मी. और बेंगलूरू और नेलामंगला के बीच 16 कि.मी. भूमि अधिगृहित कर ली गई है।

(ग) वर्ष 1996-97 के बजट में कार्य शामिल कर लिया गया था। 31.3.99 तक इस कार्य के लिए आबंटित कुल निधियां और किया गया खर्च 3562.03 लाख रुपए है। इस कार्य के लिए चालू वर्ष 1999-2000 के दौरान 1000 लाख रुपए की राशि आबंटित की जा चुकी है। चालू वर्ष के दौरान वास्तविक खर्च का पता लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चलेगा।

(घ) इस परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में संलग्न निजी विमान कंपनियां

2612. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में संलग्न निजी विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कुछ और निजी विमान कंपनियों को अनुमति दिए जाने की योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो विमान कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय मैसर्स जेट एयरवेज तथा मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइंस दो घरेलू निजी विमान कंपनियां हैं जो घरेलू उड़ानें प्रचालित कर रही हैं जबकि मैसर्स लुफथांसा कार्गो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कार्गो एयर सेवाएं प्रचालित कर रही है।

(ख) और (ग) मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत घरेलू सेक्टरों पर विमान परिवहन सेवाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर एयर कार्गो सेवाएं प्रचालित करने के संबंध में सरकार के विचारार्थ प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक पार्टियों के समक्ष ऐसी कोई रुकावट नहीं है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में हवाई पट्टी का विस्तार

2613. श्री सुरेश चंदेल :
कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनी राम शांडिल्य :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बड़े विमानों के संचालन को सुगम बनाने और राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए भुंटर, शिमला और गागल में हवाईपट्टी के विस्तार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गागल (कांगड़ा) विमानपत्तन पर धावनपथ को 600 फुट तक विस्तार करने की योजनाएं हैं जिससे इसे 50 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। स्थलाकृति-संबंधी स्थितियों के कारण, भुंटर तथा शिमला में धावनपथों का विस्तार करना तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है।

[अनुवाद]

बंगलौर-वास्को-बंगलौर सीधी रेल सेवा आरंभ करना

2614. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-वास्को-बंगलौर कोई रेल सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) यात्री गाड़ियों के चालन के लिए वास्को-लोंडा खंड हाल ही में खोला गया है। वास्को और बेंगलूरू के बीच गाड़ी सहित अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की जांच के सलरॉक-कुलेम खंड पर परिचालन की नई प्रणाली स्थापित हो जाने के पश्चात् की जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़क उपरि पुलों का निर्माण

2615. श्री अमीर आलम :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क उपरि पुलों के निर्माण संबंधी भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन सड़क उपरि पुलों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन सड़क उपरि पुलों का निर्माण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख)

क्र.सं.	प्रस्तावों के ब्यौरे	सरकार द्वारा उठाए गए कदम
1	2	3
1.	मुरादाबाद-लखनऊ खंड पर समपार सं. 403-ए/3 के बदले रामपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल	रेलों द्वारा कार्य को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है।
2.	कानपुर-अनवरगंज में कि.मी. 4/6-7 पर समपार सं. 6 के बदले ऊपरी सड़क पुल	-वही-
3.	रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर समपार सं. 1 स्पेशल के बदले ऊपरी सड़क पुल	-वही-
4.	बादशाहनगर-मल्हौर में कि.मी. 767/6-7 पर समपार सं. 3 एमएल के बदले ऊपरी सड़क पुल	-वही-
5.	डालीगंज-महीबुल्लापुर में कि.मी. 7/15-16 पर समपार सं. 6 के बदले ऊपरी सड़क पुल	-वही-
6.	डालीगंज-बादशाहनगर में कि.मी. 772/15-16 पर समपार सं. 7 एमएल के बदले ऊपरी सड़क पुल	-वही-
7.	महीबुल्लापुर स्टेशन यार्ड में कि.मी. 11/5-6 पर समपार सं. 10 के बदले ऊपरी सड़क पुल	-वही-

1	2	3
8.	देवरिया सदन-नूनखार में कि.मी. 445/3-4 पर समपार सं. 129ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	रेलवे द्वारा कार्य को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है।
9.	बरेली-मुरादाबाद खंड पर समपार सं. 484-बी के बदले नजीबाबाद में कि.मी. 1498/13-14 पर ऊपरी सड़क पुल	इस कार्य को रेलवे के 1989-90 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था किन्तु राज्य सरकार ने धनराशि आबंटित नहीं की थी इसलिए इस कार्य को हटा दिया गया है। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और पहुंच मार्गों के लिए अनुमान प्रतीक्षित हैं।
10.	जजुआ में कि.मी. 1321/2-4 पर समपार सं. 478-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार से धनराशि उपलब्ध कराने की वचनबद्धता, करार मसौदे का निष्पादन और जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी) की मंजूरी पेश करने को कहा गया है।
11.	उरई में कि.मी. 1240/13-14 पर समपार सं. 182-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	मौजूदा नियमों के तहत राज्य सरकार (लोक निर्माण विभाग) से पूर्वापेक्षित शर्तें पूरी करने को कहा गया है।
12.	गाजियाबाद मुरादाबाद खंड पर मौजूदा समपार सं. 74 स्पेशल और हापुड़-मेरठ खंड पर समपार सं. 41 स्पेशल के बदले कि.मी. 105/8-9 और 64/10-11 पर हापुड़ के निकट ऊपरी सड़क पुल	अभी मंजूर किया जाना है। कार्य के रेलवे भाग का संशोधित सार अनुमान मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है और पहंच मार्गों के संशोधित अनुमान उनसे मंगाए गए हैं।
13.	औंड़िहार-छपरा में कि.मी. 129/4-5 पर समपार सं. 24ए के बदले ऊपरी सड़क पुल	अभी मंजूर किया जाना है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
14	वाराणसी-इलाहाबाद में कि.मी. 208/4-5 पर समपार सं. 3ए के बदले ऊपरी सड़क पुल।	अभी मंजूर किया जाना है। राज्य सरकार से पूर्वापेक्षित शर्तें पूरी करने को कहा गया है।

(ग) और (घ)

क्र.सं.	निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुलों की मौजूदा स्थिति	पूरा होने का संभावित समय
1	2	3
1.	जबलपुर-इलाहाबाद खंड में कि.मी. 1341/10-12 पर समपार सं. 430-ए के बदले इरादतगंज में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण प्रगति पर है। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को अंतिम रूप दे दिया गया है और विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।	दिसंबर, 2001 बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।
2.	सुल्तानपुर और जाफराबाद के बीच समपार सं. 34बी के बदले ऊपरी सड़क पुल। कार्य प्रगति पर है दोनों पेयर्स को ढाला जा चुका है। बाटम स्लैब की कास्टिंग और गर्डरों की दीवारों को पूरा किया जा चुका है। पहुँच मार्गों का 90 प्रतिशत कार्य भी पूरा हो चुका है।	मार्च, 2000
3.	सूबेदारगंज में समपार सं. 12 स्पेशल के बदले ऊपरी सड़क पुल। रेलवे हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है और पहुँच मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।	दिसंबर, 2000
4.	बिलराया-पनवाड़ी में समपार सं. 279-बी/3 के बदले ऊपरी सड़क पुल। रेलवे हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है और पहुँच मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।	मार्च, 2000

1.	2.	3.
5.	परतापुर में समपार सं. 21ए के बदले ऊपरी सड़क पुल। उपसंरचना संबंधी कार्य पूरा हो चुका है। 6 बीमों में से 3 को डाला जा चुका है।	मार्च, 2000
6.	रामघाट अलीगढ़ में समपार सं. 109ए के बदले ऊपरी सड़क पुल। प्रोफाइल स्केच को मंजूरी दे दी गई है और विस्तृत संशोधित अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। पहुँच मार्गों के साथ-साथ कार्य प्रगति पर है।	मार्च, 2000
7.	सकोटी में समपार सं. 40बी के बदले ऊपरी सड़क पुल। प्रोफाइल स्केच को अनुमोदित कर दिया गया है, जीए योजना तैयार की जा रही है और निविदाओं को आमंत्रित किया गया है।	दिसंबर, 2000
8.	इटावा में समपार सं. 89 के बदले निचलों सड़क पुल। रेलवे हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है और पहुँच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।	मार्च, 2000
9.	हाथरस रोड पर समपार सं. 95ए के बदले ऊपरी सड़क पुल। विस्तृत आकलन मंजूर हो चुका है। प्रोफाइल स्केच को अनुमोदित कर दिया गया है और रेलवे कार्य के हिस्से के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
10.	गाजियाबाद में समपार सं. 154सी के बदले निचला सड़क पुल। रेलवे हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है।	मार्च, 2000
11.	जीटी रोड पर समपार सं. 79डी के बदले कानपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल। विस्तृत आकलन को मंजूरी दे दी गई है और प्रोफाइल स्केच अनुमोदित कर दिए गए हैं। पहुँच मार्गों पर राज्य सरकार द्वारा कार्य अभी शुरू किया जाना है।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
12.	मेजा रोड के निकट समपार सं. 25बी/3टी के बदले ऊपरी सड़क पुल। अनुमान को अभी मंजूरी मिलनी है और प्रोफाइल स्केच को भी अनुमोदित किया जाना है।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
13.	चौपाला पर समपार सं. 356 स्पेशल और 250 ए के बदले ऊपरी सड़क पुल। लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके हिस्से के कार्य का अनुमान अभी भी मुहैया कराया जाना है। प्रोफाइल अनुमोदनाधीन है क्योंकि राज्य सरकार पुल के स्थान पर पुनः विचार कर रही है।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
14.	रामपुर के निकट समपार सं. 403-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल। विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और प्रोफाइल स्केच अनुमोदनाधीन है।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
15.	बाराबंकी के निकट समपार सं. 180ए के बदले ऊपरी सड़क पुल। योजना तैयार की जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पहुँच मार्गों के लिए अभी अनुमान प्रस्तुत किए जाने हैं।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

1	2	3
16.	फतेहपुर के निकट समपार सं. 50 सी के बदले ऊपरी सड़क पुल। योजना और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
17.	कानपुर में आँखों के अस्पताल के निकट समपार सं. 6 के बदले ऊपरी सड़क पुल। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को अंतिम रूप दे दिया गया है और अनुमानों की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा रही है।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
18.	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर रामपुर में समपार सं. 1 स्पेशल के बदले ऊपरी सड़क पुल। भूतल परिवहन मंत्रालय की टिप्पणियों के अनुसार संशोधित जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग तैयार किया जा रहा है।	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
19.	बादशाहनगर और मलहौर के बीच समपार सं. 5 एमएल के बदले ऊपरी सड़क पुल। रेलवे के हिस्से का 95 प्रतिशत और पहुँच मार्गों का 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।	मार्च, 2000
20.	लखनऊ में डालीगंज और महीबुल्लापुर के बीच समपार सं. 6 के बदले ऊपरी सड़क पुल। राज्य सरकार को स्थान अभी सुनिश्चित करना है।	लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है।
21.	लखनऊ में डालीगंज और बादशाहनगर के बीच समपार सं. 7 एम. एल. के बदले ऊपरी सड़क पुल। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेलवे के हिस्से का विस्तृत आकलन राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। संरेखण के बीच में पड़ने वाले आवासों और दुकानों को राज्य सरकार द्वारा अभी हटाया जाना है।	लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है।
22.	लखनऊ में महीबुल्लापुर स्टेशन यार्ड में समपार सं. 10 के बदले ऊपरी सड़क पुल। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय से मंजूरी ली जानी है।	लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है।
23.	देवरिया सदर और नूनखार के बीच समपार सं. 129 के बदले ऊपरी सड़क पुल। राज्य सरकार ने अभी स्थान तय नहीं किया है।	लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है।

यात्री और माल भाड़े के माध्यम से एकत्र किया गया राजस्व

2616. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्यों रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान यात्री और मालभाड़े के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस संबंध में कितनी उपलब्धि हुई;

(ख) कमी, यदि कोई हो, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए मालभाड़े को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जोन-वार यात्री और मालभाड़े के माध्यम से रेलवे द्वारा कितना राजस्व एकत्रित किया गया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान रेलवे की देनदारी कितनी है;

(च) क्या यह देनदारी सृजित किए गए राजस्व से अधिक थी;

(छ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अंतर को पाटने के लिए राजस्व सृजित करने हेतु कुछ नए उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 1998-99 में यातायात में कमी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों द्वारा कम माल यातायात प्रस्तुत किए जाने के कारण है। चालू वर्ष में कमी मामूली है।

(ग) 1998-99 के दौरान रेल मंत्रालय ने रेल द्वारा यातायात का संचलन अधिकतम करने के लिए रेल उपयोगकर्ता संगठनों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा था। लोहे तथा इस्पात, सीमेंट, लौह अयस्क, क्लिंकर एवं स्पंज लोहे जैसी वस्तुओं के लिए एक विशेष वाल्यूम डिस्काउंट योजना भी आरंभ की गई थी। रेल यातायात को स्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से कम स्टेशन-दर-स्टेशन दरों की पेशकश करने के लिए महाप्रबंधकों को शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी। बहरहाल, रेल द्वारा यातायात में कम अर्थव्यवस्था में सम्मग्र मंदी के कारण थी।

चालू वर्ष के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए यात्री और माल यातायात के जरिए रेलों द्वारा अर्जित राजस्व के बारे में जोन-वार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) रेलों की संपूर्ण दायिता स्वयं उनकी राजस्व प्राप्तियों से, पूँजीगत परियोजनाओं के लिए सामान्य राजकोष से पूँजी के जरिए और चलस्टाक खरीद के वित्तपोषण (आंशिक) के लिए बाजार ऋण से पूरी की जाती है। रेलों के स्वयं राजस्व से चुकता की गई दायिताओं की राशि 1998-99 में 32,810 करोड़ रुपए और 1999-2000 के बजट अनुमान के अनुसार 35,349 करोड़ रुपए है।

(च) जी हाँ। यह अंतर मोटे तौर पर रेलवे निधियों में शेष द्वारा निपटाया गया था।

(छ) और (ज) रेलवे माल यातायात एक परिणामी माँग है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई उपाए किए जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से रेल परिवहन की माँग ने 1999-2000 में सुधार दर्शाया है। इसके अलावा, माल राजस्व को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से माल लदान को बढ़ाने के लिए रेलों द्वारा जोरदार विपणन नीतियां अपनाई गई हैं। वाल्यूम डिस्काउंट की योजना वर्ष 1999-2000 के लिए और आगे बढ़ा दी गई है।

यात्री क्षेत्र में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) चुनिंदा लोकप्रिय लंबी दूरी की गाड़ियों के सवारी डिब्बों की संख्या 24 तक बढ़ाई गई है।

(ii) जब कभी आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं तथा जब कभी आवश्यकता होती है, तो लोकप्रिय गाड़ियों के सवारी डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई जाती है।

(iii) यात्री यातायात के सभी प्रवाहों की सेवा को इष्टतम गुणवत्ता प्रदान करने के लिए गाड़ियों के समय की पुनरीक्षा की जाती है।

(iv) अल्प समय में अपनी यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों के लिए चुनिंदा गाड़ियों पर तत्काल योजना आरंभ की गई है।

(v) उपभोक्ता के अनुकूल बेहतर उपायों यथा टेली-बुकिंग और कंप्यूटर के जरिए शिकायतों की सम्हलाई तथा राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली की व्यवस्था।

रेलों ने रेलवे भूमि और नभ क्षेत्र के दोहन, आप्टिक फाइबर केबल दूरसंचार के लिए मार्गाधिकार पट्टे पर देने, रेलवे स्टेशनों और चलस्टाक पर विज्ञापन के अधिकार पट्टे पर देने के माध्यम से भी संसाधन जुटाने की कार्रवाई आरंभ की है।

विवरण-I

1998-99 और 1999-2000 (अक्तूबर, 1999 तक) के दौरान यात्री और माल यातायात के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धि

यात्री यातायात

	1998-1999		1999-2000		
	लक्ष्य (बजट अनुमान)	वास्तविक	लक्ष्य (बजट अनुमान)	अक्तूबर, 99 तक आनुपातिक लक्ष्य	अक्तूबर, 99 तक वास्तविक
प्रारंभिक यात्री (मिलियन में)	4551	4411	4984	—	2642
यात्री आमदनी (करोड़ रुपयों में)	8368	8550	9449	5384	5345

माल यातायात

	1998-1999		1999-2000		
	लक्ष्य (बजट अनुमान)	वास्तविक	लक्ष्य (बजट अनुमान)	अक्तूबर, 99 तक आनुपातिक लक्ष्य	अक्तूबर, 99 तक वास्तविक
प्रारंभिक लदान (मिलियन टन में)	450	421	450	252.90	252.64
माल आमदनी (करोड़ रुपयों में)	21686	19960	22341	12514	12468

विवरण-II

1998-99 और 1999-2000 के लिए यात्री और माल यातायात के माध्यम से रेलों द्वारा अर्जित राजस्व जोर-वार

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	1989-99		1999-2000 अक्तूबर, 1999 तक	
	यात्री	माल	यात्री	माल
मध्य	1733.77	2939.10	1057.82	1806.85
पूर्व	843.00	2336.69	524.41	1476.26
उत्तर	1653.94	3304.76	1085.25	2286.39
पूर्वोत्तर	511.97	390.99	316.06	218.54
पूर्वोत्तर सीमा	167.55	375.93	104.00	219.99
दक्षिण	843.20	1092.58	523.67	673.49
दक्षिण मध्य	760.42	2066.42	494.47	1256.87
दक्षिण पूर्व	557.72	4698.79	326.40	2949.29
पश्चिम	1455.17	2755.13	899.20	1581.34
मेट्रो	23.22	—	13.86	—
जोड़	8549.96	19960.39	5345.14	12468.42

[अनुवाद]

बोफोर्स द्वारा होवित्जर तोपों के क्रयादेश के लिए प्रयास

2617. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वीडन की शस्त्र विनिर्माण कंपनी, बोफोर्स, भारत के लिए 400 होवित्जर तोपों का क्रयादेश प्राप्त करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बोफोर्स का, भारत के देवलाली में तोपखाना स्कूल में व्यापक परीक्षण के लिए, अगले वर्ष एक होवित्जर तोप भेजने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (घ) स्वीडन स्थित मैसर्स सेक्वियस द्वारा वाहन पर लगी हुई एक 155 मि.मी. तोप को 'बिना खर्च बिना वायदा' के आधार पर परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की पेशकश की गई है। इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है।

नई रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण

2618. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान रेल-बजट में प्रस्तावित सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेल विभाग द्वारा किए गए तथा शुरू किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में किए जा रहे सर्वेक्षणों का विवरण क्या है;

(घ) क्या रेल बजट में प्रस्तावित किसी सर्वेक्षण का कार्य छोड़ दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत उपयोग की गई राशि

2619. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को आबंटित की गई राशि का पूरा इस्तेमाल किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत निधियों का कोई आबंटन नहीं किया जाता है परंतु परियोजनाएं, परियोजना दर परियोजना आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को जारी की जाती हैं। समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाओं को 4-5 वर्षों की अवधि के दौरान क्रियान्वित किया जाता है और निधियों के उपयोग के वास्तविक मूल्यांकन के बारे में जानकारी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। तथापि, इस विभाग द्वारा, उक्त योजना के तहत नौवीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी 1997-98	जारी 1998-99	कुल जारी 97-98 और 98-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1075.31	981.21	2056.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	9.00	9.00
3.	असम	36.78	24.52	61.30
4.	कापार्ट	250.00	—	250.00
5.	गुजरात	306.77	546.17	852.94
6.	हरियाणा	112.06	90.52	202.58
7.	हिमाचल प्रदेश	311.51	188.42	499.93
8.	जम्मू और कश्मीर	99.96	136.40	236.36
9.	कर्नाटक	434.33	513.41	947.74
10.	केरल	40.32	78.55	118.87
11.	महाराष्ट्र	69.96	242.53	312.49
12.	मणिपुर	135.10	285.52	420.62
13.	मध्य प्रदेश	213.97	258.63	472.60
14.	नागालैंड	120.00	465.81	585.81
15.	उड़ीसा	353.71	263.19	616.90
16.	पंजाब	—	6.60	6.60
17.	राजस्थान	416.16	292.55	708.71
18.	सिक्किम	194.32	176.10	370.42
19.	तमिलनाडु	282.07	176.26	458.33
20.	त्रिपुरा	70.00	—	70.00
21.	उत्तर प्रदेश	863.67	1464.51	2328.18
	योग	5386.00	6199.90	11585.90

[हिन्दी]

जापान की सहायता से बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास

2620. श्री आदित्यनाथ : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास करने के लिए जापान से वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) जी, हाँ। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के विकास तथा संरक्षण के लिए सरकार ने जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ.ई.सी. एफ.) के साथ जनवरी, 1992 में एक ऋण समझौता किया है।

विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से सहायता की राशि 3745 मिलियन जापानी येन है। परियोजना के मुख्य घटक हैं—वृक्षारोपण, औरंगाबाद के विमानपत्तन पर उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन, सड़कों की मरम्मत तथा सुधार, जलापूर्ति तथा सीवेज का सुधार, विद्युत आपूर्ति में सुधार, स्मारकों का संरक्षण तथा पर्यटक प्रबंध सुविधाएं।

सरकार ने जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ—बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विनिर्दिष्ट बौद्ध परिपथों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए भी दिसंबर, 1988 में एक ऋण समझौता किया है। इसके लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहायता कोष से 7.7 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता की सहमति मिली है। इस परियोजना के मुख्य घटक हैं : राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों का सुदृढ़ीकरण, भू-सुंदरीकरण, जल एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार, मार्गस्थ सुविधाएँ आदि। इस परियोजना के तहत् शामिल स्थल हैं—उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रीवस्ती तथा बिहार में बोधगया, नालंदा, राजगीर तथा वैशाली। परियोजना पूरी हो गई है।

[अनुवाद]

पंचायतों के चुनाव

2621. श्री पवन सिंह घाटोवार :
श्री रामदास आठवले :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में पंचायतों के चुनाव गत तीन वर्षों से नहीं हुए हैं; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों में पंचायतों के चुनाव कराने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) अरुणाचल प्रदेश, बिहार और पांडिचेरी में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से चुनाव कराए गए हैं।

(ख) बिहार और पांडिचेरी द्वारा बनाए गए पंचायती राज अधिनियमों को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है और मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है कि लंबित पड़े याचिकाओं का शीघ्र निपटान कराने के लिए कदम उठाएँ।

अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को राष्ट्रपति मंजूरी नहीं मिली है। चूँकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों से संबंधित स्वदेशी आबादी नहीं है। अतः उस प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने की आवश्यकता से राज्य को छूट देने के लिए संविधान में संशोधन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

पेयजल योजनाएँ

2622. श्रीमती रानी नरह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की तारीख में लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद् (कपार्ट) के यहाँ राज्य-वार कितनी पेयजल परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम को कार्यान्वित करती हैं। केंद्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। राज्यों को अपने-अपने राज्यों में जल आपूर्ति योजना की आयोजना तथा क्रियान्वयन करने के लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। इस प्रकार केंद्रीय स्तर पर योजनावार जानकारियां नहीं रखी जाती हैं।

(घ) कपार्ट द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार आज की तारीख में उसके पास कोई पेयजल परियोजना लंबित नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया जाना

2623. श्री रामानंद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दिहाड़ी पर 120 दिन काम करने के पश्चात् वेतन की मासिक दर पर नैमित्तिक मजदूर रखे जाते हैं। इसके अलावा, 3.9.96 से नैमित्तिक मजदूर रखे जाने पर पूरी तरह से रोक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर तैनात कार्मिक

2624. श्री पी.सी. थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया भारत में कुछ विमानपत्तनों की समस्त उड़ानों का कार्य संचालन कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया को ऐसे कार्य संचालन से लाभ हो रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर ऐसी उड़ानों के संचालन के लिए और कार्मिकों की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में विभिन्न प्रकार के कार्मिकों को भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एअर इंडिया मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, त्रिवेंद्रम, चैन्ने, कोचीन और बंगलौर में अपनी स्वयं की तथा उपभोक्ता एयरलाइंस उड़ानों को हैंडल कर रही है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) विभिन्न श्रेणियों में जनशक्ति आवश्यकताओं को अन्य स्टेशनों से तैनाती, स्वैच्छिक पुनः अवस्थापन/पुनः लगाए जाने तथा इंडियन एयरलाइंस से सेकेंडमेंट द्वारा पूरा किया जा रहा है। अकुशल श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दिहाड़ी श्रमिकों को भी लगाया जाता है।

सशस्त्र बलों में भर्ती

2625. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री राजो सिंह :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997, 1998 तथा 1999 के दौरान सेना के तीनों अंगों में पद-वार भर्ती का राज्य-वार, विशेषकर बिहार, हरियाणा तथा उड़ीसा के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) रक्षा कर्मियों के भर्ती के मानदंडों के विपरीत उक्त राज्यों से उनकी जनसंख्या के अनुपात में जवानों की कम संख्या में भर्ती के क्या कारण हैं;

(ग) सेना के प्रत्येक अंगों में रैंक-वार रिक्तियों का ब्यौरा क्या है, ये किस तारीख से रिक्त हैं तथा अब तक इन पदों के नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सशस्त्र बलों में सभी पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस प्रक्रिया को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (घ) सेना, नौसेना तथा वायुसेना में अधिकारियों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। अफसर रैंक से नीचे रैंक में कार्मिकों की राज्यवार भर्ती सिर्फ सेना में की जाती है जबकि नौसेना तथा वायुसेना में भर्ती अखिल भारतीय योग्यताक्रम के आधार पर की जाती है और इसमें राज्यवार कोटा नहीं है।

विगत 3 वर्षों के दौरान बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में अफसर रैंक से नीचे रैंक में भर्ती संबंधी राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :

राज्य	भर्ती का वर्ष	आबंटित रिक्तियां	वास्तविक भर्ती	कमी/ अधिशेष
बिहार	1996-97	3901	4069	(+) 166
	1997-98	2868	2721	(-) 147
	1998-99	3198	2288	(-) 910
हरियाणा	1996-97	2197	2945	(+) 748
	1997-98	1923	2466	(+) 545
	1998-99	3673	3467	(-) 206
उड़ीसा	1996-97	1373	1294	(-) 79
	1997-98	911	889	(-) 22
	1998-99	805	641	(-) 164

उक्त आँकड़ों से मिश्रित झलक मिलती है। किन्हीं वर्षों में कम भर्ती हुई है जबकि अन्य वर्षों में ज्यादा भर्तियाँ हुई हैं केवल उड़ीसा में हर वर्ष भर्ती में आंशिक कमी आई है। बिहार और उड़ीसा में भर्ती में कमी आने के मुख्य कारण सामान्यतः शैक्षिक, शारीरिक व स्वास्थ्य के स्तर में कमी होना है।

तीनों सेनाओं में अफसर रैंक से नीचे रैंक में रिक्तियाँ नगण्य हैं। सेना में 30.9.99 की स्थिति के अनुसार अफसर रैंक से नीचे रैंक के संवर्ग में लगभग 7555 रिक्तियां थीं। तथापि, लगभग 25920 रंगरूट प्रशिक्षण ले रहे थे, अतः ये रिक्तियाँ केवल काल्पनिक थीं। नौसेना में नौसैनिकों की 5172 रिक्तियाँ हैं। नौसेना में इन रिक्तियों का कारण कठिन चयन प्रक्रिया, कठोर प्रशिक्षण आदि है। नौसैनिकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से नौसेना भर्ती संगठन द्वारा अतिरिक्त प्रचार और भर्ती अभियान चलाए जा रहे हैं। वायुसेना में वर्ष 2000-2001 के लिए लगभग 1300 रिक्तियों का आकलन किया गया है। इन रिक्तियों को भरने में किसी कठिनाई की संभावना नहीं है।

कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक संख्या

2626. डॉ. मंदा जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग यह अनुभव कर रहा है कि इस संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक संख्या उसे महँगी पड़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति की समीक्षा करने और कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के पश्चात आमदनी के प्रतिशत की अपेक्षा बढ़ती हुई कर्मचारी लागत भारतीय रेल के लिए चिंता का विषय है। अतः जनशक्ति लागत पर नियंत्रण रखना न केवल एक अहम चुनौती है अपितु संगठन की वित्तीय क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लेना अपेक्षित है।

बहरहाल, पाँचवें वेतन आयोग का प्रभाव पड़ने से पहले ही रेलों ने संख्या और कुशलता दोनों की दृष्टि से अपनी जनशक्ति के विनियमन के लिए कार्य योजना तैयार कर ली थी ताकि प्रणाली को यथासंभव अधिकतम उत्पादक तरीके से निर्मित/अनुरक्षित तथा परिचालित किया जा सके।

इस संबंध में वर्तमान उपायों में सभी स्तरों पर जनशक्ति को विनियमित करना और आंतरिक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी उत्पादकता की तुलना करना शामिल है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

2627. श्री लक्ष्मण सिंह :
श्री राजो सिंह :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के तहत राज्य-वार कितने ब्लाक शामिल किए गए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) नौवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के तहत और कितने ब्लाकों के शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) केंद्रीय प्रायोजित योजना—समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान शामिल किए गए कुल ब्लाकों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97 से 1998-99 में कुल 19.53 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

(ग) और (घ) जी हाँ। नौवीं योजना अवधि के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक दो सौ और ब्लॉकों को शामिल किया गया है, जिनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। नौवीं योजना के लिए मध्य-अवधि मूल्यांकन में नौवीं योजना की बची हुई अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को और ब्लाकों में विस्तारित करने की बजाय, पहले से ही शामिल किए गए ब्लाकों में इस कार्यक्रम को और तेज करने पर बल दिया गया है।

विवरण-I

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान शामिल किए गए कुल ब्लॉकों की राज्यवार सूचना

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शामिल किए गए ब्लॉकों की संख्या	
	1996-97	1997-98 एवं 1998-99
1	2	3
आंध्र प्रदेश	32	32
अरुणाचल प्रदेश	10	10
असम	19	21
बिहार	16	56
गोवा	5	5
गुजरात	25	25
हरियाणा	29	38
हिमाचल प्रदेश	41	45
जम्मू व कश्मीर	16	28
कर्नाटक	31	42
केरल	44	44
मध्य प्रदेश	61	85

1	2	3
महाराष्ट्र	37	37
मणिपुर	12	19
मेघालय	15	16
मिजोरम	9	11
नागालैंड	6	25
उड़ीसा	16	45
पंजाब	35	40
राजस्थान	32	36
सिक्किम	4	4
तमिलनाडु	21	21
त्रिपुरा	6	6
उत्तर प्रदेश	88	115
पश्चिम बंगाल	30	34
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	5
चंडीगढ़	1	1
दादर व नागर हवेली	1	1
दमन व दीव	1	1
दिल्ली	5	5
लक्षद्वीप	1	1
पांडिचेरी	6	6
कुल योग	660	860

विवरण-II

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1997-98 में शामिल किए गए राज्यवार अतिरिक्त ब्लॉक और वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में जारी रखे गए ब्लॉक

राज्य	शामिल किए गए अतिरिक्त ब्लॉक
1	2
असम	2
बिहार	40
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू व कश्मीर	12
कर्नाटक	11
मध्य प्रदेश	24
मणिपुर	7
मेघालय	1
मिजोरम	2
नागालैंड	19
उड़ीसा	29
पंजाब	5
राजस्थान	4
उत्तर प्रदेश	27
पश्चिम बंगाल	4
कुल	200

[हिन्दी]

गेहूं और चावल की आर्थिक कीमतें

2628. श्री अजीत सिंह :
डॉ. सुशील कुमार इंदौरा :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की गेहूँ और चावल की आर्थिक कीमतें वर्ष 1998-99 में बढ़कर क्रमशः 808 और 980.4 रुपए प्रति क्विंटल हो गई हैं;

(ख) क्या यह कीमतें मूल खरीद मूल्यों से बहुत अधिक हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निगम के कार्यकरण में परिवर्तन करने पर विचार किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) 1998-99 की बजट अनुमान अवस्था और संशोधित अनुमान अवस्था पर भारतीय खाद्य निगम के लिए गेहूँ और चावल की आर्थिक मूल्य/लागत निम्नानुसार थी :

	गेहूँ (1998-99)		चावल (1998-99)	
	बजट अनु.	संशोधित अनु.	बजट अनु.	संशोधित अनु.
1	2	3	4	5
अनाज की एकीकृत लागत	469.67	517.05	731.28	743.98

1	2	3	4	5
वसूली प्रासंगिक खर्चे	111.00	115.48	65.50	65.50
अग्रेषण प्रभार	23.60	20.52	—	—
वितरण लागत	154.90	154.90	170.88	170.88
आर्थिक लागत	759.17	807.95	967.66	980.36

(घ) से (च) स्थानीय कर भंडारण, ढुलाई, मार्गस्थ/भंडारण हानियों के उच्च प्रासंगिक खर्च जो अंततः भारतीय खाद्य निगम के आर्थिक मूल्य/लागत को बढ़ाते हैं उन्हें नियंत्रित/कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वसूली केंद्रों को देश के विभिन्न भागों में स्थापित करके स्थानीय वसूली को अधिकतम करके वसूली प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए। इस योजना के अधीन नामित राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण करने के साथ-साथ केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार खाद्यान्नों का निर्गम भी करेंगे। राज्य सरकार की आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अंतर की अदायगी राज्य सरकार को सब्सिडी के रूप में की जाती है। खरीफ विपणन मौसम 1997-98 के दौरान पश्चिम बंगाल में इस योजना के अधीन चावल की वसूली की गई थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह योजना गेहूँ के लिए रबी विपणन मौसम 1999-2000 से आरंभ हुई थी। अन्य राज्य या तो इसके पक्ष में नहीं हैं अथवा उन्होंने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है।

[अनुवाद]

अवक्रमित भूमि

2629. श्री राजैया मल्याला : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि के अवक्रमण को रोकने हेतु कोई कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कुल कितनी भूमि राज्य-वार अवक्रमित हो गई है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हाँ। कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग, अपनी योजना स्कीमों नामशः नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण वाले क्षेत्र में भू-संरक्षण, पूर्वोत्तर राज्यों के झूम खेती वाले क्षेत्रों में वाटरशेड विकास परियोजना और क्षारीय मृदा वाली भूमि का सुधार के द्वारा अवक्रमित भूमि के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग भी देश में वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए एक समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम क्रियान्वित कर रहा है।

(ग) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, द्वारा किए गए अवक्रमित क्षेत्र के राज्य-वार आकलन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित योजनाओं के तहत नौवीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा भारत में अवक्रमित भूमि का आकलन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अवक्रमित भूमि (क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	122.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	26.54
3.	असम	29.99
4.	बिहार	62.52
5.	गोवा	2.00
6.	गुजरात	125.86
7.	हरियाणा	41.62
8.	हिमाचल प्रदेश	19.14
9.	जम्मू और कश्मीर	8.93
10.	कर्नाटक	114.03
11.	केरल	19.35
12.	मध्य प्रदेश	207.17
13.	महाराष्ट्र	198.46
14.	मणिपुर	7.34
15.	मेघालय	11.02
16.	मिजोरम	6.10
17.	नागालैंड	10.38
18.	उड़ीसा	780.30
19.	पंजाब	32.30
20.	राजस्थान	373.94
21.	सिक्किम	3.03
22.	तमिलनाडु	38.22
23.	त्रिपुरा	2.79
24.	उत्तर प्रदेश	131.15
25.	पश्चिम बंगाल	43.03
26.	संघ राज्य क्षेत्र	3.50
27.	तटीय रेतीला क्षेत्र	14.65
	योग	1736.40

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों (1997-98 और 1998-99) के दौरान राज्य-वार जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2524.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	359.00
3.	असम	262.92
4.	बिहार	29.77
5.	कांपार्ट	250.00
6.	गुजरात	1412.09
7.	हरियाणा	472.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1958.22
9.	जम्मू और कश्मीर	1327.68
10.	कर्नाटक	2978.71
11.	केरल	180.59
12.	महाराष्ट्र	1904.78
13.	मणिपुर	840.62
14.	मध्य प्रदेश	4019.41
15.	मिजोरम	740.00
16.	मेघालय	280.00
17.	नागालैंड	1385.81
18.	उड़ीसा	790.49
19.	पंजाब	492.16
20.	राजस्थान	3623.85
21.	सिक्किम	395.56
22.	तमिलनाडु	1620.97
23.	त्रिपुरा	376.31
24.	उत्तर प्रदेश	6795.50
25.	पश्चिम बंगाल	78.83
26.	दामोदर घाटी निगम	1633.42
27.	संघ राज्य क्षेत्र	0.00
	योग	36,673.61

इंडियन एयरलाइंस में सेवानिवृत्ति आयु

2630. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से घटाकर 58 वर्ष करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी हाँ। इंडियन एयरलाइंस विमान के कर्मचारी अनुपात में सुधार करने तथा बचत को प्रभावित करने की दृष्टि से सेवा निवृत्ति की आयु को 60 से घटाकर 58 वर्ष करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

शुल्क मुक्त दुकानें

2631. डॉ. एस. जगतरक्षकन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विमानपत्तन हैं जहाँ वर्तमान में आई.टी.डी.सी. की शुल्क मुक्त दुकानें काम कर रही हैं;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुछ विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें स्थापित करने का हाल ही में प्रस्ताव किया है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने बोलीदाताओं ने इस प्रयोजनार्थ आवेदन किया है, तथा किन शर्तों पर;

(घ) क्या आई.टी.डी.सी. को वरीयता दी जाएगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) की शुल्क मुक्त दुकानें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नै, तिरुवनंतपुरम तथा गोवा विमानपत्तनों पर कार्य कर रही हैं।

(ख) जनवरी, मार्च 1999 के दौरान, भा.वि.प्रा. ने पाँच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों (दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नै तथा तिरुवनंतपुरम) तथा छः घरेलू विमानपत्तनों (अहमदाबाद, बेंगलूर, कालीकट, हैदराबाद, वाराणसी तथा गोवा) पर निम्नलिखित ग्रुपों के अनुसार शुल्क मुक्त दुकानों के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी :

ग्रुप-1 पाँच अंतर्राष्ट्रीय तथा छह घरेलू विमानपत्तनों पर 1992.22 वर्ग मीटर क्षेत्र की जगह

ग्रुप-2 केवल पाँच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर 1660.64 वर्ग मीटर क्षेत्र की जगह

ग्रुप-3 छः घरेलू विमानपत्तनों पर 331.58 वर्ग मीटर क्षेत्र की जगह

(ग) से (ङ) मैं. भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), मैं. वेटनॉयर होल्डिंग लिमिटेड, स्वीटजरलैंड व मैं. ब्रेको होल्डिंग, यूके ने निविदाओं के लिए आवेदन किया था और उन्होंने भा.वि.प्रा. को देय स्थान लाईसेंस शुल्क तथा रायल्टी के प्रति अपनी बोलियां पेश की थी। चूंकि किसी भी बोलीकर्ता ने न्यूनतम रिज़र्व मूल्य की बोली पेश नहीं की थी, इसलिए इसके लिए फिर से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

रेलगाड़ियों के साथ भोजन-यान

2632. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे की केरल जाने वाली सभी लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में खान-पान यान की व्यवस्था शुरू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोंकण रेलवे की शेष सभी लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में कब तक खान-पान यान की व्यवस्था शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। 2619/2620 कुर्ला-मंगलोर मत्स्यगंधा एक्सप्रेस को छोड़कर कोंकण रेलवे पर केरल की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों में पेंट्रीकार की व्यवस्था की गई है।

(ग) भारतीय रेलों पर कोंकण रेलवे सहित शेष सभी लंबी दूरी की गाड़ियों में पेंट्रीकारों की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि माँग हो, कोचिंग स्टॉक उपलब्ध हो और परिचालनिक कठिनाई न हो।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें

2633. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 के दौरान इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आई.सी. 133 मुंबई-अहमदाबाद-इंदौर-भोपाल-कलकत्ता क्षेत्र मार्ग पर चालू थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके बंद किए जाने के क्या का... हैं; और

(ग) इसे कब तक पुनः शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस उड़ान को प्रचालन कर्मीदल की कमी तथा वाणिज्यिक प्रतिबद्धताओं की वजह से बंद कर दिया गया था।

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइंस की इस विमान सेवा को पुनः शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

फिजूलखर्ची पर रोक

2634. डॉ. सुशील कुमार इंदौरा :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल विभाग में धन की बर्बादी और फिजूलखर्ची को रोकने हेतु कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या धन की बर्बादी और फिजूलखर्ची के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो गैर-योजनागत व्यय में से अनुमानतः फिजूल खर्च की अनुमानित प्रतिशतता कितनी है;

(घ) जिस आधार पर ये अनुमान लगाए गए हैं उनके मानदंड और दिशानिर्देश क्या हैं और इसके परिणामस्वरूप वार्षिक तौर पर कितनी लक्षित धनराशि बचाए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस फिजूल खर्च को रोकने के लिए क्या अनुदेश दिए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) रेलों ने गैर-योजना खर्च में कटौती करने के लिए कुछ उपाय किए हैं जिसमें डीजल मूल्यों में वृद्धि कुछ राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कर्षण पावर दरों के संशोधन वर्कशाप कर्मचारियों के कतिपय भत्तों एवं प्रोत्साहन बोनस की दरों में संशोधन, प्रारंभिक अनुमानों से अधिक पेंशन प्रभारों आदि के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। गैर-योजना के अन्य क्षेत्रों यथा ईंधन तथा बिजली खपत, संविदागत भुगतान, सामग्रियों की खरीद, समायोपरि भत्ता आदि में खर्च पर कड़ा नियंत्रण करके इन वृद्धियों को काफी हद तक पूरा किया जा रहा है। आतिथ्य सत्कार, विज्ञापन, उद्घाटन समारोहों, सेमिनारों और वर्कशॉपों, कार्यालय संबंधी आकस्मिक खर्च, यात्रा आदि जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता तथा किफायत संबंधी उपाय भी लागू किए जा रहे हैं। काम-काज के जिन कुछ अन्य पहलुओं पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है वे हैं—जनशक्ति का उत्पादकीय उपयोग, वस्तुसूची प्रबंधन में सुधार आदि परिचालन के विभिन्न स्तरों पर, खर्च पर नियंत्रण और मितव्ययिता तथा किफायत संबंधी अनुदेशों से यह संभावना है कि कोई परिहार्य खर्च नहीं होगा।

सेना में वर्दियों का वजन

2635. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय सशस्त्र सैनिक की वर्दी (किट सहित) का वजन विकसित राष्ट्र के सैनिकों की वर्दियों के वजन की अपेक्षा ज्यादा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी वर्दी में बदलाव लाए जाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) विकसित देशों के सैनिकों की वर्दियों से भारतीय सैनिक की वर्दी (पूरी किट सहित) के भार का तुलनात्मक आकलन नहीं किया गया है। तथापि, पश्चिमी देशों के सैनिकों की वर्दियाँ हल्की होने की संभावना है, क्योंकि भारतीय सैनिक की वर्दी, कॉटन/कैनवास की बनाई जाती है, की तुलना में वे मिश्रित सिंथेटिक सामग्रियों की बनी हुई होती हैं।

भारतीय सैनिकों की वर्दी में निरंतर सुधार किया जा रहा है। प्रथम चरण में समस्त इन्फैंट्री के लिए पहले से ही नौ मदों वाली एक उन्नत कम्बैट किट का इस्तेमाल शुरू किया जा चुका है। व्यक्तिगत पहनावे की पाँच और मदों की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया है। अत्यधिक ठंड में पहने जाने वाले बेहतर गुणवत्ता के आठ नए वस्त्रों का विकास किया गया है। भार में हल्का तथा गुणवत्ता में बेहतर होने के अलावा ये वस्त्र सैनिकों को अधिक गर्म रखेंगे।

[अनुवाद]

मुंबई उपनगरीय रेल का दहानू रोड स्टेशन तक विस्तार

2636. श्री चिंतामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई उपनगरीय रेल का दहानू रोड स्टेशन तक विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को मुंबई उपनगरीय रेल का बोर्ड रोड स्टेशन तक विस्तार करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) मुंबई उपनगरीय खंड का दिसंबर, 1995 से दहानू रोड स्टेशन तक विस्तार कर दिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर

2637. श्री रामचंद्र वीरप्पा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने संबंधी योजनाएं भेज दी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (घ) पर्यटन के विकास से लोगों तथा युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान इस क्षेत्र में 9.8 मिलियन लोगों को सीधे रोजगार मिला जो कुल श्रम शक्ति का लगभग 2.4 प्रतिशत है। राज्य सरकारें अपनी-अपनी राज्यों की पर्यटक अवसंरचना के विकास संबंधी परियोजनाएँ/योजनाएँ केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत करती हैं।

[हिन्दी]

रतलाम-इंदौर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2638. श्री कांति लाल भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम-इंदौर रेल लाइन के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आगे क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जोनल रेल द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः तैयार की जा रही है क्योंकि रतलाम-इंदौर-खंडवा-पुर्णा छोटी लाइन के समस्त मार्ग का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने पर विचार करना पड़ेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

2639. श्री बी.एस. शिवकुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया की उन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है जो नवंबर 1998 के पहले तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से प्रति सप्ताह उड़ानें भरती थी;

(ख) क्या तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरने वाली एअर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नवंबर, 1998 से अक्टूबर, 1999 की अवधि के बीच रद्द कर दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) नवंबर, 1998 से पूर्व एअर इंडिया तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से होकर प्रति सप्ताह 23 उड़ानें प्रचालित कर रही थी जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(1) एअर इंडिया के स्वयं के विमानों से 16 उड़ानें।

(2) संयुक्त रूप से कुवैत एयरवेज से 4 उड़ानें और गल्फ एयर से 3 उड़ानें।

(ख) और (ग) कोई भी उड़ान रद्द नहीं की गई है। तथापि, 3 उड़ानें कोझिकोड़े में और 7 उड़ाने कोच्चि में शिफ्ट की गई थी। इन उड़ानों को वाणिज्यिक तथा प्रचालनात्मक कारणों से शिफ्ट किया गया था।

पर्यटन को निर्यात उद्योग का दर्जा

2640. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन उद्योग को निर्यात उद्योग का दर्जा दिए जाने के मामले की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले तीन वर्षों में पर्यटन उद्योग का विकास संबंधी अनुमान क्या होगा; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक पर्यटन उद्योग द्वारा वर्ष-वार/राज्य-वार कितनी मुद्रा अर्जित की गई?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पर्यटन को निर्यात गृह का दर्जा दिया है। ऐसी पर्यटन इकाइयां जो निर्यात गृह/व्यापार गृह/सितारा व्यापार गृह/सुपर सितारा व्यापार गृह के दर्जे की हकदार हैं वे वाणिज्य मंत्रालय की कार्यपद्धति पुस्तिका (खंड 1) के अध्याय 12 में निर्दिष्ट लाभ के हकदार हैं।

(ग) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु पर्यटन पर गठित कार्य दल ने वर्ष 2002 तक पर्यटक आगमन में 8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

(घ) पिछले तीन वर्ष तथा नवंबर, 1999 तक अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार है :

वर्ष	रुपए करोड़ों में
1996	9919.96
1997	10725.64
1998	11540.25
नवंबर, 1999 तक	11148.29 (अन.)

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय

2641. डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पत्रकारों को रियायती रेल पास

2642. डॉ. चरणदास महंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला स्तर के मान्यताप्राप्त पत्रकारों को रियायती रेल पास जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार/राज्य-वार कितने पत्रकारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है;

(ग) क्या इस योजना का तहसील स्तर तक विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जिला मुख्यालय के मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाताओं को सदाशयी प्रेस कार्य के लिए प्रतिवर्ष 30,000 कि.मी. तक की यात्रा के लिए 50% रियायत पर कूपन बुक जारी की जाती है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़क-उपरि पुलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव

2643. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को सड़क-उपरि पुलों के निर्माण हेतु नए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। चालू वर्ष के दौरान ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जवाहर नगर आयुध कारखाने में मृतकों के आश्रितों को रोजगार

2644. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-1996 के दौरान जवाहर नगर, भंडारा स्थित आयुध कारखाने में अनुकंपा के आधार पर पृथकतः कितने मामलों में मृतक कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराया गया/उपलब्ध नहीं कराया गया;

(ख) कई मृतक कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आयुध कारखाने में 1984 से भर्ती पर रोक लगा दी गई है और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मृतक कर्मचारियों के बच्चों के लिए रोजगार और छंटनी किए गए कर्मचारियों का सड़क पर न आना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिए जाने की योजना का उद्देश्य सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या बीमारी के आधार पर उसके सेवानिवृत्त होने पर उसके परिवार के अभावग्रस्त हो जाने एवं आजीविका का सहारा न रह जाने की स्थिति में संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक तंगी से राहत दिलाने व आपात संकट से उबरने में मदद देने हेतु उसके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रोज़गार देना है।

1994 से 1996 के दौरान निर्माणी के दिवंगत कर्मचारियों के 48 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया था। 84 मामलों में खेद व्यक्त किया गया, क्योंकि वे इस संबंध में निर्धारित पात्रता के मानदंड पूरे नहीं करते थे।

आयुध निर्माणियों में कार्य की आवश्यकता के आधार पर लोगों की नई भर्ती की जा रही है। कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गई है। दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।

[अनुवाद]

काकीनाडा-कोटिपल्ली रेल लाइन की बहाली

2645. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "काकीनाडा-कोटिपल्ली" रेल लाइन को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बहाली कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) काकीनाडा-कोटिपल्ली की पुनः बहाली का कार्य एक अनुमोदित कार्य है जिसे आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। बहरहाल, स्वीकृति प्राप्त होने से पहले राज्य सरकार को उखाड़ी गई लाइन से विनिर्मुक्त हुई भूमि के बदले भूमि सुपुर्द करनी है जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्माण कर दिया गया है।

(ग) रेलों को भूमि प्राप्त होने तथा अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में इसे पूरा करने में प्रगति की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कंटेनर निगम द्वारा ठेका मजदूरों को काम पर लगाया जाना

2646. श्री विकास चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय कंटेनर निगम द्वारा ठेका मजदूरों को गैर-कानूनी रूप से काम पर लगाने की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कंटेनर निगम ठेकेदारों के उपयोग के लिए पूँजीगत उपकरणों की खरीद के लिए वित्त की व्यवस्था कर रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार का वित्तपोषण नियमानुसार है;

(ङ) यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है;

(च) क्या यह सच है कि निगम द्वारा काम पर लगाया गया एक ऐसा ठेकेदार मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष एक मामले में दोषी है; और

(छ) यदि हाँ, तो ऐसे ठेकेदार को काम पर लगाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कॉनकोर) की जानकारी में ठेकेदार के श्रमिकों को गैर कानूनी ढंग से रखने का कोई मामला नहीं है। बहरहाल, ठेका श्रम (विनियमन और समापन) अधिनियम 1970 के उल्लंघन के लिए कुछ मामले उच्च न्यायालय में दायर किए गए हैं और मामला न्यायाधीन हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) कनकोर को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध

2647. श्री रामचंद्र बैंदा : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने 1.12.99 से 31.1.2000 तक सभी किस्म की एक लाख मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। प्याज का निर्यात करने की यह अनुमति विभिन्न केंद्रीय और राज्य सहकारी एजेंसियों को दी गई है। प्याज के निर्यात की अनुमति देने का यह निर्णय देश में प्याज की खरीफ फसल अधिक होने और प्याज के मौजूदा उपयुक्त मूल्य स्तर को ध्यान में रखकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है।

सिगनल कोर के कार्मिकों को वार्षिक वेतनवृद्धि

2648. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल कोर के कई कार्मिकों को पिछले कई वर्षों से वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जबलपुर स्थित सिगनल कोर मुख्यालय को प्रभावित व्यक्तियों से इस संबंध में बार-बार अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन्हें बिना विलंब वार्षिक वेतनवृद्धि और वेतन संशोधन संबंधी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यात्री सुविधा समिति

2649. श्री दिनशा पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में यात्री सुविधा समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके कार्य क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) समिति के गठन में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i)	डॉ. विक्रम सरकार	-	अध्यक्ष
(ii)	श्री एम. डब्ल्यू हक	-	सदस्य
(iii)	श्रीमती माया सिंह	-	सदस्य
(iv)	श्री निमई भट्टाचार्य	-	सदस्य
(v)	श्री लक्ष्मण झा	-	सदस्य
(vi)	श्रीमती कल्याणी शंकर	-	सदस्य

निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस समिति के मुख्य कार्य रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में मुहैया कराई गई यात्री सुविधाओं की जाँच करना है :

(क) आम सफाई और पर्यावरण संबंधी स्थिति।

(ख) पीने योग्य पानी की व्यवस्था।

(ग) यात्रियों को सूचना के संप्रेषण हेतु मुहैया कराई गई सुविधाएँ यथा पूछताछ कार्यालय, जन उद्घोषणा प्रणाली, संसूचक बोर्ड आदि।

(घ) प्रकाश पंखे और बिजली संबंधी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था।

(ङ) जन शौचालय, स्नानघर, विश्रामकक्ष और प्रतीक्षालय जैसी जन सुविधाओं की व्यवस्था और अनुरक्षण।

(च) प्लेटफार्मों पर बेंच, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, लागेज ट्राली आदि सुविधाओं की व्यवस्था।

(छ) यात्रियों के लिए आरक्षण और बुकिंग।

(ज) डिब्बों और स्टेशन परिसरों में यात्रियों की सुरक्षा।

(झ) रेलवे राजस्व की हानि।

(ञ) यात्रियों के प्रति शिष्ट व्यवहार सुनिश्चित करना।

(ग) रेलों पर यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के लिए यह समिति आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती है।

[हिन्दी]

रेलवे के संबंध में आश्वासन

2650. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने 10 अगस्त, 1998 के पत्र संख्या 98/एम.ओ.एस./(आर)/कांस (आर)/38/वाल्यूम-V में पनवेल स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों में आरक्षित कोटा, ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन, सड़क ऊपरी पुल का निर्माण करने और थाल एवं उरान के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू करने संबंधी कतिपय आश्वासन दिए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये सभी आश्वासन पूरे कर दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन आश्वासनों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और सभी आश्वासनों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) मुंबई यात्री आरक्षण प्रणाली पर शुरू होने वाली गाड़ी के संपूर्ण आरक्षण की सुलभता देते हुए पनवेल में आरक्षण कार्य को 10.8.1999 से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, जहाँ तक 2431/2432 राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों का संबंध है, आरक्षित स्थान को सीमित उपलब्धता और मौजूदा कोटाधारी स्टेशनों पर कोटे के पूरे उपयोग के कारण मौजूदा कोटे में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं है। जहाँ तक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का संबंध है, राष्ट्रीय राजमार्ग-4 बी से राष्ट्रीय राजमार्ग-4 को जोड़ते हुए सिडको द्वारा अस्थायी डायवर्जन कर दिया गया है और 23.6.1998 को यातायात के लिए खोल दिया गया है और समपार राष्ट्रीय राजमार्ग-4 बी को बंद कर दिया गया ताकि 26.8.1998 से गाड़ी सेवाएं बहाल की जा सकें। राष्ट्रीय राजमार्ग-4 बी पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य सिडको द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक थाल और उरान के लिए गाड़ी सेवा का संबंध है, पनवेल-उरान खंड यात्री यातायात के उपयुक्त नहीं है। थाल एक निजी माल साइडिंग है। अतः यात्री सेवाएँ चलाना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

2651. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हाँ। प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ दल और 27.11.98 को आयोजित मुख्य-मंत्रियों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित अधिकारियों के दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1999 को 5.2.99 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। लोक सभा के भंग हो जाने पर यह विधेयक व्यपगत हो गया। विधेयक को पुनः पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों में जुर्माने और कारावास में पर्याप्त वृद्धि करना, पहली बार किए गए छोटे-मोटे अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाना, प्रवेश, तलाशी और जब्ती के लिए ऐसे अधिकारी की पूर्वानुमति लेना जो एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से निचले स्तर का न हो, गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाना जिसका स्तर पुलिस उप निरीक्षक से कम न हो, जब्त की गई वस्तुओं की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करना, वास्तविक स्टॉक और रिकार्ड किए गए स्टॉक के लिए मार्जिन की अनुमति देने का प्रावधान करना, जब्ती के खिलाफ अपील राज्य सरकार के पास करना और आवश्यक वस्तुओं की सूची में से "आटोमोबाइल्स के घटक पुर्जे और सहायक कलपुर्जे" मद को हटाना शामिल है।

[हिन्दी]

"कापार्ट" द्वारा आबंटित धनराशि का दुरुपयोग

2652. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/जनजातियों वाले क्षेत्रों में, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (कापार्ट) द्वारा आबंटित धनराशि के दुरुपयोग से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) और (ख) कपार्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य रूप से स्वैच्छिक संगठनों को आबंटित निधियों के दुरुपयोग के संबंध में इसको अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परिषद की केवल अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के लिए कोई योजनाएँ नहीं हैं। फिर भी इसकी सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार उन्नीस गैर-सरकारी संगठनों को 'आगे सहायता बंद' श्रेणी में रख दिया गया है और कपार्ट द्वारा जाँच और छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विवरण

वर्ष	क्रम सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम
1996-97	1.	मानव कल्याण संस्थान, इस्माइलगंज (उ.प्र.)
	2.	सोसल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एक्शन, चुंगी गाँव पोस्ट तेगाकोट जिला डिब्रूगढ़, असम
	3.	तेंकाघाट आंचलिक महिला समिति, चुंगीगाँव, पो. तेंकाघाट जिला डिब्रूगढ़, असम
	4.	अशोक विद्या मंदिर समिति, मुरेना म.प्र.
	5.	सेल्फ एम्प्लाएड वूमन एसोसियशन, गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
	6.	खुग वैली वूमन वेलफेयर एजेंसी, मुबालवई फेई, पो. चुरचंद्रपुर, मणिपुर
1997-98	7.	रत्नचित्र, पोस्ट सत्संघ, पुरी, उड़ीसा
	8.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान, फतेहपुरी, वैशाली, बिहार
	9.	सिवलीपुर, उद्यान क्लब, ग्राम. सिवलीपुर पो. पश्चिम बंगाल जिला मिदनापुर
	10.	विलेज इंप्रूवमेंट सर्विस एसोसिएशन, सेरिकावचन, पो. इंडल जिला टी.एस. (तमिलनाडु)
	11.	सुंदर वन गांधी सोसाइटी, ग्राम. मथुरामंडा, पोस्ट अमलामते, जिला 24 परगना (द.) पं. बंगाल
	12.	फाउंडेशन फार एनवायरमेंट एंड इकॉनामिक सर्विस जी जाम विल्डिंग चाफाद ऐवन्यू, इम्फाल, मणिपुर
	13.	सैम्परमैना वूमन सोसाइटी, ग्रा. सैम्परमैना, सदर हिल्स, मणिपुर
	14.	विवेकानंद ग्राम्य विकास केंद्र हिंदल रोड, धेनकानाल, उड़ीसा
	15.	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान, शाहजहाँपुर, फतुवा, जिला पटना, बिहार
1998-99	16.	रूरल डेवलपमेंट एंड पीस फाउंडेशन, 93 सेंट मैरी रोड, अविरामपुरम, मद्रास
	17.	मिजोरम बुद्धिस्ट डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तब्ला बारा, जिला लुंगली मिजोरम
	18.	राजारामपुर ग्राम उन्नयन समिति, ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस उत्तर राजारामपुरम, जिला साउथ, 24 परगना, पश्चिम बंगाल
	19.	स्टडी एंड एक्शन फार कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट, पोस्ट ऑफिस बॉक्स सं. 26, दीमापुर, नागालैंड।

बिलासपुर रेलवे जोन

2653. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलासपुर रेलवे जोन को स्थापित करने के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित और चालू किए जाने की संभावना है तथा इसका विस्तृत क्षेत्राधिकार सहित ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जोन की प्रगति चरणबद्ध आधार पर चल रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है और इसके लिए 30.00 लाख रुपए की राशि जमा करा दी गई है।

(ख) बिलासपुर जोन के गठन के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान बजट में 3.0 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) बिलासपुर जोन के क्षेत्राधिकार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जोन के स्थापित होने और कार्य शुरू करने के बारे में कोई समय-सीमा बताना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण और दोहरीकरण

2654. श्री. ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक रा. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम चल रहा है;

(ख) इन रेल मार्गों पर किस तारीख से काम शुरू किया गया था और अभी तक कितना काम किया जा चुका है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

मुंबई में रेलवे की भूमि पर गंदी बस्तियां

2655. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई में रेलवे की भूमि पर जगह-जगह बसी गंदी बस्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ग) क्या शेष बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित मामला अभी मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) मुंबई में रेलवे भूमि पर विभिन्न स्थानों पर 54,000 झुग्गी-झोपड़ियां स्थित हैं।

(ख) इन झुग्गीवासियों को रेलवे द्वारा कोई भी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं क्योंकि इन्होंने रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न की खपत

2656. श्री अधीर चौधरी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान देश में पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में, खाद्यान्न की राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत कितनी है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : देश में उपभोग के रूप में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता जो 1998 में 164.5 (किलोग्राम/वर्ष) थी उसके 1999 में बढ़कर 170.06 (किलोग्राम/वर्ष) हो जाने की आशा है। खाद्यान्नों की प्रति-व्यक्ति निवल उपलब्धता राज्य-वार आधार पर समेकित नहीं की जा रही है।

भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता

(किलोग्राम प्रति वर्ष)

(9.12.99 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	चावल	गेहूँ	अन्य अनाज	अनाज	चना	दालें	खाद्यान्न	पंचवर्षीय योजनाओं का औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1951	58.0	24.0	40.0	122.0	8.2	22.1	144.1	
1956	68.7	22.5	40.7	131.9	10.6	25.7	157.6	155.6 (I)(1951-56)
1961	73.4	28.9	43.6	145.9	11.0	25.2	171.1	163.8(II)(1956-61)
1966	59.1	34.8	37.5	131.4	6.7	17.6	149.0	164.0(III)(1961-66)
1971	70.3	37.8	44.3	152.4	7.3	18.7	171.1	165.3(IV)(1969-74)
1976	68.5	29.1	39.2	136.8	7.4	18.5	155.3	161.0(V)(1974-79)
1981	72.2	47.3	32.8	152.3	4.9	13.7	166.0	
1982	70.5	46.7	34.6	151.8	5.1	14.3	166.1	
1983	62.0	52.7	30.4	145.1	5.7	14.4	159.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1984	72.2	51.4	36.1	159.7	5.0	15.5	175.0	
1985	68.9	50.6	32.1	151.6	4.7	13.9	165.5	166.4(VI)(1980-85)
[illegible]	77.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.9	16.0	174.3	
[illegible]	[illegible]	57.6	[illegible]	[illegible]	4.5	13.3	172.0	
[illegible]	68.7	56.3	25.1	150.1	3.5	13.3	163.4	
1989	78.5	57.0	29.3	164.8	4.9	15.3	180.1	
1990	77.4	48.4	31.7	157.5	3.9	15.0	172.5	172.3(VII)(1985-90)
1991	80.9	60.0	29.2	171.0	4.9	15.2	186.2	
1992	79.2	57.9	21.5	158.6	3.7	12.5	171.1	
1993	73.4	51.2	31.6	156.2	3.9	13.2	169.4	
1994	75.7	58.2	24.5	158.4	4.3	13.6	172.0	
1995	80.8	63.4	23.9	168.1	5.5	13.9	182.0	
1996	75.4	64.9	22.9	163.2	4.2	12.1	175.3	
1997	79.1	66.2	26.9	172.2	4.6	13.7	185.9	176.9(VIII)(1992-97)
1998(अ)	73.4	55.3	23.7	152.4	4.9	12.1	164.5	
1999(अ)	73.8	56.9	25.8	156.5	5.2	14.1	170.6	

अ. अनंतिम

टिप्पणी— प्रति व्यक्ति उपलब्धता के संबंध में ऊपर दिए गए आंकड़े देश में खपत के वास्तविक स्तर को कड़ाई से नहीं दर्शाते हैं, विशेष रूप से इसलिए कि इनमें व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के पास रखे स्टाक में किसी प्रकार के परिवर्तन को हिसाब में नहीं लिया गया है।

प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता की गणना करने के लिए 1981 से 1994 तक के निवल आयात के आँकड़े केवल भारत सरकार के खाते पर किए गए आयात और निर्यात पर आधारित हैं। 1995 और उसके बाद निवल आयात कुल निर्यात और आयात (सरकारी और प्राइवेट खाते पर) हैं।

भारत में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता

(09.12.99 की स्थिति के अनुसार)

(ग्राम प्रति दिन)

वर्ष	चावल	गेहूँ	अन्य अनाज	अनाज	चना	दालें	खाद्यान्न	पंचवर्षीय योजनाओं का औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1951	158.9	65.7	109.6	334.2	22.5	60.7	394.9	
1956	187.7	61.5	111.2	360.4	29.0	70.3	430.7	425.9(I)(1951-56)
1961	201.1	79.1	119.5	399.7	30.2	69.0	468.7	448.5(II)(1956-61)
1966	161.9	95.4	102.6	359.9	18.3	48.2	408.1	449.0(III)(1961-66)
1971	192.6	103.6	121.4	417.6	20.0	51.2	468.8	452.5(IV)(1969-74)
1976	187.2	79.5	107.4	373.8	20.2	50.5	424.3	440.8(V)(1974-79)
1981	197.8	129.6	89.9	417.3	13.4	37.5	454.8	
1982	193.2	127.9	94.8	415.9	14.0	39.2	455.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1983	169.8	144.4	83.3	397.5	15.6	39.5	437.0	
1984	197.8	140.8	98.9	437.5	13.7	41.9	479.4	
1985	188.8	138.6	87.9	415.3	12.9	38.1	453.4	466.9(VI)(1980-85)
1986	212.0	151.0	70.7	433.7	16.2	43.8	477.5	
1987	206.0	157.8	71.0	434.8	12.3	36.4	471.2	
1988	188.2	154.2	68.8	411.2	9.6	36.4	447.6	
1989	215.0	156.2	80.3	451.5	13.4	41.9	493.4	
1990	212.1	132.6	86.8	431.5	10.7	41.1	472.6	472.5(VII)(1985-90)
1991	221.7	166.8	80.0	468.5	13.4	41.6	510.1	
1992	217.0	158.6	58.9	434.5	10.1	34.3	468.8	
1993	201.1	140.2	86.6	427.9	10.7	36.2	464.1	
1994	207.4	159.5	67.1	434.0	11.8	37.2	471.2	
1995	221.4	173.8	65.4	460.6	15.1	38.1	498.7	
1996	206.5	177.8	62.7	447.0	11.5	33.2	480.2	
1997	216.7	181.4	73.7	471.8	12.6	37.5	509.3	484.7(VIII)(1992-97)
1998(अ)	201.1	151.5	64.9	417.5	13.5	33.2	450.7	
1999(अ)	202.2	155.9	70.7	428.8	14.2	38.6	467.4	

अ–अनंतिम

टिप्पणी– प्रति व्यक्ति उपलब्धता के संबंध में ऊपर दिए गए आंकड़े देश में खपत के वास्तविक स्तर को कड़ाई से नहीं दर्शाते हैं, विशेष रूप से इसलिए कि इनमें व्यापारियों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के पास रखे स्टाक में किसी प्रकार के परिवर्तन की हिसाब में नहीं लिया गया है।

प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता की गणना करने के लिए 1981 से 1994 तक के निवल आयात के आंकड़े केवल भारत सरकार के खाते पर किए गए आयात और निर्यात पर आधारित हैं। 1995 और उसके बाद निवल आयात कुल निर्यात और आयात (सरकारी और प्राइवेट खाते पर) हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही रेल परियोजनाएं

2657. **श्री होलखोमांग हौकिप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर और अन्य राज्यों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं यथा आमान-परिवर्तन, नई रेल लाइनें, पुलों का निर्माण इत्यादि का विवरण क्या है;

(ख) इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित की गई नई रेल परियोजनाओं का विवरण क्या है; और

(ङ) इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) रेलवे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए इनकी लगातार निगरानी की जाती है कि इसमें कोई चूक न हो। इस क्षेत्र में रेल परियोजनाओं पर बजटीय सहायता का 10% खर्च किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न चालू परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी प्रगति

क्र. सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृति का वर्ष	मूल स्वीकृत लागत	नवीनतम प्रत्याशित लागत	31.3.99 तक व्यय	1999-2000 के दौरान परिव्यय	पूरा करने की लक्ष्य तिथि	प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नई लाइन परियोजनाएं								
1.	जोगीघोपा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल और जोगीघोपा से कामाख्या तक नई रेल लाइन (142.15 किमी)	1983-84	179.00	637.00	598.52	10.00	31.3.2000	जोगीघोपा से गोलपारा तक लाइन (20 किमी) सहित जोगीघोपा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल अप्रैल, 1998 में खोल दिया गया था। गोलपारा से कामाख्या (गुवाहाटी) तक 122 किमी रेलवे लाइन पर कार्य अग्रिम चरणों में है और 31.3.2000 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
2.	दुधनोई से देपा तक नई बड़ी लाइन (15.5 किमी)	1992-93	21.26	22.23	1.70	2.00	निर्धारित नहीं	15.5 किमी लाइन में से लगभग 5 किमी मेघालय राज्य में है। निरंतर जोर देने के बावजूद मेघालय में भूमि अधिग्रहण के लिए कोई प्रगति नहीं हो सकी है। मेघालय में भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद ही कार्य आरंभ किया जाएगा।
3.	कुमारघाट से अगरतला तक नई लाइन (119 किलोमीटर)	1996-97	575.00	849.00	24.27	40.00	निर्धारित नहीं	यह लाइन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती है। समतल भूमि अर्थात् कुमारघाट छोर से 20 किलोमीटर लंबाई तथा अगरतला छोर से 22 किलोमीटर लंबाई में कार्य आरंभ कर दिया गया है। पर्वतीय भूभाग में शेष 77 किलोमीटर में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने जिसके मार्च, 2000 में पूरा होने की संभावना है, के बाद इस भाग में कार्य आरंभ किया जाएगा।
4.	हरीभूती से ईटानगर तक नई बड़ी लाइन (33 किमी)	1996-97	156.00	156.00	0.03	10.00	निर्धारित नहीं	इस लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा जिसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।
5.	इम्फाल तक लाइन के प्रथम चरण के रूप में डिफू से करोंग तक नई लाइन (123 किमी)	1997-98	800.00	1600.00	—	10.29	निर्धारित नहीं	इस लाइन का निर्माण आरंभ करने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण अभी आरंभ किया जाना है। सर्वेक्षण करने के लिए निविदाओं पर कार्रवाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								की जा रही है। इस लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
6.	डिब्रूगढ़ और नार्थ बैंक लाइन के बीच सम्बद्ध लाइनों सहित बोगीबील के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल	1997-98	1000.00	1000.00	—	5.00	निर्धारित नहीं	इस पुल के लिए सर्वेक्षण और जांच मैसर्स राइट्स द्वारा किए जा रहे हैं सर्वेक्षण और जांच कार्य पूरा होने, जिसके जून, 2000 में पूरा होने की संभावना है, निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
आमान परिवर्तन								
1.	शाखा लाइनों सहित लमडिंग-डिब्रूगढ़ (628 किमी)	1993-94	317.00	754.00	618.00	26.71	माकुम-डंगोरी और अमगुडी-तुली शाखा लाइनों को छोड़कर पूरा हो गया है।	लमडिंग-तिनसुकिया-डिब्रूगढ़/लीडो 19.5.97 को खोल दिया गया है। फरकातिंग-गरियानी और सिमालगुड़ी-मोरनहाट की शाखा लाइनें 15.8.98 को खोल दी गई हैं। आमगुडी-तुली (15 किमी) और माकुम-डांगरी (32 किमी) का आमान परिवर्तन कार्य शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है।
2.	लमडिंग-सिलचर (198 किमी)	1996-97	648.00	648.00	41.21	40.00	निर्धारित नहीं	यह लाइन दुर्गम पर्वतीय भू-भाग से गुजरती है। समतल भूमि में 70 किमी दूरी अर्थात सिलचेर-बदरपुर के बीच 30 किमी और लमडिंग-लांगतिंग के बीच 40 किमी पर निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। लांगतिंग से चंद्रनाथपुर तक शेष 128 किमी दूरी में सर्वेक्षण कार्य मैसर्स राइट्स द्वारा प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने जिसके मार्च, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है, के बाद इस दूरी पर कार्य आरंभ किया जाएगा।
3.	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोगाईगांव (280 किमी) और शाखा लाइनें फकीराग्राम-दुबरी (61 किमी) अलीपुरद्वार-बामनहाट (76 किमी)	1997-98	380.00	595.00	0.001	48.00	निर्धारित नहीं	फरवरी, 1999 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया था। मुख्य लाइन के लिए मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ कर दिया गया है। मुख्य लाइन पर कार्य पूरा हो जाने के बाद शाखा लाइनों पर कार्य आरंभ किया जाएगा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	कटखल-भैराबी	1997-98	200.00	200.00	0.01	2.00	निर्धारित नहीं	फरवरी, 1999 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस कार्य को आरंभ करने की प्रारंभिक व्यवस्था आरंभ की जा रही है।
पुल संबंधी कार्य								
1.	बोगाईगांव समपार सं. एसके-49 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1995-96	3.20	10.66	कुछ नहीं	0.30	निर्धारित नहीं	असम के परामर्श से इस ऊपरी सड़क पुल की सामान्य व्यवस्था आरेखण को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पीयू/लोक निर्माण विभाग से संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अनुमान स्वीकृत हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
2.	अग्ठोरी-चगसारी समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1996-97	10.01	10.01	कुछ नहीं	0.13	निर्धारित नहीं	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित है। लोक निर्माण विभाग से विस्तृत आरेखण अभिकल्प और अनुमान की प्रतीक्षा है।
3.	केडूकोना-रंगिया समपार सं. एसके-13 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1996-97	7.62	7.62	कुछ नहीं	0.13	निर्धारित नहीं	सामान्य व्यवस्था आरेखण अनुमोदित है।लोक निर्माण विभाग से विस्तृत आरेखण अभिकल्प और अनुमान की प्रतीक्षा है।
4.	गुवाहाटी (आठगांव) ए श्रेणी समपार के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1997-98	14.87	14.87	कुछ नहीं	0.09	निर्धारित नहीं	पूर्ववर्ती सामान्य आरेखण जिसमें इस्पात गर्डरों के साथ ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की संकल्पना की गयी थी, अब राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पीएससी गर्डर द्वारा बदल दिए गए हैं। संशोधित आरेखण के अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित परियोजनाओं तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र. सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृति का वर्ष	मूल स्वीकृत लागत	नवीनतम प्रत्याशित लागत	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
नई लाइन परियोजनाएं					
1.	कुमारघाट से अगरतला तक नई लाइन (119 किलोमीटर)	1996-97	575.00	849.00	यह लाइन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरती है। समतल भूमि अर्थात् कुमारघाट छोर से 20 किलोमीटर लंबाई तथा अगरतला छोर से 22

1	2	3	4	5	6
					किलोमीटर लंबाई में कार्य आरंभ कर दिया गया है। पर्वतीय भूभाग में शेष 77 किलोमीटर में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने जिसके मार्च, 2000 में पूरा होने की संभावना है, के बाद इस भाग में कार्य आरंभ किया जाएगा।
2.	हरभूती से ईटानगर तक नई बड़ी लाइन (33 किमी)	1996-97	156.00	156.00	इस लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा जिसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।
3.	इम्फाल तक लाइन के प्रथम चरण के रूप में डिफू से करोंग तक नई लाइन (123 किमी)	1997-98	800.00	1600.00	इस लाइन का निर्माण आरंभ करने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण अभी आरंभ किया जाना है। सर्वेक्षण करने के लिए निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है। इस लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।
4.	डिब्रूगढ़ और नार्थ बैंक लाइन के बीच संबद्ध लाइनों सहित बोगीबील के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल	1997-98	1000.00	1000.00	इस पुल के लिए सर्वेक्षण और जाँच मैसर्स राइट्स द्वारा किए जा रहे हैं, सर्वेक्षण और जांच कार्य पूरा होने, जिसके जून, 2000 में पूरा होने की संभावना है, निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
आमान परिवर्तन					
1.	लमडिंग-सिलचर (198 किमी)	1996-97	648-00	648.0	यह लाइन दुर्गम पर्वतीय भू-भाग से गुजरती है। समतल भूमि में 70 किमी दूरी अर्थात् सिलचेर-बदरपुर के बीच 30 किमी और लमडिंग-लांगतिंग के बीच 40 किमी पर निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। लांगतिंग से चंद्रनाथपुर तक शेष 128 किमी दूरी में सर्वेक्षण कार्य मैसर्स राइट्स द्वारा प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने जिसके मार्च 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है, के बाद इस दूरी पर कार्य आरंभ किया जाएगा।
2.	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोगाईगाँव (280 किमी) और शाखा लाइनें फकीराग्राम-बुबरी (61 किमी) अलीपुरद्वार-बामनहाट (76 किमी)	1997-98	380.00	595.00	फरवरी, 1999 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त हो गया था। मुख्य लाइन के लिए मिट्टी और पुल संबंधी कार्य आरंभ कर दिया गया है। मुख्य लाइन पर कार्य पूरा हो जाने के बाद शाखा लाइनों पर कार्य आरंभ किया जाएगा।
3.	कटखल-पैराबी	1997-98	200.00	200.00	फरवरी, 1999 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस कार्य को आरंभ करने की प्रारंभिक व्यवस्था आरंभ की जा रही है।

भारतीय रेल के बारे में सेमिनार

2658. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के 6 सदस्यों का एक दल भारतीय रेल के लाभ के लिए रेल सुरक्षा उपाय संबंधी एक सेमिनार आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ, भारतीय रेलों पर संरक्षा सेमिनारों को आयोजित कराने के लिए भारतीय रेलवे के अनुरोध पर जापान सरकार ने संरक्षा क्षेत्र के 6 सदस्य भेजे थे।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) जापानी रेलवे द्वारा उठाए गए दुर्घटना निवारक उपायों से भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों के अफसरों की जानकारी कराने में सेमिनार लाभदायक रहा है। यह जानकारी संभवतः भारतीय रेलों में संरक्षा को बेहतर सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

विवरण

तीन सेमिनार आयोजित किए गए थे जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

स्थान	सेमिनार की तारीख	जिन रेलों ने भाग लिया
नई दिल्ली	29 और 30 नवंबर 99	रेलवे बोर्ड, उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम रेलवे और अ. अ.मा. सं. लखनऊ
कलकत्ता	2 और 3 दिसंबर 99	पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और मैट्रो रेलवे
सिकंदराबाद	6 और 7 दिसंबर 99	दक्षिण, दक्षिण मध्य, मध्य और कोंकण रेलवे

जापानी विशेषज्ञों ने निम्नलिखित 6 विषयों पर व्याख्यान दिए :

(i) जापान में गाड़ी परिचालन और दुर्घटनाओं की मौजूदा स्थिति

(ii) जापान रेलवे के मुख्य नियम और संरक्षा के मानदंड

(iii) जापान में गाड़ी परिचालन के लिए संरक्षा तकनीकी में हुई प्रगति

(iv) पूर्व-जापान रेलवे (i) के लिए संरक्षा उपाय

(v) पूर्व जापान रेलवे (ii) के लिए संरक्षा उपाय

(vi) जापान में स्वचालित गाड़ी संरक्षा प्रणाली।

हिमगिरी एक्सप्रेस में आग

2659. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 नवंबर, 1999 को अंबाला-लुधियाना सेक्टर में हिमगिरी एक्सप्रेस में आग लग गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो चलती ट्रेन में आग दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। 29 नवंबर, 1999 को अंबाला-लुधियाना खंड पर हिमगिरी एक्सप्रेस में आग नहीं लगी थी। बहरहाल, हिमगिरी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में हॉट बॉक्स का पता चला था और उसे राजपुरा स्टेशन पर अलग कर दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तालिबान द्वारा घुसपैठ

2660. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1999 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में "तालिबान फोर्स रेडी फोर इंट्रुजन" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि 2,000 से 3,000 तालिबान आतंकवादियों का एक बड़ा दल कश्मीर सीमा पार करने और जेहाद छेड़ने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) इस संबंध में सरकार को मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है। सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जून तथा जुलाई 1999 के दौरान उरी तथा पुंछ क्षेत्र के पास विभिन्न पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी गुटों के आतंकवादी जमा हो रहे थे। तथापि, जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए तालिबान सेनाओं के मौजूद होने की पुष्टि करने वाली कोई खबर नहीं है।

हमारी सैन्य टुकड़ियाँ सीमा की निरंतर निगरानी करती हैं। घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंध को सुदृढ़ करने तथा आसूचना तंत्र को और सक्रिय करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

दिल्ली से राजकोट, जामनगर आदि के लिए सीधी उड़ानें

2661. श्री चंद्रेश पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली-रोजकोट, राजकोट-जामनगर और जामनगर-दिल्ली क्षेत्रों में सीधी उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) ये उड़ानें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या दिल्ली-राजकोट क्षेत्र में भूतकाल में भी सीधी उड़ान होती थी; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके रद्द करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) विमान कंपनी प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर मार्ग-संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों, जो मार्गों की विशिष्ट श्रेणियों में कतिपय न्यूनतम प्रचालनों के संबंध में व्यवस्था करते हैं, का अनुपालन करते हुए किन्हीं स्थानों को हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) इस सेवा को विमान क्षमता संबंधी कठिनाइयों तथा वाणिज्यिक आधार की वजह से बंद कर दिया गया था।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत

2662. श्री राजो सिंह :
श्री रामचंद्र वीरप्पा :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में विशेषकर बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन हेतु नियत तथा जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन राशियों का पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की सभी संभावनाओं का कब तक दोहन कर लिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रायोजित/किए गए विभिन्न अध्ययनों में मुख्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की देश भर में व्यापक संभाव्यता को दर्शाया गया है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। बिहार राज्य में बायोगैस, उन्नत चूल्हा, लघु पन बिजली (लघु पन बिजली 3 मै.वा. तक) तथा चीनी मिलों में खोई आधारित सह-उत्पादन के संबंध में मुख्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की अनुमानित संभाव्यता क्रमशः 9.40 लाख, 123.83 लाख, 191.66 मै.वा. तथा 200 मै.वा. है।

(ग) से (ङ) आपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान आबंटित व जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। इन निधियों का उपयोग राज्यों द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए किया जा रहा है। इन निधियों की उपयोगिता की स्थिति का गहन प्रबोधन किया जाता है ताकि इन निधियों की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

(च) अक्षय ऊर्जा की संभाव्यता का पर्यवेक्षण तथा इसका दोहन एक सतत् व चालू प्रक्रिया है। अक्षय ऊर्जा की संभाव्यता/दोहन के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं तथा आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग की बड़ी तेजी से बढ़ने की आशा है।

विवरण-I

देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की व्यापक संभाव्यता

	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता
1.	बायोगैस संयंत्र (सं.)	120 लाख
2.	उन्नत चूल्हा (सं.)	12 करोड़
3.	बायोमास	17,000 मेगावाट
4.	खोई आधारित सह-उत्पादन	3500 मेगावाट
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय	20 मेगावाट/वर्ग किलोमीटर
6.	सौर तापीय	35 मेगावाट/वर्ग किलोमीटर
7.	पवन ऊर्जा	20,000 मेगावाट
8.	लघु पन बिजली (15 मेगावाट तक)	10,000 मेगावाट
9.	शहरी व औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	1700 मेगावाट

विवरण-II

मंत्रालय के बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर विद्युत, लघु पन बिजली और बायोमास विद्युत के अंतर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान आबंटित तथा जारी की गई निधियों के राज्यवार तथा कार्यक्रमवार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रा./सं.रा.क्षे.	बायोगैस			उन्नत चूल्हा			सौर विद्युत			लघु जल विद्युत			बायोमास विद्युत		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	3.08	5.82	6.13	1.15	1.44	0.93	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.07	0.10	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	1.20	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.18	0.27	0.15	0.00	0.40	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.05	0.03	0.20	0.39	0.14	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	गुजरात	5.11	5.19	3.88	0.05	0.05	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.40	0.62	0.45	0.28	0.26	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.43	1.11	0.30	0.16	0.15	0.17	0.00	0.00	0.00	1.72	1.83	4.47	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.02	0.02	0.28	0.43	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	3.95	5.12	3.50	0.47	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	4.99
11.	केरल	0.08	0.23	0.30	0.58	0.36	0.45	0.00	0.09	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	5.83	4.23	3.74	1.23	1.10	0.82	0.64	0.00	1.00	0.00	0.00	0.45	1.75	0.95	0.10
13.	महाराष्ट्र	4.69	4.93	4.63	0.76	0.85	0.59	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	0.07	0.13	0.24	0.05	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.03	0.03	0.05	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.02	0.22	0.14	0.02	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	3.60	9.11	2.70	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.08	0.03	0.18	0.00	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	1.49	1.56	3.08	0.53	1.12	1.13	0.00	0.19	0.07	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.96	0.98	2.40	0.31	0.58	0.52	0.00	0.00	0.22	0.69	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.34	0.37	0.25	0.89	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.17	0.15	0.17	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	1.26	1.36	3.75	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.74	0.20	0.31	0.35	0.28	0.53	0.25	0.65	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.36	0.00
23.	त्रिपुरा	0.02	0.06	0.07	0.05	0.13	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	3.08	1.00	4.61	1.16	0.83	0.60	0.00	0.65	0.21	0.06	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	2.11	1.50	3.23	1.06	2.02	1.16	0.13	0.33	0.05	0.18	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
26.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00
28.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	अन्य	0.00	0.00	0.00	4.45	6.05	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

मंत्रालय के बायोमास गैसीफायर, अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर कुकर एवं सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान आबंटित तथा जारी की गई निधियों के राज्यवार तथा कार्यक्रमवार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रा./सं.रा.क्षे.	बायोमास गैसीफायर			अपशिष्ट से ऊर्जा			सौर कुकर			सौर प्रकाशवोल्टीय (एस पी वी)		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.42	0.765	0.29	0.16	0.11	0.44	0.06	0.03	0.02	0.54	0.00	1.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	3.20	0.70
4.	बिहार	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.25	2.46
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.05	0.01	0.00	0.01	0.02	1.98	0.04	0.07	0.04	0.22	0.86	1.04
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.05	1.76
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.56	0.70	1.67
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.40	1.63
10.	कर्नाटक	0.49	0.12	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.46
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	1.03
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.34	0.04	0.04	0.95	3.12	3.12	3.06	0.00	0.58	0.95
13.	महाराष्ट्र	3.07	0.00	0.00	0.12	0.05	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	2.23	3.24
14.	मणिपुर	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.30
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.38	0.03	0.19
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.24
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
18.	उड़ीसा	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.45	2.72
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.64	2.74
20.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	1.34	4.31
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22.	तमिलनाडु	0.00	0.03	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.49
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.26	0.83
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.11	0.25	0.08	0.04	0.03	0.04	2.21	6.56	8.67
25.	पश्चिम बंगाल	0.07	0.20	0.23	0.03	0.00	0.00	0.02	0.06	0.02	1.01	2.12	1.73
26.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.03	0.21
28.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.15	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02
33.	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

मंत्रालय के पवन पंपिंग और एरोजनरेटर, पवन विद्युत, आईआरईपी एवं एसएडीपी कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान आवंटित तथा जारी की गई निधियों के राज्यवार तथा कार्यक्रमवार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	रा./सं.रा.क्षे.	पवन पंपिंग और एरोजनरेटर			पवन विद्युत			आई आर ई पी*			एस ए डी पी**		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.10	0.00	0.16	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.01	0.03
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.13	0.14	0.15	0.00	0.01	0.07
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.35	0.00	0.00	0.01	0.07
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.07	0.00	0.00	0.01
6.	गुजरात	0.18	0.00	0.10	0.67	0.48	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.29	0.23	0.28	0.00	0.05	0.01
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.34	0.45	0.80	0.00	0.01	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.10	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.03	0.05	0.00	0.01	0.08	0.00	0.16	0.28	0.40	0.08	0.03	0.05
11.	केरल	0.00	0.01	0.06	0.09	0.02	0.00	0.45	0.33	0.37	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.72	0.68	1.08	0.02	0.06	0.09
13.	महाराष्ट्र	0.02	0.03	0.16	1.22	0.07	1.79	0.29	0.37	0.48	0.02	0.05	0.06
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.10	0.25	0.00	0.01	0.05
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.11	0.27	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.08	0.14	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12	0.12	0.01	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.29	0.51	0.51	0.00	0.13	0.03
20.	राजस्थान	0.00	0.19	0.12	0.00	0.00	0.04	0.18	0.20	0.34	0.00	0.00	0.01
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.31	0.06	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.15	0.00	0.03	0.55	0.89	0.62	0.18	0.14	0.24	0.00	0.00	0.08
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.01	0.01
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.14	0.51	0.02	0.02	0.01
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.48	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.31
26.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01
28.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.06	0.07	0.00	0.01	0.01
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.06	0.05	0.03	0.00	0.00	0.01
33.	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00

* आईआरईपी = समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम; ** एसएडीपी = विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों को विमान सेवा से जोड़ा जाना

2663. श्री अशोक प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से बड़े शहर हैं जो विमान सेवा से जोड़े गए हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश के शेष सभी बड़े शहरों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों को घरेलू विमान कंपनियों के प्रचालकों द्वारा हवाई-संपर्क से जोड़ा जाता है :

आगरा	:	इंडियन एयरलाइंस
देहरादून		इंडियन एयरलाइंस
लखनऊ		इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज तथा सहारा एयरलाइंस
वाराणसी		इंडियन एयरलाइंस तथा जेट एयरवेज

(ख) विमान कंपनी प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर मार्ग-संवितरण मार्गदर्शी-सिद्धांतों, जो मार्गों की विभिन्न श्रेणियों में कतिपय न्यूनतम प्रचालनों के संबंध में व्यवस्था करते हैं, का अनुपालन करते हुए किन्हीं स्थानों को हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

पर्यटक रुचि के स्थलों हेतु हैलिकॉप्टर्स सेवाएँ

2664. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटक रुचि के स्थलों के लिए हैलीकॉप्टर सेवाएँ उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकारों को हैलीपैड़ों के निर्माण और वर्तमान घरेलू हवाई अड्डों के उन्नयन में सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की जम्मू-सांझीछत-जम्मू तथा कटरा-सांझीछत-कटरा सेक्टरों पर हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रचालित करने की योजना है।

(ख) और (ग) हैलीपैडों के निर्माण में सहायता देने के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पर्यटकों सहित यात्रियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु मौजूदा विमानपत्तनों को विकसित करने और उनका स्तरोन्नयन करने के विषय में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बिना पालिश के चावल का वितरण

2665. श्री चंद्रभूषण सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बिना पालिश के चावल के वितरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कई चावल मिल मालिकों ने मंत्रालय द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार चावल की आपूर्ति करने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को पालिश युक्त चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी नहीं।

(ख) पंजाब सरकार और पंजाब चावल मिल संघ ने चावल के कुछेक अपवर्तन की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन दिया था। उपभोक्ताओं के हित में इसे वांछनीय नहीं पाया गया है।

(ग) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-II का कार्यान्वयन

2666. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-II को कार्यान्वित करने के लिए मुंबई रेल विकास निगम की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मुंबई रेल विकास निगम ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस निगम को चलाने के लिए निधियां जुटाने के वास्ते क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मु.श.परि. परियोजना-II को कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) कंपनी रजिस्ट्रार से सरकारी कंपनी के रूप में मुंबई रेल विकास निगम को सम्मिलित करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। कंपनी संव्यवहार शुरू करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) परियोजना के लिए निधियों की व्यवस्था निम्नलिखित के माध्यम से की जाएगी :

(i) रेलवे भूमि तथा ऊपरी स्थान का वाणिज्यिक उपयोग।

(ii) दैनिक यात्रियों पर अधिप्रभार।

(iii) भारतीय रेलों के लिए सामान्य राजस्व से पूँजी।

(iv) महाराष्ट्र सरकार से बजटीय सहायता।

(v) महाराष्ट्र सरकार तथा भारतीय रेलों द्वारा आपसी बातचीत के जरिए ऋण का निर्णय किया जाएगा।

(घ) और (ङ) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-II के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएँ

2667. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री सुनील खां :
श्री अनिल बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में रेल पटरियों के निर्माण और आमान-परिवर्तन के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में रेल पटरियों के निर्माण/आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कराए जाने के संबंध में कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेल भूमि का अतिक्रमण

2668. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत कटिहार जंक्शन पर रेल भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस खाली जमीन पर रेलवे क्वार्टर बनाने का है ताकि भविष्य में इन पर अतिक्रमण को रोका जा सके; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) जी नहीं। रेलवे की खाली भूमि का उपयोग विकास कार्य के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

"आदित्य" की स्थिति

2669. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में एफ. आर.टी. "आदित्य" का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसके परीक्षण के बाद इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एफ.आर.टी. "आदित्य" का निर्माण-कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा इसमें 97% प्रगति हुई है। अगस्त-सितंबर 1999 के दौरान इस पोत का दो बार समुद्री परीक्षण किया गया था। इन परीक्षणों के दौरान पाए गए दोषों को पोत के मूल निर्माता के साथ परामर्श करके दूर किया जा रहा है। पोत की प्रणालियों के संतोषजनक कार्य-निष्पादन से संबंधित आगामी परीक्षण/निर्माण-कार्य तथा शेष समुद्री परीक्षण अगले तीन महीनों में किए जाएँगे। इन परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद मार्च 2000 में इस पोत को भारतीय नौसेना को सुपुर्द किए जाने की संभावना है।

खाद्य तेलों का आयात

2670. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया;

(ख) किन-किन देशों से यह आयात किया गया और इसके नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात करने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार ने अपना उत्पादन बढ़ाने हेतु खाद्य तेलों के निर्माताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान आयातित खाद्य तेल की मात्रा क्रमशः 12.83 लाख टन, 18.93 लाख टन और 33.37 लाख टन रही है। वर्ष 1998-99 के लिए सूचना आयातकों से 13.12.99 तक प्राप्त विवरणियों पर आधारित है।

(ख) मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील इत्यादि जैसे देशों से खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत खाद्य तेलों का आयात किया गया है।

(ग) खाद्य तेलों की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए पूरक उपाय के रूप में, सरकार को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देनी पड़ी थी ताकि घरेलू बाजार में उचित मूल्यों पर खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(घ) कच्चे माल की कमी के कारण, सरकार ने तिलहन और तेल के आयात की अनुमति दी ताकि वनस्पति तेल उद्योग तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी हो सके।

(ङ) सरकार द्वारा कच्चे माल (तिलहन और तेलों) की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :

(i) उत्पादन, संसाधन और प्रबंध प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था। तब से लेकर, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से देश में तिलहनों और खाद्य तेल के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए सभी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय 25 राज्यों में 395 चुनिंदा जिलों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों, जैसे बीज का उत्पादन और संवितरण, मिनी किट्स, राइजोदियग संवर्द्धन, जिप्सम/पाइराइट, खेती के उन्नत औजार, पौधा संरक्षण उपकरण, छिड़काव सैट इत्यादि पर सब्सिडी देकर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए, किसानों के खेतों में विशेष (फ्रंटलाइन) और सामान्य प्रदर्शन किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के लिए सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में धनराशि दी जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में 109.10 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

नौवीं योजना के दौरान देश में तिलहनों और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक परिव्यय के साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत नई शुरू की गई गतिविधियों में तिलहन की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का प्रचार, छिड़काव सिंचाई, एकीकृत पोषकों के इस्तेमाल तथा कीट प्रबंध को बढ़ावा देना और सल्फर के स्रोत के रूप में जिप्सम/पाइराइट्स के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना शामिल है।

(ii) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(iii) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों की गैरपंरपरागत फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना, वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी इत्यादि का उपयोग करना।

(iv) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के साथ सामंजस्य रखने के लिए आवश्यक संसाधन और बुनियादी सुविधाएँ स्थापित करना।

(v) पाम तेल के विकास के लिए सहायता देना।

(vi) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(vii) संसाधन इकाइयों को आधुनिक बनाने के उपकरणों की पहचान करना, कुछ उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में रियायत देना।

[हिन्दी]

आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

2671. डॉ. बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और जौनपुर रेलवे स्टेशनों पर पानी, सार्वजनिक शौचालय और विश्रामकक्ष जैसी नागरिक सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर समस्त नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) आजमगढ़ स्टेशन पर विश्राम कक्ष को छोड़कर दोनों स्टेशनों पर मौजूदा मानदंडों के अनुसार अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था पहले से है। आजमगढ़ स्टेशन पर विश्राम कक्ष की व्यवस्था करना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि

2672. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से रतलाम और सूरत होकर मुंबई जाने वाली मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का है जिससे कि इस दूरी को कम समय में तय किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

2673. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के कितने मामले जोनवार/मंडलवार लंबित हैं;

(ख) विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सभी मामलों को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय (31.10.99 को) रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों की जोनवार/मंडलवार संख्या इस प्रकार है :

रेलवे	मंडल	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों की संख्या (31.10.99 को)
1	2	3
मध्य	मुंबई	64
	भुसावल	71
	झाँसी	110
	जबलपुर	13
	नागपुर	33
	सोलापुर	19
	भोपाल	21
	अन्य	155
	जोड़	486
पूर्व	हावड़ा	52
	सियालदाह	71
	आसनसोल	64
	धनबाद	70
	दानापुर	138
	मुगलसराय	42
	मालदा	30
	अन्य	55
	जोड़	522
उत्तर	बीकानेर	08
	इलाहाबाद	25
	दिल्ली	68
	फिरोजपुर	19
	जोधपुर	शून्य
	लखनऊ	45
	मुरादाबाद	33
	अंबाला	29
	अन्य	106
	जोड़	331
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	97
	लखनऊ	108
	वाराणसी	83
	सोनपुर	195
	समस्तीपुर	134
	अन्य	64
	जोड़	681
पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार	251
	अलीपुरद्वार	272
	लमडिंग	195
	तिनसुकिया	70
	अन्य	76
	जोड़	864
दक्षिण	चेन्नै	754
	त्रिची	127
	मदुरै	88
	तिरुवनंतपुरम	50

1	2	3
	पालक्काट	76
	बेंगलूरु	192
	मैसूर	28
	अन्य	345
	जोड़	1660
दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद	212
	हैदराबाद	188
	विजयवाड़ा	340
	गुंतकल	373
	हुबली	194
	अन्य	38
	जोड़	1345
दक्षिण पूर्व	आद्रा	62
	बिलासपुर	38
	चक्रधरपुर	52
	खड़गपुर	136
	नागपुर	26
	वाल्तेरू	160
	संबलपुर	05
	खोरधा	205
	अन्य	71
	जोड़	755
पश्चिम	मुंबई	53
	वडोदरा	79
	रतलाम	84
	कोटा	70
	अजमेर	92
	राजकोट	67
	जयपुर	57
	भावनगर	24
	अन्य	92
	जोड़	618
उत्पादन इकाइयां	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	58
	डीजल कलपुर्जा कारखाना	02
	डीजल रेल इंजन कारखाना	01
	सवारी डिब्बा कारखाना	30
	रेल कोच फैक्टरी	शून्य
	पहिया एवं धुरा कारखाना	03
	जोड़	94
	कुल जोड़	7356

(ख) आश्रितों के नाबालिग होने, उपयुक्त रिक्तियों की अनुपलब्धता, न्यायालयों में लंबित कानूनी मामले, समय बाधित मामलों इत्यादि जैसे कारणों से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने में विलंब होता है।

(ग) समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं और इन्हें दोहराया भी गया है ताकि इस प्रयोजन के लिए बने दिशानिर्देशों के तहत पात्र उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति करने के हर संभव प्रयास किए जा सकें। बहरहाल, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि ऐसे बहुत से कारण जिनका रेलवे से कोई संबंध नहीं है, की वजह से विलंब होता है।

निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम

2674. डॉ. वी. सरोजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे खानपान सेवा और पर्यटन निगम निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम और महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित करने जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निगम की इक्विटी की बिक्री बाजार में की जाएगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

2675. श्री पी.डी. एलानगोवन :
श्री रवींद्र कुमार पांडेय :
श्री सुनील खां :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : (क) और (ख) 1999-2000 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा तथा 1999-2000 (अक्टूबर, 1999 तक) के दौरान योजना के अंतर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं।

विवरण

1999-2000 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों, रिलीजों तथा उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय आबंटन	कुल आबंटन	केंद्रीय रिलीज (अद्यतन)	उपयोग की गई कु. निधि	कुल ऋण लक्ष्य	जुटाया गया कुल ऋण	सहायता प्राप्त स्व.रो. की कुल सं.	संचित माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5201.63	6935.51	2600.31	869.44	21600.00	1248.39	11125	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	114.36	152.48	98.80	11.63	880.00	8.50	81	5
3.	असम	2971.57	3962.09	1485.79	886.30	7000.00	422.01	4512	10
4.	बिहार	17099.96	22719.95	2893.29	4590.26	51000.00	2961.07	28522	8
5.	गोवा	50.00	66.67	25.00	64.60	170.00	26.67	302	10
6.	गुजरात	1957.99	2610.65	979.00	194.36	7560.00	83.98	566	5
7.	हरियाणा	1151.92	1535.89	575.96	आर.ए.	4200.00	आर.ए.	ऐन.ए.	
8.	हिमाचल प्रदेश	485.12	646.83	242.56	74.19	2000.00	217.50	785	8
9.	जम्मू व कश्मीर	600.40	800.53	289.57	182.34	1800.00	186.55	1746	8
10.	कर्नाटक	3927.97	5237.29	1871.47	857.60	14000.00	100.37	1419	10
11.	केरल	1762.47	2349.96	881.24	225.48	7000.00	214.86	1434	10
12.	मध्य प्रदेश	8637.11	11516.15	4318.56	1886.92	31500.00	1150.14	7036	10
13.	महाराष्ट्र	7764.63	10352.84	3882.32	2231.70	28500.00	3995.96	27671	10
14.	मणिपुर	199.21	265.61	@	आर.ए.	500.00	आर.ए.	आर.ए.	
15.	मेघालय	223.19	297.59	91.39	75.02	600.00	69.43	741	8
16.	मिजोरम	51.65	68.87	25.82	1.00	200.00	आर.ए.	आर.ए.	5
17.	नागालैंड	153.10	204.13	76.55	आर.ए.	400.00	आर.ए.	आर.ए.	
18.	उड़ीसा	5949.60	7932.80	4695.20	800.44	20700.00	681.19	5519	10
19.	पंजाब	559.82	746.43	279.91	153.48	2000.00	88.84	607	9
20.	राजस्थान	2982.64	3976.85	1358.62	आर.ए.	14000.00	आर.ए.	आर.ए.	
21.	सिक्किम	57.18	76.24	28.59	9.41	230.00	1.57	11	5
22.	तमिलनाडु	4599.38	6132.51	2299.70	207.60	18000.00	28.20	4075	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा	359.69	479.59	179.84	3.00	1100.00	आर.ए.	आर.ए.	4
24.	उत्तर प्रदेश	18752.62	25003.49	8549.88	725.35	65000.00	आर.ए.	1618	10
25.	पश्चिम बंगाल	6611.79	8815.72	252.19	2066.95	20000.00	3614.26	38231	9
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	50.00	50.00	12.50	9.46	125.00	4.21	56	8
27.	दा. व न. हवेली	50.00	50.00	@	2.34	125.00	आर.ए.	आर.ए.	8
28.	दमन व दीव	50.00	50.00	@	6.25	120.00	0.83	5	8
29.	लक्षद्वीप	50.00	50.00	@	0.55	125.00	आर.ए.	आर.ए.	10
30.	पांडिचेरी	50.00	50.00	25.00	5.00	125.00	आर.ए.	आर.ए.	7
	कुल	92415.00	125196.66	57879.53	16080.66	320500.00	15104.53	136062	

आर.ए. = रिपोर्ट की प्रतिक्षा है, एन.ए. = शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण केंद्रीय निधियों की रिलीज़ नहीं की जा सकी।

लालकिले से सेना का निष्क्रासन

2676. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में लाल किले से सेना हटाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) दिल्ली स्थित लाल किले से सेना यूनिटो को हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, क्योंकि लाल किला क्षेत्र में उनको सौंपे गए कार्य के निष्पादन हेतु वहां उनकी उपस्थिति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नई जगह पर सेना-यूनिटों को स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली में अतिरिक्त भूमि तथा काफी धन की व्यवस्था करनी होगी।

खान-पान और पर्यटन निगम

2677. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे खान-पान और पर्यटन विकास निगम (आरसीटीडीसी) का गठन कर भारतीय रेलवे के संपूर्ण खान-पान और पर्यटन नेटवर्कों को निगम के अधीन लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन इकाइयों में कार्य कर रहे रेलवे कर्मचारियों को समाहित करने के लिए रेलवे मजदूर यूनियन के साथ कोई सहमति हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किस तरह इन इकाइयों में कार्यरत मजदूरों के हितों की रक्षा करने का सरकार का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्तमान में और भविष्य दोनों में खानपान और पर्यटन की कुछ गतिविधियों के लिए ही निगम बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) से (ङ) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लि. को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकारी कंपनी के रूप में 50 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूँजी सहित 27.9.99 को पंजीकृत किया गया है। सरकारी अंशदान के रूप में निगम में चालू वर्ष में 5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

निगम के उद्देश्यों में भारतीय रेलों की खान-पान संबंधी कुछ मौजूदा और भावी सेवाओं को उन्नत बनाना और प्रबंध करना, यात्रियों से संबंधित महत्त्वपूर्ण सेवाओं में रेल पर्यटन और विपणन का विकास करना शामिल है।

भारतीय रेलों से भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम लि. में कुछ कार्यों का हस्तांतरण श्रमिकों के हितों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध कार्यक्रम के तहत चरणों में किया जाएगा।

अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास

2678. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल भूमि पर बहुत वर्षों से रहने वाले अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह की रेल भूमि पर रहने वाले लोगों को विशेषकर दक्षिण पूर्व रेल में बगैर किसी पूर्व सूचना के हटाया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जैसे ही नए अतिक्रमणों का पता चलता है, उन्हें हटा दिया जाता है। अन्य अतिक्रमणों के संबंध में, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सुनवाई के विभिन्न चरणों में पर्याप्त मात्रा में नोटिस का प्रावधान है।

नौसेना प्रयोगशाला से स्टील की प्लेटों की चोरी

2679. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में प्रयोग आने वाली उच्च कोटि की स्टील प्लेटों की 20 टन की एक खेप मुंबई में नौसेना की एक उच्च सुरक्षा प्राप्त गोदी से कुछ समय पहले गायब हो गई थी जबकि इस गोदी की सुरक्षा चौबीसों घंटे रक्षा मंत्रालय के रक्षा सुरक्षा कोर (डी. एस.सी.) द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस संबंध में हुई जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) पोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले इस्पात के विकास के वास्ते मुंबई स्थित नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा आरंभ की गई परियोजना के लिए जांच और परीक्षण प्रयोजनों के लिए बनाई गई नौसेना की 13 टन इस्पात प्लेटें नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई के परिसर से चोरी हो गई थीं।

(ख) इस्पात प्लेटों के चोरी हो जाने की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को की गई थी। जांच से पता चला कि इन इस्पात प्लेटों की चोरी नौसेना डॉकयार्ड के कूड़ा-कचरा उठाने वाले संविदाकार ने की थी। कूड़ा-कचरा उठाने वाले संविदाकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ये मदें एक स्क्रैप डीलर से बरामद की गई थीं और पुलिस ने मुंबई डॉकयार्ड के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(ग) अंततः इस्पात की सभी शीटें बरामद कर ली गई हैं। यह मुकदमा मुंबई के 37 एसप्लेनेड स्थित माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

पूर्वी तिमोर में भारतीय सैनिक

2680. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी तिमोर में शांति बहाल करने के लिए अपने सैनिकों को भेजने के संबंध में इंडोनेशिया सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वी तिमोर में शांतिमय प्रयोजन के लिए भारतीय सेना की कुल कितनी टुकड़ियां भेजी गई हैं अथवा भेजने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) पूर्वी तिमोर में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना मिशन में भारतीय सैन्य-बल भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विशेष परिवार यात्रा योजना का शुरू किया जाना

2681. श्री रामपाल सिंह :
श्री मोहन रावले :
डॉ. अशोक पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार सरकारी अधिकारियों के लिए एक विशेष परिवार यात्रा योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

2682. श्री अजय सिंह चौटाला :
डॉ. वी. सरोजा :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दिसंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार राज्यवार कुल विद्युत उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से किया गया;

(ख) इस समय पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की प्रत्येक इकाई के विद्युत उत्पादन की तुलनात्मक लागत क्या है; और

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के क्या-क्या प्रयास किए गए?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) 1 दिसंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता लगभग 1600 मेगावाट है जो देश में स्थापित कुल क्षमता का 1.67% है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत का प्रतिशत सर्वथा उच्च है और जो 58% से 24% तक भिन्न-भिन्न है तथा यह मुख्यतः उच्च लघु पनबिजली क्षमताओं के कारण है। तमिलनाडु के लिए, यह 14% है जो उच्च पवन विद्युत स्थापित क्षमता के कारण है। अन्य राज्यों में यह प्रतिशत बहुत कम है।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत प्रौद्योगिकी, अवस्थिति पर निर्भर करते हुए तथा उपलब्ध प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए प्रति यूनिट 2 रुपए से लेकर 4 रुपए तक भिन्न-भिन्न है। नई पन-बिजली परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा की औसत लागत 1.69 रु. प्रति यूनिट आती है; नई तापीय विद्युत परियोजनाओं की लागत अवस्थिति तथा उपयोग में लाए गए ईंधन के प्रकार पर निर्भर करते हुए 2.25 रु. से लेकर 3.78 रुपए प्रति यूनिट है; तथा नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए साम्या (इक्विटी) व शुल्कों की उगाही पर हुई आय को छोड़कर 1.51 रु. प्रति यूनिट है।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों में लगभग 132 मेगावाट की कुल क्षमता स्थापित की गई तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान, 1 दिसंबर, 99 की स्थिति के अनुसार लगभग 130 मेगावाट की समग्र क्षमता स्थापित की गई है। कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। ये परियोजनाएं संभाव्यता, केंद्रीय राजकोषीय प्रोत्साहनों तथा राज्यों द्वारा घोषित नीतियों पर आधारित हैं।

पोत निर्माण कारखानों का कार्य-निष्पादन

2683. श्री के. येरननायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के पोत-निर्माण कारखानों का भौतिक और वित्तीय दृष्टि से कार्य-निष्पादन किस तरह का रहा है;

(ख) क्या ये इकाइयां उत्पादकता और संपोषण की दृष्टि से क्रयादेश प्राप्त करती हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन इकाइयों को मुनाफे वाली इकाइयां बनाने के लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड हैं अर्थात् मै. माझगाँव डॉक लिमिटेड, मुंबई, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता और गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। 30 सितंबर, 1999 तक इन शिपयार्डों द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य 539.64 करोड़ रु. था। वास्तविक कार्य निष्पादन विभिन्न यार्डों में बनाए जा रहे प्रत्येक पोतों के संबंध में वर्ष के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। वर्ष के दौरान उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

रक्षा शिपयार्डों को भारतीय नौसेना, तटरक्षक और सिविल क्षेत्र से आपूर्ति आदेश प्राप्त होते हैं। इन शिपयार्डों में सृजित की गई क्षमता को लम्बी अवधि तक कायम रखने के लिए प्रत्येक शिपयार्ड के लिए एक मध्यावधि संदर्शी योजना तैयार की गई है। इन संदर्शी योजनाओं में आधुनिकीकरण, मानव संसाधन विकास, क्षमता का पर्याप्त उपयोग आदि योजनाएँ शामिल की गई हैं।

राष्ट्रीय पर्यटन समिति की सिफारिशें

2684. श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पर्यटन संगठन और ट्रैवल उद्योग के कार्यकरण की जांच करने के लिए मुहम्मद युनुस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय पर्यटन समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पर्यटन समिति की मुख्य सिफारिशों तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय पर्यटन समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उनके संबंध में सरकार के निर्णय

क्रम सं.	सिफारिशें	कार्यान्वयन की स्थिति
1	2	3
1.	राज्य को निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करने तथा पर्यटन उद्योग तथा पर्यटकों की रुचि को बनाए रखने के लिए पर्यटन विकास की व्यापक नीतियां तथा वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान पर ध्यान देना चाहिए।	राज्य, सिफारिशों को ध्यान में रखकर ही कार्य की रूपरेखा तैयार करते हैं।
2.	इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए।	पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप वर्ष 1999 में तैयार किया गया था जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
3.	पर्यटक रुचि के कई स्थलों के होने से भारत के तुलनात्मक लाभ को ध्यान में रखते हुए आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में प्रतिवर्ष 7% की वृद्धि का लक्ष्य ठीक है।	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8% वृद्धि दर दर्ज हुई।
4.	भारत में पर्यटन के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि चुनिंदा पर्यटक स्थलों/परिपथों का विकास किया जाए, भारतीय पर्यटन में विविधता लाई जाए, गैर-पारंपरिक क्षेत्रों को विकसित किया जाए, राष्ट्रीय महत्ता की परियोजनाओं को चलाते रहा जाए तथा उनका विकास किया जाए, नए पर्यटक सृजक देशों, विशेषकर उन देशों में जिनका भारत के साथ व्यापक सांस्कृतिक संबंध तथा 'डिस्कवर योर रूट्स' अभियान चलाने में विशेषज्ञता प्राप्त हो, उन देशों का पता लगाया जाए।	यह सिफारिश पर्यटक विकास नीति की आवश्यकता है जिसका पालन किया जा रहा है।
5.	पर्यटन में इसकी संभावना है कि वर्ष 1986-87 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 2000 ई. तक इससे 4000 करोड़ रु. से 5000 करोड़ रु. तक की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। इस राशि में वृद्धि हो सकती है यदि प्रति विदेशी पर्यटकों पर होने वाले व्यय में कमी की प्रवृत्ति को रोका जा सके।	वर्ष 1998-99 में प्राप्त विदेशी मुद्रा की राशि 12,000 करोड़ रु. तक पहुँच गई है।
6.	अधिभोग दर भी विदेशी पर्यटकों के आगमन के मुख्य समय में अधिक रहता है। यदि अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करना है तो गैर मौसमी पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित कर मौसमी-भीड़ को कम करना होगा।	इस संबंध में उचित उपाय किए गए हैं।
7.	एक प्रोत्साहन पैकेज की सिफारिश की गई है जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बल प्रदान होगा। इन प्रोत्साहनों में शामिल हैं— वित्तीय प्रोत्साहन जिससे ऋणों की अदायगी में सहुलियत होगी, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तथा संचलन और प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए संचलनात्मक प्रोत्साहन।	यथासंभव प्रोत्साहन दिए गए हैं।

1	2	3
8.	100 करोड़ रु. के प्रारंभिक इक्विटी के साथ पर्यटन वित्त निगम की स्थापना की जाए ताकि पर्यटन उद्योग को ऋण उपलब्ध होने के साथ-साथ इसके विशेष जरूरतों की पूर्ति हो सके।	पर्यटन वित्त निगम स्थापित किया जा चुका है।
9.	प्राइवेट अतिथि गृहों, पर्यटक बंगलों, फारेस्ट लाजों, आदि की तरह पूरक आवास, जहां अधिकाधिक पर्यटक रुक सकें, को भी उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन आवासों का निर्माण अपेक्षाकृत कम खर्चीले तो हैं ही, इससे लोगों को रोजगार भी मिलते हैं और अतिरिक्त आय भी होती है।	पता किया जा रहा है।
10.	पर्यटन की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में गरीब-विरोधी तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का समामेलन पर्यटन विकास के साथ किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ-साथ पूरक आय भी होगी।	ऐसा किया जा रहा है।
11.	पुरानी हवेलियों, महलों, विलाओं आदि को सदुपयोग में लाया जाना चाहिए जिससे आवास की स्थिति को कम लागत में भी बेहतर बनाया जा सकता है।	ऐसा किया जा रहा है।
12.	विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में यात्रा व्यवसाय जगत-सेवा या पैकेज के सृजन के लिए पर्यटन उत्पादों के विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। इसलिए, पर्यटन उद्योग को भी चुनिंदा वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जैसा कि निर्यात उद्योग को पहले से ही दिया गया है।	इस उद्योग को यथासंभव विभिन्न प्रोत्साहन दिए गए हैं।
13.	विभिन्न सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के संसाधनों को इकट्ठा करके हमें मुख्य मार्किटों में राष्ट्रीय छवि निर्माण तथा विपणन करना शुरू करना चाहिए। इससे पर्यटन के विकास में आई अधिकाधिक कमी को दूर करने और व्यापार तथा विपणन में भी लाभ मिलेगा।	महत्वपूर्ण मार्केटों में प्रचार अभियान शुरू किए गए हैं।
14.	विपणन कार्यकलापों के संबंध में व्यावसायिक दृष्टिकोण की शीघ्र आवश्यकता है। हमें हमारे विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों की पूरी पुनरीक्षा करनी चाहिए और विपणन योजना के आधार पर कुछ चुनिंदा कार्यालयों को सुदृढ़ बनाना, उपयुक्त संसाधन मुहैया कराना और सुदृढ़ विपणन अभिमुखीकरण के साथ अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए।	विदेश स्थित कार्यालयों की पुनरीक्षा समय-समय पर की जा रही है।
15.	विपणन योजना की व्याख्या करते समय, हमारे पर्यटन उत्पाद में मौसम के घटक की वास्तविकता पर कभी-कभी ध्यान नहीं दिया जाता। योजनाओं में दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए सर्दी के महीने बहुत अच्छे हैं जबकि शेष महीनों में, इस कार्यकलाप के लिए बहुत अधिक गर्मी बाधक होती है। इस प्रकार, सर्दी के महीनों में यूरोप में सर्दी एक साथ पड़ती है।	ऑफ सीजन संवर्धनात्मक प्रयास किए गए हैं।

1	2	3
	परंपरानुसार, इस क्षेत्र में ऐसा मौसम होता है जब पर्यटक कम आते हैं। अतः हमें, दक्षिणी गोलार्ध के देशों में संभावना का विस्तार करना चाहिए। विशेषरूप से प्रायद्वीपीय भारत में मानसून के महीनों के दौरान हमें परिवर्तक पर्यटक मौसम के विकास की संभावना पर भी ध्यान देना चाहिए। वर्ष में इस समय मौसम सामान्य होता है और सभी प्रकार से, यह मौसम यूरोप में पर्यटक मौसम के साथ मेल खाता है।	
16.	यात्रा व्यवसाय को इसके विपणन प्रयासों में प्रतियोगी बनाने के लिए, एक मार्केट विकास निधि, पर्यटन संवर्धन के गहन उद्देश्य के साथ बनानी चाहिए। निधि का संग्रह और इसके प्रचालन की विविधता को रिपोर्ट में बताया गया है।	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन योजना के विकास के लिए सहायता देना शुरू कर दिया गया था और कुछ समय के लिए ही प्रचालित की गई थी।
17.	पर्यटक सरलीकरण का मुख्य घटक, सूचना सेवा है। हालांकि अदृश्या रूप से, यह पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। शीघ्र सुधार सुविधाओं के साथ-साथ अद्यतन सूचना पद्धति का न होना पर्यटक सरलीकरण को दयनीय बना देता है। संचार और कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में तकनीकी विकास की पर्यटन सूचना नेटवर्क स्थापित करने के लिए लाभकारी उपयोगिता होनी चाहिए।	टी.ओ.यू.आर.एन.ई.टी (टूरनैट) की स्थापना की गई है।
18.	विदेशी खाद्य और सांस्कृतिक उत्सवों के साथ पूरी तरह तारतम्यता डेस्टीनेशन इंडिया (गंतव्य भारत) में रुचि के लिए ही है। ये विदेशियों में बहुत लोकप्रिय साबित हुए हैं। वह महसूस करते हैं कि ऐसे संवर्धनात्मक कार्यकलाप, विदेशों में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में प्रमुख विशेषता होनी चाहिए।	ऐसे उत्सव भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा एयर इंडिया तथा राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।
19.	भारत पर्यटन की प्रमुख शक्ति इसकी गहरी सांस्कृतिक विरासत है। भारत में विदेशी पर्यटक, सायंकाल में आयोजित किए जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों जिनमें हमारे परंपरागत संगीत, नृत्य, लोक साहित्य आदि के बेहतर प्रदर्शन शामिल हैं, से पूरी तरह मंत्रमुग्ध होते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से उत्पन्न हुआ प्रचार विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालेगा। निजी उद्यमियों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय को इस क्षेत्र में विकास का उत्प्रेरक होना चाहिए।	सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा उत्सवों पर प्रचार को सुदृढ़ बनाया गया है।
20.	सम्मेलन और समागम व्यवसाय द्वारा प्राप्त संभावना का पता लगाने की आवश्यकता है। सम्मेलनों की मेजबानी करने की वर्तमान प्रक्रिया दीर्घसूत्री (लंबी) होनी चाहिए और हमें "सिंगल विंडो" क्लीयरेंस कन्सेप्ट को स्वीकार करना चाहिए।	सम्मेलन और समागम पर्यटन पर बल दिया जा रहा है।
21.	जहाँ तक कुल टुअर पैकेज की लागत भारत को और भारत से नियत वायु सेवाओं पर लागू संवर्धनात्मक किरायों से कम नहीं हो, तो वहाँ वायु चार्टरों की उदारतापूर्वक अनुमति दी जाए।	नीति को उदार बनाया गया है और चार्टर्ड उड़ाने अब विभिन्न एयरपोर्टों पर उतर सकती हैं।

1	2	3
22.	इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय हेतु, अपने संगठनों में अलग पर्यटन निदेशालय स्थापित करें।	उनके अलग कार्यालय हैं, जिन्हें समन्वय हेतु डिजाइन किया गया है।
23.	ट्रेवल एजेंसियों को टिकटिंग, बुकिंग आदि की सुविधा के लिए एयरलाइनों और रेलवे की कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली के साथ संबद्ध टर्मिनल प्रदान किए जाएं।	मुख्य ट्रेवल एजेंसियां इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं।
24.	एयरपोर्ट यथार्थ में देश के प्रवेश-द्वार हैं। एयरपोर्टों पर प्रदान की गई कार्यकुशलता और सुविधाएँ विदेशी पर्यटकों पर स्थाई छाप छोड़ती हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति की वजह से उड़ानों की रात्रि बंचिंग और पीकिंग समस्याओं से उत्पन्न सरलीकरण प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जाए ताकि औपचारिकताओं को पूरा करने में समय कम से कम लगे।	प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया गया है।
25.	'पैलेस आन-व्हील्स' गाड़ी को वातानुकूलित किया जाए और एक 'पीरियड' स्टाईल में पुनः सुसज्जित किया जाए। ग्रेट 'इंडियन रोवर' पर्यटक गाड़ी को बौद्ध परिपथ में पुनः प्रारंभ किया जाए।	कार्यान्वित किया गया।
26.	रेल मंत्रालय का अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय हेतु एक पूर्ण विकसित पर्यटन निदेशालय होना चाहिए।	रेल मंत्रालय का एक पर्यटन कक्ष है।
27.	महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्रों में सड़क परिवहन सुविधाओं के उन्नयन हेतु पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर में दिल्ली-आगरा-जयपुर ट्रायंगल, दक्षिण में मद्रास-बंगलौर-मैसूर और पूर्व में कलकत्ता-पुरी-कोणार्क में प्रारंभिक रूप से उपयुक्त मिडवे सुविधाओं के साथ 4-लेन राजमार्गों और मोटर मार्गों को विकसित किया जाए।	दिल्ली-आगरा-जयपुर और कलकत्ता भुवनेश्वर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटक रूटों पर 4-लेनिंग प्रारंभ की गई है।
28.	पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय और प्रचालन विंग को रेलवे बोर्ड के पैटर्न पर पुनः गठित किया जाए। नई स्थापना में मंत्रालय और महानिदेशक के कार्यालय की वर्तमान अलग - अलग पहचान बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।	मंत्रालय को पुनः गठित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
29.	पर्यटन के लिए भारतीय पर्यटन सेवा नामक एक विशेषज्ञ प्रबंधक संवर्ग गठित किया जाए। ऐसे संवर्ग से, एक राष्ट्रीय क्रिया-कलाप के रूप में पर्यटन के साथ काम करने के लिए गहरे ज्ञान और अनुभव के साथ कार्मिकों को तैयार करने का लाभ होगा।	मंत्रालय को पुनः गठित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
30.	देश में पर्यटन उद्योग के लिए एक छत के नीचे निकाय के रूप में, भारत पर्यटन विकास निगम की भूमिका को पुनः परिभाषित किया जाए। "राष्ट्रीय पर्यटन विकास निगम" नामक इस स्वायत्त निकाय के सभी राज्यों में 50% संयुक्त उद्यम हित होंगे। विकास भूमिका के रूप में इसे, उन क्षेत्रों में जहाँ निजी क्षेत्र में निवेश करने में सतर्क हो, पर्यटन के लिए रास्ता बनाना जारी रखना चाहिए।	इसे कार्यान्वयन हेतु व्यवहार्य नहीं पाया गया।

1	2	3
31.	भारतीय होटल निगम को राष्ट्रीय पर्यटन विकास निगम के साथ मिला दिया जाए। ऐसी स्थापना से समन्वित प्रचालन और एक अधिक व्यापक एवं एकीकृत आवास नेटवर्क सुनिश्चित होगा। इसी समय पर इकोनोमिक्स ऑफ स्केल पर कार्य कर रही घाटे में चल रहा भारतीय होटल निगम लाभ कमाने लगेगा।	इसे कार्यान्वयन हेतु व्यवहार्य नहीं पाया गया।
32.	पर्यटन के विकास में एकीकृत एप्रोच प्रदान करने और इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को भी प्रभावपूर्ण ढंग से सम्मिलित करने के लिए पर्यटन मंत्रियों की एक स्थायी समिति बनाई जानी चाहिए।	इस उद्देश्य के लिए राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हर वर्ष आयोजित की जाती है।
33.	क्राफ्ट और डिप्लोमा दोनों स्तरों पर संस्थानों की कार्यक्षमता और संख्या जानी चाहिए।	संस्थानों की कार्यक्षमता और संख्या बढ़ाई गई है। होटल प्रबंध संस्थानों की संख्या वर्ष 1988 में 12 से बढ़ाकर वर्ष 1998 में 21 कर दी गई है। भोजनकला संस्थानों की संख्या वर्ष 1988 में 12 से बढ़ाकर वर्ष 1998 में 14 कर दी गई है।
34.	सांविधिक एप्रैंट्रिसशिप अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की भर्ती बढ़ाई जानी चाहिए।	इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
35.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शिक्षण सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पुनर्संरचना करके तथा शिक्षण सुविधाओं के लिए उचित स्टाफ की बाद में (इंडक्शन) भर्ती करके और 'प्रशिक्षकों का पुनर्प्रशिक्षण' द्वारा सुधार किया जा सकता है।	कार्यान्वित कर दिया गया है।
36.	विश्वविद्यालयों में पर्यटन आधारित पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे अग्रणी प्रबंध संस्थानों में आतिथ्य और संस्थान प्रबंधन जैसे विभाग अलग से होने चाहिए जो सेवा उद्योग की नित नई आवश्यकताओं की अनुपम प्रबंध आवश्यकताओं के बारे में उन्हें स्वयं को बतलाएं।	कुछ विश्वविद्यालयों में एम.टी.ए. और पी.जी.डी.डी.एम. आरंभ किए गए हैं।
37.	विश्वविद्यालयों के प्रबंध विभाग और भारतीय प्रबंध संस्थानों के साथ-साथ होटल प्रबंध संस्थान को मॉडरयूलर प्रबंध कार्यक्रम और अंशकालिक/संध्याकालीन कार्यक्रम को प्रस्तुत करना चाहिए।	कुछ संस्थानों द्वारा अंशकालीन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
38.	विद्यार्थियों को उद्योग के बारे में पूरी जानकारी देने के साथ-साथ व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान करने के उद्देश्य से इन संस्थानों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य रेस्तराओं और केक शॉप चलानी चाहिए ताकि वे चालू लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आय कमा सकें।	अधिकतर संस्थान व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य रेस्तरां तथा केक शॉप चलाते हैं।
39.	भारतीय पर्यटन संस्थान तथा यात्रा प्रबंध संस्थान का, सरकार द्वारा संकल्प जारी करके पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान अपने डिप्लोमों को स्वयं प्रदान करता है।

1	2	3
	एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए और डिप्लोमा/डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।	
40.	शिक्षा जारी रखना भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान के कार्यकलापों का एक हिस्सा होना चाहिए। संस्थान द्वारा ग्रास रूट और पर्यवेक्षकीय स्तरों पर नियुक्त लोगों के ज्ञान और कार्यकुशलता को अद्यतन बनाए रखने के लिए लघु अवधि कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इसे, विभिन्न प्रकार के विशेष कार्यों में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए रिसोर्स मैटीरियल भी विकसित करना चाहिए। संस्थान का एक महत्वपूर्ण कार्य, कैरियर के बारे में सलाह देना भी हो।	संस्थान, पर्यटन में लघु आवधिक कार्यक्रम और सतत शिक्षा के विभिन्न अन्य कार्यक्रमों को चला रहा है। संस्थान में कैरियर काउंसलिंग भी की जा रही है।
41.	जिन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना है, उनमें से प्रत्येक क्षेत्र की वहन क्षमता का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है और प्रणाली तंत्र विश्लेषण के प्रयोग पर आधारित मूल्यांकन तकनीक बनाई जाएं।	जिन केंद्रों में ऐसी समस्याओं की संभावना है वहाँ अध्ययन किए जा रहे हैं।
42.	उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए पर्यटन योजनाएं बनाई जानी होंगी।	प्रमुख पर्यटक केंद्रों में पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख योजनाएं बनाई जा रही हैं।
43.	गैर-सरकारी संगठनों, खास कर के पारिस्थितिकीय और साहसिक ग्रुपों को इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।	गैर सरकारी संगठन प्रायः सम्मिलित किए जा रहे हैं।
44.	सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी है और जिसका एक व्यापक विधान होना चाहिए।	वर्ष 1997 में प्रारूप राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सिडनी स्थित पर्यटन कार्यालय

2685. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सिडनी में अपना कार्यालय स्थापित किया है जिसके प्रमुख निदेशक हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यालय को चलाने के लिए प्रतिमाह कुल कितनी धनराशि व्यय की जा रही है; और

(ग) वर्ष 1997, 1998 के दौरान और चालू वर्ष में अक्तूबर, 1999 तक आस्ट्रेलिया से कुल कितने पर्यटक भारत आए?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) भारत सरकार क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय सिडनी (आस्ट्रेलिया) में स्थित है जहाँ के कार्यालय प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक हैं।

(ख) इस कार्यालय को चलाने में औसत मासिक व्यय की राशि (वेतन छोड़कर) अनुमानतः 4 लाख रुपए है।

(ग) आस्ट्रेलिया से भारत आए पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	पर्यटक आगमन
1997	50647
1998	57807
1999	34215

(जुलाई, 1999 तक)

ग्रामीण रोजगार

2686. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परती भूमि विकास के माध्यम से ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने में कोई सफलता मिली है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। भूमि संसाधन विभाग, वनेतर बंजरभूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत वनीकरण, वन चारागाह विकास, चरागाह विकास, बागवानी, पौध का वितरण, मृदा और नमी संरक्षण आदि जैसे भूमि आधारित विभिन्न कार्य-कलाप किए जाते हैं। इन कार्यकलापों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस योजना के तहत, मार्च 1999 तक देश में 15.98 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि के विकास के लिए 778.15 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 247 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। वे लोग जो परियोजना क्षेत्र के भीतर या इसके आस-पास रहते हैं उन्हें इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मजदूरी पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

[हिन्दी]

सिगनल प्रणाली

2687. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल प्रणाली रेल विभाग की रीढ़ है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक जोन में ऐसे स्टेशनों की संख्या कितनी है जहाँ सिगनलिंग गीयर की प्रयोग अवधि समाप्त हो चुकी है तथा वे बहुधा खराब रहते हैं जिसके कारण गंभीर रेल दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ग) सिगनल प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जोनवार स्टेशनों की संख्या जहां सिगनल गियरों की जीवट आयु पूरी हो चुकी है, निम्नलिखित हैं :

रेलवे	स्टेशनों की संख्या जहाँ बदलाव अपेक्षित है
मध्य	63
पूर्व	403
उत्तर	486
पूर्वोत्तर	170
पूर्वोत्तर सीमा	148
दक्षिण	222
दक्षिण मध्य	227
दक्षिण पूर्व	412
पश्चिम	254
जोड़	2990

इन सभी स्टेशनों पर सिगनलिंग गियरों का रखरखाव गहन रूप से किया जा रहा है और बहुधा खराब नहीं रहते हैं। इस वजह से इन स्टेशनों पर कोई गंभीर रेल दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत आयु एवं हालात के आधार पर सिगनल प्रणाली का उत्तरोत्तर बदलाव किया जा रहा है। सिगनल प्रणालियों के बदलाव का कार्य 487 स्टेशनों पर स्वीकृत किया गया है और समापन के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

यात्री निवास का निर्माण

2688. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार देश में यात्री निवासों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रेल सुविधा प्रदान करने और उनका उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सभी भारतीय रेलों पर बजट होटलों/रेल यात्री निवासों के निर्माण के लिए पर्यटन संबंधी स्टेशनों पर 100 स्थानों की पहचान की गई है। हावड़ा, नई दिल्ली तथा गोरखपुर में तीन रेल यात्री निवास पहले से ही मौजूद हैं।

(ग) सुविधाओं का प्रावधान तथा उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, रेलों पर जिलेवार सूचना नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

पुनः नियोजित सेना कार्मिकों के वेतन में संशोधन

2689. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल के पद से सेवानिवृत्त सेना अधिकारी पुनः नियुक्त होने पर अपने पदनाम पूर्ववत रखते हैं परंतु उन्हें वेतन कप्तान का मिलता है;

(ख) क्या पांचवें वेतन आयोग ने इन पुनः नियोजित सेना अधिकारियों के वेतन संशोधन के मुद्दे को नजर अंदाज कर दिया था जिसके कारण उन्हें कप्तान पद के वर्तमान वेतन से भी कम पुराना वेतन मिलता है;

(ग) यदि हाँ, तो इन पुनः नियोजित अधिकारियों के वेतन को तर्कसंगत, संशोधित और अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उन अधिकारियों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (घ) सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन पर रक्षा सेना अधिकारियों का वेतन इस तरह निर्धारित किया जाता है : वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय यथा आहरित वेतन के स्तर पर किया जाता है उसमें रैंक वेतन शामिल नहीं होता। इसके अतिरिक्त, जिस रैंक में वह पुनर्नियोजित है उस रैंक का रैंक वेतन लेने की अनुमति है। इस तरह से बने वेतन पर महँगाई भत्ता दिया जाता है और सकल वेतन से पेंशन घटा दी जाती है जिसे वे महँगाई राहत के बिना अलग से बराबर आहरित करते रहते हैं।

कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के रक्षा सेना अधिकारी केवल मेजर/कैप्टन के निचले रैंक में पुनर्नियोजित किए जाते हैं परंतु उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय धारित रैंक धारण करने की अनुमति है। पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को उसी रैंक में पुनर्नियोजित किया जाना चाहिए जिस रैंक से वे सेवानिवृत्त होते हैं। तथापि, सरकार ने सेना मुख्यालयों के साथ परामर्श करके इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है क्योंकि इससे सेवारत अधिकारियों के पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब तक पुनर्नियोजित अधिकारियों को उपर्युक्त के अनुसार वेतन निर्धारण की विद्यमान विधि के तहत वेतन दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत मेजर/कैप्टन के पद पर पुनर्नियोजित कर्नल/लेफ्टिनेंट कर्नल अधिक वेतन तथा भत्ते आहरित कर रहे हैं जबकि एक कैप्टन द्वारा अपने अधिकतम वेतनमान पर उतना आहरण नहीं किया जाता।

पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सेना के अधिकारियों के वेतनमानों के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्नियोजित रक्षा सेना अधिकारियों के लिए वेतन निर्धारण सूत्र का संशोधन करने संबंधी मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

पुनर्नियोजित अधिकारियों की सेवा शर्तें समय-समय पर यथासंशोधित विशेष सेना अनुदेश 1/एस/80 में दी गई हैं। पुनर्नियोजन के समय ऐसे अधिकारियों की आयु 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी पुनर्नियोजित अधिकारी को 56 वर्ष की आयु के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा। स्थायी रूप से कर्नल और उससे निचले रैंक से सेवानिवृत्त हुए सेना के नियमित अधिकारी पहली बार में अधिकतम 3 वर्ष और न्यूनतम 2 वर्ष के लिए पुनर्नियोजन के पात्र हैं। स्थायी रूप से कर्नल के सिवाय अन्य अधिकारियों को आरंभ में उस स्थायी रैंक में पुनर्नियोजित किया जा सकता है जिसमें वे सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत रहे हों। उनकी सहमति से उन्हें निचले रैंकों में मान्य पद पर भी पुनर्नियोजित किया जा सकता है। सेना चिकित्सा कोर के अधिकारियों के सिवाय स्थायी रूप से कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को भी इसी तरह से उनकी सहमति से निचले रैंकों में मान्य पद पर पुनर्नियोजित किया जा सकता है। पुनर्नियोजन के लिए उपर्युक्त अधिकारियों को निर्धारित स्वास्थ्य संबंधी मानदंड पूरे करने चाहिए।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का उत्पादन और पेराई क्षमता

2690. श्री रामदास आठवले :
श्री अशोक प्रधान :
श्री राम नगीना मिश्र :
श्री चंद्र विजय सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिलों की राज्यवार पेराई क्षमता कितनी है;

(ख) क्या मौजूदा चीनी मिलों की पेराई क्षमता गन्ने के संपूर्ण उत्पादित, विशेषरूप से महाराष्ट्र में, मात्रा की पेराई करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो केंद्र सरकार द्वारा उत्पादित गन्ने की कुल मात्रा की पेराई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्य योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) देश में चीनी मिलों की राज्य-वार प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता (टन में) दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) गन्ने का उपयोग खांडसारी, गुड़, बीज, चूसने के उद्देश्य से तथा चीनी मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन के लिए किया जाता है। 1999-2000 वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन गत वर्ष 1998-99 के दौरान उत्पादित 435.41 लाख टन की तुलना में 540.00 लाख टन अनुमानित किया गया है। महाराष्ट्र में चीनी मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने की अधिकतम मात्रा चीनी मौसम 1995-96 के दौरान 514.57 लाख टन थी। उसके बाद, राज्य में 9.258 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है। यह अनुमान किया जाता है कि 49.12 लाख टन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता के साथ राज्य की सहकारी तथा संयुक्त क्षेत्रों की चीनी मिलों द्वारा पेराई के लिए उपलब्ध समस्त गन्ने का उपयोग कर लिया जाएगा।

साथ ही चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और इस प्रकार विद्यमान चीनी मिलें अपनी क्षमता विस्तार के लिए स्वतंत्र हैं तथा उद्यमी अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार एवं विद्यमान चीनी फैक्टरियों से 15 कि.मी. की दूरी रखते हुए नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

विवरण

देश में चीनी मिलों की अधिष्ठापित प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता टन में, को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

30.9.99 की स्थितिनुसार

प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता (टन में)

क्रम सं.	राज्य	कुल
1.	पंजाब	44766
2.	हरियाणा	30300
3.	राजस्थान	3766
4.	उत्तर प्रदेश	335474
5.	मध्य प्रदेश	12325
6.	गुजरात	57600
7.	महाराष्ट्र	284307
8.	बिहार	45950
9.	असम	3313
10.	उड़ीसा	12919
11.	पश्चिम बंगाल	1850
12.	नागालैंड	1000
13.	आंध्र प्रदेश	86470
14.	कर्नाटक	88755
15.	तमिलनाडु	87450
16.	पांडिचेरी	2750
17.	केरल	1524
18.	गोवा	1250
	कुल	1101769

कारगिल कोष

2691. श्री विजय गोयल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल संघर्ष के शहीदों के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष और सेना के केंद्रीय कल्याण कोष में राज्यवार कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ख) उस कोष में से शहीदों के परिवारों को अब तक कितनी राशि जारी की गई है और बाकी कोष के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कुछ राजनैतिक दलों के अध्यक्षों ने राशि जमा की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सभी ने जमा धनराशि को प्रधान मंत्री राहत कोष और सेना के केंद्रीय कल्याण कोष में जमा करा दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे मुख्यमंत्रियों और दल-अध्यक्षों के नाम क्या हैं और राशि जमा न कराने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रक्षा कोष में 6 दिसंबर, 1999 तक 446.24 करोड़ रुपए की राशि एकत्र हुई है। सेना केंद्रीय कल्याण कोष में 201 करोड़ रुपए एकत्र हुए हैं। एकत्र हुई राशि का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय रक्षा कोष से 46.25 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सेना केंद्रीय कल्याण कोष से योजनाबद्ध आबंटन के लिए 198.10 करोड़ रुपए की राशि दी गई/निर्धारित की गई है। शेष धनराशि आवश्यकता के अनुसार दी जाएगी।

(ग) से (ङ) रक्षा मंत्रालय को कुछ राज्यों के मुख्य-मंत्रियों और कुछ राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा एकत्र की गई धनराशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा कोष और सेना केंद्रीय कल्याण कोष में कुछ दान प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्रालय को किसी एजेंसी या किसी संगठन द्वारा कोई धनराशि जमा न कराए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

कटिहार रेलवे स्टेशन पर पिट लाइनों का निर्माण

2692. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के अंतर्गत कटिहार जंक्शन पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए रेलगाड़ियों की संख्या के अनुपात में पिट लाइनों का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और पिट लाइनों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का कटिहार जंक्शन पर एक नया पैदल उपरिगामी पुल बनाने का विचार है क्योंकि लकड़ी का बना पुराना पैदल उपरिगामी पुल जीर्ण शीर्ण हालत में है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) कटिहार में एक गर्त लाइन है जो नई गाड़ियां चलाए जाने के कारण धीरे-धीरे संतृप्त हो गई है। अतः दूसरी गर्त लाइन स्वीकृत की गई है और इसका निर्माण प्रगति पर है। इस नई गर्त लाइन के वर्ष 2000 के अंत तक निर्माण किए जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं। लकड़ी के पुराने पुल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और 1997 में एक नया ऊपरी पैदल पुल पहले ही चालू कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"पिनाका" राकेट प्रणाली का निष्पादन

2693. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल कार्यवाही के दौरान मल्टी-बैरेल राकेट प्रणाली "पिनाका" का निष्पादन कैसा रहा था;

(ख) "पिनाका" राकेट प्रणाली के स्वदेशी उत्पादन की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) इसकी शुरूआत करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सेना में इसे कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) कारगिल सैन्य-कार्रवाई के दौरान प्रयोगात्मक आधार पर "पिनाका" प्रणाली के एकल बैरल वाले लांचर को तैनात किया गया था।

(ख) से (घ) "पिनाका" प्रणाली को प्रयोक्ता परीक्षण करने के लिए सेना से अक्तूबर, 1999 में पेशकश की गई थी। सेना द्वारा यह पेशकश स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही उक्त प्रणाली का उत्पादन शुरू करने के संबंध में निर्णय लिया जाना है। उक्त प्रणाली के विकास तथा उसके अनुवर्ती प्रयोक्ता परीक्षणों में निम्नलिखित कारणों से विलंब हुआ है : (1) नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां स्थापित करने में उत्पन्न अप्रत्याशित समस्याओं के समाधान में समय लगा, (2) आरंभिक उड़ान परीक्षणों के दौरान असफलता; तथा (3) सब-असेंब्लियों के विनिर्माण में लगा अप्रत्याशित लंबा समय।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस के लिए नए विमान

2694. श्री विजय गोयल :
श्री राजैया मल्याला :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में कितने और किस श्रेणी के विमान हैं और ये कब से इंडियन एयरलाइंस के स्वामित्व में हैं;

(ख) क्या यह संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इंडियन एयरलाइंस नए विमान खरीदने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो अगले पांच वर्ष के दौरान वर्षवार कितने विमानों की आवश्यकता है और कितने विमान खरीदने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े में विमानों की संख्या तथा श्रेणी और इन विमानों की प्राप्ति की अवधि निम्न प्रकार है :

विमान का प्रकार	विमान बेड़ा	प्राप्ति की अवधि
ए-300	9 *	1976-1982
बी-737	12	1980-1982
डीओ-228	3	1984-1986
ए-320	30	1989-1994
जोड़	54	

* पट्टे पर लिए गए दो ए-300 विमानों को छोड़कर।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) इंडियन एयरलाइंस ने छः एटीआर-42 विमान को शामिल करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इंडियन एयरलाइंस में बी-737 तथा ए-300 विमान बेड़े के पुराने पड़ गए विमानों को बदलने के लिए एक तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन इस समय चल रहा है। अध्ययन के पूरा हो जाने पर निर्धारित कार्यावधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तथापि इस समय कोई भी समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

जामनगर में रेल दुर्घटना

2695. श्री चंद्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले में लालपुर रेलवे स्टेशन के निकट 3 मई, 1999 को एक रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति मारे गए/हताहत हुए और इसमें कितने मूल्य की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया या दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कोंकण रेलवे द्वारा मुआवजा

2696. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना हेतु कितने किसानों की भूमि का, विशेष रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, अधिग्रहण किया गया था;

(ख) प्रभावित किसानों को दिए गए मुआवजे की धनराशि कितनी है तथा उन किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें वास्तव में मुआवजे की राशि मिली;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान है;

(च) यदि हाँ, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने रेलवे प्लेटफार्मों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों/विकलांगों/भूतपूर्व सैनिकों/प्रभावित परिवारों के लिए कुछ दुकानें आरक्षित की हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगभग 7750 किसान हैं जिनसे कोंकण रेल परियोजना के लिए भूमि अधिगृहित की गई थी।

(ख) रायगढ़ जिले में अधिगृहित भूमि के लिए कुल की गई क्षतिपूर्ति 2,84,96,316/- रुपए है। कोंकण रेलवे ने धनराशि महाराष्ट्र सरकार को जमा करा दी थी जिसने क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। किसानों, जिन्हें क्षतिपूर्ति की राशि मिली है, का ब्यौरा रेलों के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि वितरण प्राधिकारी महाराष्ट्र सरकार है।

(ग) किसानों को समुचित क्षतिपूर्ति कर दी गई थी इसलिए उनके पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोंकण रेल निगम उन व्यक्तियों जिनकी समूची भूमि अधिगृहित कर ली गई थी, को रोजगार देने में प्राथमिकता देता है, बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों। कोंकण रेल निगम ने पूर्व में की गई सभी भर्तियों और टी स्टालों, बुक स्टालों के आबंटन में भी भूमि से बेदखल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी थी।

(च) परियोजना के लिए भूमि देने वाले 704 व्यक्तियों को इस आधार पर रोजगार मुहैया कराया गया है। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी कुछ ही भूमि दी थी क्योंकि शत-प्रतिशत भूमि देने वालों को ही रोजगार मुहैया कराने की नीति बाद में तय की गई थी।

(छ) केवल भूमि देने वालों को ही प्राथमिकता दी गई है।

(ज) भूमि देने वालों को 7 टी स्टाल, 2 बुक स्टाल और 7 पी.सी.ओ. आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा कोयला, पी.ओ.एल. और उर्वरक की मदसूची में प्राथमिकता कम किया जाना

2697. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कोयल, पी.ओ.एल. और उर्वरकों की आवाजाही को प्रदान की गई सर्वोच्च प्राथमिकता को वापस लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे ने कंटेनरों में आयात/निर्यात कार्गो जैसे गैर-प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो रेलवे की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए किन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में लगभग 95% रेल परिवहन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करता है। उभरते हुए गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों से बढ़ रहे यातायात को हासिल करने के उद्देश्य से रेलें उन कारगो के संचालन का संवर्धन कर रही हैं जो कंटेनरों के माध्यम से सामान्यतः फुटकर में ढोए जाते हैं।

(घ) रेलों द्वारा अपनी लाभदायिकता में सुधार करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ अपनी विश्वसनीयता में सुधार करके परिसंपत्तियों की उत्पादकता में और वृद्धि करना, परिचालन लागत में कमी करने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाना, बंदरगाहों पर प्राप्त होने वाले यातायात की बढ़ती हुई मात्रा हासिल करने के उद्देश्य से बंदरगाहों के साथ संपर्क का विकास/सुदृढ़ीकरण करना और वैगन उपयोग में सुधार करने के लिए "इंजन-ऑन-लोड" की बहुतायत में शुरू करना शामिल है।

विमान किराए में कमी

2698. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट एयरवेज सहित अनेक विमान कंपनियों ने देश में विमान किरायों में कमी की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या किराए की घटी हुई इन दरों से विमान कंपनियों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा लगभग सभी विमान कंपनियां घाटा उठा रही हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) विमान कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ प्रवृत्ति है जो कि यात्रियों के हित में है। किराए विनियमित नहीं हैं और विमान कंपनियां अपने किरायों का समय-समय पर उस तरह समायोजन करती हैं जिस तरह की प्रवृत्ति के बाजार में देखती हैं। किसी विमान कंपनी की आय यात्रियों की संख्या-भार तथा प्रभारित किरायों पर निर्भर होती है। यह जरूरी नहीं है कि मात्र अधिक किराए से लाभप्रदता सुनिश्चित होती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी घरेलू विमान कंपनियां घाटा नहीं उठा रही हैं।

[हिन्दी]

आरक्षण सूची में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का नाम शामिल करना

2699. श्री रामपाल सिंह :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल आरक्षण-सूची में पाँच वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का नाम शामिल करने का है जो वयस्क यात्रियों के साथ यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) क्षेत्रीय रेलों को यात्रियों के साथ यात्रा करने वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के निम्नानुसार आंकड़े एकत्रित करने को कहा गया है :

(i) यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ यात्रा करने वाले 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा/बच्चों के नाम आरक्षण प्राप्त करते समय मांग पत्र में प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है और उनका रिकार्ड रखा जाएगा।

(ii) यात्रियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि उनके साथ यात्रा कर रहे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चा/बच्चे का नाम गाड़ी के चल टिकट परीक्षक/गाड़ी कंडेक्टर को दें जो आरक्षण चार्ट में इसे नोट करेगा।

[अनुवाद]

नई रेल लाइन का बिछाया जाना

2700. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अब तक बिछाई गई/आमान परिवर्तित/दोहरीकृत/विद्युतीकृत नई रेल लाइनों का जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

जोन	खंड	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3
नई लाइनें		
मध्य	खजूरी-पनिहार (गुणा-इटावा लाइन का भाग)	82
दक्षिण पूर्व	मनेश्वर-अंगुल (तालचेर-संबलपुर लाइन का भाग)	142
पूर्व	बोंगाव-पेत्रापोल	8
आमान परिवर्तन		
पूर्वोत्तर	नरकटियागंज-गोरखपुर	159
पूर्वोत्तर	इंदारा-फेफना	55
पूर्वोत्तर सीमा	मरयानी-जोरहट और शिवसागर-मोरानहट (लम्डिंग-सिलचर आमान परिवर्तन परियोजना का भाग)	57
दक्षिण	तांबरम-त्रिची	303
दक्षिण	त्रिची-डिंडीगुल	93
दक्षिण	यशवंतपुर-बैय्यप्पनाहल्ली (यशवंतपुर-सेलम आमान परिवर्तन परियोजना का भाग)	20
दक्षिण मध्य	सोलापुर-होटगी (सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन परियोजना का भाग)	15

1	2	3
दक्षिण पूर्व	बाबूपेट-बल्लारशाह (गोंदिया-चांदाफोर्ट आमान परिवर्तन परियोजना का भाग)	11
पश्चिम	मोरबी-मलिया-मियाना (वांकनेर-मलिया-मियाना आमान परिवर्तन परियोजना का भाग)	
दोहरीकरण		
मध्य	दिवा-बसई (चरण-I)	11
मध्य	हेतमपुर-घेर	1
मध्य	कटनी-कटनी ए केबिन	3
मध्य	निसातपुरा ए एंड डी केबिन	1
पूर्व	खाना-सैंथिया (चरण-II)	6.5
पूर्व	खाना-सैंथिया (चरण-III)	6.5
पूर्व	डेहरी ऑन-सोन-मुगलसराय तीन ब्लॉक खंड—तीसरी लाइन	6
पूर्व	साहिबगंज-न्यू फराक्का-मालदा	16
उत्तर	गाजियाबाद-हापुड़ (चरण-I)	7
दक्षिण	शोरूवण्णूर-मंगलौर (भाग)	48
दक्षिण	कोल्लम-तिरुवनंतपुरम (भाग)	27
दक्षिण	मालूर-बैंगारपेट	27
दक्षिण मध्य	रुकमापुर-विकाराबाद	30
दक्षिण पूर्व	सरगबुंदिया-कोरबा	7
दक्षिण पूर्व	रजतगढ़-नेरगुंडिया	4
दक्षिण पूर्व	रघुनाथपुर-रेहामा (भाग)	16
दक्षिण पूर्व	आकालतारा-नैला	16
दक्षिण पूर्व	रायपुर-सरोना	5
दक्षिण पूर्व	गोतलाम-विजयनगरम्	6
पश्चिम	कोटा-गुर्ला-चंबल पुल	1

जोन	खंड	मार्ग कि.मी.
1	2	3
रेल विद्युतीकरण		
पूर्व	(सीतारामपुर-मुगलसराय परियोजना के भाग)	
	नरगंजु-झाझा	8
	मोकामा-फतुहा	68
	मुगलसराय-कुछमन	7
	विधूल यार्ड	05
	(चंदरपुरा परिसर परियोजना का भाग)	
	जेरांगडीह-फुसरो	9
दक्षिण पूर्व	(भुवनेश्वर-कोट्टवलासा परियोजना का भाग)	
	अलमंडा-चिपुरुपल्ली-श्रीकाकुलम रोड	82
	पलासा-तिलरू	48
	सिम्हाचलम यार्ड	8
	श्रीकाकुलम रोड-तिलरू	20
	(बोकारो वरसुआँ परियोजनाका भाग)	
	राधागाँव-मुरी-किटा	64
	पुरूलिया-कोटशिला	36
	रांगरा-किरीबुरू	20
	बोंडामुंडा यार्ड	8
	आद्रा-मिदनापुर परियोजना का भाग)	
	भेदुआसोल-चनणाकोणा रोड-सलबोरी	65
	(खड़गपुर-भुवनेश्वर परियोजना का भाग)	
	मेरामांडोली-तालचेर	16
	हिजली-बखराबाद	24
	भद्रक-केंदुआपदा	16
उत्तर	(दिल्ली-अंबाला-लुधियाना परियोजना का भाग)	
	अंबाला-चंडीगढ़	42
	सरहिंद-मोरिंदा	24
	(लखनऊ-कानपुर परियोजना का भाग)	
	उन्नाव-सोनिक	06
	(अंबाला-मुरादाबाद परियोजना का भाग)	
	सहारनपुर स्टेशन	2
	(लखनऊ-कानपुर परियोजना का भाग)	
	कानपुर पुल-उन्नाव	14
दक्षिण	(इरोड-एर्णाकुलम परियोजनाओं का भाग)	
	पुकुन्नम-चोवरा	56

(ख) 1998-99 के दौरान नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण कार्यों पर क्रमशः 390 करोड़, 774 करोड़, 450 करोड़ और 334 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1999-2000 के लिए खर्च तभी पता चल पाएगा जब 1999-2000 के लेखे चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर बंद कर दिए जाएं।

[हिन्दी]

दिल्ली उप-नगरीय रेलगाड़ियां

2701. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उप-नगरीय रेलगाड़ियों की दशा बहुत खराब है जैसे सीटें, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और इनके बल्ब, ट्यूब तथा पंखे भी काम नहीं करते; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। बहरहाल, दिल्ली उपनगरीय गाड़ियों में पंखे, बल्ब/ट्यूब लाइट के न जलने, सीटों के अच्छी हालत में न होने, खिड़की के शीशों के टूटने/न होने इत्यादि के मामले प्रकाश में आए हैं। ऐसा मुख्यतः गुंडागर्दी, चोरी और उनके गहन उपयोग के कारण होता है।

(ख) अनुरक्षण और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा, चोरी को रोकने के लिए परिवर्तन और शुरूआती चरण में ही फाइबर ग्लास रीन्फोर्स्ड प्लास्टिक (एफ.आर.पी.) वाली खिड़कियां, कंप्रेग स्लेट्स वाली सीटों का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राजस्व में कमी

2702. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने वार्षिक योजना के वित्तपोषण में कमी के कारण सरकार से 1000 करोड़ रुपए का ऋण मांगा है;

(ख) यदि हाँ, तो राजस्व में कमी वाले क्षेत्र तथा जोन कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या कुप्रबंधन के कारण रेलवे की कुल पूँजी निधि (कैपिटल फंड) में ह्रास हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो रेलवे में वित्तीय कुशलता बनाए रखने हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) चालू वर्ष में रेलवे के संसधनों में आने वाली संभावित कमी के दृष्टिगत, वित्त मंत्रालय से सहायता की माँग की गई है। सुझाए गए उपायों में एक तरीका ऋण प्राप्त करना भी है।

(ख) अभी तक आमदनी में कमी अधिकांशतः पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण रेलवे पर हुई है। अन्य जोनों में आमदनी का रुख संतोषजनक है। बहरहाल, संसाधनों की समग्र स्थिति व्यय पर भी निर्भर करती है और जहाँ विभिन्न कारकों के कारण वृद्धि का सामना किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। बहरहाल, रेलों ने योजना परिव्यय की सहायता के लिए पूँजी निधि सहित रेलवे निधि अवशेषों से भारी निकासी करनी पड़ी थी। पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् कर्मचारियों और पेंशन पर बढ़े हुए खर्च और माल यातायात में पिछले वर्ष हानि के कारण यह आवश्यक हो गया।

(घ) वित्तीय कुशलता बनाए रखने के लिए रेलों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

1. अतिरिक्त माल यातायात प्राप्त करने के लिए विपणन प्रयास जिसमें मालभाड़ा रियायतें शामिल हैं।
2. बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान।
3. पार्सल यातायात से आमदनी बढ़ाने के लिए उपाय।
4. बकाया की वसूली के लिए अभियान।
5. रेलवे भूमि और वायुमंडल के दोहन, आप्टिक फाइबर केबल संचार के लिए मार्ग के अधिकार को पट्टे पर देना, रेलवे स्टेशनों और चल स्टाक आदि पर विज्ञापन के संबंध में पट्टे पर देकर संसाधन जुटाने के लिए कार्रवाई की गई।
6. क्षेत्रीय रेलों को अपरिहार्य बजटोत्तर वृद्धि यथा डीजल के मूल्यों के संशोधन, बिजली की दरों में वृद्धि, कतिपय भत्तों/प्रोत्साहन बोनस आदि की दरों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए राजस्व खर्च में प्रभावी बचत के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं।
7. ईंधन और पावर उपभोग, संविदागत भुगतानों, समयोपरि भत्ते, सामग्री की खरीद आदि क्षेत्रों में खर्च पर कड़ा नियंत्रण।
8. मेहमानबाजी, प्रचार, विज्ञापन, उद्घाटन समारोह, सेमिनारों और कारखानों, आकस्मिक कार्यालय खर्च आदि के क्षेत्रों में सादगी और मितव्ययिता उपाय।
9. उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए निर्माण कार्यों पर खर्च को प्राथमिकता।
10. जनशक्ति का उत्पादक उपयोग।
11. परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग।
12. वस्तु सूची प्रबंधन में सुधार।
13. स्क्रेप की बिक्री से अधिकतम वसूली।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में गोदामों का निर्माण

2703. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पढंरपुर, महाराष्ट्र में कितने गोदामों का निर्माण किया गया है या कितने गोदाम निर्माणाधीन हैं और उनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में और अधिक गोदामों के निर्माण का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थलवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) इस मंत्रालय के अधीन न ही भारतीय खाद्य निगम ने और न ही केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर तालुक में गोदामों का निर्माण किया है अथवा गोदामों का निर्माण करने की योजना है।

(ख) से (घ) चूँकि पहली नवंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास 11.96 लाख टन स्टाक के प्रति 16.67 लाख टन की कुल भंडारण क्षमता है। इसलिए राज्य में और गोदामों के निर्माण की इसकी कोई योजना नहीं है।

केंद्रीय भंडारण निगम के पास 1999-2000 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अकोला, डी नोट, नागपुर, गोंडिया और अमरावती में गोदामों का निर्माण करने की योजना है।

[अनुवाद]

खड़गपुर-खुर्दा रोड रेल मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

2704. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर-खुर्दा रोड रेल मार्ग के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम काफी दिनों से चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्य किस तारीख को शुरू किए गए थे तथा अभी तक कितना काम पूरा कर लिया गया है और उक्त कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) उक्त कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है तथा उन पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) खड़गपुर से खोरधा रोड तक पूरी लाइन दोहरी है, सिवाय कपिलस रोड से बरंग को छोड़कर, जहाँ महानदी और बिरूपा पर दूसरे पुलों के निर्माण सहित नरगुंडी से कटक तक (नरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर दोहरीकरण के भाग के रूप में) दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है। तालचेर-पारादीप लाइन सहित खड़गपुर से खोरधा रोड तक विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) (i) नरगुंडी से कटक तक दोहरीरकण का कार्य 1998-99 में शुरू किया था। अभी तक हुई वास्तविक प्रगति 25 प्रतिशत और खर्च 15.37 करोड़ रुपए है।

(ii) महानदी और बिरूपा पर दूसरे पुल का कार्य 1996-97 में शुरू किया गया था। दोनों पुलों के लिए मिट्टी की जांच पूरी हो गई है। बिरूपा पुल के लिए अभिकल्प पूरा हो गया और निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और महानदी पुल के लिए अभिकल्प को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iii) तालचेर-पारादीप लाइन सहित खड़गपुर से खोरधा रोड तक बिजली संबंधित कार्य 1997-98 में शुरू किया गया था। अभी तक हुई वास्तविक प्रगति 30% और खर्च 96.70 करोड़ रुपए है।

(ग) (i) नरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर दोहरीकरण की अनुमानित लागत 119 करोड़ रुपए हैं और महानदी तथा बिरूपा पर दूसरे पुल पर निर्माण की लागत 107 करोड़ रुपए है। आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य शुरू किया जाएगा और पूरा किया जाएगा।

(ii) तालचेर-पारादीप लाइन सहित खड़गपुर-खोरधा रोड विद्युतीकरण की अनुमानित लागत 323 करोड़ रुपए है और इस कार्य के मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में राकेट-लांचरों का जब्त किया जाना

2705. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के जवानों ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के समीप आतंकवादियों द्वारा जमीन में दबाए गए हथियारों का पता लगाया है और कुपवाड़ा जिले के दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपने के स्थान से भारी मात्रा में हथियार और न्यूमैटिक वोट जब्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो उस स्थान से जब्त किए गए राकेट लांचरों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तानी बलों द्वारा पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में हथियार दबाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो नियंत्रण रेखा पर हथियारों का जमावड़ा न होने देने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (घ) सेना ने नौगाँव सेक्टर में काकुआ गली के पास उग्रवादियों के एक छिपने के ठिकाने से 23 अगस्त, 1999 को निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद की :

(क)	वोट न्यूमेटिक (चार सीटों वाली)	01
(ख)	डिस्पोजेबल रॉकिट लांचर	06
(ग)	राईफल ग्रेनेड	100
(घ)	हैंड ग्रेनेड	25
(ङ)	पाईप बम	10
(च)	गोलाबारूद	20540 चक्र
(छ)	हिमरोधी टैंट	01
(ज)	हिमरोधी कपड़े	04 सैट
(झ)	कामचलाऊ विस्फोटक (आई.ई.डी.) बनाने के लिए सामग्री	

सीमा पर घटने वाली सभी घटनाओं पर सतत् नजर रखी जाती है तथा हमारे शत्रुओं के दुःसाहसपूर्ण प्रयासों को बेकार करने के लिए सभी समुचित कदम उठाए जाते हैं।

रेल सुरक्षा के लिए निगरानी प्रणाली

2706. श्री विकास चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल में संगठन सुरक्षा की लेखापरीक्षा करने के लिए कोई आंतरिक निगरानी प्रणाली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) संरक्षा संगठन की स्थापना तीन स्तरों अर्थात् रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेल और मंडल स्तर पर की गई है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा से संबंधित पहलुओं पर आंतरिक जांच की भांति संरक्षा संगठन अपनी भूमिका निभाता है।

गाड़ी परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठन गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए संरक्षा कैंपों, पुनश्चर्या और पदोन्नति पाठ्यक्रमों के दौरान कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर नजर रखता है। इसके अलावा, संरक्षा संगठन द्वारा संरक्षा परिपत्र, बुलेटिन और संरक्षा पोस्टरों के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है।

पेट्रो-उत्पादों की ढुलाई

2707. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान रेलवे को मालभाड़े के लिए उच्च मूल्य वाले कम पेट्रो-उत्पाद प्रस्तुत किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तेल कंपनियों के सस्ते रेल परिवहन माध्यम से बचने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने उच्च मूल्य वाले पेट्रो-उत्पादों के मालभाड़ा यातायात को आकृष्ट करने और उसे अपने पास रखने हेतु कोई ठोस प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे पेट्रो-उत्पादों के लिए तेज गति वाले सड़क यातायात माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है; और

(च) यदि हाँ, तो इस रुझान को पलटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ। अधिकांश पी.ओ.एल. उत्पादों के लिए पाइप लाइनें बिछने के कारण रेल परिवहन में कमी आई है।

(ग) जी हाँ।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के रेल संचलन के लिए पर्याप्त क्षमता के सृजन की दृष्टि से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सड़कों की ओर झुकाव रुके, रेलों ने टैंक माल डिब्बों के प्रापण की नीति में आशोधन किया है। रेलें अब 100 प्रतिशत टैंक मालडिब्बों का प्रापण बदलाव के आधार पर और बढ़ोत्तरी के आधार पर कर रही है।

सभी स्तरों पर ऑयल इंडस्ट्री और रेलों के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है। ऑयल कार्डिनेशन कमेटी, ऑयल इंडस्ट्री और रेलों के बीच नियमित बैठकें भी की जाती हैं ताकि रेलों द्वारा पी.ओ.एल. उत्पादों के स्लेट, लिंकेज और संचलन के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखा सैनिकों हेतु मुआवजा पैकेज

2708. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारगिल आपरेशन के दौरान भारतीय सेना के नेपाली सैनिकों को जिन्होंने भारत की रक्षा में अपनी बलि चढ़ा दी, मुआवजा पैकेज के मामले में उन्हें भारतीय सैनिकों के समकक्ष माने जाने संबंधी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारगिल संघर्ष के दौरान कितने गोरखा (सैनिक) मारे गए तथा अब तक उन्हें दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) कारगिल की कार्रवाई में मारे गए भारतीय सेना के नेपाली मूल के सैनिकों के निकट संबंधियों को वही मुआवजा पैकेज दिया गया है जो उस कार्रवाई में मारे गए अन्य सैनिकों के निकट संबंधियों को दिया गया है। कारगिल की कार्रवाई में नेपाली मूल के उन्नीस (19) सैनिक मारे गए थे। दिवंगत सैनिकों के निकट संबंधियों को आहरित अंतिम वेतन के आधार पर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन, 10 लाख रुपए का एक मुश्त अनुग्रह मुआवजा और नियमानुसार मृत्यु उपदान एवं परिवार उपदान दिया जाता है। इसके अलावा, कारगिल की कार्रवाई में मारे गए प्रत्येक सैनिक के परिवार को राष्ट्रीय रक्षा कोष से 5 लाख रुपए का भवन निर्माण अनुदान, 1 लाख रुपए प्रति बच्चे की दर से शिक्षा अनुदान, जो प्रति परिवार अधिकतम 2 लाख रुपए की शर्त के अध्यधीन है, और आश्रित माता-पिता को 1.2 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय मूल के सैनिकों के परिवारों को दिए गए अनुग्रह अनुदानों की एवज में नेपाली मूल के सैनिकों के परिवारों को राष्ट्रीय रक्षा कोष से 5 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है।

भारत को रूस के जांच रहित हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति

2709. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने रूस से शीघ्र चेतावनी देने वाले चार विमानवाहित कमोत-31 हेलीकॉप्टरों की खरीद करने के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं हालांकि इस विमान का भूमध्य रेखा-जलीय परिस्थितियों में जांच नहीं की गई बताई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त करार के नियम व शर्तें क्या हैं और विमान की लागत क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) रूस द्वारा चार के ए-31 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने के लिए 16 अगस्त, 1999 को एक संविदा की गई थी। पूर्व चेतावनी रेडार सहित के ए-31 हेलीकॉप्टर के ए-28 एयरफ्रेम पर आधारित हैं। चूँकि नौसेना 1981-82 से कामोव श्रेणी (के ए-25 और के ए-28) के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है इसलिए इस हेलीकॉप्टर का भूमध्यवर्ती जल में पूर्व परीक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(ग) संविदा की शर्तों और निबंधनों के अनुसार औजारों के सेटों, अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों और ग्राउंड सपोर्ट उपस्करों सहित चार के ए-31 एयरबोर्न पूर्व चेतावनी हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी दो खेपों में भारतीय नौसेना को की जानी है। प्रत्येक हेलीकॉप्टर की कीमत 13.95 मिलियन अमरीकी डालर है। आपूर्तिकर्ता को इन हेलीकॉप्टरों का भुगतान उत्पादन के विभिन्न चरणों में किया जाना है।

रेल आसूचना प्रकोष्ठ का गठन

2710. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में तोड़फोड़ को रोकने की दृष्टि से सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रेल आसूचना प्रकोष्ठ गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे आसूचना प्रकोष्ठ की विशेष खासियत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं, भारतीय रेलों में आसूचना शाखा पहले से ही कार्य कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का बंद होना

2711. श्री राजो सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और आज तक की स्थितिनुसार कुछ चीनी मिलें बंद हो गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन मिलों को पुनः चालू करने और कामगारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार चीनी मौसम 1997-98 और 1998-99 के दौरान बंद पड़ी चीनी मिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्तमान चीनी मौसम 1999-2000 के दौरान कुल 325 चीनी मिलों ने पहले ही पेराई कार्य आरंभ कर दिया है, 4 चीनी मिलों ने यह सूचित किया है कि वह कार्य नहीं करेगी और शेष 154 चीनी मिलों के संबंध में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) चीनी मिलों के बंद होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे—गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अव्यवहार्य आकार, पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, तकनीकी एवं प्रबंधकीय अक्षमता, अत्यधिक गन्ना मूल्य जो बिक्री वसूली के अनुकूल न हो और विभिन्न अन्य कारक।

(घ) देश में चीनी मिलों को तीन क्षेत्रों में समूहित किया गया है यथा सार्वजनिक, निजी और सहकारी। सहकारी क्षेत्रों के अधीन रुग्ण चीनी मिलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड में पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है और यह राज्य सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा निपटाई जाती है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की रुग्ण चीनी मिलें रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत कवर होती हैं। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (एस. आई.सी.ए.) के अनुसार जब एक औद्योगिक कंपनी रुग्ण हो जाती है तब कंपनी का निदेशक मंडल, उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसके अंत में कंपनी रुग्ण हो गई है, कंपनी के लेखापरिक्षित लेखा को अंतिम रूप देने की तिथि के 60 दिनों के भीतर, बी.आई.एफ.आर. को, उन उपायों को निर्धारित करने के लिए संपर्क करेगा जो कंपनी के संदर्भ में अपनाया जाएगा।

विवरण

चीनी मौसम 1997–98 और 1998-99 के दौरान बंद पड़ी चीनी मिलों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	बंद चीनी मिलों की संख्या	
		चीनी मौसम 1997-98	चीनी मौसम 1998-99
1.	पंजाब	1	1
2.	उत्तर प्रदेश	2	10
3.	मध्य प्रदेश	2	2
4.	गुजरात	2	3
5.	महाराष्ट्र	25	10
6.	बिहार	17	17
7.	असम	1	1
8.	उड़ीसा	1	1
9.	पं. बंगाल	1	—
10.	नागालैंड	1	1
11.	आंध्र प्रदेश	5	5
12.	कर्नाटक	4	2
13.	केरल	1	1
	कुल	63	54

[अनुवाद]

"विक्रांत" और "विराट" के स्थान पर दूसरे विमान वाहक लाना

2712. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंततः विक्रांत को रद्दीमाल के रूप में बेचने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विमानवाहक 'विक्रांत' को प्रशिक्षण अनुदेश प्रदर्शन या घोषणा संबंधी उपयोग के लिए व्यावहारिक नहीं समझा गया था;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) "विक्रांत" और "विराट" के स्थान पर दूसरे विमान वाहक जहाजों को शीघ्र लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा जनवरी, 1997 में भारतीय नौसेना की सेवा से हटा लिए गए भा.नौ. पोत "विक्रांत" को नोसेना संग्रहालय के रूप में बदलने की इच्छा व्यक्त की गई है।

(घ) इस पोत का स्थान लेने के लिए नए पोत के चयन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एक वायु रक्षा पोत के निर्माण की पहले ही अनुमति दे दी गई है।

जवाहर रोजगार योजना का निष्पादन

2713. श्री दिनशा पटेल :
श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री रामानंद सिंह :

क्या ग्रमीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और चालू वित्त वर्ष के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारें अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने हेतु क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या धनराशि के दुरुपयोग की जांच करने हेतु कोई निगरानी प्रणाली बनाई गई है या बनाने का विचार है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की जांच करने हेतु क्या तरीका अपनाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वास्तविक तथा वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 1998-99 के दौरान देश में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के 3966.57 लाख श्रमदिनों के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि 3766.22 लाख श्रमदिनों की रही जो 94.95 प्रतिशत है तथा बिल्कुल संतोषजनक मानी जा रही है। चूँकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को महसूस हो रही जरूरत के अनुसार मांग आधारित टिकाऊ ग्रामीण मूलभूत ढांचे का सृजन करना है, 1999-2000 के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) मंत्रालय ने एक क्षेत्र अधिकारी योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य विशेष के क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उनको आबंटित राज्य का तिमाही में कम-से-कम एक दौरा करने और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सहित अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादन की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी राज्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाती है। जुलाई, 1999 से सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में एक निष्पादन समीक्षा समिति गठित की गई है जो योजनाओं/कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए तिमाही आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा करेगी। इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने के लिए गठित ब्लॉक जिला और राज्य स्तरीय निगरानी और सतर्कता समिति द्वारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों की निगरानी भी की जाती है। कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य मुख्यालय में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का कार्य संभालने वाले अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्र निरीक्षण के जरिए वास्तविक निगरानी को अनिवार्य किया गया है। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में ग्राम सभा के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे प्रत्येक कार्य के कार्यान्वयन का निरीक्षण, पर्यवेक्षक, और निगरानी करने के लिए हरेक गांव के लिए एक सतर्कता समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा द्वारा योजना के अंतर्गत कार्यों की सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने का भी प्रावधान है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.98 को शेष	आबंटन			रिलीज			कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग की गई निधियां	प्रतिशत उपयोगिता
				केंद्र	राज्य	कुल	केन्द्र (मार्च)	राज्य	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	2746.56	11703.9	2925.99	14629.9	11702.5	2925.62	14628.1	17374.7	14710.4	84.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	86.68	257.32	64.33	321.65	475.26	118.82	594.08	680.76	326.12	47.91
3.	असम	3	1070.03	6686.18	1671.55	8357.73	15112.3	3778.07	18890.4	19960.4	10967.6	54.95
4.	बिहार	3	14422.1	38340.8	9585.19	47926	29733.8	7433.46	37167.3	51589.4	41851.1	81.12
5.	गोवा	3	25.68	172.2	43.05	215.25	103.32	25.83	129.15	154.83	166.8	107.73
6.	गुजरात	3	1061.63	4405.58	1101.4	5506.98	4449.43	1112.36	5561.79	6623.42	5958.62	89.96
7.	हरियाणा	3	227.54	2591.88	647.97	3239.85	2591.88	647.97	3239.85	3467.39	2908.76	83.89
8.	हिमाचल प्रदेश	3	189.25	1091.54	272.89	1364.43	1022.15	255.54	1277.69	1466.94	1083.72	73.88
9.	जम्मू व कश्मीर	3	370.63	1350.93	337.73	1688.66	1094.62	273.66	1368.28	1738.91	1489.06	85.63
10.	कर्नाटक	3	2892.74	8838.13	2209.53	11047.7	10838.1	2709.53	13547.7	16440.4	11288.7	68.66
11.	केरल	3	935.6	3965.64	991.41	4957.05	3965.65	991.41	4957.06	5892.66	4089.65	69.4
12.	मध्य प्रदेश	3	3802.47	19433.9	4858.48	24292.4	18314.1	2915.09	21229.2	25031.7	22760.7	90.93
13.	महाराष्ट्र	3	2156.99	17470.8	4367.71	21838.5	17180.8	4295.2	21476	23633	20780.5	87.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	मणिपुर	3	39.92	448.24	112.06	560.3	501.64	125.41	627.05	666.97	430.78	64.59
15.	मेघालय	3	134.52	502.19	125.55	627.74	951.75	237.94	1189.69	1324.21	348.96	26.35
16.	मिजोरम	3	4.82	116.21	29.05	145.26	296.89	74.22	371.11	375.93	318.37	84.69
17.	नागालैंड	3	7.09	344.48	86.12	430.6	775.99	194	969.99	977.08	956.77	97.92
18.	उड़ीसा	3	2870.78	13386.9	3346.73	16733.6	13443.3	3360.83	16804.1	19674.9	15218.6	77.35
19.	पंजाब	3	200.06	1259.63	314.91	1574.54	1559.63	389.91	1949.54	2149.6	1381.15	64.25
20.	राजस्थान	3	427.52	6711.09	1677.77	8388.86	6008.5	1502.13	7510.63	7938.15	9780.6	123.21
21.	सिक्किम	3	21.76	128.66	32.17	160.83	288	72	360	381.76	411.41	107.77
22.	तमिलनाडु	3	1045.98	10348.9	2587.21	12936.1	10348.9	2587.21	12936.1	13982	14974.4	107.1
23.	त्रिपुरा	3	9.95	809.31	202.33	1011.64	1824.38	456.1	2280.48	2290.43	2296.83	100.28
24.	उत्तर प्रदेश	3	8494.04	42194.4	10548.6	52742.9	42235.9	10559	52794.9	61288.9	55507.2	90.57
25.	पश्चिम बंगाल	3	5734.87	14876.9	3719.22	18596.1	10061.2	2515.3	12576.5	18311.4	12372.2	67.57
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	3	61.26	117.89	0	117.89	39.7	0	39.7	100.96	24.41	24.18
27.	दा. व न. हवेली	1	5.39	77.81	0	77.81	48.94	0	48.94	54.33	36.75	67.64
28.	दमन व दीव	3	5.11	37.7	0	37.7	10.06	0	10.06	15.17	6.04	39.82
29.	लक्षद्वीप	1	14.1	59.1	0	59.1	35.46	0	35.46	49.56	29.29	59.1
30.	पांडिचेरी	3	7.72	115.42	0	115.42	82.14	0	82.14	89.86	72.83	81.05
	कुल		49072.8	207844	51858.9	259702	205096	49556.6	254653	303726	252548	83.15

1998-99 (अनंतिम) के दौरान ज.रो.यो. के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

(श्रम दिन लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	वार्षिक लक्ष्य (अनंतिम)	उप-लब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	सेक्टोरल उपलब्धि					
						अनु.जा.	अनु.ज. जाति	अनु.जाति/ अनु.ज. जाति	अन्य	महिलाएँ	भूमिहीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	254.01	224.68	88.45	66.47	27.15	93.62	131.05	76.08	147.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	7.97	3.96	49.69	0	3.96	3.96	0	0	0
3.	असम	3	144.96	199.57	138.24	35.91	66.83	102.74	96.83	23.96	77.51
4.	बिहार	3	688.11	584.91	85	233.49	112.85	346.34	238.57	159.55	348.67
5.	गोवा	3	3.32	1.7	51.2	0	0	0	1.7	0.73	0
6.	गुजरात	3	53.34	59.18	110.95	10.41	28.18	38.59	20.59	15.62	23.03
7.	हरियाणा	3	30.49	23.84	78.19	14.18	0	14.18	9.66	4.92	22.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हिमाचल प्रदेश	3	17	15.39	90.53	6.92	2.03	8.95	6.44	0.74	0.25
9.	जम्मू व कश्मीर	3	27.5	20.59	74.87	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	3	188.82	222.16	117.66	61.89	27.07	88.96	110.4	67.78	82.51
11.	केरल	3	69.77	99.39	56.46	11	1.3	12.3	27.09	13.65	4.94
12.	मध्य प्रदेश	3	325.8	319.34	98.02	76.97	127.92	204.89	114.45	109.8	113.34
13.	महाराष्ट्र	3	541.22	405.81	74.61	109.47	96.65	206.12	197.69	141.19	152.29
14.	मणिपुर	3	6.92	5.59	80.78	0.19	3.67	3.86	1.73	0.5	0
15.	मेघालय	3	10.22	5.91	57.83	0.25	5.66	5.91	0	1.89	1.2
16.	मिजोरम	3	1.84	4.36	236.96	0	4.36	4.36	0	1.54	0
17.	नागालैंड	3	9.82	23.73	241.65	0	23.73	23.73	0	5.46	0
18.	उड़ीसा	3	317.94	296.84	93.36	89.54	107	196.54	100	91.55	64.83
19.	पंजाब	3	15.46	13.89	89.84	10.27	0	10.27	3.62	0.39	11.75
20.	राजस्थान	3	149.43	148.3	99.24	52.69	39.42	92.11	56.19	49.17	16.89
21.	सिक्किम	3	2.29	6.13	267.69	1.38	2.4	3.78	2.35	1.94	0.19
22.	तमिलनाडु	3	230.42	280.97	121.94	137.18	6.4	143.58	137.4	105.36	219.09
23.	त्रिपुरा	3	18.02	34.72	192.67	8.76	17	25.76	8.96	9.89	12.63
24.	उत्तर प्रदेश	3	626.32	691.39	110.39	365.08	6.82	371.9	319.49	157.25	176.6
25.	पश्चिम बंगाल	3	220.83	134.45	60.88	52.71	16.33	69.04	65.41	32.02	80.96
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	3	1.3	0.19	14.62	0	0.1	0.1	0.09	0.04	0.06
27.	दा. व न. हवेली	1	1.11	0.67	60.36	0	0.67	0.67	0	0.51	0
28.	दमन व दीव	3	0.57	0.11	19.3	0.3	0.4	0.7	0.5	0.07	0.05
29.	लक्षद्वीप	1	1.12	0.42	37.5	0.42	0	0.42	0	0.18	0
30.	पांडिचेरी	3	1.25	0.03	2.11	0.01	0	0.01	0.01	0	0
	कुल		3966.57	3766.22	94.95	1345.49	727.9	2073.39	1650.22	1071.78	1557.47

विवरण-II

जे.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान अक्टूबर माह के लिए वित्तीय प्रगति

(क) आबंटन रिलीज

(3.12.99 जैसा)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.98 को शेष	आबंटन			रिलीज		
				केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र (सितंबर)	राज्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8	2417.03	9319.52	3106.51	12426	4659.76	1553.1	6212.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	381.09	204.9	68.3	273.2	77.82	25.94	103.76
3.	असम	8	4062.65	5324.02	1774.67	7098.69	2662.01	887.25	3549.26
4.	बिहार	8	11666.6	30529.7	10176.6	40706.2	15264.9	5087.78	20352.6
5.	गोवा	10	3.16	137.12	45.71	182.82	68.56	22.85	91.41
6.	गुजरात	10	607.11	3508.04	1169.35	4677.39	1726.02	575.28	2301.3
7.	हरियाणा	7	667.27	2063.84	687.95	2751.79	1031.92	343.94	1375.86
8.	हिमाचल प्रदेश	10	237.44	869.16	289.72	1158.88	379.75	126.57	506.32
9.	जम्मू व कश्मीर	9	213.28	1075.71	358.57	1434.28	492.5	164.15	656.65
10.	कर्नाटक	10	2482.19	7037.56	2345.85	9383.41	3518.78	1172.81	4691.59
11.	केरल	10	1636.29	3157.73	1052.58	4210.3	1578.87	526.24	2105.11
12.	मध्य प्रदेश	8	3843.07	15474.7	5158.23	20632.9	7573.02	2524.09	10097.1
13.	महाराष्ट्र	9	2964.41	13911.5	4637.17	18548.7	6955.76	2318.35	9274.11
14.	मणिपुर			356.92	118.97	475.89	94.84	31.61	126.45
15.	मेघालय	8	280.64	399.88	133.29	533.17	132.18	44.06	176.24
16.	मिजोरम	10	14.38	92.53	30.84	123.38	46.27	15.42	61.69
17.	नागालैंड	6	0	274.3	91.43	365.73	137.15	45.71	182.86
18.	उड़ीसा	9	2286.64	10659.6	3553.2	14212.8	5329.81	1776.43	7106.24
19.	पंजाब	10	214.15	1003.01	334.34	1337.34	501.51	167.15	668.66
20.	राजस्थान	8	0	5343.85	1781.28	7125.14	2602.09	867.28	3469.37
21.	सिक्किम	9	20.24	102.45	34.15	136.6	51.23	17.07	68.3
22.	तमिलनाडु	10	265.29	8240.5	2746.83	10987.3	4120.25	1373.28	5493.53
23.	त्रिपुरा	9	0	644.43	214.81	2286.64	322.22	107.4	429.62
24.	उत्तर प्रदेश	10	5471.85	33598.2	11199.4	44797.6	14408.2	4802.26	19210.5
25.	पश्चिम बंगाल	8	6337.5	11846	3948.68	15794.7	3880.59	1293.4	5173.99
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	7	48.49	93.87	0	93.87	13	0	13
27.	दा. व न. हवेली	7	0	61.96	0	61.96	30.98	0	30.98
28.	दमन व दीव	7	2.05	30.02	0	30.02	0	0	0
29.	लक्षद्वीप	5	8.26	47.06	0	47.06	0	0	0
30.	पांडिचेरी	8	0	91.91	0	91.91	45.96	0	45.96
	कुल		46131.1	165500	55058.4	221986	77705.9	25869.4	103575

टिप्पणी : रिक्त कॉलम यह सूचित करते हैं कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़े नहीं भेजे गए।

(ख) उपयोगिता

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	कुल उपलब्ध निधियां (कॉलम 4 + 10)	उपयोग की गई निधियां			प्रतिशत उपयोगिता		
				कुल	व्यक्तिगत अनु.जा./ अनु.ज.जा.	अपंग	कुल	व्यक्तिगत अनु.जा./ अनु.ज.जाति	अपंग
			11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	8	8629.89	19428.8	-	-	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	484.85	56.66	-	-	11.69	0	0
3.	असम	8	7611.91	3006.9	-	-	39.5	0	0
4.	बिहार	8	32019.3	11393.1	-	-	35.58	0	0
5.	गोवा	10	94.57	86.41	-	-	91.37	0	0
6.	गुजरात	10	2908.41	1586.43	-	2	54.55	0	2
7.	हरियाणा	7	2043.13	488.29	-	-	23.9	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	10	743.76	452.46	0	0	60.83	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	9	869.93	189.39	-	-	21.77	0	0
10.	कर्नाटक	10	7173.78	3757.96	3031		52.38	80.66	0
11.	केरल	10	3741.4	1262.61	325	0	33.75	25.74	0
12.	मध्य प्रदेश	8	13940.2	5465.08	-	-	39.02	0	0
13.	महाराष्ट्र	9	12238.5	4999.67	656.7	-	40.85	13.13	0
14.	मणिपुर		126.45	-	-	-	0	0	0
15.	मेघालय	8	456.88	180.98	-	-	39.61	0	0
16.	मिजोरम	10	76.07	68.98	68.98	0	90.68	100	0
17.	नागालैंड	6	182.86	85.85	-	-	46.95	0	0
18.	उड़ीसा	9	9392.88	2853.02	327.56	-	30.37	11.48	0
19.	पंजाब	10	882.81	563.19	221.33	0.16	63.79	39.3	0.03
20.	राजस्थान	8	3469.37	1780.31	-	-	51.32	0	0
21.	सिक्किम	9	88.54	48.48	29.94	-	54.75	61.76	0
22.	तमिलनाडु	10	5758.82	5240.01	1686.73	6.196	90.99	32.19	0.12
23.	त्रिपुरा	9	429.62	529	396	-	123.13	74.86	0
24.	उत्तर प्रदेश	10	24682.3	9287.68	1982.34	7.09	37.63	21.34	0.08
25.	पश्चिम बंगाल	8	11511.5	3493.57	-	-	30.35	0	0
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	7	61.49	8.57	-	-	13.94	0	0
27.	दा. व न. हवेली	7	30.98	0.85	-	-	2.74	0	0
28.	दमन व दीव	7	2.05	0	-	-	0	0	0
29.	लक्षद्वीप	5	8.26	4.03	-	-	48.79	0	0
30.	पांडिचेरी	8	45.96	-	-	-	0	0	0
	कुल		149706	76318.3	8725.58		50.98	11.43	0

टिप्पणी : रिक्त कॉलम यह सूचित करते हैं कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आँकड़े नहीं भेजे गए।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान सितंबर माह तक वास्तविक निष्पादन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	कार्यों की स्थिति (संख्या में)			केवल अनु. जा./ अनु. ज. जाति के लिए कार्य	अक्षम के लिए कार्य	कुल सृजित श्रम दिन (लाख में)
			पूर्ण किए गए कार्य	कार्य प्रगति पर	कुल कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	एन.आर.	एन.आर	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	55	432	487	0	0	0.83
3.	असम	8	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	54.49
4.	बिहार	8	15053	43523	58576	6778	0	130.93
5.	गोवा	9	15	205	220	एन.आर.	एन.आर.	0.78
6.	गुजरात	9	1936	4770	6706	एन.आर.	एन.आर.	8.58
7.	हरियाणा	7	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	3.07
8.	हिमाचल प्रदेश	9	599	1627	2226	एन.आर.	एन.आर.	4.97
9.	जम्मू व कश्मीर	9	1306	4249	5555	एन.आर.	एन.आर.	2.63
10.	कर्नाटक	9	6379	12439	18818	2668	एन.आर.	39.68
11.	केरल	9	5067	17258	22325	5232	एन.आर.	12.73
12.	मध्य प्रदेश	8	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	71.72
13.	महाराष्ट्र	9	11697	20764	32461	5415	एन.आर.	82.13
14.	मणिपुर	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
15.	मेघालय	8	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	2.76
16.	मिजोरम	6	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.18
17.	नागालैंड	6	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	2.03
18.	उड़ीसा	9	10880	8471	19351	2861	एन.आर.	55.93
19.	पंजाब	9	4433	6376	10809	4824	एन.आर.	3.56
20.	राजस्थान	8	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	26.92
21.	सिक्किम	9	619	188	807	12	एन.आर.	0.65
22.	तमिलनाडु	9	2967	25765	28732	13471	एन.आर.	37.48
23.	त्रिपुरा	9	600	एन.आर.	600	1875	एन.आर.	8.75
24.	उत्तर प्रदेश	9	2238	4786	7024	एन.आर.	एन.आर.	60.69
25.	पश्चिम बंगाल	8	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	31.46
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	7	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.11
27.	दा. व न. हवेली	7	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.01
28.	दमन व दीव	7	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0
29.	लक्षद्वीप	5	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0.02
30.	पांडिचेरी	8	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	0
	कुल		63844	150853	214697	43136	एन.आर.	642.89

टिप्पणी : चूँकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अब एक ढांचा विकास कार्यक्रम बन गया है इसलिए वास्तविक प्रगति की निगरानी सृजित श्रम दिनों के बदले में पूरा किए गए कार्यों तथा शुरू किए गए कार्यों की संख्या के रूप में की जाती है तथापि, सूचित माह तक सृजित कुल श्रम दिनों की संख्या कॉलम 9 में दर्शाई गई है।

एन.आर.-असूचित।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(1) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 834/99]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 835/99]

(2) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, बेटोटे के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 836/99]

(3) (एक) इंस्टीट्यूट फार डिफेंस स्टडीज़ एंड एनेलिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फार डिफेंस स्टडीज़ एंड एनेलिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 837/99]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 838/99]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 839/99]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिंदुस्तान विजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान विजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 840/99]

(4) हिंदुस्तान विजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड और खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 841/99]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 842/99]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 843/99]

(ख) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 844/99]

(ग) (एक) डोनई पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोनई पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 845/99]

(घ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 846/99]

(ङ) (एक) इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) से (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 847/99]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय भांडागारण निगम (संशोधन) नियम, 1999 जो 20 सितंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 848/99]

(2) (एक) केंद्रीय भांडागारण निगम के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भांडागारण निगम के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 849/99]

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) (संशोधन) विनियम, 1999, जो 11 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 199(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र जो 25 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 605(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 1999, जो 12 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य) (संशोधन) विनियम, 1999, जो 26 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों के लिए भर्ती) संशोधन विनियम, 1999, जो 29 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 850/99]

अपराह्न 12.03 बजे

सभापति तालिका

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ से घोषणा की जाती है। माननीय सदस्यों मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया है :

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
3. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय
4. श्री पी.एच. पांडियन
5. श्री श्रीनिवास पाटील
6. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
7. श्री बेनी प्रसाद वर्मा
8. श्री देवेंद्र प्रसाद यादव
9. श्री के. येरननायडू

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री एस. बंगरप्पा।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण के बाद "शून्य काल" लूंगा।

....(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण के बाद "शून्यकाल" पर चर्चा करूँगा।

....(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको ध्यानाकर्षण के बाद बुलाऊँगा। आपने नोटिस दिया है। श्री एस. बंगरप्पा।

श्री एस. बंगरप्पा : मैंने.... का ध्यान आकर्षित किया है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान, मैंने आपको बताया है कि मैं आपको ध्यानाकर्षण के बाद बुलाऊँगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने सदस्यों से कहें कि अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण के बाद 'शून्य काल' लूँगा। इस बात को समझिए। यह क्या है?

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए। आपने नोटिस दिया है। मैं ध्यानाकर्षण के बाद आपको बुलाऊँगा। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति दूँगा। इस बात को समझिए।

....(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या हो गई है।....*(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसे पहले लिया जाए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद अनुमति दूँगा। श्री बंगरप्पा।

श्री एस. बंगरप्पा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं.....का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद बोलने की अनुमति दूँगा अभी नहीं।

अपराह्न 12.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मंगलौर में प्रस्तावित विद्युत संयंत्र से कोजेंट्रिक्स प्रोमोटरों के अलग हो जाने के कारण कर्नाटक राज्य को होने वाली कथित हानि

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

> "मंगलौर में प्रस्तावित विद्युत संयंत्र से कोजेंट्रिक्स प्रोमोटरों के अलग हो जाने के कारण कर्नाटक राज्य को होने वाली कथित हानि से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

ऊर्जा मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : महोदय, प्रेस में यह सूचना प्रदान की गई है कि 1013.2 मे.वा. क्षमता वाली मंगलौर ताप विद्युत परियोजना के प्रवर्तकों ने इस आधार पर इस परियोजना के विकास से अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया है कि विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में होने वाली असाधारण विलंब तथा न्यायालयों में दायर लोक हित मुकदमों के कारण इस परियोजना को विकसित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि इस संबंध में प्रवर्तक कंपनियों से सरकार को कोई सरकारी स्तर पर सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मंगलौर परियोजना का विकास मै. चाइना लाईट एंड पावर तथा मै. कोजेंट्रिक्स पावर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह एम.ओ.यू. प्रक्रिया से विकसित होने वाली प्रारंभिक आठ प्रति गारंटी परियोजनाओं में से एक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति 751.574 मिलियन अमरीकी डॉलर + 15800.9 मिलियन रुपए की अनंतिम लागत और 57.93 मिलियन अमरीकी डॉलर + 910.9 मिलियन रुपए की एफजीडी लागत (1 अमरीकी डॉलर = 31.50 रुपए की दर से) पर प्रदान की गई है।

प्रति गारंटी जारी करने के लिए संशोधित पद्धति के अंतर्गत प्रति गारंटी का क्षेत्र पीपीए समाप्ति की दशा में बकाया विदेशी ऋण मात्रा को सम्मिलित करने तक सीमित किया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पीपीए की आगे कोई जांच नहीं होगी और वित्तीय समापन से पहले टैरिफ की युक्तिसंगतता के बारे में उन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। तथापि, वित्तीय समापन से पहले वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को उनके सूचनार्थ और रिकॉर्ड हेतु अंतिम संशोधित पीपीए की प्रतियाँ राज्य सरकार द्वारा भेजी जानी अपेक्षित हैं तथा इस प्रमाणन के साथ कि पीपीए भारत सरकार की अधिसूचनाओं/कानून के अनुरूप है वित्त मंत्रालय के परामर्शकों तथा के.वि.प्रा. की टिप्पणियों पर विचार करने संबंधी रा.वि.बो./राज्य सरकार के वक्तव्य भी वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को भेजे जाने अपेक्षित होंगे। टैरिफ कम करने के लिए राज्य सरकारों को कुछ उपाय अपनाने के लिए कहा गया है जैसे प्रोत्साहनों में अनुमति प्रदान न करना और टैरिफ निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्धारित मानक स्तरों से बेहतर वास्तविक प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन के कारण विकासकर्त्ता को अतिरिक्त लाभ की अनुमति प्रदान न करना।

जबकि संशोधित पद्धति के अंतर्गत तीन फास्ट ट्रैक परियोजनाओं को पहले ही प्रति गारंटी प्रदान की गई है। सरकार ने कर्नाटक द्वारा दायर एक एसएलपी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध होने के पश्चात् इस परियोजना के लिए प्रति गारंटी के मुद्दे पर विचार करने का निर्णय लिया है।

इससे पहले वर्ष 1997 में श्री अरुण कुमार अग्रवाल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 10696/97 दायर की थी जिसमें कोजेंट्रिक्स को परियोजना प्रदान करने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने, कोजेंट्रिक्स की वित्तीय स्थिति, परियोजना स्थल का बंगलौर से मंगलौर परिवर्तित करने जैसे मुद्दों को उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने फरवरी, 1998 में दिए अपने निर्णय में यह आदेश प्रदान किया था कि अपराधी के रूप में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का नाम का उल्लेख किए बिना विभिन्न संज्ञेय अपराधों के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिस्मेंट एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा सी.बी.आई. के पास एक एफ.आई.आर. पंजीकृत की जाएगी और सी.बी.आई. के महानिदेशक इसकी जांच एक अधिकारी, जो कि पुलिस में उप महानिरीक्षक के स्तर से कम नहीं होगा से कराएँगे। कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ एक एस.एल.पी. उच्चतम

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

न्यायालय में दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात 15.1.1999 को अंतिम निर्णय आरक्षित रखा था।

अब यह समझा जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने 13.12.99 को निर्णय दे दिया है जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया गया है। तथापि, हमें अभी तक उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की घोषणा हो जाने के बाद कंपनी के अधिकारी 13.12.99 को मुझसे मिले थे। मैंने उनसे परियोजना से नाम वापस लेने संबंधी उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया है और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि दोनों प्रवर्तक कंपनियों के निदेशक बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात् वे हमें मिलेंगे। उच्चतम न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् सरकार प्रति गारंटी के मुद्दे पर विचार कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा जी, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य बहुत स्पष्ट है। आप इस पर केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूँगा। परंतु पहले मुझे इस विषय को पूरा कर लेने दीजिए। कृपया प्रक्रिया को समझिए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रक्रिया का पता होना चाहिए। कृपया यह ध्यान रखें कि माननीय मंत्री ने ध्यानाकर्षण नोटिस के संबंध में एक वक्तव्य दिया है और कुछ माननीय सदस्य उस पर स्पष्टीकरण माँगेंगे। कृपया इस बात का ध्यान रखें।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आपको प्रक्रिया जाननी चाहिए। मैं उस विषय का महत्व जानता हूँ जो आप उठाना चाहते हैं। मैं आपको बुलाऊँगा और आपको बोलने की अनुमति भी दूँगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रक्रिया जानते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना होगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा जी, वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। अब आप उस पर कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया संबंधित स्पष्टीकरण ही मांगे।

....(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, यह परियोजना लगभग 1000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन से संबंधित है। कर्नाटक को गंभीर सूखे और विद्युत की गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य को लगभग 2000 से 3000 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है। राज्य की इतनी मांग है।

महोदय, जब मैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री था तब हमने कर्नाटक में 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने के लिए इस कोर्जेंट्रिक्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। जब मैंने मुख्य मंत्री का कार्यालय छोड़ा तब उसके बाद आने वाली राज्य सरकारों ने भी—हमारे द्वारा आरंभ की गई—भारत सरकार के पास लंबित सभी अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रखी। बाद में, मंगलौर जिले में, नंदीपुर नामक स्थान पर परियोजना के लिए एक स्थल का भी पता लगाया गया था। उसके बाद, कर्नाटक विद्युत बोर्ड ने मैसर्स कोर्जेंट्रिक्स के साथ समझौता किया है जो मंगलौर विद्युत कंपनी का एक प्रवर्तक है। मंगलौर विद्युत कंपनी की दो सहायक कंपनियां हैं : मैसर्स चाइना लाईट एंड पावर कंपनी जो हांगकांग में स्थित है तथा दूसरी मैसर्स कोर्जेंट्रिक्स है।

अब राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से इस प्रक्रिया को शुरू किए जाने के बाद यह मामला भारत सरकार के समक्ष रखा गया था। यह प्रक्रिया 1991-92 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित उदार आर्थिक नीति के दौरान 1992 में शुरू की गई थी। परंतु तब से भारत सरकार ने इस परियोजना में कोई रुचि नहीं दिखाई।

महोदय, इस पूरी परियोजना को चार चरणों में विभाजित किया गया था और इसके द्वारा प्रारंभिक स्तर पर 250 मेगावाट विद्युत तथा उत्पादन के अन्य तीन स्तरों में प्रत्येक में 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन जारी रखना निर्धारित किया गया। इस परियोजना में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और विधि मंत्रालय शामिल थे। केंद्र सरकार कई स्तरों पर अनावश्यक रूप से लगातार इतनी सारी समस्याएं पैदा करती रही है।

महोदय, ये सभी बातें श्री कुमारमंगलम के इस मंत्रालय में आने से पहले हुई थी। परंतु मुझे चिंता यह है कि उनके मंत्रालय में आने के बाद भी उन्होंने इन बातों को इस तरह से जारी रहने दिया है। इन सभी बातों को इस तरह से क्यों जारी रहने दिया जाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष जो मामले लंबित हैं....*(व्यवधान)* यह एक गंभीर मामला है।....*(व्यवधान)*

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?....*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, अब दायर जनहित याचिकाओं के दो सेट थे।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा अब आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं चर्चा का दायरा जानता हूँ। परंतु मैं थोड़ा समय ही लेना चाहूँगा।

महोदय पर्यावरण मामलों से संबंधित एक जनहित याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर की गई थी परंतु उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। दायर की गई अन्य जनहित याचिका कुछ रिश्वत लेने के बारे में है।....*(व्यवधान)*

श्री सी.के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : महोदय, यह क्या है? ....*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माननीय अध्यक्ष जी, ये कितनी देर बोलेंगे? हमने भी ज़ीरो आवर के लिए नोटिस दिया है। ....*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : ये लोग चेयर को सुझाव दे रहे हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। हम आपको भी सुनेंगे।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बंगरप्पा जी कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, इस तरह से बातें हो रही हैं और अब उच्चतम न्यायालय ने 13 दिसंबर को अपना फैसला दिया है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है। अब पूरी बात स्पष्ट है। पहले, जब ये मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित थे तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले पर कार्रवाई न करने के लिए, कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया था। फिर भी, भारत सरकार ने कई वर्षों तक अनावश्यक रूप से ही इन बातों को खींचा था। भारत सरकार ने एक मुद्दे पर ही अनुमति देने के लिए पांच से सात वर्ष लगा दिए थे।

अध्यक्ष महोदय : अब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी तरह मामले का निपटान कर दिया है।

श्री एस. बंगरप्पा : यह एक अलग मुद्दा है। कानूनी रूप से कोई स्थगन आदेश नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिंदी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, हमारा खून खौल रहा है, वहाँ कानून और व्यवस्था चौपट हो गई है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : हम कानून और व्यवस्था का मामला उठाना चाहते हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमें यह मामला उठाने की अनुमति दें।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थानों पर बैठ जाएँ। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इस बात को समझें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूँगा। आपको कार्यवाही में इस तरह व्यवधान नहीं डालना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिंदी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमें बोलने की अनुमति दें।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराजसिंह चौहान, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको भी अनुमति दूँगा। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, यह काफी गंभीर मामला है ....*(व्यवधान)* अगर वे इसी तरह व्यवहार करते रहे तो हम इस सभा को चलने नहीं देंगे....*(व्यवधान)* उन्हें यह फैसला करने दीजिए कि वे सदन की कार्यवाही चलने देंगे या नहीं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बंगरप्पाजी, आप सीधे अपने प्रश्न पर आ जाइए। आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं अपनी सीमा को जानता हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। हमारे सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है और फिर भी, दूसरी ओर के सदस्य निरंतर कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मजदूर भूखों मर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह काफी हो गया है, श्री विनय कटियार, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : यह सब कब तक चलेगा। हम लोगों को कभी बोलने का मौका नहीं मिलता, यही बोलते रहते हैं। क्या हम लोग वाक-आउट कर जाएँ।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में नियम है। कृपया इसे समझें। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : क्या हम लोग लोक सभा में न आएँ, क्या इन्हीं चार लोगों से लोक सभा चलेगी?....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कटियार, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस मामले में दखल दें।

....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वे सदन की कार्यवाही चलने दें?....*(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने उत्तरदायित्वों की तिलांजली दे दी है ....*(व्यवधान)* इस सदन के नेता कहाँ हैं और संसदीय कार्य मंत्री कहाँ है?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या हो रहा है? आपको पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विनय कटियार, आप (कब तक चलेगा) नहीं कह सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसा बोलना आपका कार्य नहीं है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुँवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्पात ये बाहर मचाते हैं, वैसा ही उत्पात सदन में मचाकर अपनी बात कहना चाहते हैं।.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर) : महोदय, वे ठीक प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहते हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. बंगरप्पा, संक्षेप में बोलिए। आप कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। पहले ही 12.20 बज चुके हैं।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैंने अभी तक अपनी बात समाप्त कर देनी थी, लेकिन वे व्यवधान पैदा कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आधा सेकेंड दीजिए। यह आपको देखना है कि सभा में कार्यवाही का संचालन किस तरह कराना है। लेकिन यदि सत्ता पक्ष से कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करने का प्रयत्न करेगा, तो आप कैसे सभा की कार्यवाही का संचालन कर सकते हैं?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपने सदस्यों से स्थान ग्रहण करने के लिए कहिए। यह अच्छा नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह आपका कार्य है उन्हें कहने का। मंत्री चुप क्यों हैं? प्रत्येक बार, सत्ता पक्ष के सदस्य व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? यह सही नहीं है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अपने सदस्यों से कहिए कि वे अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, माननीय सदस्य, श्री बंगरप्पा एक सेकेंड के लिए बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पहले आप अपने सदस्यों से स्थान ग्रहण करने के लिए कहिए।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मुझे इस व्यवधान के लिए खेद है, लेकिन मुझे लगता है, कि इस मामले को उठाना संगत होगा। उत्तेजनाएं बढ़ रही हैं....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह उनका कार्य नहीं है....*(व्यवधान)* मंत्री महोदय ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने सर्वप्रथम क्षमा माँग ली थी ....*(व्यवधान)* वह इस तरह कर कैसे सकते हैं?....*(व्यवधान)* मैंने पहले ही क्षमा माँग ली है।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. बंगरप्पा, आपको दिया गया समय बहुत कम है। कृपया सीधे अपना स्पष्टीकरण मांगिए।

....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैंने अपनी पार्टी के सदस्यों की ओर से क्षमा माँग ली थी....*(व्यवधान)* वह मुझे सुनना तक नहीं चाहते ....*(व्यवधान)* यह अति है।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. बंगरप्पा, अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री एस. बंगरप्पा : जी हाँ, महोदय, मुझे समय का महत्व पता है।

महोदय, बिजली खरीदने के लिए समझौता हो गया था और इसे राज्य सरकार ने अपने बिजली बोर्ड, कोजनट्रीक्स कंपनी और मंगलौर कार्पोरेशन के माध्यम से दूसरी या तीसरी बार भेज दिया था और यह भारत सरकार ने निर्देशानुसार हुआ था। उसके बाद यह मामला भारत सरकार के पास काउंटर-गॉरंटी के लिए भेज दिया गया था।

महोदय, फिर यह सब कुछ शुरू हो गया। इस समय, केंद्रीय विद्युत बोर्ड, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और विधि मंत्रालय के परामर्श पर काउंटर-गारंटी में कई बदलाव किए गए। इसलिए, भारत सरकार की ओर से, केवल काउंटर गारंटी लेने में पांच से साढ़े पांच साल लग गए।

महोदय, यह भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई फास्ट-ट्रेक परियोजना है। यह 'भारत सरकार द्वारा घोषित सात या आठ परियोजनाओं में से एक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. बंगरप्पा, मेरी बात सुनिए, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 197 के अंतर्गत, मंत्री के वक्तव्य के बाद, कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं वाद-विवाद नहीं कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए कि दूसरे सदस्यों को भी स्पष्टीकरण मांगना है।

श्री एस. बंगरप्पा : उनके वक्तव्य को पढ़ने के बाद मेरे मन में दो शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं। अभी, भारत सरकार ने स्तब्ध कर देने वाला रास्ता अपनाया है, जबकि यहाँ कई स्तरों पर मंत्रालयों द्वारा दिए गए सुझावों में कई बदलाव आए हैं। आप कृपया उन सबको देखिए। महोदय मेरे पास 3.7.92 के समय से सबूतों की लंबी-लिस्ट है। वास्तव में, परिस्थिति अभी भयानक है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपका प्रश्न क्या है?

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, प्रति गारंटी का मुद्दा 1997 में सुलझ गया था। विद्युत मंत्री अर्थात् भारत सरकार ने इस संबंध में सुझाव दिए थे। अपने वक्तव्य में उन्होंने सुझाव दिया कि हम यह प्रस्ताव भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेज रहे हैं और आप इस बारे में जानकारी देते रहिए। निर्देशों के अनुसार हमें विद्युत खरीद समझौते को स्वीकृति देनी है।

महोदय, पुनः वे सभी वही प्रश्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह सभी प्रस्तावों को मंजूरी देने जा रहे हैं? क्या वह इसमें आने वाली बाधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले बताई थी? मैं आपसे केवल यही जानना चाहता हूँ।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया सभी चीजों के लिए केवल हाँ कहते हुए इन्हीं स्वीकृति प्रदान करें।

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर) : मैं माननीय मंत्री जी की उदारता के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ यद्यपि यह विलंब से आया है। पिछले वर्ष जुलाई माह में, माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा था कि सभी तकनीकी व्यवहार्यताओं को स्वीकृति मिल गई है लेकिन चूँकि मामला न्यायालय में है वह प्रति गारंटी नहीं दे सकते।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ क्या किसी न्यायालय ने कंपनी को अपनी परियोजना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई स्थगन आदेश दिया है। किसी ने भी स्थगन आदेश नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री आर.एल. जालप्पा : "इनरोन" को भारतीय जनता पार्टी ने अपने 13 दिन के कार्यकाल में मंजूरी दी थी। इसमें 24 मुकदमे चल रहे थे उनके बावजूद यह मंजूरी दी गई। हमारे साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। दूसरे आप जानते हैं भारत में अमरीका के राजदूत की क्या प्रतिक्रिया है क्या आपने वह देखा है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए और अपना प्रश्न पूछिए।

श्री आर.एल. जालप्पा : यदि आप हमें दो मिनट बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम यहां क्यों आएं।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के पश्चात्, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा : आप जानते हैं कि मैं बार-बार पूछने के लिए खड़ा नहीं होता हूँ।

[श्री आर.एल. जालप्पा]

भारत में अमरीका के राजदूत, श्री मिलेस्टे ने मंगलवार को कहा था कि "कोर्जेंट्रिक्स ने भारत में संभाव्य अमरीकी निवेशकों को गलत संकेत दिए हैं।" आप कहते हैं कि हम विश्व में नई सहस्राब्दी में जा रहे हैं। क्या आप इस दृष्टिकोण के साथ हिमालय को स्वर्ण चोटी में परिवर्तित करने जा रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इसे बिना किसी और बाधा के यथाशीघ्र मंजूरी दें। हमने एक वर्ष व्यर्थ कर दिए हैं और आप इसे अभी भी तीव्र प्रगति कह रहे हैं। यह अत्यंत खराब बात है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसे शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : एक हजार मैगावाट विद्युत कर्नाटक राज्य की जब खपत का 1/6 भाग होगा। उस समय लागत 5,000 करोड़ रुपए थी। सरकार की उपेक्षा के कारण अब यह लागत दोगुनी हो जाएगी। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् सरकार इस प्रति गारंटी के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने पहले ही कोर्जेंट्रिक्स को छोड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप उनके वापस आने से पहले प्रति गारंटी जारी करेंगे। यदि प्रति गारन्टी हो जाती है तभी सरकार कुछ कार्यवाही करेगी।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मेरे मित्र श्री एस. बंगरप्पा सभी प्रश्न उठा चुके हैं क्योंकि वह राज्य के मुख्य मंत्री रहे हैं और उनका इस विषय से वास्ता पड़ा है। माननीय मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य में प्रति गारंटी के मामले में संशोधित प्रक्रिया अपनाने के बारे में उल्लेख करने से ही यह प्रश्न सामने आए हैं। 1992 में भारत सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कोई भी राज्य सरकार भारत सरकार के समर्थन अथवा सहमति के बिना प्रति गारंटी नहीं कर सकती है।

हम सभी सरकार में कार्य कर चुके हैं और यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अतः मंत्री जी हमारी आँखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। हम भी सरकार में रहे हैं हमें पता है सरकार किस प्रकार काम करती है।

जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है यदि उनमें इच्छा शक्ति है तो वह इसका हल ढूँढ़ सकते हैं। आज कोर्जेंट्रिक्स केवल कर्नाटक अथवा कर्नाटक के हित का मामला नहीं है। प्रत्येक को राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहिए। प्रत्येक को देखना चाहिए कि देश में निवेश के वातावरण पर इसका क्या प्रभाव होगा। यह एक राज्य अथवा अन्य का प्रश्न नहीं है। यदि निवेश वातावरण और निवेशकों के दिल में आपके प्रति विश्वास प्रभावित होता है जैसाकि आज कर्नाटक में हुआ है। वैसा कल आंध्र प्रदेश और परसों उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, अच्छा नहीं होता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो क्षति हो चुकी वह अब ठीक नहीं की जा सकती है लेकिन अब वह निवेशकों में विश्वास बनाएं और उनके दिल में जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसे दूर करें ताकि देश में और निवेश करने के लिए न केवल विद्युत क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी आगे आएं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप अब जवाब दे सकते हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूँ .....*(व्यवधान)* यह संकेत अत्यंत शरारतपूर्ण है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने कहा जब आप बोल रहे हैं तो मेरे लिए खड़ा होना उपयुक्त नहीं है क्योंकि आप मुझसे वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह सभा को आश्वस्त करें कि वे इस प्रकार कार्य करेंगे कि समस्या की पहचान की जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा और यह भी देखेंगे कि यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। यदि यह किया जाता है तो विदेशों से आठ निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा ताकि न केवल विद्युत क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपना निवेश किया जा सकेगा। कोर्जेंट्रिक्स द्वारा कर्नाटक से परियोजना समाप्त करने के कारण वहाँ बुरा प्रभाव पड़ा है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं विद्युत क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षण किए जाने के लिए माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि आप 'एनराज' और कोर्जेंट्रिक्स के बीच इस कारण से तुलना नहीं कर सकते कि एनराज के मामले में कोई मुकदमेबाजी नहीं थी, उसमें किसी न्यायालय ने उसे दोषी नहीं पाया था और न ही एफ.आई.आर. दर्ज करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जाँच करने के लिए सी.बी.आई. को निर्दोष दिए गए थे। अब हमारे सामने स्थिति ऐसी है जहां रिश्वत लेने के सम्बंध में ही आरोप नहीं लगाया गया है बल्कि परियोजना स्थान के बदलने, पर्यावरणीय स्वीकृति और परियोजना के समग्र क्षेत्र के संबंध में भी है। यदि हमारे ऊपर ऐसा आरोप है तो जारी की गई किसी भी प्रति गारंटी को न्यायालय के निर्णय से ही जारी किया जाएगा जो इस परियोजना के सम्बंध में लिए गए किसी भी निर्णय पर खुली चुनौती है।

आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उच्चतम न्यायालय ने इन सभी को अस्वीकार किया है और तत्कालीन राज्य सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को निर्दोष ठहराया गया है। मैं श्री बंगरप्पा से कहना चाहूँगा कि आज अपना सिर ऊँचा करके कह सकते हैं कि मुझे इन आरोपों से उच्चतम न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। इन आरोपों में जिसके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ—"मेरे पूर्वगामी मुख्य मंत्रियों सहित सभी मुख्य मंत्री शामिल हैं।"

श्री एस. बंगरप्पा : आप इसे सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। वास्तव में 'समझौता ज्ञापन' पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता बाद में 1994 में आया था। मैं 1994 में मुख्य मंत्री नहीं था। यह आपकी जानकारी के लिए है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मुझे इस बात का पता है।

यह दिलचस्प बात है कि मुझे बताया जा रहा है कि 'जहाँ चाह वहाँ राह' है। मैं सहमत हूँ लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1992 और 1997 के बीच न कोई 'चाह' और न कोई 'राह' नहीं थी। उन पाँच वर्षों में प्रति गारंटी के लिए जो प्रक्रिया रखी गई थी वह इनकी भ्रांतिपूर्ण और अव्यवस्थित थीं कि एनराज को छोड़कर सभी प्रति गारंटी परियोजनाएँ जो शीघ्र, निर्बाध तेजी से चल रही थी रुक गई। यह हमारी सरकार है—जब पिछली बार यह सत्ता में आई थी—यह निर्णय लिया कि इस कठिन प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारें विद्युत खरीद रही है इसलिए राज्य सरकारों को निर्णय लेना चाहिए कि वह किसी प्रकार पी.पी.ए. चाहती हैं।

आज भी मेरी बात अत्यंत स्पष्ट है कि यह राज्य सरकार है जिसे पी.पी.ए. क्रियान्वित करना है। हमें प्रति भेजनी है और प्रमाण-पत्र देना है कि यह विधि के अनुरूप है। बस यही बात है और जिस क्षण यह किया गया प्रति-गारंटी लागू कर दी जाएगी। मैं मंत्रिमंडल से औपचारिक स्वीकृति लूँगा जो इन मामलों में हमेशा आवश्यक होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल ने मुझे उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया है। वह सरकार का सामूहिक निर्णय था। अतः हम इसे ले रहे हैं। मुझे आशा है कि मैं अपनी ओर से माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकूँगा कि हम निर्णय के बारे में कंपनी को अगले सप्ताह में सूचित कर देंगे।

मैं एक अन्य बात को स्पष्ट करता हूँ। अंततः इसका निर्णय कर्नाटक की राज्य सरकार को करना है कि वह इस परियोजना को जारी रखना चाहती है या नहीं। हमें कोई लिखित सूचना नहीं मिली है—मैं फिर कहता हूँ कि हमें कोजेंट्रिक्स या चाइना लाइट एंड पावर से कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। इनके प्रतिनिधि मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे केवल मौखिक रूप से सूचित किया था वे केवल प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कर रहे हैं और संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं किंतु हमें लिखित में कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः अधिकारिकतौर पर मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि वे प्रवर्तक के रूप में हैं और इस परियोजना को चला रहे हैं।

भारत सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। हम केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब न्यायालय ने निर्णय दे दिया है अतः हम शीघ्रता से कदम उठाएँगे और मैं कर्नाटक के माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम यह देखना चाहते हैं कि 1000 मेगावाट की यह बड़ी परियोजना बिजली की कमी की स्थिति में कर्नाटक राज्य सरकार की सहायता करे....*(व्यवधान)*

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' लेंगे। श्री प्रहलाद सिंह पटेल।

....(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं....*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, ये ही बोलते रहेंगे या दूसरों को भी बोलने देंगे?....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, क्या वे सभी बातें एक सप्ताह के भीतर कर देंगे? वे इस बारे में सभा को बताएँ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह पहले ही कह दिया है।

....(व्यवधान)

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैंने कहा है कि हम कंपनी को अगले सप्ताह में सूचित करेंगे। क्या आपने मेरी बात सुनी?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंगरप्पा, वे यह पहले ही कह चुके हैं, अब श्री प्रहलाद सिंह पटेल बोलेंगे

....(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : यह क्या चल रहा है। यह मामला उठाने दीजिए।....*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को एक बड़ी दुखद घटना के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि क्या वे मंत्रिमंडल की स्वीकृति सहित इसे एक सप्ताह के भीतर कर देंगे *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? वे पूछ रहे हैं कि आप उसे एक सप्ताह के भीतर कर देंगे।

....(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा : उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल की अनुमति लेने, सभी संबद्ध पक्षों को बुलाने आदि सहित वे सभी कुछ एक सप्ताह के भीतर कर देंगे। क्या यह सही है?....*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : प्रति-गारंटी के बारे में भारत सरकार के रुख के बारे में एक सप्ताह के भीतर अवगत करा दिया जाएगा और इस बारे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह नीति के अंतर्गत आता है, किंतु राज्य सरकार की जिम्मेदारी मेरी नहीं है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अब भी प्रहलाद सिंह पटेल बोलेंगे।

अपराह्न 12.38 बजे

[हिंदी]

मध्य प्रदेश में मंत्री की हत्या के बारे में

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की एक दुखद घटना के बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बालाघाट जिले का सांसद हूँ। वहाँ के चार विधान सभा के क्षेत्र नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित हैं। स्वर्गीय लिखी राम कामड़े की कल रात्रि डेढ़ बजे निर्मम हत्या की गई जो मध्य प्रदेश सरकार के केबिनेट मंत्री थे और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं कि हत्या की गई, उनके हाथ पीछे बाँधे गए और किरनापुर से दो किलोमीटर बाजू में ले जाए गए। किरनापुर विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय है, तहसील प्लेस है। उनके घर से उनको उठाया गया, उनके सिर को काटा गया, उनके शरीर को काटा गया और घर के कैम्पस के सामने फेंका गया।

अपराह्न 12.39 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अभी भी इस बात पर आम राय नहीं है कि हत्या का कारण क्या है। अगर सरकार यह कहना चाहती है कि वह नक्सलवादी आंदोलन का हिस्सा है तो मैं उसको नकारता तो नहीं, लेकिन मैं उस पर विश्वास करने के लिए, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी वहाँ लोक सभा का चुनाव लड़ा हूँ। वहाँ पर नक्सलाइट आंदोलन के आई.जी. हैं, डी.आई.जी. हैं, एस.पी. हैं, उसके बाद ही मैं चुनाव लड़ पाया। वहाँ पिछले चुनावों से 116 मतदान केंद्रों पर मतदान के अभिकर्ता नहीं रहे। मैंने अपने चुनाव में अभिकर्ता भेजे, पर मुझे भी सुरक्षा नहीं दी गई। मैं सुरक्षा की मांग नहीं करना चाहता, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार से मैंने कहा था कि यह परिस्थिति आएगी। यह पहली राजनैतिक हत्या है। एक केबिनेट मिनिस्टर की हत्या कर दी जाए, जो जिले का प्रभारी मंत्री हो, जिसके साथ एस्कोर्ट चलती हैं, ऐसा माना जाता है कि वह जिले का मुख्यमंत्री है। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूँ कि जब प्रभारी मंत्री की हत्या हो सकती है, उनको घर से उठाकर मुख्यालय से दो किलोमीटर दूर ले जाकर काट-काटकर फेंक दिया। उसके बाद भी हमारे साथी इस बात को इतने हल्के ढंग से लेना चाहते हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से सुबह बात की थी। मैं उस जिले का सांसद हूँ, मैंने कहा कि मैं भी फ्युनरल में शामिल होना चाहता हूँ, क्या आप उसकी जानकारी देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने कोई जवाबदेही की बात नहीं की। मैं जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूँ।

....(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : वे मेरे इलाके के मंत्री थे.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटेल आप पहले ही यह मामला उठा चुके हैं। सरकार ने इसे नोट कर लिया होगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। *....(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : हमने भी नोटिस दिया है। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, यह मामला पहले ही उठा चुके हैं। तीन-चार अन्य माननीय सदस्य भी उनके साथ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, जीरो ऑवर पर भी कंट्रोल नहीं है।

....(व्यवधान)

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : ये लोग खड़े होकर इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विनय कटियार, आपका नाम भी सूची में है। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, आप इस मुद्दे के बारे में केंद्रीय सरकार से क्या चाहते हैं ?

....(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं दो बिंदु यहाँ पर रखना चाहता हूँ ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, श्री पटेल ने सभा के समक्ष एक बहुत गंभीर मामला उठाया है, तीन-चार अन्य माननीय सदस्य भी उस मामले पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

[हिंदी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, मुझे आपके आचरण को गंभीरता से लेना होगा।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं, यह बताइए।

श्री विनय कटियार : पूरी बात तो होने दीजिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को विनियमित करने के लिए यहां हूँ। सभा को संचालित आपने नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि पार्टी के सदस्य अपने सदस्यों को विनियमित करें।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं आपसे कह रहा हूँ, यह पहली घटना नहीं है। परसों सोनेवाली चौकी पर नक्सलाइट ने घेरकर चार घंटे फायरिंग की। वहाँ पर हैंड ग्रेनेड चले....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं, यह बताइए।

तीन बार सदस्य अपने विचार इस बारे में व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं उस क्षेत्र में सांसद हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, दो दिन पहले सोनेवाली चौकी पर चार घंटे तक नक्सलाइट ने फायरिंग की है। यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। पिछले दो महीनों के भीतर 17वीं या 18वीं घटना है। मुख्य मंत्री का नाम लेने पर मेरे मित्रों को आपत्ति हो रही है, मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए, यह आपस के झगड़ों का परिणाम है। ला-एंड-आर्डर की स्थिति वहाँ पर नहीं है....*(व्यवधान)* मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको की बोलने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : वहाँ के मुख्य मंत्री को तत्काल त्याग पत्र देना चाहिए।....*(व्यवधान)* वहाँ एक जिले में पुलिस उपमहानिरीक्षक बैठा हुआ है। उसके रहते हुए वहाँ हत्या हो जाए, तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' है कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको केवल यह कहना है कि सरकार क्या करे।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं सरकार से माँग करता हूँ कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त तो किया ही जाना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की भी जानी चाहिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया आपको बोलने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इससे संबद्ध करता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन यह भी है कि इस पूरे मामले की सी.बी.आई. से जाँच कराएँ। काँग्रेस के अंदरूनी झगड़े का परिणाम है, वहाँ पर मंत्री की हत्या हुई है।....*(व्यवधान)* पूरे मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अपराधों के मामले में....*(व्यवधान)* दिग्विजय सिंह जी को बर्खास्त किया जाए। मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए और पूरे मामले की सी.बी.आई. से जाँच कराई जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडेय, कृपया बैठ जाइए। यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा से संबंधित मजदूर संघ के लोग....*(व्यवधान)* मैं दूसरे विषय पर हूँ।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसी सिलसिले में आपका नाम है, आप इससे एसोशिएट करना चाहते हैं।

....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : पांडेय जी, आपका नाम एसोशिएट करने के लिए नहीं है। आप सीनियर मैम्बर हैं। इन्होंने नाम दिया है, इसीलिए इनको बुलाया है।

श्री विनय कटियार : यह बहुत गंभीर मामला है। मैं इससे संबद्ध करते हुए भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी सी.बी.आई. से जाँच कराई जाए और कई राज्यों में जहाँ-जहाँ भी कांग्रेस की सत्ता है, वहाँ पर आए दिन घटनाएँ हो रही हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में है। मैं आपका नाम पुकारूँगा। आप स्वयं को इससे संबद्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : मैं खड़ा हूँ, मुझे बोलने नहीं देंगे। आपकी बारी में मैं कहने नहीं दूँगा।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें क्यों उकसा रहे हैं। आप विषय तक सीमित रहें।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : महोदय, पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का वातावरण है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ये यहाँ पर एक दिखाई देते हैं, बाहर जाते हैं तो आपस में लड़ते हैं। एक कैबिनेट मंत्री की हत्या हो जाए, इससे दुखद और कोई घटना नहीं हो सकती है। माननीय सदस्यों को उत्तेजित न होकर उनके दुख में सहभागी बनना चाहिए। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको इससे कुछ लेना-देना नहीं है।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब कटियार जी बोल रहे हैं तो आप बीच में कैसे बोल रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : महोदय, मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके सी.बी.आई. से इसकी जाँच कराई जाए, यह मेरा निवेदन है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हमारे पास अन्य मदें भी हैं यदि आप शांति बनाएँ रखें तो हम उन्हें भी ले सकते हैं। कुछ सदस्य मामले पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अब श्री सिंधिया बोलेंगे।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना घटी है वह बेहद दुखद है और मैं सोचता हूँ कि मानवता के आधार पर इसे राजनीति से दूर रखते हुए इस पर चर्चा करनी चाहिए।.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा में व्यवहार करने का तरीका नहीं है; जब आप बोल रहे थे तो मैं सभा को नियंत्रित कर रहा था। हर किसी में बात सुनने का धैर्य होना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हर किसी को इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दूँगा।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को भी बोलने नहीं दे रहे। कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूँ।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवधान न डालें। कुछ और सदस्य बोलने वाले हैं।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर उठ रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, इनके खिलाफ खुद केस चल रहा है और यह लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस हाउस को कंडक्ट करना किसी के बस में नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया जाए।

....*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विनय कटियार, बहुत हो गया है। कृपया अब बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दो। उन्होंने भी सूचना दी है। श्री शिवराज सिंह चौहान, आप बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीनियर मेम्बर हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि तीन-चार मेम्बर एक ही सब्जैक्ट पर लिस्ट में आ जाते हैं तो सबको चांस मिलता है। आपको चांस मिला है तो क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए? क्या इनको आप इंटरप्ट करेंगे।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दूँगा।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौहान, कृपया बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : दिल्ली में हर दो दिन में तीन लोगों की हत्या हो रही है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है? श्री शिवराज सिंह चौहान यदि आप सभी इस तरह का आचरण करते हैं तो मुझे बताइए कि मैं सभा को कैसे संचालित करूँ? आप इस सभा में मुझे भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जब आप बोलते और वे व्यवधान डालेंगे तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और कोई भी आपकी बात नहीं सुन सकेगा। जब वे लोग बोलते हैं और आप इस तरह व्यवधान डालते हैं तो मैं इस सभा का संचालन कैसे कर सकता हूँ? यह कैसा शून्य काल है? इससे बेहतर है कि हम सभा स्थगित कर दें। आप लोग अपनी बात कह चुके हैं अब उनकी बात भी शांतिपूर्वक सुनी जाए, कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डालें। मैं आप तीनों—श्री विनय कटियार, श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री प्रहलाद् सिंह पटेल से यह अपील करता हूँ।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष जी, हिंदुस्तान में पहली बार किसी कैबिनेट मंत्री की हत्या हुई है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह पुनः शुरू कर दिया है। मेरे विचार से संसदीय कार्य मंत्री को इन लोगों को नियंत्रित करना चाहिए। श्री प्रमोद महाजन, संसदीय कार्य मंत्री, मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ। मैं इन दो-तीन सदस्यों के नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। मैं उन्हें नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया उनसे शांति बनाए रखने के लिए कहें। इस तरह मैं सभा का संचालन कैसे करूं?

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : हम तो केवल इतना चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री इस मामले पर बयान दें....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब हम देख रहे हैं कि वे सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। वे सभी प्रकार के व्यवधान पैदा कर रहे हैं और वरिष्ठ मंत्री चुप बैठे हैं। सत्ता पक्ष के सदस्य सभा की कार्यवाही जारी रहने नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्ता पक्ष के सदस्यों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सभी वरिष्ठ नेता चुप बैठे हैं। वे उन्हें विश्वास भी नहीं दिला रहे हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी है। मैं सभा का संचालन कैसे करूँ?

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : कैबिनेट मंत्री काट कर फेंक दिया जाए और हम कुछ बोले नहीं।....*(व्यवधान)* ट्रैजरी बेंच की तरफ से हम क्यों चुप रहें, बोलें क्यों नहीं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि ऐसी बातें न कहें।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो निर्मम और बर्बर हत्या हुई है, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि आज इस हाउस में मानवीय भावनाओं को क्या हो गया है। क्या हमने मानवीय भावनाओं को त्याग दिया है।....*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : बोलने पर क्या आपकी मोनोपली है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अगर आप इसी प्रकार करेंगे तो हम आपके पक्ष के किसी व्यक्ति को इस सभा में बोलने की अनुमति नहीं देंगे। क्या यह सही तरीका है?....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य को चेतावनी देता हूँ। वह किसी अन्य सदस्य को इस सभा में बोलने से नहीं रोक सकता। अब बहुत हो चुका है। यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अगर वे ऐसा करेंगे तो हम भी कोई काम नहीं करने देंगे....*(व्यवधान)* ऐसी स्थिति में सभा की कार्यवाही कैसे चल सकती है?....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

अब श्री माधवराव सिंधिया जी बोलेंगे।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान जी, कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हर बात की कोई सीमा होती है।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कभी-कभी ऐसी कुछ दुखद घटनाएँ घट जाती हैं जिनके बारे में सदन में चर्चा राजनीति को अलग और परे रखते हुए होती है। तीस वर्ष के संसदीय इतिहास में मेरा अनुभव इसी तरह का रहा है। मैं आज स्तब्ध हूँ। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ जब इस निर्मम और बर्बर हत्या के मामले को उठा कर हमारे साथीगण राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने लगे। मैं अपील करूँगा....*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं।....*(व्यवधान)* इसमें राजनीति करने का सवाल नहीं है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें बोलने नहीं देंगे? कृपया मुझे बताइए। श्री चौहानजी, क्या आप अध्यक्षपीठ की बात मानेंगे?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : हमने ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

....*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सीनियर मैम्बर बोल रहे हैं और ये बीच-बीच में टोका-टाकी कर रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें क्या पॉलिटिकल है? यह आपकी बात का जवाब दे रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या, मैंने आपको मना किया था?

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : सम्माननीय लक्खीराम कावरे जी एक चुने हुए विधायक के नाते हमारे पुराने साथी थे। मुझे पूरा विश्वास है कि सत्तारूढ़ दल में जो हमारे साथी बैठे हैं, उन्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा होगा। जिस तरह से यह निर्मम हत्या हुई और लोगों को काट-काट कर मार डाला गया, उससे निश्चित रूप से मानवीय भावनाएँ आहत होती हैं। वह हमारे और आपके साथी थे। हमें आपसे अधिक दर्द महसूस हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसे व्यापक संदर्भ में देखना होगा। इस संबंध में मिल-जुल कर ठोस कदम उठाने होंगे। आखिरकार जिस तरह उनकी हत्या हुई....*(व्यवधान)* मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह बर्बर हत्या की गई, शव के नज़दीक जिस तरह के पोस्टर मिले जिसमें इस बात का वर्णन किया गया था कि एक दूसरे प्रदेश में तथाकथित

नकली एनकाउंटर के कारण उनके चार साथी मारे गए थे, इस कारण बदले की भावना मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं। हम और आप जानते हैं कि नक्सलिज्म से काफी क्षेत्र प्रभावित हो गया है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आंध्र प्रदेश पर पड़ रहा है। वहां की सरकार प्रयत्न कर रही है। हम यह नहीं कहते कि वह प्रयत्न नहीं कर रही है। वहां यह भयंकर रूप धारण कर गया है। इसका असर धीरे-धीरे मध्य प्रदेश और महराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों पर हो रहा है। इसलिए हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह आज क्या हो रहा है?

श्री माधवराव सिंधिया : इसलिए जो घटनाएँ आंध्र प्रदेश में घटती हैं, उनका असर कभी-कभी पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ता है। इस बात को हमें बारीकी से देखना होगा। इस बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से चर्चा करनी होगी। मैं यह मानता हूँ कि कभी-कभी देश की अलग-अलग जगहों पर कुछ ऐसे फोकस बन जाते हैं, केंद्र बिंदु बन जाते हैं। जिन चार प्रदेशों पर प्रभाव पड़ा है, वहां के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठकर जिसमें सैंट्रल गवर्नमेंट भी सम्मिलित हो, एक को-आर्डिनेटिव एफर्ट्स होना चाहिए। इसमें जो बुनियादी मामला है, उस मामले में हम सब मिल-जुलकर पार्टी की भावना से ऊपर उठकर कैसे टैकल करें, इसके बारे में विचार-विमर्श करें। एक मुद्दे को उठाकर उसमें राजनीति लाना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्वर्गीय दिवंगत आत्मा का अपमान हो। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस बात से ऊपर उठकर बड़े पैमाने पर सोचा जाए। कोई दूसरा मामला आकर हमारे प्रदेश को प्रभावित कर सकता है और कभी-कभी यह भी हो सकता है कि हमारे प्रदेश का मामला दूसरे प्रदेश को प्रभावित करे। इन बातों का समाधान करना होगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अपील करता हूँ कि सैंटर इसमें पहल करे और नक्सलिज्म के बारे में एक को-आर्डिनेशन कमेटी बनाए। ऐसे गंभीर बिंदु पूर्व, पश्चिम या दक्षिण में हों तो इस बारे में को-आर्डिनेशन रहे। चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस समस्या का हल हो। ऐसे प्रभावित परिवार के प्रति हमारी भारी संवेदना है और इसको मानवीय आधार पर लिया जाए, यही हमारे सभी साथीगणों से अपील है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

[**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब सभा की कार्रवाई शुरू की जाती है।

अपराह्न 2.18 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इलैक्ट्रानिक आधार सामग्री के व्यतिहार द्वारा और इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा जिन्हें सामान्यतया "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य" कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है, किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक फाइल बनाने को सुकर बनाने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलैक्ट्रानिक आधार सामग्री के व्यतिहार द्वारा और इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा जिन्हें सामान्यतया 'इलैक्ट्रानिक वाणिज्य' कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है, किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक फाइल बनाने को सुकर बनाने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रमोद महाजन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 16.12.99 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.19 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियों के विस्तार केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि सरकार इस बात के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी खाना पकाने की गैस सरलता से उपलब्ध कराई जाए। इस हेतु जगह-जगह नई-नई एजेंसियां भी खोली जा रही हैं ताकि ईंधन के लिए वनों पर बढ़ता बोझ कम किया जा सके और देश की बहुमूल्य वन संपदा की रक्षा की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक हर जगह गैस एजेंसियां नहीं खोली जाती हैं तब तक यह संभव नहीं है। वर्तमान में जितनी भी गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं वे दूरदराज के गाँवों में सेवाएँ नहीं दे रही हैं। इसलिए वहां प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर विस्तार पटल की सुविधा प्रदान करना नितांत आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जब गैस एजेंसी में जाकर गैस सिलेंडर लेते हैं, तो उसे गाँव तक ले जाना एक जटिल समस्या है। बस वाले इन सिलेंडरों को ले जाने से इसलिए इनकार करते हैं कि यह गैस अत्यंत प्रज्वलनशील एवं विस्फोटक होती है। दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि अब एल.पी.जी. महंगी हो गई है और ग्रामीण क्षेत्रों को तो छोड़ दीजिए कभी-कभी शहरी क्षेत्रों में भी सिलेंडरों में पूरी गैस नहीं होती है और गाँव के भोले-भाले लोग इस कारण से अनेक बार धोखा खाते हैं और गैस एजेंसियों द्वारा निर्धारित वजन से कम गैस देकर ठगे जाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि सभी गैस एजेंसियों को इस प्रकार के निर्देश दिए जाएँ कि एजेंसियों के जो वाहन गैस सिलेंडरों की आपूर्ति हेतु घर-घर जाते हैं उनमें गैस सिलेंडरों को तोलने हेतु तराजू की व्यवस्था की जाए ताकि गैस सिलेंडर लेते समय उपभोक्ता उसे तोलकर अपनी संतुष्टि कर ले। गैस की कमी की अनेक शिकायतें दिल्ली में भी कम नहीं हैं और दिल्ली में ऐसी गैस एजेंसियां गिनी-चुनी ही होंगी जहाँ गैस सिलेंडरों में पूरी गैस सप्लाई की जाती हो। इसलिए न केवल ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों बल्कि संपूर्ण देश में कार्यरत एल.पी.जी. एजेंसियों में तराजू रखने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) इकाई में कार्य शीघ्र शुरू किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, उर्वरक निगम लि. के गोरखपुर यूनिट की स्थापना सन् 1969 में हुई थी। यह उर्वरक कारखाना पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वरदान था, परंतु 10 जून, 1990 को एक साधारण दुर्घटना के चलते उक्त कारखाना बंद कर दिया गया। औद्योगिक दृष्टि से पहले से ही पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगे इस कारखाने के बंद हो जाने के कारण यहाँ के कर्मचारियों के साथ-साथ किसानों में भी भारी निराशा व्याप्त है। सरकार ने व्यापक जनहित में उक्त बंद पड़े कारखाने को कृषक भारती को-ऑपरेटिव लि. द्वारा पुनः चलवाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

सभापति जी, कृभको द्वारा उक्त बंद पड़े उर्वरक संयंत्र में उपलब्ध आधार संरचना तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग करके नया संयंत्र लगाने का हम स्वागत करते हैं। उस ऐतिहासिक निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित कराए जाने की मांग करते हुए मैं सरकार का ध्यान निम्न बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ :

1. उर्वरक संयंत्र में कार्यरत कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण संयंत्र के बंद होने के बाद से नहीं हुआ है। अतः अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की तरह कार्यरत सभी कर्मियों को नया वेतनमान दिया जाए।

2. उर्वरक संयंत्र में पहले से कार्यरत कर्मियों का समायोजन कृभको द्वारा किया जाए।

(तीन) पश्चिम बंगाल में इतहार, रतुआ, खरबा और रायगंज में बार-बार आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : रायगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मालदा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण दिनाजपुर नामक पश्चिम बंगाल के तीन जिले आते हैं।

इस क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली आबादी में मुसलमान, अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लोग अधिक संख्या में हैं तथा इस क्षेत्र में कलकत्ता और रायगंज के बीच ब्राडगेज रेलवे संपर्क नहीं है। एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34, उत्तर पूर्व और शेष भारत के बीच माल और यात्री गाड़ियों के आवागमन से काफी व्यस्त रहता है। अधिकांश स्थानों पर सड़क संकरी है तथा नगर ब्रिज से लेकर गाजोल और ईटाहार के बिंदु पर यह सड़क इतनी नीची है कि मानसून और बाढ़ के दौरान यह पानी में डूबी रहती है और इस दौरान संपूर्ण सड़क संपर्क अवरुद्ध हो जाता है। अगर मालदा का महानंदा डिवीजन और सिंचाई विभाग केंद्रीय सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के साथ मिलकर ईटाहार, रतुआ, खर्बा और रायगंज विधान सभा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए कोई व्यापक प्रस्ताव नहीं बनाते हैं तो संपूर्ण कृषि-आर्थिक संभावना, ग्रामीण बस्तियां नष्ट हो जाएँगी।

(चार) तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा गुजरात में विशेष रूप से पाटन जिले में कुओं में विस्फोटों के कारण उत्पन्न हुई पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : सभापति महोदय, गुजरात राज्य के महसाणा जिले में ओ.एन.जी.सी. की एक परियोजना कार्यरत है और इस

परियोजना के कार्य क्षेत्र का फैलाव पाटन जिला और चांडसभा तालुका तक है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का अंग है। यहाँ के निवासियों के लिए जल की उपलब्धता कराने हेतु बोरिंग कराकर नल/कुएँ बनवाए गए थे जिनकी संख्या पाटन जिले में 500 से अधिक थी, किंतु ओ.एन.जी.सी. की परियोजना में क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए कुओं में ब्लास्ट किया जाता है जिसका परिणाम होता है कि समीप में पानी के ये बोरिंग लगातार सूखते चले जा रहे हैं और धीरे-धीरे इनका जल स्तर नीचे होता जा रहा है। अब लोगों के सामने जल संकट गहरा हो गया है। आम तौर पर देश में परियोजना के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई परियोजना संचालक संस्था द्वारा की जाती है पर यहाँ के निवासियों को ओ.एन.जी.सी. द्वारा अभी तक कोई क्षति-पूर्ति नहीं की गई है ताकि वे अपनी जल व्यवस्था को पुनः ठीक कर सकें।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि ओ.एन.जी.सी. को हिदायत दे कि वह अविलंब परियोजना से पीड़ित इन लोगों की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मदद दें ताकि क्षेत्र की जल समस्या का समाधान संभव हो।

(पाँच) आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेद्दावल्लापुडी रेल समपार पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू (तेनाली) : महोदय, आंध्र प्रदेश के गुंटुर जिले में विजयवाड़ा तेनाली सड़क मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पेद्दावल्लापुड़ी गाँव के विजयवाड़ा तेनाली रेलवे ग्रांड ट्रंक लाइन से होकर गुजरती है। इस सड़क पर वाहनों का आना-जाना बहुत अधिक है। इसी प्रकार, इस रेल लाइन पर गाड़ियों का आना-जाना भी बहुत अधिक है और इसलिए रेलवे गेट काफी लंबे समय तक बार-बार बंद हो जाता है इससे दोनों तरफ के वाहन काफी लंबे समय तक रुके रहते हैं। गेट के खुलने के बाद भी काफी समय तक यातायात वहां से हट नहीं पाता। नष्ट होने वाले उत्पादों को ले जाने वाले वाहन तथा अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्र पहुँचने वाले (अस्पतालों इत्यादि के लिए भी) लोग अधिक यातायात के कारण फँस जाते हैं।

इस सतत समस्या को देखते हुए स्थानीय क्षेत्र के लोगों तथा निकटवर्ती जिले के लोगों की भी लंबे समय से यह मांग चली आ रही है कि वहां एक रेल उपरिपुल बनाया जाए। जनमहत्व, सार्वजनिक मांग तथा इसकी तात्कालिकता को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पेडवड़लापुड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर शीघ्र ही रेलउपरि पुल का निर्माण करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी प्रदान की जाए जिससे तेनाली विजयवाड़ा सड़क पर वाहनों का आना-जाना सुगमता से हो सके।

(छह) बिहार में सहरसा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में कोसी के मछुआरों के लाभ हेतु एक विशेष पैकेज स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिनेश चंद्र यादव (सहरसा) : सभापति जी, कोसी प्रमंडल (सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा) की लगभग बीस लाख एकड़ भूमि पानी से वर्ष भर डूबा रहने के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग चालीस लाख क्विंटल अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा है।

इस संदर्भ में मैंने भारत सरकार से इस प्रभावित क्षेत्र को विशेष पैकेज देकर मछली, मखाना उत्पादन योग्य बनाने की मांग भी की है।

बिहार में सबसे अधिक मछली आंध्र प्रदेश से आती है। यदि मछली पालन योजना को प्रोत्साहन मिलेगा तो पूरे बिहार के साथ-साथ बंगलादेश, तिब्बत, चीन एवं नेपाल में यहाँ से मछली निर्यात किया जा सकता है।

मखाना से करोड़ों रुपए की आय कनाडा से हो रही है। यदि मछली और मखाना पर सही कार्य-योजना तैयार होगी तो करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा से कोसी क्षेत्र धन-धान्य हो जाएगा।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मछली तथा मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को विशेष पैकेज दिया जाए।

(सात) कलकत्ता में परिक्रमा रेल के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, कलकत्ता नगर में सर्कुलर रेलवे उत्तर से दक्षिण तक चलती है। यह मेट्रो रेलवे की तरह भूमिगत परियोजना नहीं है।

कलकत्ता में यातायात के भयंकर खतरों से वहाँ के लोगों का जीवन दुःखद और दूभर हो गया है। ऐसी असह्य स्थितियों के बावजूद लोग कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे सुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। सर्कुलर रेलवे स्टेशनों का रखरखाव उचित ढंग से नहीं होता, डिब्बे गंदे हो गए हैं, आने-जाने का समय बेसमय है, डिब्बे में बैठे यात्रियों के मन में असुरक्षा की भावना रहती है क्योंकि यह नगर के अपेक्षाकृत सुनसान क्षेत्र से होकर गुज़रती है और विभिन्न सर्कुलर रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री नहीं होती है।

कलकत्ता की सर्कुलर रेलवे परियोजना निश्चय ही एक व्यावहारिक परियोजना है और अगर रेल मंत्रालय इस संबंध में समुचित उपाय करता है तभी इसे बचाया जा सकता है अन्यथा, यह जल्दी ही बंद हो जाएगी।

सर्कुलर रेलवे को लोगों ने स्वीकार करना कम कर दिया है जबकि कलकत्ता को भूमिगत मेट्रो रेल को देशभर में लोगों के सभी वर्गों से काफी सराहना मिली है। रेल मंत्रालय को इस दिशा में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए सभी

यथासंभव प्रयास करने चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि यह सुगमता से चले और कलकत्ता और उसके आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को वास्तव में इसका लाभ मिल सके और कलकत्ता में यातायात की भीड़भाड़ कम हो सके।

(आठ) हिमाचल प्रदेश में सोलन में पेयजल की विकट समस्या का समाधान करने के लिए केंद्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनी राम शांडिल्य (शिमला) : सभापति जी, कालका-शिमला मुख्य मार्ग पर स्थित हिमाचल प्रदेश में सोलन शहर को हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। इस पर्वतीय राज्य का यह नगर हिमाचल की राजधानी शिमला के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसके आस-पास का क्षेत्र सब्जियां, विशेषकर टमाटर व दूसरे फलों के उत्पादन के कारण काफी प्रसिद्ध है।

महोदय, इस इतने महत्वपूर्ण शहर में जनसाधारण, पीने के जल की कमी को लेकर काफी परेशान है। वास्तव में इस शहर की परेशानी इसलिए भी बढ़ी है कि पिछले कुछ वर्षों से यहां की आम आबादी, लगभग दुगनी हो चुकी है। क्योंकि यहां की जलवायु इस प्रदेश के ऊँचे क्षेत्रों की उपेक्षा अधिक अच्छी है, अतः बहुत से लोग विशेषकर काम-धंधे वाले लोग, व्यापारी वर्ग आकर यहां बस गए हैं, जिससे पानी की समस्या और भी गंभीर हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्रीय सरकार का ध्यान इस मूलभूत सुविधा से जुड़ी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूँगा और मेरा आग्रह रहेगा कि सोलन शहर के पास की गिरी नदी का जल केंद्रीय योजना के अंतर्गत उठाऊ पेय जल योजना के माध्यम से इस शहर की बहुत दिनों से चली आ रही समस्या का निराकरण किया जा सके।

(नौ) मध्य प्रदेश में विदिशा में खरी फाटक रोड स्थित रेलवे गेट पर अधोगामी पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : महोदय, मध्य प्रदेश स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा के विदिशा नगर में खरीफाटक रोड पर रेलवे गेट से बड़ी संख्या में वाहनों का आना-जाना होता है। कृषि उपज मंडी होने के कारण हजारों ट्रैक्टर तथा ट्राली भी इसी रास्ते से आते तथा जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण विद्यालय होने के कारण हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का आवागमन भी इसी गेट से होता है। किंतु रेलों के आवागमन के कारण यह गेट अधिकांश समय बंद ही रहता है। इस कारण हजारों लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि खरीफाटक रोड के पास ही एक अंडरब्रिज बना दिया जाए जिसके लिए एक बार सर्वे हुआ था तो इस असुविधा से जनता को बचाया जा सकता है। अंडरब्रिज के निर्माण के बाद रेलवे के इस गेट को भी बंद किया जा सकता है जिसके कारण रेलवे पर आने वाला वित्तीय भार भी कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि उक्त स्थान पर अंडरब्रिज बनाने हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु तत्काल कदम उठाएं।

(दस) महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : महोदय, महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम के कर्मचारियों को इस निगम के गठन के समय से पहली बार वेतन नहीं मिला है। निगम ने अपने कर्मचारियों को यह स्पष्ट कह दिया है कि उसके पास उनका वेतन देने के लिए धन नहीं है।

संसाधन और उचित नीतियों की कमी के कारण गरीब कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मैं केंद्र सरकार से इस संबंध में हस्तक्षेप करने तथा उन्हें समय पर वेतन देकर भुखमरी से बचाने का अनुरोध करूँगा। इसके लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

(ग्यारह) "डार्क ब्लॉक" के रूप में घोषित स्थानों में रहने वाले किसानों को सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर) : महोदय, केंद्रीय सरकार द्वारा धरती पर गिरते हुए जलस्तर का देखते हुए कुछ ब्लॉक को डार्क ब्लॉक घोषित कर दिया गया है और जिन ब्लॉकों को डार्क ब्लॉक घोषित कर दिया गया है उन ब्लॉकों में नए ट्यूबवैल हेतु विद्युत कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं तथा किसानों को बोरिंग हेतु फ्री बोरिंग एवं बोरिंग कराए जाने से सबसिडी भी बंद कर दी गई है।

मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि एक तो गिरते हुए जलस्तर से किसान स्वयं परेशान है ऊपर से सरकार द्वारा नए ट्यूबवैल कनैक्शन न देने से स्थिति अत्यधिक विकट हो गई है।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि घोषित किए गए डार्क ब्लॉकों में किसानों को ट्यूबवैल कनैक्शन दिए जाएं तथा वहां पर सिंचाई हेतु नहरों अथवा अन्य वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए जाएं।

अपराह्न 2.34 बजे

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब मद संख्या 13—सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1999 लिया जाता है। इसका समय दो घंटे नियत किया गया है।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मुझे नहीं लगता इसमें दो घंटे लगेंगे। यह इससे पहले भी समाप्त हो सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यह अधिकतम समय सीमा है। यह इससे अधिक नहीं जा सकता।

श्री राम जेठमलानी : इस सभा के सहयोग से, मुझे नहीं लगता कोई समस्या उत्पन्न होगी।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि राज्य सभा द्वारा यथापारित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, परिसीमा अधिनियम, 1963 और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ और इस सभा के सभी माननीय सदस्य और समूचे भारत की जनता इस बात से सहमत होगी—सिवाय वेइमान मुकदमेबाज़ के जिनका मत भिन्न हो सकता है—हमारी न्याय प्रणाली पर अगर कोई धब्बा है तो वह है न्याय में विलंब। सभी इस बात से सहमत होंगे कि इस न्याय विलंब को हटाने या संपूर्ण मिटाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

अनेक कदम उठाने पर विचार किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक उनमें से एक कदम है। मैं यह दावा नहीं करता कि यह समस्या का समाधान है। यह समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। महोदय, यह हमारे लक्ष्य की ओर एक अच्छा कदम है।

मैं सबसे पहले संक्षेप में उन स्रोतों के बारे में बताऊँगा जिन पर यह विधेयक आधारित है। विधि मंत्रियों का एक सम्मेलन जून-जुलाई 1997 में हुआ था। इस प्रारूप पर उन्होंने विचार विमर्श किया और 1997 के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में इसे सर्वसम्मत समर्थन दिया गया था। तत्पश्चात् विधि आयोग ने इस पर अपने कुछ मत व्यक्त किए और विधि आयोग की 129वीं रिपोर्ट को व्यापक बनाने के लिए कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। इस पर सम्मानपूर्वक विचार किया गया और इसे सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने इस समस्या पर विचार किया और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया।

इसके बाद, न्यायमूर्ति मल्लिमठ समिति ने न्यायालय में लंबित पड़े मामलों की समस्या पर गहराई से अध्ययन किया। उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया।

इसलिए इस विधेयक के प्रारूप को तैयार करने में कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता यह उन विधेयकों में से एक है जो मुझे उत्तराधिकार में मिले हैं। मैं पिछले विधि मंत्री को सभा के सम्मुख इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन लोक सभा भंग होने के कारण पारित नहीं हो सका। अब, इसे राज्य सभा ने पारित कर दिया है और यहां इस पर विचार-विमर्श किया जाना है।

हमने समन जारी करने और संबंधित पक्षों द्वारा उसका उत्तर दिए जाने की समयावधि को हमने कम किया है। हमने शपथ पत्र दायर करने पर बल दिया ताकि अगर कोई झूठा दावा करता है या बचाव करने के लिए झूठे तरीके अपनाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, इससे झूठे बचाव करने वालों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हमने त्वरित सेवा प्रदान करने, लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने और बचाव में वक्तव्य दायर किए जाने संबंधी प्रावधान किया है।

इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि, यह नए विवाचन कानून का परिणाम है। आधुनिक विवाचन कानून अंतर्राष्ट्रीय विवाचन कानून के स्तर का है व इसके अनुरूप है जो संसद में 1996 में पारित हुआ था और आनुषंगिक प्रावधान अभी किए जाने हैं। हमने न्यायालय के लिए अब यह लगभग आवश्यक कर दिया है कि मुकदमें की सुनवाई से पूर्व, इसे समझौते, विवाचन और मध्यस्थता के लिए भेज दें। विवादों के निपटारे या वैकल्पिक विवाद निपटारे की कार्यविधि की यह अद्यतन विचारधारा है। हमने इसे सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल किया है।

फिर, गवाही रिकार्ड करने की भी सुविधा है। हमने इसे अंग्रेजी और अमरीकी कार्यपद्धति से लिया है। न्यायालय के पास इन दिनों कोई समय नहीं है और हमें अधिक संख्या में न्यायालयों की आवश्यकता है। विधि आयोग ने कहा है कि हमें न्यायाधीशों की संख्या को पाँचगुना बढ़ाना है। प्रत्येक न्यायाधीश पर आज, पाँच और न्यायाधीशों की आवश्यकता है जिसका अर्थ है चार और न्यायाधीशों की नियुक्ति। अधिकांश प्रयासों को प्रथमतः शपथ पत्र के रूप में दाखिल करने और उसके बाद दूसरे पक्ष के उस पर हमेशा प्रतिपरीक्षा देने के प्रावधान से विलंब में कमी आएगी और अगर साक्ष्य दर्ज़ करने की बात है, तो इसे न्यायालय के बजाए कमिश्नर के सामने किया जा सकता है। इससे न्यायालयों की संख्या में वृद्धि होगी जबकि तकनीकी रूप से न्यायालयों की संख्या में वृद्धि तो नहीं होगी बल्कि अधिक मामलों का निपटारा होगा और यह अति महत्वपूर्ण कदम होगा।

इस सभा में एक दिन यह शिकायत की गई थी कि लोग न्यायालय से व्यादेश या अंतरिम आदेश एक पक्ष के हित में प्राप्त कर लेते हैं और तत्पश्चात् वे कार्यवाही में विलंब करने का प्रयास करते हैं जिससे न्यायालय के पास इन सब बातों पर विचार करने का समय नहीं रहता जिससे अन्याय हो जाता है और कभी-कभी तो गंभीर हानि हो जाती है। हमने यह प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति अंतरिम राहत चाहता है अगर उसकी अर्जी प्रमाणिक सिद्ध नहीं होती या वह मुकद्दमा दायर नहीं करना चाहता तो उसे दूसरे पक्ष को मुआवज़े के रूप में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी।

हमने कई स्तर की अपीलों को समाप्त कर दिया है। अगर उच्च न्यायालय में एक अपील पर एक न्यायाधीश निर्णय देता है, तो अपील अपने आप सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगी।

[श्री राम जेठमलानी]

हमने उच्च न्यायालय में आई मध्यवर्ती अपील को समाप्त कर दिया है, इसके स्थान पर न्यायालय में दो न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय, अपने नियम बनाने की शक्ति के बल पर, यह मांग कर सकते हैं कि याचिका संबंधी मामले खंड न्यायपीठ के सामने लाए जाएं जिससे प्रथम निर्णय दो न्यायाधीशों द्वारा दिया जा सके और ऐसी अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में जाएगी।

महोदय, हमने मामलों का आपसी निपटान को भी प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया है अगर आप सच में मामले का निपटारा न्यायालय को परेशान किए बिना करना चाहते है तो आपके द्वारा भरी आपकी संपूर्ण कोर्ट की फीस वापस कर दी जाएगी जिससे विवादों का निपटारा करने वाले पक्ष को कुछ प्रोत्साहन मिल जाएगा।

मैं निवेदन करता हूँ कि यह कदम विवादास्पद बिल्कुल नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य को और कोई सुझाव देना है तो, उसे सम्मानपूर्व विचारार्थ लिया जाएगा। हम इसके आगे के संशोधन में इसे समाविष्ट करने के लिए तैयार हैं। इस विधेयक को, जिसे राज्य सभा ने पारित कर दिया था, इस सभा द्वारा पारित कर दिया जाए ताकि इसे वापस न भेजना पडे और समय की बर्बादी न हो। महोदय, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। मैं अत्यधिक उत्साहित हूँ कि इस कानून को लागू किया जाए। निःसंदेह, कुछ मामलों में यह भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का आग्रह किया जाएगा, उसका भी प्रावधान है।

अतः, मैं इस विधेयक पर विचार करने और पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, परिसीमा अधिनियम, 1963 और न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 पर विचार किया जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय पिछले 30 वर्षों के दौरान देश में मुकदमों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसे देश के न्यायालय द्वारा निपटाया जा रहा है। यह जनसंख्या में वृद्धि, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और विधि में बढ़ती हुई जटिलता और आयाम के कारण हो सकती है जिसे हम कई वर्षों से अधिनियमित कर रहे हैं और मानव गतिविधियों की जटिलता और आयाम में लागू कर रहे हैं लेकिन तथ्य यही है कि सभी इन कारकों ने नए मामलों को न्यायालय में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है जबकि पुराने मामले दबे रह गये, जैसाकि चंडीगढ़ में हमने महसूस किया है, अथवा जैसी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा।

महोदय, इस समय सभी न्यायालयों में 2 करोड़ से अधिक मुकदमें लंबित पड़े हैं जिसके कारण न्यायिक प्रणाली—माननीय मंत्री मेरे साथ सहमत होंगे—बहुत भारी दबाव से गुजार रही है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही उन्होंने हमें एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सूचित किया था कि इस समय केवल विभिन्न उच्च न्यायालयों में 32 लाख मामले और उच्चतम न्यायालय में 20,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुये हैं। महोदय, आप मुकदमेबाज़ी की दशा का अंदाजा लगाकर जो अपनी तमाम उमर एक मामले को लेकर निचले न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में गवां देता है और इसके पश्चात इसमें खर्च होने वाले धन और लगने वाले 40 वर्षों अर्थात भारी विलंब के कारण बैठ जाता है। इतने लंबे विलंब से उसमें काफी अधिक धन लगता है जिससे उसकी कमर टूट जाती है।

मुझे खुशी है माननीय मंत्री जी ने इस समस्या का संज्ञान किया है और इस सभा में चर्चा हेतु यह विधेयक लाए हैं जिससे हमारे द्वारा व्यक्त की गई भावना कि "विलंब से दिया गया न्याय न्याय नहीं होता" पर शीघ्र चर्चा की जाएगी। महोदय हम सभी को पता है कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। यह माननीय मंत्री जी में गलती निकलना नहीं है। मैं उनकी दृढ़ता से प्रभावित हुआ हूँ जैसाकि उन्होंने पहले कहा था कि देश का कानून वास्तव में कार्य करें। हमें गरीब मुकदमेबाज़ के प्रति इस बात के लिए जवाबदेह हैं कि हम इस स्थिति की भयावहता के अनुरूप कदम क्यों नहीं उठा पाए हैं। माननीय मंत्री जी ने विधेयक पेश करते हुए न्यायाधीशों की संख्या में पांच गुणा वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

महोदय, जब न्याय देने का प्रश्न आता है तो संसाधनों का अभाव जैसी समस्याएँ है वो रास्ते में नहीं आनी चाहिए लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी से भी तुरन्त अपेक्षा करता हूं जो कानून क्षेत्र के जाने-माने नेता हैं और इन चीजों का उन्हें काफी लंबा अनुभव है। हम रिक्तियों को भरने में असाधारण लंबा समय क्यों ले रहे हैं? हमें पहले से पता होता है कि उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने इस दिन सेवानिवृत्त होना है साधारणतः यदि आप काम करना चाहते हैं तो उस रिक्ति को भरने के लिए प्रक्रिया कम-से-कम रिक्ति होने के छः माह पहले आरंभ हो जानी चाहिए। लेकिन जो ही रहा है वह यह है कि न्यायाधीश सेवानिवृत होता है रिक्ति को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता अन्यथा यदि कदम उठाया भी जाता है तो काफी प्रक्रियात्मक तकरार है अथवा उनको न्यायालय में मुख्यमंत्री, विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय में आती जाती रहती है। हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ उच्च न्यायालयों को बहुत कम संख्या के न्यायाधीशों के साथ काम करना पड़ता है और यदि ऐसा होता है तो परिणाम वही होगा जो हमारे सामने आ रहा है। महोदय, मामले इकट्ठे होते जा रहे हैं नये मामले बिना निर्णय के सामने आते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मामले इकट्ठे हो रहे हैं। आज हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ वह दूसरी अपील को समाप्त कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ क्योंकि छोटे-छोटे मामलों के लिए उच्च न्यायालय में जाने में 20 वर्ष लग जाते हैं। 1980 के आरंभ में की गई अपीलों को अभी तक लिया नहीं गया है। हम ऐसी स्थिति में हैं और इससे मुकदमेबाजों के बीच असंतोष ही उत्पन्न होगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को न्यायाधीशों की बढ़ती हुई आवश्यकता के संबंध में बताना चाहता हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा था कि भारत के मुख्य

न्यायाधीश ने सिफारिश की है उसकी माँग है कि निचली अदालतों में कम से कम 5,000 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तभी हम काम के बोझ जिसका आज सामना कर रहे हैं को निपटा पाएँगे। इसके अलावा जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ नए पदों का सृजन करना एक बात है और विद्यमान रिक्त स्थानों को भरना दूसरी बात है। यदि हम वैसा नहीं कर पाते तो मैं समझता हूँ कि उस जैसी स्थिति के लिए हमें स्वयं को ही दोषी ठहराना होगा। महोदय, मैं उच्च न्यायालय की बात कर रहा था। वहां खाली पदों को भरने में असाधारण विलंब होता है। माननीय मंत्री जी को भी पता होगा कि निचली अदालतों में भी 1000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। यदि जहाँ तक मुझे मालूम है निचली अदालतों के 1000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं।

महोदय, आज जब हम इस बात की शेखी जताते हैं कि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी तरक्की की है जब हम नए मंत्रालय का अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी के गठन की कहते हैं जिसने हमारे कार्य, विचार दृष्टिकोण में शक्ति ला दी है इस तथ्य के बावजूद कि अभी कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। जहाँ मामलों का निर्णय करने में प्रक्रिया अंतर्ग्रस्त है जिससे विलंब में कमी होगी। आज जो न्यायालयों की स्थिति प्रस्तुत की गई है वहाँ पूर्ण अशक्ति व अव्यवस्था है। हम सभी सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं जैसाकि मैं कह रहा था कि यदि आप किसी भी निचले न्यायालय में जाते हैं तो आपको आदम के जमाने के टाइपराइटर की मशीन मिलेगी जो 50-60-70 अथवा 80 वर्ष पुरानी होगी। अत्यंत पुराने उपकरण हैं जिन पर निर्णय लिखने वाले निर्णय को टाइप करते हैं और उसे मुकदमेबाज को देते हैं। यदि मुकदमा लड़ने वाले उसकी प्रति कराते हैं तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसे कचड़े के डिब्बे में फेंक देता है क्योंकि वे बोधगम्य नहीं होती अथवा अपाठ्य होती है। अतः जब हम इस प्रकार के प्रावधान करते हैं तो हमें इस विद्यमान विधेयक में इसका प्रावधान करते हैं तो मैं पुनः इसकी सिफारिश करता हूँ कि निर्णय की प्रतियाँ मताभिव्यक्ति पर तुरंत दी जानी चाहिए, उसने साथ साथ मैं समझता हूँ कि सभी न्यायालयों में आवश्यक आधारभूत सामग्री उपलब्धि कराई जानी चाहिए।

महोदय, यह अफसोस का विषय है कि न्यायपालिका सभी कुछ मिलाकर, पर हमारा निवेश, हमारे सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.2 प्रतिशत है। लाभ दिया जाना चाहिए, लाभ लोगों को पहुँचाया जाना चाहिए अपितु बेचा नहीं जाना चाहिए।

मैं न्यायालय फीस को बढ़ाने का विरोध करता हूँ। हमारे न्यायालयों की फीस पहले ही काफी अधिक है। यह राज्य का उत्तरदायित्व है। यह उन मुख्य कार्यों में से एक है जिसे राज्य को अवश्य करना चाहिए और पूरे देश भर के सभी न्यायालयों को नवीनतम यंत्रों से सुसज्जित करना चाहिए।

महोदय कूरियर, ई-मेल और फैक्स द्वारा सम्मन जारी करने और सम्मन पहुँचाने की व्यवस्था करने के लिए इसमें प्रावधान किया जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन आधारभूत संरचना क्या है? मैं समझता हूँ इन सभी चीजों को—इनकी लागत अधिक नहीं होगी—सभी न्यायालय में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुकदमा लड़ने वाले को सम्मन देने की पूर्व प्रक्रिया और उन्हें रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उन्हें भेजने के लिए कहना और प्राप्ति की प्रति न्यायालय के रजिस्ट्रार को देना दोबारा अनुपालन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के खर्च पर रजिस्ट्री में सम्मन फीस देने के साथ दुबारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह उसके खर्च पर किया गया है। मैं समझता हूँ कि बेइमानी और अन्य चीजों के लिए काफी गुंजाइश रह जाती है जैसाकि प्रायः होता है कि कभी धोखाधड़ी हो जाती है। सभी इ-मेल और फैक्स सुविधाएँ न्यायालयों में उपलब्ध कराई जाए ताकि जैसे ही न्यायाधीश का आदेश सम्मन जारी करने के लिए दिया जाए वैसे ही न्यायालय स्वयं उन्हें भेजे।

महोदय, मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा रखी गई कुछ माँगों का उल्लेख करूँगा। मैं समझता हूँ कि उनका यह मानना कि न्यायिक प्रशासन की ओर सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैये है, ठीक ही है ऐसे मामले पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका अच्छा कार्य करे लेकिन उसके साथ-साथ बिना समय गवाएँ उन्हें आवश्यक आधारभूत सामग्री प्रदान की जाए। मेरा यही विनम्र निवेदन है।

महोदय, मैंने उन विभिन्न कारणों का उल्लेख किया था जिनके कारण न्यायालयों में मुकद्दमों की बाढ़ आई है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ इसका भी मुकद्दमों के स्वरूप में आमूल-चूल परिवर्तनों के साथ संबंध है। अब हमें हमारे पास की पुरानी विधियों को निरस्त करने के लिए व्यापक रूप से कार्य करना होगा। हाल ही में माननीय मंत्री महोदय हमें यहाँ सूचित कर रहे थे कि संभवतः ऐसी एक हजार विधियाँ हैं जिनमें संशोधन किए जाने या उनका निराकरण करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा कार्य है। इसे रातों-रात नहीं किया जा सकता है। परंतु इसे युद्ध स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटे से प्रकोष्ठ का गठन कर दें जो समय-समय पर एक विधि पर विचार करें, यदि ऐसा होता है तो हमें इस को करने में वर्षों लग जाएँगे। इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा अनुभव रहा है कि यद्यपि हम इस बारे में चिंतित हैं फिर भी जब हम नई विधियों का निर्माण करते हैं उस समय हम पुरानी विधियों के उपबंधों का उल्लेख कर रहे होते हैं। कुछ दिन पहले हम धन-शोधन निवारण विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। उस समय हम 'फेरा' जिसे उसी दिन 'फेमा' के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जैसी कुछ विधियों का उल्लेख कर रहे थे। ठीक है कि यह बात बहुत ही मामूली है, मुझे इसका उल्लेख करने के लिए सभा का समय नहीं लेना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें सभी विधियों का गहन अध्ययन करना होगा और हमें जहाँ पर भी संशोधन या किसी विशेष उपबंध को हटाने की आवश्यकता होगी तो हमें इसे जल्द से जल्द हटाना होगा।

[श्री पवन कुमार बंसल]

महोदय, बिना किसी संकोच के साथ इस वर्तमान कार्रवाई की प्रशंसा करता हूँ जिसका उद्देश्य भी यही कार्य करना है। नागरिक प्रक्रिया संहिता में अंतर्निहित ऐसे कई उपबंध हैं जिनके कारण मामलों में निर्णय देने में देरी होती है। अब इस प्रक्रिया को सरलीकृत किया जा रहा है, यह एक सही दिशा में सही कदम है। इससे काफी हद तक प्रक्रिया विधि को सरल बनाने की काफी दिनों से महसूस की जा रही आवश्यकता पूरी हो रही है। मेरे विचार से जब इन संशोधनों को प्रयोग में लाया जाएगा तब न्यायालयों के कार्य में कुछ तेजी आएगी और मामलों में निर्णय करने में भी तेजी आएगी।

मैं मानता हूँ कि इन संशोधनों से कतिपय ऐसे तरीके जिन्हें इस समय बेइमान मुकद्दमेबाजों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, समाप्त हो जाएँगे। जैसाकि मंत्री महोदय ने समाज के जिस वर्ग को बेइमान मुकद्दमेबाज कहकर उल्लेखित किया था, शायद इसी वर्ग को यह संशोधन पसंद नहीं आएँगे। पिछले वर्षों में हमने यह देखा कि व्यर्थ, बेकार के आधारों पर संशोधनों को लाया जाता था। अब आदेश होगा, "अभिवचन में अधिकाधिक तीन संशोधन होंगे और एक महीने की कुल अवधि के लिए होंगे।" मेरे विचार से यह पर्याप्त रूप से उचित है।

साक्ष्य का अभिलेखन, जिसमें अब आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहे हैं, एक स्वागत योग्य कदम है। साक्ष्य को आरंभ में शपथपत्रों के माध्यम से अभिलेखित किया जाएगा इसके बाद आयुक्तों, जोकि उस न्यायालय के वकील हो सकते हैं के समक्ष अभिलेखित किया जाएगा। किसी भी मामले में, उस मामले की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई तालिका में से किसी व्यक्ति को सौंप सकता है। इससे अवश्य ही समय और खर्च की बचत होगी। साक्ष्य को बाहर अभिलेखित किया जाएगा, इसे फाइल में रखा जाएगा और इसके बाद न्यायालय द्वारा मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

हमारा यह अनुभव रहा है कि पहले भी कई बार मुकद्दमेबाजों द्वारा अभिवेदन में संशोधन कार्यवाही में देरी करने के लिए भी किए जाते रहे हैं। परंतु, महोदय इसके बावजूद भी मैं यह कहने की अनुमति चाहूँगा कि यह एक अमूल्य अधिकार है जिसे मुकद्दमेबाजों के पास रहने दिया जाना चाहिए। मुझे वर्तमान संशोधनों के प्रति कोई विशेष आपत्ति नहीं है। परंतु मैंने उस उपबंध में, संशोधन का सुझाव दिया था, जिसका आशय आदेश VI के नियम 17 और 18 का लोप करना है, जिसका संबंध अभिवेदन के संशोधन से है। मैं जानता हूँ कि धारा 153 नागरिक प्रक्रिया संहिता का महत्वपूर्ण उपबंध है जिसमें मुकद्दमेबाज को संशोधन को लाने का अधिकार दिया गया है। परंतु मैं समझता हूँ यदि हम धारा 153 के शब्दों पर और साथ ही नियम 17 और 18 पर ध्यान दें तो बाद वाले उपबंध अधिक विस्तृत, अधिक सुग्राह्य और अधिक स्पष्ट हैं। इसीलिए महोदय, मैं मानता हूँ कि इसे लोगों द्वारा कार्यवाही में विलंब करने का उपाय बनाने के प्रति हम चिंतित हैं साथ ही इस अधिकार को बचाकर भी रखना है। इसीलिए मेरा मानना है कि आदेश VI नियम 17 को अक्षुण्ण रखना चाहिए और केवल आदेश VI नियम, जिसके अंतर्गत हम संशोधन के अधिकार को सीमित या प्रतिबंधित कर सकते हैं, में संशोधन होना चाहिए। इस समय इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगता है। संशोधन फाइल करने की अनुमति देने या नहीं देने वाले आदेश के विरुद्ध एक व्यक्ति उच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका को दाखिल करने के लिए जाता है और जब अंतर्वर्ती कार्यवाही आरंभ होती है तब तक बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। मेरे विचार से इसे सीमित किया जा सकता है। परंतु इस उपबंध को अपने मूल रूप में सार्वजनिक हित में अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

एक उदाहरण के रूप में इस मामले को लें जिसमें एक व्यक्ति छोटे बच्चों को छोड़कर मर जाता है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो सकती कि उनके पिता की संपत्ति क्या थी, उसका ब्याज कितना है और यह संपत्ति कहाँ पर है। यदि कहीं पर वे मुकद्दमा दायर करते हैं बाद में अपने घर में कागजातों को पढ़ते समय किसी वस्तु पर बेहतर ढंग से दावा प्रस्तुत करने के लिए सहायक साक्ष्य मिलता है तो फिर क्या होगा? मैं जानता हूँ इन उपबंधों को हटाने के लिए धारा 153 का अवलंब लिया जा सकता है। यदि माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें तो मैं आभारी रहूँगा। परंतु यदि हमारे पास संशोधन करने के सभी अधिकार बने रहते हैं तो हमें इन उपबंधों को क्यों हटाना चाहिए? हमें वहाँ उपयुक्त संशोधन करना चाहिए और इन उपबंधों को बनाए रखना चाहिए। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

महोदय, यहाँ पर मैं माननीय मंत्री, महोदय से सहमत हूँ। मैं वर्तमान संशोधन में सबसे अच्छी बात यह पाता हूँ कि इसके बाद वैकल्पिक विवाद निराकरण प्रक्रिया पर बल दिया जाएगा। महोदय, एक समय ऐसा भी था, जब न्यायालय इसे स्वीकार्य नहीं मानते थे। वे अपनी मध्यस्थता के अलावा विवाद के निराकरण के बारे में बात करना भी स्वीकार नहीं करते थे। वे किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। फिर एक समय आया जब मध्यस्थता की विधि लागू हुई और किसी तरह वह स्वीकार भी की गई। यह बात सही है कि कतिपय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जा सकता है परंतु जैसाकि हम जानते हैं कई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं और यह विधि वास्तव में कामयाब नहीं हुई है। परंतु मध्यस्थता से संबंधित विधि, जोकि इस समय नियम पुस्तिका में है, एक अच्छा विधान है जिसे चार वर्ष पहले लाया गया था।

महोदय, मेरे विचार से यह देखना कि न्यायालय पहले मामलों को मध्यस्थता, सुलह बीच-बचाव इत्यादि के लिए भेज रहे हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन है। इसके बाद भी यदि मामला नहीं सुलझता है तो यह वापस न्यायालयों में पहुँच जाता है।

निश्चित रूप से, प्रक्रियात्मक अड़चनों द्वारा प्रगति को रोकने वाली लंबी-चौड़ी न्यायालयी कार्यवाहियों, जैसाकि हमने हमेशा अनुभव किया है, के स्थान पर मध्यस्थता का सहारा हमारी प्रक्रियात्मक प्रणाली में बेहतर परिवर्तन होगा। महोदय, नागरिक प्रक्रिया संहिता में इन उपबंधों को सम्मिलित करने से, मैं समझता हूँ हम अब मामलों के सरलतापूर्वक, न्यायोचित और शीघ्र निपटान की अपेक्षा कर सकते हैं।

एक और अच्छी बात है। न्यायालय शुल्क के पुनर्भुगतान के संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यदि किसी मामले को वैकल्पिक विवाद निराकरण के लिए सौंपा जाता है और इसका इस तरह निराकरण हो जाता है तो इसके लिए विस्तृत नियम बनाने होंगे कि न्यायालय शुल्क, में से केवल आनुषंगिक व्ययों को निकालकर जो कि मध्यस्थता इत्यादि पर खर्च हुए हों जोकि मध्यस्थ स्वयं नियत कर सकेंगे, उसका पुनर्भुगतान किया जाना होगा। परंतु इसे न्यायालय शुल्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में आगे से मुकद्दमेबाजों को न्यायालय शुल्क को वापस देना होगा।

महोदय, जैसाकि हम बारंबार देखते हैं, विलंब के कारणों में यह बात भी है कि मुकद्दमेबाजों को निचले न्यायालयों के आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार दिया गया है...अपील, उस अपील के विरुद्ध अपील, एल.पी.ए. और फिर सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में एस.एल.पी. मैं इस उपबंध की प्रशंसा करता हूँ जिसमें दूसरी अपील को दायर करने की आर्थिक सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यही मेरा पहला तथ्य है।

मेरा दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय में अपील करने को रोकने के बारे में है। यह एक अच्छा उपबंध है। इससे निश्चितरूप से उच्च न्यायालयों का भार कम होगा। महोदय मैंने पिछले विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेते समय सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया था और मैं फिर से आज उसी तथ्य को दोहराना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार देश में सबसे बड़ी मुकद्दमेबाज है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यही सबसे ज्यादा नुकसान भी उठाती है।

यदि मैं गलत हूँ तो यहाँ पर एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय मुझे सही बात बता सकते हैं क्योंकि मेरी सूचना समय-समय पर मीडिया में आने वाले समाचारों पर आधारित है कि 90 प्रतिशत सरकारी मामलों में सफलता नहीं मिलती है। सामान्यतः यह बात देखने में आती है कि कई मामलों में व्यक्तियों को और सामान्य मुकद्दमेबाजों को न्यायालयों संबंधित नौकरशाह के अहंकार के कारण घसीटा जाता है। वे महसूस करते हैं : "यह व्यक्ति मेरे आदेश को चुनौती दे रहा है। ठीक है। वह पहले न्यायालय में जीत गया है और मुझे उसे अगले न्यायालय में अवश्य ले जाना चाहिए।" सरकार का यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सरकार के प्रकोष्ठ को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, इसका विस्तार किया जा सकता है और मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्हें वहीं फैसला करना चाहिए और यदि एक निर्णय ईमानदारी से लिया जाता है तो किसी भी ईमानदार अधिकारी को फाइल पर यह लिखते समय भयभीत नहीं होना चाहिए कि इस मामले में आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और किसी को भी उससे प्रश्न नहीं करना चाहिए। जैसाकि मैंने कहा आजकल इसका कारण अहंकार को ठेस पहुँचाना हो सकता है। दूसरी बात जिम्मेदारी से विमुख होना है "मैं क्यों चिंता करूँ? मैं क्यों कोई राय दूँ कि इस मामले को और आगे न्यायालयों में ले जाने की आवश्यकता नहीं है" उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी है और इस कर्त्तव्य का उन्हें निर्वहन करना चाहिए। यदि वे मानते हैं कि मामले में कोई दम नहीं है तो उन्हें मामले को छोड़ देना चाहिए। यदि सरकार इस बात का निर्णय करती है कि वे मुकद्दमेबाजी पर होने वाले खर्च को कम करेगी और जिस प्रकार इस समय मामलों को दायर किया जा रहा है उस प्रकार मामलों को दायर किया जाएगा तो मैं मानता हूँ देश में मुकद्दमेबाजी से संबंधित धारणाओं को बदलने के लिए माननीय मंत्री महोदय को सभा के सभी वर्गों और बाहर से भी समर्थन जुटाना होगा। शायद हमने इस पर कभी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय सरकार की ओर से मुकद्दमेबाजी से संबंधित नीति को लाएँगे।

संप्रभुता लोगों में निहित है। राज्य केवल लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सभी कार्य लोगों की भलाई के लिए ही होने चाहिए। राज्य के अधिकारियों द्वारा इन अपीलों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्यों किया जाना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा, मैंने इसके लिए संशोधन नहीं प्रस्तुत किया है कि—किसी अधिकारी के पास एक अपील को दायर करने के लिए फाइल को चलाने का अधिकार केवल उसी स्थिति में होना चाहिए जब वे लिखित में सार्वजनिक हित में अपील प्रधानता देने के कारणों को दें। जैसाकि मैंने कहा सरकार हमेशा इस बात की घोषणा करते रहती है कि इसका स्वीकार्य उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। मैं समझ सकता हूँ यदि किसी मामले में विधि की व्याख्या की आवश्यकता होती है तो यह बात ठीक है क्योंकि यह सार्वजनिक हित में है। परंतु जैसाकि अभी मैंने कहा था कि यदि न्यायालय द्वारा दिए गए किसी विशेष निर्णय से कोई अधिकारी सहमत नहीं होता है तो केवल तथ्य पर आधारित अपील ही वह कर सकता है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने इस विशेष प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए समय लिया था। हमारी ओर बोलने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। कृपया मुझे अधिक समय दीजिए। मैं आपके आदेश को मानते हुए और अपने स्थान पर बैठने के पहले मैं दो-एक बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यहाँ ज्यादा समय लगाने से काम में देर होती है।

श्री पवन कुमार बंसल : यहाँ पर हमें ज्यादा समय लगाने देना चाहिए, तब काम ठीक होता है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

[अनुवाद]

यहाँ पर एक प्रावधान दिया गया है कि निर्णय दिया जाता है तो साथ-साथ ही निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जानी होती है। यह बहुत अच्छा प्रावधान है। परंतु मैं नहीं जानता। मेरे मस्तिष्क में एक प्रच्छन्न भय है कि जब न्यायाधीश न्यायालय में निर्णय सुनाते हैं तो क्या वे निर्णय दे देते हैं या नहीं? यदि ऐसा नहीं है तो वहीं पर निर्णय प्रति प्रदान किया जाना कठिन होगा कि कब अवधि की सीमा समाप्त हो जाएगी क्योंकि निर्णय इत्यादि की प्रतियों को किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने से संबंधित प्रावधान को भी नियम पुस्तिका में से हटाया जा रहा है।

मैं एक और प्रावधान का उल्लेख करना चाहूँगा। मुकद्दमे को डालने से पहले जाँच किए जाने का एक नया प्रावधान है। यह बहुत ही अच्छा प्रावधान है। बाद में होने वाले विलंब को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति तुरंत न्यायालय जा सकता है और जिस संपत्ति के बारे में वह मुकद्दमा दायर करना चाहता है उसकी जाँच एक आयोग से करा सकता है। यह एक अच्छा प्रावधान है।

इसमें आगे कहा गया है कि मुकद्दमा करने वाला व्यक्ति इसे सात दिन के भीतर दायर कर सकता है। विधेयक के खंडों से संबंधित टिप्पणियों में कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति कहीं गया हुआ हो तो परिवार का कोई अन्य सदस्य आवेदन कर सकता है। मेरे विचार से इस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ हो और कोई आवेदन कर देता है तो इसका परिणाम सात दिन के भीतर मुकद्दमें को दायर करना होगा जोकि भौतिक रूप से संभव नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा था कि के सलाहों का स्वागत करेंगे, यह एक सुझाव ही है क्योंकि इसके बाद में मुकद्दमा दायर करने वाले व्यक्ति को कठिनाई प्रदान करने वाला कार्य नहीं होना चाहिए।

अपनी बात खत्म करते हुए मैं केवल यही कहूँगा कि जहाँ तक नागरिक प्रक्रिया संहिता का संबंध है एक अच्छी शुरुआत की गई है। आपराधिक मामलों के निपटान के संबंध में इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह अत्यंत दयनीय स्थिति है कि छोटे-मोटे अपराधों के लिए लोगों को वर्षों तक जेलों में सड़ना पड़ता है। काफी लंबे समय तक मामलों पर विचार नहीं किया जाता है। छोटी-से-छोटी गलती के लिए भी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद रहना पड़ता है। छोटे-से-छोटे अपराध के लिए भी, जिसके लिए दी जाने वाली सजा की अवधि भी समाप्त हो जाती है परंतु वे जेल से बाहर आ नहीं पाते हैं। आज का विषय केवल नागरिक प्रक्रिया संहिता से ही संबंधित है इसीलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ परंतु मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय से इससे संबंधित संशोधन को भी लाने का आग्रह करता हूँ। मैं मंत्री महोदय से सरकार पर आजकल हावी हो रही उस प्रवृत्ति से भी बचने का आग्रह करता हूँ कि जब कभी आप कोई विधि को लाते हैं तो उसमें विस्तृत प्रक्रिया का भी उपबंध करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ विशेष मामलों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा हमें सरलता से समझ में आने वाली और लागू की जाने वाली विधियों का निर्माण करना चाहिए और प्रक्रियात्मक विधियों की बहुलता को बढ़ाने से बचना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधान का स्वागत करता हूँ। मैं मंत्री महोदय से मेरी अभिवचन के संशोधन के बारे में शंका पर ध्यान देने का एक फिर आग्रह करते हुए विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे सामान्य रूप से इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह न्याय मिलने में होने वाली देरी को कम करने की ओर आंशिक प्रयास है। हम इस वर्तमान प्रयास में किस हद तक कामयाब होते हैं यह बात आगे पता चलेगी। यह जैसाकि मैंने कहा केवल एक अपूर्ण प्रयास है। मैं मंत्री महोदय को सफलता की शुभकामना देता हूँ परंतु यहाँ पर और कई कार्य किए जाने हैं।

न्यायपालिका का पूर्ण रूप से पुनर्गठन होना चाहिए। विलंब होना केवल प्रक्रियात्मक ही नहीं है। यह कुछ अन्य कारणों से भी होता है। पहले मामले में यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उच्च स्तर पर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति विलंब के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है।

यदि मैं सही सही याद कर पा रहा हूँ तो एक वक्तव्य में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने बताया है कि इस समय विभिन्न उच्च न्यायालयों में 154 रिक्तियाँ हैं और केवल 40 मामलों पर ही सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। लगभग 114 के करीब शेष मामलों पर अभी निर्णय होना है। यह उच्च स्तर की न्यायपालिका का अनुभव है। इसके बाद निचले स्तर की न्यायपालिका के संबंध में स्थिति पूर्ण रूप से चौंकाने वाली है और यदि मैं सही स्मरण कर रहा हूँ तो भारत में न्यायपालिका का सबसे कम अनुपात है।

जनसंख्या और न्यायिक मध्यस्थता के बीच तुलना करने लायक कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं अपने माननीय मित्र विधि मंत्री महोदय से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विधान को लाने का अनुरोध करता हूँ। मैं पिछले 40 वर्षों से वकील रहा हूँ और मेरे भी कई कड़वे अनुभव हैं। मैंने ऐसे सिविल मामलों को देखा है जो अंग्रेजों के समय दायर किए गए थे और जो निर्णय के लिए पिछले 50 वर्षों से लंबित थे। यह मेरा अनुभव रहा है। यह भारत के कई लोगों का अनुभव हो सकता है। इसीलिए हमें पूरे तंत्र को ही बदलना होगा। हम अंग्लो-सैक्सन न्याय प्रणाली का अनुपालन कर रहे हैं जोकि हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है।

आज भी हम कई निर्णय मौखिक साक्ष्य के आधार पर ले रहे हैं। मौखिक साक्ष्य इकट्ठा करना एक बहुत ही जटिल काम है। हमें साक्ष्य लेने की पद्धति को पूरी तरह से बदलना होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो मामलों का निर्णय लेने की प्रारंभिक पद्धति है अब पुरानी हो चुकी है। हम नई सहस्राब्दि के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और हमें कंप्यूटर के नियमों के अनुसार चलना होगा। चूँकि अब सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्ध है अतः हमें तकनीकी आंकड़ों को भी साक्ष्य के रूप में लेना होगा।

मैं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करता हूँ कि कंप्यूटरों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्वीकार किया जाए। यह स्वागत योग्य है। हमारे देश में, साक्ष्य केवल कुछ ही मामलों में स्वीकार किया जाता है। सुने सुनाए साक्ष्य अब स्वीकार नहीं किए जाते और मौखिक साक्ष्य तभी स्वीकार किए जाएँगे जब साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो। ये ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने और तुरंत समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक अन्य बात भी लाना चाहूँगा कि न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिये। हम विकेन्द्रीकरण के युग में रह रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हमने पंचायती राज प्रणाली अपनाकर तीन स्तरीय कार्यपालिका बनाकर पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। उसके द्वारा, हमने कार्यपालिका की शक्तियों का काफी हद तक विकेंद्रीकरण कर दिया है। परंतु आज भी न्यायिक शक्तियाँ केंद्रीकृत ही हैं। अपनी समस्यायों का समाधान करने के लिए किसी भी व्यक्ति के सामने सर्वोच्च न्यायालय जाने का रास्ता खुला है।

मैं यही सुझाव दूँगा कि व्यक्तियों के बीच का विवाद निचले स्तर पर ही निपटाया जा सकता है। कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाए। व्यक्ति की स्वतंत्रता या मौलिक अधिकारों या संविधान की संरचना से संबंधित मामले ही उस न्यायालय तक ले जाए जाने चाहिए तभी उन्हें शीर्ष न्यायालय में ले जाए जाने का कोई अर्थ है। संपत्ति विवाद या व्यक्तियों के बीच के अन्य विवादों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अनावश्यक रूप से ले जाया जाता है जिससे उनके निपटान में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके इनसे बचा जा सकता है।

विकेंद्रीकरण से शीर्ष न्यायालय के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि अगर हर मामला शीर्ष न्यायालय में जाता है तो यह हमारे देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए हानिकारक होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्ष पर विचार करेंगे। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं न्यायिक आयोग गठित करने के संबंध में वर्तमान सरकार के प्रस्ताव से सहमत हूँ।

इस समय न्यायिक आयोग की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम पूरी तरह शीर्ष न्यायालय तथा उच्चतर न्यायालय का है। यह प्रणाली बदलनी चाहिए। यह एक स्वतंत्र एजेंसी का काम है; यह पूर्ण शक्ति वाली संवैधानिक एजेंसी का काम है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करे और मैं समझता हूँ कि स्थानांतरणों का काम भी न्यायिक आयोग के दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अविलंब न्यायिक आयोग का गठन करने का विधान लाया जाए।

वर्तमान संदर्भ में, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायिक संस्था द्वारा किसी आचार संहिता का विकास किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार वह आचार संहिता एक घरेलू प्रक्रिया होगी। इसे कोई विधायी स्वीकृति नहीं होगी और इसका कोई विधायी आधार नहीं होगा। न्यायाधीश स्वयं एक साथ बैठकर यह निर्णय करेंगे कि वे भविष्य में किस प्रकार कार्य करेंगे। इसका समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। घरेलू प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है। इसलिए, इस समय न्यायिक आयोग का गठन करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे ये लोग आचार संहिता के संदर्भ में सोचने पर मजबूर हुए हैं। इसके साथ ही, वे कहते हैं कि यह एक घरेलू प्रक्रिया है। परंतु यह स्वीकार्य नहीं है।

हम अभी भी न्यायालय की अवज्ञा अधिनियम का अनुपालन कर रहे हैं। यह न्यायपालिका को पूरी तरह संरक्षण प्रदान कर रहा है। वे कुछ भी कर सकते हैं। न्यायपालिका जैसे चाहे कार्य कर सकती है। नागरिक सशक्त आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। इसकी अनुमति नहीं है। अमरीका में न्यायाधीशों की आलोचना की जा सकती है, उनके कार्यों की आलोचना की जा सकती है और उनके फैसलों की भी आलोचना की जा सकती है परंतु भारत में कोई भी उनके फैसले या उनके पद पर अनुपस्थित होने की कोई आलोचना नहीं कर सकता है। वे आलोचना से परे हैं। न्यायालय की अवमानना एक औपनिवेशिक अधिनियम है। हमें यह अधिनियम क्यों नहीं बदलना चाहिए? यह प्रजातांत्रिक संविधान के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए, हमें तुरंत कदम उठाकर वर्तमान न्यायालय अवमानना अधिनियम को संशोधित करना होगा। तभी हम न्यायिक जवाबदेही की बात कर सकते हैं। अगर हम न्यायालय की अवमानन अधिनियम को बनाए रखते हैं तो हम न्यायिक जवाबदेही की बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें न्यायालय की अवमानना अधिनियम को बदलना होगा ताकि न्यायाधीशों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। कोई भी प्रजातांत्रिक समाज न्यायपालिका को यह लाइसेंस नहीं देगा कि वे चाहे जिस तरह से काम करें। मैं न्यायपालिका की कई कार्यों के लिए सराहना करता हूँ। वे संविधान की मूल विशेषताओं के प्रावधानों की रक्षा करती है। इन सभी मामलों में न्यायालय को अहमियत दी जानी चाहिए। परंतु वह इस बात को मानने का आधार नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका उत्तरदायी नहीं है। मैं यही कहूँगा कि न्यायपालिका भी उत्तरदायी है।

इसी संदर्भ में मुझे कुछ सुझाव देने की अनुमति दी जाए। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत तीन विकल्प हैं, मध्यस्थता, समाधान और न्यायिक समाधान, जिसमें लोक अदालतों और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान शामिल हैं। मेरा यह कहना है कि इससे न्याय देने में और विलंब होना। अगर कोई मामला किसी विशेष प्राधिकारी को सौंपा जाता है और अगर वह प्राधिकारी यह पाता है कि यह न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है तो वह मामलों को वापस भेज देता है। इसलिए, मामलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में विलंब हो सकता है इसलिए हमें उस विलंब को रोकना होगा। कृपया नियमों में यह प्रावधान बनाए जाएँ कि मामलों में एक बार विलंब होने पर उन्हें समुचित और वैध कारणों के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जाना चाहिए। विलंब की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

म्युनिसिपल न्यायालय का न्यायाधीश इन मामलों की मध्यस्थता प्राधिकारी के पास या अदालतों के पास भेजेंगे और अदालतें अगर उनका समाधान नहीं कर पाती हैं तो उन्हें वापस भेज देंगी जिससे मामलों को निपटाने में और विलंब होगा। इस प्रकार जिस उद्देश्य के लिए संशोधन पारित किया गया है वह पूरा नहीं होगा। इसलिए, मेरा यही सुझाव है कि अनुच्छेद 89 को लागू करने के संबंध में कुछ सुरक्षोपाय होने चाहिए। विलंब को रोकने के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

जहाँ तक केंद्रीय न्यायाधीश द्वारा अपील का संबंध है मैं यही कहूँगा कि हम सभी एक समाज में रहते हैं। हम सभी इंसान हैं। हमारी अपनी भावनाएँ हैं। हमारी अपनी राजनैतिक उदारता है। न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी विशेष राज्य से विशेष राजनैतिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। उसकी अपनी भावनाएँ होती हैं। अगर कोई न्यायाधीश किसी याचिका के लिए कोई निर्णय देता हैं तो कोई उस संबंध में कहां अपील कर सकता है? वह डिवीजन बैंच में अपील कर सकता है। अगर कोई अवैधता या अनियमितता होती है तो डिवीजन बैंच उसे सही कर सकता है। परंतु उसका क्या समाधान हो सकता है जब कुछ मामलों में इसे वापिस तो लिया जाता है? याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में रखा जाना चाहिए और याचिका करने वाले को यह बताना चाहिए कि निर्णय अवैध है। उससे आगे वह कुछ नहीं कर सकता है। परंतु ऐसा बहुत कम ही होता है। इसलिए मैं यही सुझाव दूँगा कि हमें इस दृष्टि से एक व्यापक प्रावधान करना चाहिए कि किसी एक न्यायाधीश के निर्णय पर अपील नहीं की जा सकती। हमें कुछ सुरक्षोपाय करने होंगे।

आपने शपथपत्र दायर करने की महत्वपूर्ण पद्धति अपनाई है। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में समय-समय पर अलग-अलग मुख्य मंत्रियों द्वारा किस प्रकार के शपथ पत्र दायर किए गए हैं। मंत्री जी को इस बारे में पूरी जानकारी हैं। इसलिए, अगर कोई मामला दायर किए गए शपथ पत्र के आधार पर आगे बढ़ता है तो यह उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, इस संदर्भ में मेरा यह कहना है कि नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्य लेते समय साक्ष्य को रिकार्ड करना या आयुक्त के रूप में कार्य करना सही है। परंतु इसे बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि नोटरी पब्लिक के संबंध में कई शिकायतें हैं। अगर उन्हें साक्ष्य लेने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाएगी।

जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है, मैं यही कहूँगा, इससे कठिनाई पैदा होगी। हमें उस मामले में काफी सतर्क होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस दिन निर्णय दिया जाता है उसी दिन उसकी घोषणा की जानी चाहिए। हमारा वर्तमान अनुभव यह है कि निर्णय देने में दो या तीन महीने लग जाते हैं। वे जब इसे निपटान करने वाले होते हैं तब भी दो या तीन महीने तक कोई फैसला नहीं आता। हमारा यही अनुभव है। इसलिए निपटान के लिए नियत दिन पर ही फैसला देने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है।

डिक्री के संबंध में कुछ कठिनाई है। हमने 15 दिन का समय दिया है। जब तक हम न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति नहीं देते तब तक यह व्यावहारिक नहीं है। हमारे देश में अधिकतर न्यायालयों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। यदि इस प्रावधान को लागू किया जाना है तो हमें न्यायालयों में पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती और पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के बारे में सोचना होगा।

सरकार ने गैर-अपीलीय मामलों की सीमा 25,000 रुपए नियत की है। उससे ऊपर भी अपील की अनुमति दी गई है। यह एक स्वागत योग्य कदम है किंतु बदली परिस्थितियों में यह काफी कम राशि है। हमें इसे बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपए करना होगा।

यह सीमा 25,000 रुपए क्यों है? क्योंकि जब यह कानून लागू हुआ था तब यह सीमा 5,000 रुपए थी। इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए क्यों नहीं किया जाता है? मेरे विचार से यह राशि कम है और हमें उसे बढ़ाना होगा क्योंकि इन सभी मामलों में अपील की जाएगी।

वादपत्र के साथ साक्षी अनुसूची को दाखिल करना भी स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि इससे साक्ष्य दाखिल करने या साक्षी अनुसूची दाखिल करने के लिए प्रविष्टि नहीं करनी होगी। इस प्रावधान से मैं सहमत हूँ।

श्री राम जेठमलानी : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से विधेयक के उन प्रावधानों पर चर्चा करने का अनुरोध करता हूँ जिन पर वे सहमत नहीं हैं क्योंकि इससे समय की बचत होगी। उन प्रावधानों के बारे में हम सभी सहमत हैं जो स्वागत योग्य हैं। हमें मतभेदों पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : वर्तमान व्यवस्था में सम्मनों के निष्पादन में कठिनाई होगी। हमें बाद में संशोधन कर उस कठिनाई को दूर करना होगा क्योंकि वादी को दो दिन के भीतर सम्मन लेने के लिए कहा जाता है, उससे निश्चिततौर पर कठिनाइयां होंगी। इसके लिए सात दिन का समय दिया जाए तो ठीक है क्योंकि दो दिन का समय काफी कम है। अतः विलंब के नाम पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान संशोधन द्वारा दो दिन के समय की अनुमति दी गई है लेकिन सात दिन का समय उचित है।

खंड 26 में तीन स्थगनों का प्रावधान किया गया है, किंतु लागत के बारे में क्या प्रावधान है? इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। पहले स्थगन की अनुमति दी गई है किंतु लागत क्या हो? दूसरे स्थगन की अनुमति भी दी गई है और तीसरे व अंतिम स्थगन की अनुमति भी दी गई है। किंतु आपने इस बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया है कि क्या यह उच्च लागत है। मुझे खेद है कि नियमों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। किंतु यदि मेरी बात गलत हो तो मैं उसमें सुधार करने के लिए भी तैयार हूँ। विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि नियमों में यह प्रावधान किया जाए तो यह स्वागत योग्य होगा। कुछ अन्य मामले भी हैं जिनके बारे में मैं इस समय नहीं बोल रहा हूँ।

अंत में, मैं उन उपायों का इसलिए स्वागत करता हूँ कि इससे विलंब नहीं होगा। आपराधिक मामलों से निपटने के लिए भी ऐसे उपाय

करना अत्यावश्यक है। मेरे विचार से वे निकट भविष्य में दंड प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन करने वाला विधेयक लाएँगे। वह भी अत्यावश्यक है। जहाँ तक सिविल मामलों के अवधारण का संबंध है यह संशोधन कुछ सीमा तक स्वागतयोग्य है और मुझे आशा है कि सरकार उन निर्णयों को लागू करने में गंभीरता दिखाएगी। मुझे आशा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाएगा और लोगों में यह भावना पैदा की जाएगी कि उन्हें न्याय से वंचित नहीं किया गया है। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : महोदय, कुछ सुझाव देते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन और स्वागत करता हूँ। यह सही दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। किंतु मेरा कहना है कि जब हम पूरी प्रणाली के बारे में सोचते हैं तो यह सही दिशा में किया जा रहा छोटा-सा प्रयास है, यह प्रणाली हमारे देश के अनुकूल नहीं है।

महोदय, चाहे न्यायिक प्रणाली हो या नौकरशाही या पुलिस व्यवस्था हमारी व्यवस्था की मूल समस्या यह है कि हमने उन प्रणालियों को अपनाया है जो हमें ब्रिटिश शासकों द्वारा दी गई हैं।

इन सब प्रणालियों को हमने उस रूप में अपनाया जिस रूप में ब्रिटिश शासकों ने उन्हें हमें दिया है। ब्रिटिश शासकों ने इस सारी प्रणाली की रचना हमें गुलाम बनाने के लिए की थी हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और इस पर गंभीरता से विचार किए बिना इसे भूल रूप में अपना लिया। वर्तमान न्यायिक प्रणाली इस देश और इस देश के आम आदमी के अनुकूल नहीं है।

न्याय मिलने में विलंब निश्चिततौर पर एक समस्या है। किंतु यह प्रणाली इतनी जटिल है कि इस देश में आम आदमी या गरीब आदमी के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि स्वतंत्रता के 52 वर्षों बाद भी पंजाब जेल मैन्युअल में उल्लेख है कि यूरोपीय जेलरों की वर्दी यह होगी और भारतीय जेलरों की वर्दी यह होगी। मैं इस तथ्य को इस सभा तथा माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूँ। यूरोपीय कैदियों को जेल के अंदर शराब पीने की अनुमति है जबकि भारतीय कैदियों को नहीं है, हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा है। यह हमारे लिए शर्म की बात है।

मैं इस समय नौकरशाही या पुलिस व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ किंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के 52 वर्षों बाद आज भी जिला मजिस्ट्रेट कमोवेश एक जिले के मुख्यमंत्री के समान है। मात्र एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण वह पूरे जिले पर राज कर रहा है। अंग्रेजों ने जिला मजिस्ट्रेट पद का सृजन हम सभी लोगों को निरंतर गुलाम बनाने के लिए किया था। आज भी हमने उसी प्रणाली को अपनाया है, आम आदमी, एक ऑटो रिक्शाचालक या फुटपाथ पर पड़ा व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट से नहीं मिल सकता है। वह उसके घर में जाने का साहस नहीं कर सकता है जो एक महल की तरह होता है। एक गरीब ऑटोरिक्शा चालक पुलिस अधीक्षक से नहीं मिल सकता है। गरीब लोग ही नहीं, यहां तक यदि विधायक, जिन्हें दो-तीन लाख से अधिक लोग चुनते हैं, या संसद सदस्य, जिसे लगभग बारह लाख लोग चुनते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के पास जाता है और यदि वह विपक्षी सदस्य है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट से न्याय नहीं मिल सकता है। हमें पूरी व्यवस्था के बारे में सोचना होगा। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में इस सभा को एक आयोग बनाना चाहिए।

मुझे याद है कि उच्चतम न्यायालय में 18 एकड़ भूमि के बारे में एक विवाद 1863 को दाखिल किया गया था जिसकी सुनवाई 130 वर्ष बाद 1993 में हुई। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर इसे पुनः उच्च न्यायालय को भेज दिया। मैंने ऐसे अनेक देशों की यात्रा की है जहाँ मुझे बताया गया कि आपराधिक मामलों में न्यायाधीश को अपराध स्थल पर जाने की शक्ति है। वह आरोपी और गवाह को अपराध स्थल पर बुलाता है और मौके पर ही निर्णय करता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसमें मुश्किल से तीन-चार दिन या अधिक-से-अधिक एक सप्ताह लगता है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ किंतु इस तरह की प्रणाली खतरनाक हो सकती है। मैं अंतिम प्राधिकारी नहीं हूँ। जिस देश का मैंने उल्लेख किया वह लीबिया है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें इस प्रणाली को इसी रूप में अपना होना चाहिए। इसीलिए मैं उस देश का नाम नहीं बता रहा था। किंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें विश्व में जो कुछ भी अच्छी बातें हो रही है उन्हें अपनाना चाहिए।

मैं एक आपराधिक मामले के बारे में बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने यह जानते हुए कि यह गलत है अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद भावनाओं में बहकर वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और यह स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। बाद में उसे महसूस हुआ कि उसने गलत कर दिया है। उसे पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी के समक्ष यह स्वीकार नहीं करना चाहिए था। फिर उसने एक अच्छा वकील किया। उस वकील ने उस पुलिस अधिकारी से जिरह की जिसने आरोपी को जेल में भेजा था। माननीय मंत्री जी स्वयं एक अच्छे फौजदारी वकील हैं। वह इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसाकि मैं कह रहा था कि वकील ने पुलिस अधिकारी की जिरह की। उसने एक प्रश्न पूछा। उसने पुलिस अधिकारी से पूछा जब आरोपी उसके पास आया और उसने स्वीकार किया क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारी ने उसे एक कप चाय दी? उस पुलिस अधिकारी को भय हुआ और उसे अपने नौकरी का खतरा था उसने तुरंत कहा कि यह संभव नहीं है और उसने आरोपी को चाय का कप नहीं दिया था। इसके पश्चात् वकील ने पुलिस अधिकारी से पूछा क्या उसने अभियुक्त को सलाखों के पीछे डाल दिया और उसका बयान लिया। उस पुलिस अधिकारी ने कहा "जी हाँ, मैंने उसका बयान लिया।" प्रश्न यह है कि कानून की नजर में यदि कोई दबाव के भीतर कोई बयान देता है तो उसे दोष नहीं समझा जाता। केवल उसी आधार पर उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया जबकि न्यायालय इस तथ्य को जानता है। उस क्षेत्र के लोगों को मालूम है कि आरोपी ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अतः मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि प्रणाली इस देश के लिए पूर्णरूप से उपयुक्त नहीं है।

अपराह्न 3.42 बजे

[श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें आयोग का गठन करना चाहिए।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जहाँ तक इस संशोधन विधेयक का संबंध है, माननीय मंजी जी से यह कहकर धारा 10 में प्रावधान किया है :

> "जहाँ किसी उच्च न्यायालय के किसी "सत्र न्यायाधीश द्वारा..... वहाँ ऐसे एक न्यायाधीश के निर्णय, विनिश्चय या आदेश से कोई और अपील नहीं होगी।"

यह ठीक है। इससे शीघ्र निर्णय लेना संभव होगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आम आदमी दिल्ली में बहुत दूर रह रहा है। वह मणिपुर में, दक्षिण भारत में, केरल आदि में रह रहा हो उसके लिए न्याय प्राप्त करना कठिन होगा। उच्चतम न्यायालय से न्याय प्राप्त करना बड़ा खर्चीला है। ऐसे व्यक्ति के लिए दिल्ली आकर अपील करना और न्याय पाना काफी कठिन हो सकता है। मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जिला बैंच में जाने की अनुमति होनी चाहिए ताकि वह वहाँ न्याय भी प्राप्त कर सके।

जहाँ तक खंड 2 का संबंध है इसमें बताया गया है : "प्रत्येक वादपत्र में तथ्य शपथपत्र द्वारा साबित किए जाएँगे।"

मेरा संशोधन इस प्रकार है "यदि तथ्य शपथपत्र द्वारा पुष्ट किए जाएँगे।"

तीसरी बात यह है कि यह संशोधन विधेयक में साक्ष्य अभिलिखित करने की शक्ति शपथ आयुक्त को दी गई है। इस देश में शपथ आयुक्त की छवि कभी भी अच्छी नहीं रही है। मैं प्रत्येक शपथ आयुक्त के विरुद्ध आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन यह प्रक्रिया है कि प्रपत्र पर मोहर लगाने के पश्चात् वह 5 या 10 रुपए लेता है। यह उसकी आदत है। गंभीर मामलों में यदि उसे साक्ष्य अभिलिखित करने की अनुमति दी जाती है तो उसके बाद यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा और न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हमारी व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि साधारण व्यक्ति को न्यायपालिका में पूरा विश्वास होना चाहिए। मैं एक घटना का यहाँ वर्णन करना चाहता हूँ कि 1998 में उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने एक अथवा दो दिन के लिए पदभार ग्रहण किया उसके बाद वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए। 24 घंटों के भीतर उन्होंने आदेश प्राप्त किया और पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया।

लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ने उच्चतम न्यायालय में दल बदलू अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत मामला दायर किया और यह उच्चतम न्यायालय में तीन न्यायाधीशों के बेंच के समक्ष आया। एक न्यायाधीश की राय थी कि यह पार्टी सही है और इन विधायकों को सदस्यता से पदच्युत किया जाए। उसी समय अन्य न्यायाधीश इसके विरुद्ध और उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश की राय थी कि यह मामला संविधान बैंच को भेज दिया जाए। मैं समझता हूँ कि यह पाँच वर्ष के पश्चात् आएगा और भगवान जाने यह कब आएगा।

महोदय, मुझे एक मामला याद है जहाँ एक उद्योगपति श्री थापर ने उच्चतम न्यायालय से रात के दौरान 12 बजे जमानत प्राप्त की थी। उन्होंने जिला न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं समझी वह उच्च न्यायालय में भी नहीं गए बल्कि वह सीधे उच्चतम न्यायालय गए और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से रात 12 बजे के दौरान देर रात को जमानत प्राप्त की। इस प्रकार के मामले जनता के दिमाग में संदेह उत्पन्न करते हैं। अतः मेरा निवेदन है यदि इस देश के जनसाधारण को न्यायपालिका के अपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया जाता है तो यह प्रजातंत्र और हमारे देश के लिए सबसे खराब दिन होगा। अंत में, मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि आयोग का गठन किया जाए ताकि इस देश की प्रणाली पर पुनः विचार किया जाए।

श्री विजयेंद्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। मैं समझता हूँ वह विधेयक वास्तव में प्रशंसनीय है। माननीय मंत्री जी के सिवाय कोई इसको बेहतर नहीं बना सकता था और उनसे अच्छा कार्य नहीं कर सकता था। सर्वप्रथम यह उनका स्वप्न है कि वह इस जैसा विधेयक लाए जिससे न्याय प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को संक्षिप्त किया जा सके। महोदय, एक कहावत है कि न्याय में विलंब न्याय न मिलने के बराबर है और यही मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी के दिमाग में है।

महोदय मैं इस विधेयक की अच्छी चीजों के बारे में कई बातें कर सकता हूँ। लेकिन उन्हें पहले ही सभा के समक्ष रखा जा चुका है। मुझे अन्य समस्याओं को प्रस्तुत करने दीजिए कुछ अन्य समस्याओं का वर्णन करने की आवश्यकता है और जो इस विधेयक में नहीं दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे पास सुझाव नहीं होंगे लेकिन उनके पास उत्तर अवश्य होंगे। ग्रामीण भारत में जब गरीब न्याय का दरवाजा खटखटाता है तो उसे समस्या होती है। पहला उन्हें कानून की समझ नहीं होती और अधिवक्ता उन्हें गुमराह करते हैं क्योंकि यह अधिवक्ताओं के हित में होता है कि वे मामले को लंबित रखे। यदि उसे लंबित रखा जाता है तो अधिवक्ता को इससे लाभ है। क्या मंत्री महोदय कुछ तरीकों का हल निकालेंगे ताकि इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

महोदय, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे इंसान के लिए यह ही होगा कि मैं मुकदमेबाजी में फँस जाऊँ और मैं इसके क्या चाहूँगा। साधारण आदमी इसमें जाने से और न्याय का दरवाजा खटखटाने से घृणा करता है और उस डर को समाप्त किया जाना चाहिए। ग्रामीण भारत में भी यह अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों के हित में होता है कि मामला चलता ही जाए और अमीर इसमें लाभ ही कमाता है वह साधारण व्यक्ति को थका देता है। वह गरीब व्यक्ति को उकता देता है, वह ग्रामीण भारत के आदमी को थका देना चाहता है जो पूर्णतः इस मामले पर ही निर्भर होता है। वह मध्यस्थता के

लिए अथवा किसी प्रकार के समझौता अथवा अन्य भी करने को तैयार हो जाता है। आपको उसकी भी छानबीन करनी चाहिए। मैं नहीं जानता यदि आपके पास जवाब है। लेकिन यही दो तीन बातें हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, यह बहुत ही अच्छा बिल आया है और हम बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। न्यायिक प्रक्रिया में जो विलम्ब होता है उसका कारण निश्चित तौर पर जजों की कमी तो है ही, इसके साथ ही थोड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण को भी देखना पड़ेगा। हमने व्यावहारिक दृष्टिकोण इसलिए कहा, क्योंकि जो सिविल मामले होते हैं उनकी शुरूआत कार्यपालिका से होती है और जो आपराधिक मामले होते हैं उनकी शुरूआत पुलिस से होती है। हमें लगता है कि शुरूआत के दिनों में ही मामले का आधार दुरुस्त नहीं होता और जो गलत या सही आधार बन कर न्यायालय में आता है उसी पर न्यायपालिका में विचार किया जाता है।

महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मामले पुलिस में जाते हैं वे किसी न किसी के बयान पर आधारित होते हैं और पुलिस की कार्यवाही साक्ष्य के आधार पर होती है। जब मामले की जांच पुलिस को सौंपी गई तो किसी भी चार्जशीट में हमने अभी तक यह नहीं देखा, जिसमें पुलिस लिख कर भेजती है कि प्रथम दृष्टि आरोप प्रमाणित होता है। वह कहीं भी अपने विवेक या गोपनीय जांच का प्रयोग डायरी में अंकित नहीं करती है। उसके बाद जो न्यायपालिका का कार्य शुरू होता है, उसकी निश्चित तौर पर काफी विलम्ब की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में सुधार के लिए मंत्री जी द्वारा जो बिल लाया गया है वह काफी सराहनीय है। इसमें हम अपने कुछ सुझाव देना चाहेंगे, अगर मंत्री जी का ये सुझाव अच्छे लगें तो इन पर जरूर अमल करें।

आपने बताया कि बहुत से ऐसे मामले हैं, जिन्हें मध्यस्थता करके निपटाना आवश्यक होगा। हम मानते हैं कि यह समाज और जनता के हित में होगा, लेकिन मध्यस्थता के आधर क्या होंगे, इसे तय करना पड़ेगा। जब तक आप मध्यस्थता के आधार को कानूनी रूप नहीं देंगे, जैसे गांवों में मध्यस्थता होती है, जिसे हम लोग पंचायत कहते हैं, उसके माध्यम से नहीं होगा। अगर इस मध्यस्थता का आधार मेरी नजर में ऐसा हो कि मुदई/मुदालय, दोनों पक्षों से न्यायालय दो-दो पंच ले और वे दोनों मिल कर तीसरा चुन लें और यदि वे पांचों मिल कर सर्वसम्मति से निर्णय करते हैं तो उसे न्यायालय को स्वीकार करना चाहिए। उसमें एक समय-सीमा भी तय कर देनी चाहिए कि अगर 20 दिन या एक महीन के अंदर मध्यस्थता करके यह मामला आता है तो उसका समाधान माना जाएगा और उस पर न्यायालय अपनी मोहर लगा दे। जब तक मध्यस्थता को कोई कानूनी रूप नहीं दिया जाएगा तब तक मध्यस्थता की बात नहीं चलेगी।

साक्ष्य के संबंध में मंत्री जी ने कहा कि हलफनामा देना होगा और शायद नोटरी मजिस्ट्रेट के माध्यम से साक्ष्य लिए जाएंगे। हम किसी वर्ग विशेष पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहते, लेकिन मंत्री जी हम यह बताना चाहते हैं कि नौटेरी मजिस्ट्रेट वही लोग होते हैं जिनकी कोर्ट में पूछ नहीं होती है। इस बात में सच्चाई है। नौटेरी मजिस्ट्रेट को सरकार 500-1000 रुपये की कमाई तो करा ही देती है। अब जो आप व्यवस्था कराने जा रहे हैं इसमें उनको पांच हजार रुपये की कमाई जरूर हो जायेगी लेकिन न्याय प्रक्रिया में इससे काफी रुकावटें और दिक्कतें पैदा होंगी। कारण यह है कि जो शपथ की व्यवस्था है वह जटिल है। आपको हाईकोर्ट का अनुभव है लेकिन लोअर कोर्ट का शायद अनुभव न हो, हमें लोअर कोर्ट में रहने का मौका मिला है, हम आपको अनुभव की बात बताएंगे। नौटेरी मजिस्ट्रेट के यहां एफीडैविट के लिए किसी व्यक्ति को जाना नहीं पड़ता है, वहां तो फीस सात रुपये या दस रुपये तय रहती है, वह तो दस्तखत करके भेज देता है। इसमें व्यवस्था कर देंगे तो 15-20 रुपये ही फीस हो जायेगी। लेकिन न्यायालय में जो बयान होता है वह न्यायाधीश के समक्ष होता है। एफीडैविट का मामला हो जायेगा तो वकील बताएगा कि यह बात लीक हो गयी तो यह अच्छा होगा, वह बात लीक हो गयी तो बुरा होगा। इसलिए साक्ष्य भी निष्पक्ष नहीं हो पायेगा। इसलिए आप तो साक्ष्य की व्यवस्था कर रहे हैं तो कम से कम कार्यपालक दंडाधिकारी के यहां शपथ की व्यवस्था करा दे या न्यायपालिका से जो नया मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त कर देंगे तो उचित व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था में साक्ष्य दुरुस्त नहीं हो पायेगा।

सभापति जी, अंतरिम न्याय के संबंध में मंत्री जी ने कहा है कि जो पैसा जमा करेगा उसे अंतरिम न्याय मिलेगा। देश में न्याय तो पहले ही महंगा होता जा रहा है। आपको तो अनुभव है। एक मुकदमे में मुझे भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। वहां 70000 रुपये फीस थी मुझे हर तारीख पर देनी पड़ती थी। आप पैसे की बात करेंगे तो धनी लोग होंगे वे तो पैसा जमा करके अंतरिम रिलीफ पा लेंगे, लेकिन गरीब लोगों के लिए आपने क्या व्यवस्था सोची है। इसलिए अंतरिम न्याय जो मिलता है उस अंतरिम रिलीफ के लिए पैसा जमा न कराना पड़े और एक समय सीमा निश्चित कर दी जाये कि एक या दो महीने के अंदर यह पिटीशन डिस्पोज-ऑफ हो जायेगी। पैसा जमा करके अंतरिम न्याय देना इंसाफ देना नहीं होगा बल्कि अगर ऐसा होगा तो केवल पैसे वालों को ही न्याय मिलेगा, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पायेगा। इसलिए आप इस पर गंभीरतापूर्वक सोचिये और इसमें तब्दीली लाइये।

अखबार में हम किसी सेठी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। प्रधान मंत्री की मौजूदगी में फोटो छपी है जिसमें उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिये हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी, 4 बजे हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह, जब यह मुद्दा अगली बार उठाया जाएगा तब आप जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकार की विनिवेश नीति

सभापति महोदय : अभी, हम नियम 193 के अधीन सरकार की विनिवेश नीति पर चर्चा करेंगे। श्री इंद्रजीत गुप्त।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री या प्रभारी मंत्री में से कोई एक सभा में उपस्थित होना चाहिए जब हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक केबिनेट मंत्री उपस्थित हैं, वे भी अभी आते होंगे।

....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अब इसके प्रभारी मंत्री हैं, वह सदन में उपस्थित नहीं हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह जल्दी आऐंगे।

अपराह्न 4.01½ बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वित्त मंत्री या विनिवेश के निए प्रभारी मंत्री में से एक को यहां उपस्थित होना चाहिए। दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है। चर्चा कैसे शुरू होगी?....*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : वह लॉबी में हैं। मुझे विनिवेश के प्रभारी मंत्री लॉबी में मिले थे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम पशुपालन या इस जैसे किसी मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम विनिवेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सच तो यह है, हमें पता नहीं हैं ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस बीच, कुछ मंत्री नोट कर सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आपको कुछ निर्देश देने चाहिए। सभा के साथ, चर्चा के साथ और मामले के साथ व्यवहार करने का यह ढंग नहीं है। अगर यही निर्देश हैं तो, हम कोई भी मामला उठा सकते हैं, और केबिनेट का कोई भी सदस्य इसको नोट कर सकता है। क्या यह तरीका है गंभीरता दर्शाने का?

अध्यक्ष महोदय : वे नोट कर लेंगे। तब तक, मंत्री भी आ जाएंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : अभी, वह आ गए हैं। वह लॉबी में थे।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मैं यहीं सरकार की विनिवेश नीति के प्रश्न पर और विनिवेश आयोग के कार्य से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि श्री अरूण जेटली को वित्त मंत्री ने यह अधिकार दिया है कि वह विनिवेश के प्रश्न पर विशेष ध्यान दें। इसका संभाव्य कारण शायद यह भी है कि सरकार इस विनिवेश प्रक्रिया को न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बल्कि संयुक्त उपक्रमों में भी लागू करने के लिए उत्साही है। अभी तक, सार्वजनिक उपक्रमों में शेयरों के विनिवेश का काम काफी तीव्र गति के हो रहा था पर लगता है सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि संपूर्ण प्रक्रिया पर शीघ्र कार्यवाही हो। न सिर्फ कार्यवाही की शीघ्रता बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि इसके अंदर विस्तृत क्षेत्र के क्रियाकलापों को समाविष्ट किया जाए।

जैसा कि मैंने अभी कहा, ऐसी रिपोर्ट है कि श्री अरूण जेटली पर यह कार्य सौंपा गया है कि वे देखें कि न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बल्कि संयुक्त उपक्रमों में जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ भागीदार हैं को भी विनिवेश के अंतर्गत समाविष्ट किया जाए।

उदाहरण के लिए, मारूती जैसी कंपनियाँ हैं। इंडियन एयरलाइन है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण है। अन्य कई संयुक्त उपक्रम हैं। इन्हें अभी तक, विनिवेश क्षेत्र से दूर रखा गया था। लेकिन मैं अब जान गया हूँ कि कई वर्षों तक कार्य करने के पश्चात, सरकार यह देखने के लिए उत्सुक है कि विनिवेश की प्रक्रिया तीव्र हो और अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समेत संयुक्त उपक्रम विनिवेश नीति के अंतर्गत समाविष्ट किए जाएं। मैं समाचार पत्र का नाम नहीं लूगा। एक समाचार पत्र जिसका सुझाव निजी क्षेत्र के उद्योगों की ओर है ने भी खुशी से यह टिप्पणी की है कि श्री अरूण जेटली इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

महोदय, विनिवेश आयोग की स्थापना 1991 में हुई, आठ वर्ष पूर्व हुई, काफी लंबा समय हो गया। जैसा मैंने अभी कहा है कि सरकार की विनिवेश संबंधी घोषित नीति वही है जिस पर वित्त मंत्री ने कई बार दोनों सदनों में और उससे बाहर भी कहा है।

जैसा कि हमने समझा है, सरकार की मंशा-जिससे हम सभी सहमत नही हैं– यह है कि बहुत अधिक धन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूँजीधारिता में बंद है या फँसा हुआ है उसे उपलब्ध कराया जाए। पर किसके लिए?

प्रथमतः, उसे सरकार की अपनी निधि को अधिक मजबूत करने में मदद करने के लिए और इस धन को सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों से मोड़ कर इसकी आपूर्ति सरकार के बजट को मजबूत करने के लिए उपलब्ध करना चाहिए।

दूसरा, वे कह रहे हैं कि कुछ अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो घाटे में चल रहे हैं उन्हें भी मजबूत बनना हैं। हमारी इच्छा इस धन को इन इकाइयों को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें, हम देखेंगे कि इस धन का उपयोग इन कमजोर इकाइयों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ नीति व योजनाओं को लाया जाए और

उन्हें एक अच्छा मौका ठीक व कुशलता से काम करने के लिए दिया जाए।

श्री यशंवत सिंहा 13 दिसम्बर को, दूसरे सदन में इसी विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा:

> "कि सरकार ने निर्णय लिया था कि अधिकांश मामलों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार की शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि सरकार अब अपने पास निम्नतम शेयरधारिता और अधिकतम शेयरधारिता को नहीं रखेगी"

दूसरा मुद्दा मेरा है वह है विरोधाभास। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के मामलों में शीघ्रता से विचार किया जाएगा, सरकार अपनी अधिकतम शेयरधारिता को अपने पास बनाए रखेगी। इससे पहले, उन्होंने कहा कि इन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के मामलों में, शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने कहा:

> "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे मामलों में जहां शीघ्र विचार किए जाने की आवश्यकता होती है वहां सरकार अधिक शेयरधारिता बनाए रखना जारी रखेगी।"

मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को माननीय मंत्री द्वारा उस समय स्पष्ट किया जाना चाहिए जब वे इस बात का उत्तर देंगे कि वित्त मंत्री जी का इससे वास्तव में क्या तात्पर्य है।

मैं अभी भी श्री यशंवत सिन्हा द्वारा कही गई बात का उल्लेख कर रहा हूँ। तीसरी बात जो उन्होंने की थी वह यह थी कि मजदूरों के हितों की हर तरह से रक्षा की जाएगी। वास्तव में, इसके ठीक विपरीत हो रहा है। इस सभा में प्रश्न काल, शून्य काल और नियम 377 के अधीन मामलों के अंतर्गत कई मामले उठाए जा रहे हैं। माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कई उदाहरण देते हैं जहां कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की बजाए उनको बहुत अधिक अनदेखा कर दिया जाता है। उन्हें कई महीनों तक वेतन भी नहीं मिलता। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के लिए सरकार की नीति इन महत्वपूर्ण इकाइयों तथा गैर महत्वपूर्ण इकाइयों को उचित रूप से सुदृढ़ बनाना है। क्रमिक रूप से विनिवेश करके गैर-महत्वपूर्ण इकाइयों तथा सभी स्टैटेजिक बिक्री अर्थात महत्वपूर्ण इकाइयों को महत्वपूर्ण पार्टियों को बेचने का निजीकरण किया जाए और निर्बल इकाइयों के लिए आर्थिक रूप से पुनर्वास की योजना तैयार करना है।

उन महत्वपूर्ण पार्टियों को बिक्री करने से है जो उन्हें खरीदना चाहते हैं।

वित्त मंत्री ने ऐसा ही कहा था। बाद में उन्होंने कहा है:

> "महत्वपूर्ण इकाइयों की बिक्री का अर्थ है कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों को महत्वपूर्ण पार्टियों को बेचना, जो उन्हें खरीदने की इच्छा रखते हैं। विनिवेश और महत्वपूर्ण इकाइयों का महत्वपूर्ण पार्टियों को बेचने के बीच यह अंतर होता है कि जब हम स्ट्रैटेजिक बिक्री करते हैं तो हम प्रबंधन को महत्वपूर्ण भागीदारों को सौंप देते हैं।"

इस प्रकार यह एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों को शेयरों की साधारण बिक्री किया जाना शामिल होता है। इसमें संयुक्त उद्यमों को बेचा जाना भी शामिल होता है। इसमें नीतिगत बिक्री भी शामिल होती है जिसका अर्थ होता है कि न केवल इक्विटी की बिक्री बल्कि प्रबंधन का अंतरण भी महत्वपूर्ण भागीदारों को किया जाता है जो इस बिक्री को बनाए रखने के इच्छुक होते हैं। इसलिए यह एक बहुत व्यापक क्षेत्र है और इन विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत हम सरकार से जानना चाहेंगे कि इन विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वे कितने उपक्रमों का निपटान करने की कोशिश कर रहे हैं।

वास्तव में हम इस नीति का पूरी तरह विरोध करते हैं क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के पूरे ढांचे को बदलने और नष्ट करने का दूसरा नाम है जिसे पिछले कई वर्षों में हमने लोगों के हजारों करोड़ रुपए लगाकर तैयार किया था। औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र ने संपूर्ण औद्योगिक आधार संरचना को मजबूत बनाने और देश में आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व में आने से पहले नहीं थी। विनिवेश एक शिष्ट शब्द हो सकता है परंतु इसका वास्तविक अर्थ निजी क्षेत्र को समाप्त करके करना और एक-एक करके सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण एककों को निजी क्षेत्र में बदलना है। परंतु सरकार इस तरह से नहीं कहती है। वे स्पष्ट रूप से यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इस नीति के पीछे क्या रहस्य है। हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि पहले जब यह विनिवेश नीति शुरू की गई थी तब यह कहा गया था कि शेयरों की बिक्री से मिलने वाला धन ही विनिवेश निधि कहलाएगा। यही एक मुख्य सिफारिश की गई थी। यह का गया था कि शेयरों की बिक्री से मिलने वाला धन इस विनिवेश निधि में शामिल किया जाएगा। वास्तव में फरवरी 1997 में प्रस्तुत की गई विनिवेश आयोग की पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा इस विनिवेश निधि का प्रयोग बजटीय सहायता के बदले किया जाएगा जिसके बजट से विभिन्न इकाइयों को दिए जाने की संभावना है। अकसर यह तर्क दी जाती है कि इस प्रयोजनार्थ कोई बजटीय सहायता नहीं है जिसके द्वारा इन इकाइयों को अलग-अलग सहायता दी जा सके। विनिवेश आयोग ने यह प्रस्ताव किया था कि कम्पनियों के शेयरों से मिलने वाले धन से प्राप्त विनिवेश निधि और फिर निजी क्षेत्र को स्थानातंरित की गई इस निधि का प्रयोग उन इकाइयों को बजटीय सहायता दिए जाने के लिए किया जाना चाहिए जिनको उनकी सख्त जरूरत थी।

जहां तक मुझे ज्ञात है, इस विनिवेश निधि से सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को बजटीय सहायता दिए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ यह विनिवेश निधि कागजों तक ही सीमित है; यह वास्तविक रूप से प्रचालन में नहीं आई है।

इस प्रकार विनिवेश निधि की अवधि इस वर्ष 30 नवम्बर को समाप्त हो चुकी है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

यह 30 नवम्बर तक लागू थी। परन्तु उसके बाद सरकार ने विनिवेश आयोग को समाप्त कर दिया था। अब विनिवेश आयोग नहीं है। इसे समाप्त होने दिया गया। समाप्त होने से पहले इसने सरकार को लगभग 12 रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। हम नहीं जानते कि उन रिपोर्टों का क्या हुआ। उनमें से कई रिपोर्टों में विनिवेश आयोग ने सुझाव दिया था कि शेयरों की अधिक मात्रा में बिक्री की अपेक्षा कमजोर इकाइयों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ व्यवहार्य योजनाएं बनाई जानी चाहिए थी ताकि पुनर्संरचना की संभावना हो, प्रौद्योगिकी में सुधार हो सके, जिससे प्रबंधन में सुधार हो सके और उससे उस बजटीय घाटे को कम किया जा सके जिससे वे पीड़ित हैं।

इसके साथ-साथ, स्वयं माननीय वित्त मंत्री ने यह दावा किया था कि सरकारी क्षेत्र के शेयरों की बिक्री से होने वाली आय का एक भाग सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा। वास्तव में एक मामले में उन्होंने कहा था कि इस धन का उपयोग भवन निर्माण, सड़कों के निर्माण, ग्रामीणी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और इसी तरह के कार्यों के लिए किया जाएगा, तथा इस तरह के सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना इस बजटीय कार्य के उद्देश्यों में से एक होगा। तथापि, मैं यह मानता हूँ कि अंतर-मंत्रालयी कठिनाइयों और अंतर-मंत्रालीयी द्वेष के कारण इस विनिवेश क्षेत्र की देख-रेख करने वाले कई मंत्रालय होने के कारण कठिनाइयां होती हैं। वास्तव में तकनीकी रूप से देखा जाए तो वित्त मंत्रालय, जो सबसे बड़ा है, की हालत जैसी थी वैसी ही है। परंतु अन्य मंत्रालय भी इसमें शामिल हैं– या तो वे मंत्रालय जो उस विशेष उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, वे जिसके साथ वह उद्यम संबंधित है या निर्यात और आयात से संबंधित है। उनकी देखरेख विभिन्न मंत्रालय कर रहे थे। इससे उनमें काफी मतभेद आ गया जिसके कारण वे प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सके।

जहाँ तक मुझे ज्ञात है वास्तव में विनिवेश का कार्य 39 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किया गया है और 1991-92 से 1999-2000 तक केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश द्वारा सरकार द्वारा प्राप्त राशि 18,288 करोड़ रुपये है जो लगभग दो सौ हजार करोड़ रुपये है। उन्हें इतनी राशि मिली है। इस धन का उपयोग किस तरह किया गया था? यह कहने के अलावा कि इसको भारत की संचित निधि में डाला गया था, इस संबंध में कोई और जानकारी नहीं है कि इसके खर्च के ब्यौरे क्या हैं। सब कुछ भारत की संचित निधि में चला गया। हम यही जानते हैं। परंतु इस धन के खर्च के अगल-अलग ब्यौरे क्या हैं? इसमें से कितना रुग्ण और कमजोर इकाइयों की प्रबंधन में सुधार करके उनके पुनरुद्धार करने, उनमें अच्छी प्रौद्योगिकी देने और अन्य तरीकों पर खर्च किया गया था? इसका कितना भाग उन मजदूरों को वेतन देने के लिए उपयोग किया गया था जो स्वैछिक सेवा निवृत्ति लेने वाले थे और इस सेवा को छोड़ कर जाने वाले थे? यह भी इसमें शामिल किया गया है। इसका कितना भाग सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक लाभ पहुँचने या सामाजिक सुधार लाने के लिए खर्च किया गया था?

इन बातों के बारे न तो बताया गया था और न ही देश या इस सभा में उल्लेख किया था। मैं मान्य मंत्री जी से इन ब्यौरों के बारे में जानना चाहूँगा।

महोदय, इसके अलावा इसमें विवाद भी है। दूसरे सहन में माननीय वित्त मंत्री का यह कहना कि सरकार की शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जाएगा, इस बात का कोई तुक नहीं है। इसका अर्थ है कि सरकार इन सभी धारिताओं में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में कम शेयरधारिता चाहती है। इसका अर्थ क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो यह एक बहुत गंभीर मामला है। इसका अर्थ है कि सरकार वास्तव में अपनी धारिताओं को सरकारी क्षेत्र में लगा रही है और सब कुछ निजी क्षेत्र में छोड़ रही है क्योंकि उन्होंने कहीं कहा था, जैसा कि मैंने कुछ पहले कहा कि केन्द्र के अधिकांश शेयर सामरिक महत्व की इकाइयों में लगे हैं। उन इकाइयों में मतभेद हैं जिसे वे घाटा उठाने वाली इकाइयां कहते हैं–जो इकाइयां लंबे समय से वित्तीय घाटा उठा रही हैं–उन्हें बेचा जा सकता है परन्तु उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा तथा वे इकाइयां जो लाभ कमाती रही हैं।

इन इकाइयों के शेयरों के बाजार में अच्छे दाम हो सकते हैं किंतु जब उनका कार्य-निष्पादन अच्छा है और वे उच्च लाभ अर्जित कर रही हैं तो उन्हें क्यों बेचा जाए?

कमजोर इकाइयों और कम महत्वपूर्ण इकाइयों का पुनर्वास घोषित लक्ष्यों में से एक है। मेरा सुझाव है कि यह बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ किया गया है तो हम मंत्री जी से कुछ उदाहरण जानना चाहते हैं। वे इकाइयां कौन सी हैं जिनका उन्होंने इस प्रकार का आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास किया है? मैं जानना चाहता हूँ कि तेल, पेट्रोलियम, विद्युत इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इकाइयों की बिक्री में इन कंपनियों के प्रबंधन को यह जानते हुए महत्वपूर्ण भागीदार को सौंपने का प्रश्न भी शामिल है कि जो लागे इन क्षेत्रों के शेयर खरीदना चाहते हैं वे घरेलू खरीददार नहीं हैं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय खरीददार अर्थात विदेशी कंपनियां हैं। उन्होंने इसे नहीं खरीदा है, उन्हें भी शेयरों की खरीद के लिए निविदादाता के रूप में शामिल किया गया है और यदि वे पर्याप्त संख्या में शेयर खरीदते हैं तो सरकार की नीति उन्हें प्रबंधन में भागीदार बनाने की भी है। सरकार का इरादा इस दूरगामी कदम को उठाने का है।

महोदय, हाल ही में एक चर्चा हुई थी और मेरे विचार से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राष्ट्रीय पनबिजली निगम के सभी शेयरों के अधिग्रहण के कथित प्रयास में विद्युत मंत्री भी शामिल थे। दोनो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र में कम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि देश में बिजली की मांग निरन्तर बढ़ रही है और अपनी अधिष्ठापित क्षमता से वर्तमान में वे इस मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। अतः सरकार की रुचि इस बात में है कि अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जाए किंतु लगता है इसके लिए जो विधि विचाराधीन है वह यह है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के सभी शेयर खरीद ले। यह अनोखी विधि है, निश्चितत्तौर पर विद्युत मंत्री ने इसका खंडन किया है कि अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है किंतु उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया कि यह विचाराधीन है या नहीं।

उन्होंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है और अभी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि हाल ही में मंत्री ने सभा पटल में इसका जोरदार खंडन किया है कि इसका तात्पर्य निजीकरण है किंतु हमारे पास दो बीमा निगमों–भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के उदाहरण हैं। संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित कर अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दी गई है, हालांकि यह विधेयक अभी पारित नहीं हुआ है कि इसके पीछे यह विचार है कि इन बीमा क्षेत्र में, दो पुरानी, परम्परागत सुस्थापित और अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के निगमों पर अकुशल या घाटे में होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है अतः यहां निजी क्षेत्र को आने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि यह तर्क दिया जा रहा है कि उनकी कुल शेयर धारिता क्षमता सीमित होगी और वे अधिकतम सीमा से अधिक शेयर धारण नहीं कर सकेंगे किंतु वे इस महत्वपूर्ण कदम को उठा रहे हैं जो हमारी राय में विदेशी निवेशकों के लिए एक संकेत है और इन निवेशकों के देश में आने और निवेश करने को प्रोत्साहित करने के लिए है क्योंकि इन दो क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विदेशी बीमा कंपनियां बहुत उत्सुक हैं ताकि वे अधिक लाभ कमा सकें। इस देश में केवल श्रमिक संघों द्वारा ही अपितु जनता के विभिन्न कार्यों द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति की जा रही है और इसका विरोध किया जा रहा है। बीमा को इस प्रश्न के बारे में एक गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि यह कर्मचारी संघों और कंपनी प्रबंधन के बीच का विवाद है। किंतु ऐसा नहीं हैं, इन दो बीमा कंपनियों के मामले में इन दो क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को आने की अनुमति देने से देश में पूंजीधारिता संतुलन बदल जाएगा और इससे सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन और निवेश में भारी गिरावट होगी।

महोदय, मैं भारतीय गैस प्राधिकरण के एक अन्य उदाहरण के बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूँ। भारतीय गैस प्राधिकरण तथाकथित 'नवरत्न' कंपनियों में से एक है। सरकार की अपनी ही रिपोर्ट जिसे मैं देख रहा हूँ के अनुसार यह एक कुशल कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार इसका प्रबंधन व्यावसायिक व बहुत कुशल है। यह सक्षम कंपनी है और इस वर्ष इसने 1060 करोड़ रूपये का कुल लाभ अर्जित किया है। भारतीय गैस प्राधिकरण को विनिवेश आयोग को सौंपा गया है– मैं नहीं जानता कि इसे विनिवेश आयोग को क्यों सौंपा गया है, विनिवेश आयोगा ने सिफारिश की है कि भारतीय गैस प्राधिकरण के 21000 करोड़ रूपये के शेयरों को इसके शेयरों की खरीद में रुचि रखने वाले खरीददारों जो मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय खरीददार होगें, के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रखा जाए, यह हाल ही में किया गया। हम जानना चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र की इन दो उन्नत और कुशल कंपनियों को विनिवेश आयोग की सौदेबाजी की मेज पर रखकर सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुझे बताया गया है कि भारतीय गैस प्राधिकरण के 25 प्रतिशत शेयरों को खरीदने की इच्छा पहले ही उन दो कंपनियों में जताई है जो स्वयं भारतीय गैस प्राधिकरण के प्रतिस्पर्धी हैं।

अपराह्न 4.29 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*]

एक महाराष्ट्र में एनटॉन है और दूसरी ब्रिटिशगैस कंपनी है। ये दोनों अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियां बहुत मजबूत और शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में आने की इच्छा जताई है तथा वे भारतीय गैस प्राधिकरण के 25 प्रतिशत तक शेयर खरीदना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि इसका क्या कारण है और इसकी अनुमति क्यों दी जा रही है क्योंकि भारत सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारतीय गैस प्राधिकरण एक कुशल व व्यावसायिक कंपनी है जिसका कार्य निष्पादन बहुत अच्छा है और जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है।

अतः जैसा मैं वर्तमान में सात या आठ वर्ष पूर्व तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा इस विनिवेश नीति के मूल लक्ष्य या इसके पीछे की मूल रणनीति अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जिन लक्ष्यों से इस नीति को शुरू किया गया था उसका स्थान सरकार द्वारा यथाशीघ्र शेयर बेचकर दहशत भरे कदम ने ले लिया है ताकि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का स्थान यथासंभव शीघ्र निजी क्षेत्र की वे कंपनियां लें जो यहां आकर लाभ कमाना चाहती हैं। वस्तुतः बाजार को बेचा जा रहा है। बाजार को बेचना वर्तमान सरकार की नीति का एक अंग है यह नई आर्थिक नीति को पुर्नगठित करने का एक अंग है जिसे पिछले कुछ वर्षों से अपनाया जा रहा है और जिसका हमने जमकर विरोध किया है और जिसका हम विरोध करते रहेंगे इसका कारण यह है कि वास्तव में इसका मतलब होगा कि अन्ततः हर चीज को बेचा जाएगा।

महोदय, अभी जब मैं इस सभा में आ रहा था तो मुझे मेरा एक मित्र मिला जिसने मुझे बताया– मैं नहीं जानता कि उसकी सूचना का स्रोत क्या है वह मुझे बाद में मिलेगा– कि सरकार के विचाराधीन यह भी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : बैंकों का भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बैंकों का निजीकरण भी प्रस्तावित है। इस देश में पहले से अनेक निजी बैंक और विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं। हमें पता चला है कि पीछे एक समिति की रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्र के और बैंकों के निजीकरण की सलाह दी है। किंतु मेरे मित्र ने मुझे बताया कि देश में खुदरा व्यापार में विदेशी निजी क्षेत्र को आने की अनुमति देने के बारे में विचार चल रहा है। इस देश में खुदरा व्यापार में भी विदेशी पूंजी के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मैं नहीं जानता कि यह सूचना सही है या नहीं।

महोदय मैं मानता हूं कि हमारे पास भारत में निजी खुदरा व्यापार बहुत अधिक फलने फूलने वाले व्यापारों में से एक है जो हमारे लोगों द्वारा बनाया गया, चलाया गया और नियंत्रित किया गया है। उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। लेकिन यदि यह इस देश में प्रिंट मीडिया में विदेशी पूंजी लगाने के प्रस्ताव पर एक सम्मानान्तर पहल है– जिसका सभी प्रिंट मीडिया और गैर प्रिंट मीडिया ने लोगों द्वारा जबरदस्त विरोध भी किया जा रहा है और यदि समाचार पत्र, प्रेस, खुदरा व्यापार, बीमा उद्योग सभी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कुछ विदेशी पूंजी को सौंपा जाएगा– तो मुझे नहीं पता कि आने वाले वर्षों में हम कहाँ पहुँच जाएंगे।

महोदय, विनिवेश के नाम पर जो हो रहा है वह वास्तव में इस देश के पूरे व्यापार को निजी क्षेत्र को और विदेशी हाथ में बेचा जा रहा है जो यहां निश्चित रूप से परोपकार करने अथवा स्नेहवश नहीं आ रहे हैं बल्कि धन कमाने और लाभ कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं। यह शर्म की बात है कि यह सरकार जो पूर्व में इस दल के कई दिग्गज, स्वदेशी की दुहाई देते थे मैं नहीं जानता कि वे अभी भी स्वदेशी के उद्देश्य का पालन कर रहे हैं या नहीं। अभी वे ऐसा दल बने हैं जो सभी इन बातों का समर्थन कर रहे हैं।

महोदय, मेरे मित्र श्री राम नायक जी यहां बैठे हुए हैं, निसन्देह वे इस प्रश्न पर थोड़ा प्रचार डालेंगे कि वे इस देश में विदेशी पार्टियों और विदेशी व्यापार हितों को सब कुछ बेचने को क्यों आतुर हैं?

इसलिए महोदय, मैं इस पूर्ण विनिवेश नीति का पूर्णतः विरोध करता हूँ। यह सरकार के वास्तविक प्रयोजन को छिपाने वाला आवरण है। अतः मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वह सजग रहे और वह इस सरकार की गतिविधियों विशेषकर इस देश के संसाधनों को विदेशी हाथों में सौंपने जो इसे प्राप्त करने के लिए अधीर है, सभी चीजों का निजीकरण करने की पहल पर कड़ी नजर रखे और इन पर अकुंश लगाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, यह चर्चा इस सभा के जनक श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत आरम्भ की गई है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित है और सभा का ध्यान आकर्षित करने लायक है। पूरा राष्ट्र विनिवेश पर इस सरकार की नीति जानने की इच्छुक है।

महोदय, जब मैने दूरदर्शन पर देखा कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने हमारे प्रिय मंत्री श्री अरूण जेटली के नेतृत्व में विनिवेश विभाग नामक एक पृथक विभाग गठित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में एक विज्ञप्ति जारी की थी तो मैने सोचा कि प्रधानमंत्री का या तो वित्त मंत्री में विश्वास नहीं रहा है अथवा वित्त मंत्री अपने मंत्रालय के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण वित्तीय काम को निपटाने में सक्षम नहीं हैं। फिर भी यह केबिनेट का मामला है और प्रधानमंत्री को ऐसे मामलों पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। हालांकि मैने महसूस किया है कि वित्त मंत्रालय की शक्ति का विनिवेश किया गया है जो श्री अरूण जेटली द्वारा बनाये जाने वाले मन्त्रालय के सुरक्षित प्रबध में पहले ही विनिवेश कर दिया गया है।

विनिवेश की नीति का ब्यौरा सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है लेकिन विभाग का गठन कर दिया गया है। यह सच है कि श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति की घोषणा के समय यह महसूस किया गया था कि घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली बजटीय सहायता को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत के रूप में बजटीय सहायता 1990 में 32 से घटाकर वर्ष 1995 में 13 प्रतिशत कर दिया गया।

इस बात में कोई झगड़ा नही कि सार्वजनिक क्षेत्र में बेहतर संवीक्षा की अपेक्षा है। लेकिन जब संयुक्त मोर्चा सरकार, जिसे हमने बाहर में समर्थन दिया था, के दौरान विनिवेश आयोग गठित किया गया था ने जब यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि विनिवेश का अन्तिम निष्कर्ष (क) सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक को सुदृढ़ करना और (ख) अच्छा आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी का दर्जा आगे बढ़ाया जायेगा। उसे यह भी निश्चित करना होगा कि जो उपलब्ध है उसे समाजिक क्षेत्र और मानव क्षेत्र में लगाया जाएगा।

मुझे आशंका है, यदि मैं गलत हूं तो मन्त्री महोदय मुझे टोक सकते हैं कि चुनाव से पहले सत्ता प्राप्त दल ने जोर शोर से प्रचार करते हुए कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था का परिदृश्य पूर्णतः स्थिर स्थायी और स्वस्थ है और सभी कछ ठीक ठाक हैं। वित्त मन्त्री श्री यशवन्त सिन्हा ने बी.बी.सी. को दिये अपने साक्षात्कार 'हार्डटॉक' के दौरान इस पर और बल दिया था। मैं समझता हूं कि अब सरकार महसूस कर रही है कि उसने समूचे वित्तीय क्षेत्र को गड्डमड्ड कर दिया है। उन्हें इसमें 10,000 करोड़ रुपये का बजट घाटा पूरा करना था और उन्होंने जल्दबाजी में यह सोचा कि नवरत्नों के शेयरों को भी किसी भी मूल्य में दे दिया जाएगा। गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में यह बात खुलकर सामने आई।

कल दूरदर्शन पर श्री राम नाइक कह रहे थे कि वह भारतीय तेल निगम के शेयरों के 10 प्रतिशत शेयरों को बेचने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि वे ऐसी बातें संसद में न कहकर दूरदर्शन में कहते हैं।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री राम नाइक) : चूंकि यह मामला उठाया गया है, मैं इसका जबाव दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जो कुछ उन्होंने टेलीविजन पर कहा है मैं उन्हें स्मरण करा रहा हूं।

महोदय, रामकृष्णा आयोग ने सही अथवा गलत सिफारिशें देते हुए सात प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जिसके लिए मेरे मन में कोई पक्ष-कथन नहीं है। एक प्रतिवेदन में कहा गया है:

> "कि विनिवेश आयोग ने सरकार को अनुरोध किया है कि वह कार्य सम्पादन के पूरे होने के छह माह के भीतर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश कार्यकरण के लेखापरीक्षा की सिफारिश करे।"

आयोग ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में कहा है :

> "कि विनिवेश अन्ततः लोगों के सर्वोत्तम हित में है जबकि इसी समय, निर्णय लेने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हुए यह आवश्यक है

कि भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक विनिवेश की लेखा परीक्षा गहनता और शीघ्रता में किया जाए जिसमें उद्योग और पूंजी बाजार में काम करने वाले व्यवसायिकों को अर्न्तग्रस्त किया जाए।"

आयोग ने कहा था कि कारण अत्यन्त स्पष्ट है।

आयोग ने यह भी कहा था :

"कि लेन देन में अन्तर्ग्रस्त लोगो को उस समय जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जब विनिवेश के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही और किये गए निर्णय के सम्बन्ध में उनकी याददाश ताजी होगी।—"

अब गैस ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में बोलूंगा जिस पर इस देश में काफी चर्चा की जा रही है, शेयरों को बेचने की तत्परता क्या थी जब इसके बाजार मूल्य काफी कम थे? महोदय, मैं विनिवेश आयोग के प्रतिवेदन के माध्यम से बता सकता हूं कि उन्होंने तेल और प्राकृतिक गैस निगम को सलाह दी थी कि वे अभी इस सूची के अन्तर्गत नही जाये क्योंकि वे बाद में कुछ बेहतर मूल्य की अपेक्षा कर रहे हैं अथवा जब तेल के प्राधिकृत मूल्य में उतार-चढ़ाव पूर्णतः रुक जाएंगे। अब चूंकि वे एक प्रकार से सलाह दे रहे हैं, सरकार उनकी सलाह पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। 'गेल' ने अपने शेयर किस को बेचा है? इन्होंने अपने शेयर ब्रिटिश कम्पनियों और एनरोन को बेचा है जो 'गेल' के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और वे न केवल उनके बाजार पर नियन्त्रण करेगी बल्कि उत्पादन-नियन्त्रक प्रबन्धक में भी पूर्ण नियन्त्रण कर लेंगे।

क्या मन्त्री महोदय गेल सहित दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के ऐसे विनिवेश के लिए उसकी खाता लेखा परीक्षा करने के लिए भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के पास भेजने की सिफारिश करने पर विचार करेंगे और इस मामले में पारदर्शिता बरतेंगे। यह उन सिफारिशों में से एक है।

महोदय, अब सुविधानुसार वे कुछ और चुन रहे हैं। सरकार को एन डी ए के नाम पर जनादेश प्राप्त हुआ है। वे अपनी योजनाओं के साथ आगे आए हैं। सरकार के पास उन्हें चलाने और दिशा का निर्धारण करने के लिए विनिवेश आयोग है। आयोग को सही अथवा गलती से यदि सांविधिक प्रावधानों का निर्धारण नहीं किया तो विशेष प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त है जिसे संसद, यदि सरकार आगे आए, तो बाद में बेहतर कर सकती है। लेकिन एक विभाग है जो बिना बताए या उसे सभा पटल पर रखे बन गया है। इस सरकार की देश के विनिवेश नीति के संबंध में क्या दृष्टिकोण है? वे इस पर थोड़ा-थोड़ा करके आ रहे हैं। वे जी.ए.आई. एल. को एक पद्धति से समाप्त कर रहे हैं, एन.टी.पी.सी. के संबंध में उनकी योजना अलग है, और ओ.एन.जी.सी और आई.ओ.सी. के बारे में वे अलग प्रकार से सोच रहे हैं। साथ ही, बजटीय घाटे को शीघ्र पूरा करने के लिए उन्होंने भी एक विनिवेश विभाग की स्थापना भी की है। विनिवेश आयोग के उद्देश्यों या शर्तों में से एक, अगर मैंने संयुक्त मोर्चे की कार्यवाही ठीक से सुनी है तो यह थी "इसका उद्देश्य बजट घाटे को पूरा करना नहीं होगा। इसे कुछ अन्य कार्य करने हैं।" मैंने इसे पहले भी दोहराया है, मैं इसे पुनः नहीं दोहराना चाहता। इसलिए, हम नीति के संबंध में जानना चाहते हैं। क्या वे पहले अपनी नीति बनायेंगे ? विनिवेश संबंधी उनकी नीति क्या है?

महोदय, माननीय मंत्री ने एक बहुत खूबसूरत नामकरण किया है नवरत्न - वे अपने देश के नौ रत्न हैं। जो हमारे देश के लिए काफी काम के साबित हुए। वे कौन हैं? वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। प्रबंधन में कौन है? वे हमारे लोग हैं। नवरत्न हमारे देश के लिए योग्य सिद्ध हुए हैं पर सरकार उन पर तभी विचार करती है जब उसे शीघ्रातिशीघ्र उसकी पूंजी का विनिवेश करना होता है वह भी बाजार मूल्य पर विचार किए बिना केवल विनिवेश अनुपात में।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क करने की बजाय भारत पैट्रोलियम इंडियन आयल कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम मध्य पूर्व के देशों और फ्रांस जाकर खाड़ी देशों की तेल कम्पनियां इक्विटी शेयर खरीदते हैं ताकि वे यहां व्यापार कर सकें, जिससे हमारे धन में वृद्धि हो सके। सरकार दूसरे तरह से सोचती है। "कितनी जल्दी, वे कुछ शेयर के बोझ को कम कर सकें?" वास्तव में "वे कुछ शेयर" नहीं हैं, वे हैं 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 41 प्रतिशत या 42 प्रतिशत तक शेयर। वे उन्हें बेच रहे हैं जो अंततः तेल क्षेत्र के सर्वेसर्वा बन जाऐंगे।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से एक राजनैतिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वे इसे तकनीकी प्रश्न के रूप में न लें। हम अमरीका की मध्य-पूर्व नीति को जानते हैं। वे क्यों ईराक के लिए हर-वक्त परेशानी उपस्थित करते हैं? अमरीका का अंतिम लक्ष्य है मध्य-पूर्व के तेल उद्योगों पर अपनी पकड़ बनाए रखना, शायद, पाँच साल बाद, 10 या 15 साल बाद। भारत के नवरत्न अपने-अपने क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, चाहे वह इंडियन आयल हो, चाहे हिन्दुस्तान पैट्रोलियम, चाहे जी.ए.आई. एल हो, या भारत पैट्रोलियम, या आई.बी.पी. और चाहे वह ओ.एन.जी.सी. हो। ये उनकी योजना हैं कि किस तरह उनके शेयरों का भार कम करके इन्हें ब्रिटिश कंपनियों या एनरॉन को दिया जाए। क्या वे चाहते हैं कि मध्य-पूर्व का पूरा कारोबार अमरीका की कंपनियों के हाथों में चला जाए? इसलिये यह मामला सिर्फ कुछ तकनीकी शब्दों पर आधारित मामला नही है।

विनिवेश इन इकाइयों को मजबूत ही करेगाा। विनिवेश भारत की संचित निधि के लिए कुछ नए संसाधनों को जुटाएगा और उसके बाद इन सबके लिए योजना बनाई जाएगी। ये सब कुछ नहीं है। आपका संपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि, जैसा मैंने आपकी सरकार से समझा, आपकी किसी नीति की अनुपस्थिति में, आप जल्दबाजी में अपने किसी आका को प्रसन्न करने के लिए योजनाएँ बना रहे हैं, अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करू, जो शीघ्र ही भारत आने की योजना बना रहे हैं, जितनी शीघ्रता से हो सके जिससे आर्थिक क्रांति नीति के नाम पर समस्त व्यवस्था को निश्चित किया जा सके और हमेशा के लिए निश्चित की जा सके। इसलिए मैं

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

तीव्रता से यह महसूस करता हूँ कि, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व आप, सदन के सभा पटल पर अपनी विनिवेश नीति को रख कर इसे पूर्ण विश्वास में लें। आप किस क्षेत्र के संबंध में विचार कर रहे हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत तीन प्रकार की इकाइयाँ आती हैं, इन इकाइयों को आप नवरत्न कह रहे हैं, और जो इकाइयां अच्छी स्थिति में हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि तकनीक में कुछ आधुनिकीकरण करके उसे उन्नत करके, वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और कुछ इकाइयाँ संयुक्त क्षेत्र में भी जा सकती हैं। आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इन्हें महत्वपूर्ण भागीदार द्वारा लिया जाएगा। इसका अंत होगा संपूर्ण निजीकरण और बैंकों के हाथों में सौपना। इसलिए, मुझे लगता है इस मामले में सरकार गंभीर नहीं है। इस कारण, इस मामले पर नीति पत्र प्रस्तुत करने के बजाय, उन्होंने बजट की शीघ्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग विभाग बना दिया है।

भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन में, अभी सरकार की शेयरधारिता 66.20 प्रतिशत है और उन्होंने 33.80 प्रतिशत बाजार में बेच दिया है। गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया में सरकार के पास 67.34 शेयरधारिता है और 32.66 को बाजार में बेच दिया है। हिन्दुस्तान ऑरगेनिक्स में, सरकार के पास सिर्फ 58.61 प्रतिशत शेयरधारिता है और 41.39 को बाजार में बेच दिया है। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम में, सरकार के पास शेयरधारिता का प्रतिशत 51.06 है और 48.94 प्रतिशत शेयर को वह बाजार में बेच दिया है। महानगर टेलीफोन निगम में, सरकार के पास 56.20 प्रतिशत की शेयरधारिता है और 43.80 को बाजार में बेच दिया है। विदेश संचार निगम में, 52.96 प्रतिशत कारपोरेट शेयरधारिता है और 47.04 को बाजार में बेच दिया है।

मैंने इन कुछ नवरत्नों को उद्धृत किया है। आप विनिवेश की इस प्रक्रिया के द्वारा क्या सन्देश देने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या आप पिछले डेढ़ साल से एक भी लक्ष्य की पूर्ति कर पाए हैं? यहाँ मध्य आकार के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं। क्या आपने संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के लिए कोई नई नीति बनाई है, कोई संयुक्त क्षेत्र के लिए, कार्यक्रम संचालन के लिए? नहीं। एक भी नहीं। क्या आप छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए कोई तकनीकी समझौता कर पाए हैं? नहीं। आप ऐसी नीतियों को लेकर आ रहे हैं जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने नष्ट हो जाए सार्वजनिक क्षेत्र के उन हिस्सों में जहाँ आर्थिक आधिपत्य की ऊचाई की योजना बनाई गई थी। हाँ, इस पर बहस हो सकती है। मुझे पता है 2000,000 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। नतीजा क्या निकला? घाटा पर घाटा हुआ है जिसमें कई लोगों की हिस्सेदारी है। मैं भी मानता हूँ कि भारत जैसे विकासशील देश में, सामाजिक कर्त्तव्य और सामाजिक विवशता के चलते, प्रबंधन की व्यवसायिक योग्यता पर विचार किए बिना, हम लोगों को रोजगार देते हैं। क्या हमने लोगों को रोजगार देकर अपराध किया है? आप इस वक्तव्य को कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की हालत ठीक नही है को बेपरवाही से न लें। हमें इसकी छानबीन करनी है। अभी भी मेरा विचार है कि अगर प्रबंधन की व्यवसायिक योग्यता पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए और अगर हमें सही समय पर बाजार में अच्छी पहुँच मिल जाए, तो इस देश की कंपनी, एस.ए. आई.एल. घाटे से उबर सकती है। वह कर सकती है वह करेगी। कुछ काम पिछड़ा हुआ है जैसे, डा. बोल्ला बुल्ली रमैया यहाँ हैं। उन्होंने वित्त मंत्रालय को संभाला है। अगर आप सरकार में ही एस.टी.सी और एम.एम.टी.सी. को व्यवसायिक संगठनों के रूप में विकसित नहीं करते तो वे कैसे विकास कर पाएंगी? उन में से कुछ, निःसंदेह, कुछ मामलों में जहाँ प्रबंधन गलती पर था हमने कार्यवाही की है। आप इसे व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं, किसी अन्य को दे कर और उन से दरवाजा बन्द कर वापस जाने के लिए कह रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है? मैंने भी उस विभाग को लंबे समय तक संभाला है। इसलिए, सरकार गंभीर नहीं है।

जी.ए.आई.एल. के शेयर मूल्यों को निश्चितरूप से कम रखा गया है। जब हमने जी.ए.आई.एल. के शेयरों को बेचा तो उस समय उसका मूल्य सबसे न्यूनतम था। इसकी अति आवश्यकता इसलिए थी कि ब्रिटिश गैस कंपनी और एनरॉन ने उस समय यह आदेश दिया था कि, "आपको आज ही शेयर बेचने पड़ेगे अन्यथा, हम उसे कल नहीं खरीदेंगे" और आप इस दबाव के आगे आयोग की सिफारिशों पर विचार किए बिना झुक गए।

अध्यक्ष महोदयः पाँच और माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं थोड़ा ही समय लूंगा। जिस कालावधि में विनिवेश नीति बनाई गई वह महत्वपूर्ण है। जैसा कि आयोग ने सुझाव दिया है महत्वपूर्ण बिक्री की कोई स्वतंत्रता नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बिक्री अंततः इन इकाइयों को संपूर्ण निजीकरण की ओर ले जाएगी। सरकार इस मामले पर जिस संतुलन और नियंत्रण पर विचार कर रही है वे कौन से हैं? मैं जानता हूँ कि सरकार इस पर यह उत्तर देगी कि वह काँग्रेस पार्टी ही थी जिन्होंने उदारीकरण नीति की शुरूआत की थी, हाँ, वह काँग्रेस और संयुक्त मोर्चे की सरकार थी जिन्होंने विनिवेश के संबंध में सोचा था। वहाँ, यह स्पष्ट था कि विनिवेश से मिले धन को इकाइयों के आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा।

निश्चय ही, हमारा दृष्टिकोण स्थिर है। लेकिन जब हमने इन सभी मुद्दों को अपने सिद्धांत के रूप में प्रस्ताव किया तो श्री राम नाईक और अन्य लोग जो अब सरकार में हैं, उन्होंने स्वेदशी का झंडा उठा लिया। इसलिए मैं अब इस बात का बहुत उत्सुकता से इन्तजार कर रहा हूँ कि नई सहस्त्राब्दि की सुबह होने से पहले यदि किसी को उसके राजनीतिक क्षेत्र में अधिक अस्थिर रहने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, तो वह आपकी सरकार और आपका दल है। आपके दल की अस्थिरता ने स्वदेशी की विचारधारा को सत्तासीन में बदल दिया है। अपने पास सत्ता रखने के लिए आप अपनी विचारधारा को भूलकर अपने हित की किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका अभिनंदन

करना चाहूंगा कि 1991 के बाद 1999 में, नौ वर्ष पश्चात डिसइनवेस्टमेंट का महत्व समझ कर इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट का प्रारम्भ किया। उसका इंचार्ज हमारे मित्र एफिशिएंट परसन अरूण जेटली जी को बनाया है। मुझे विश्वास है कि डिसइनवेस्टमेंट के क्षेत्र में अरूण जी अरूणोदय जरूर लाएंगे।

महोदय, आज में वास्तव में जो चर्चा करने जा रहा हूं वह राजनीति से ऊपर उठ कर करने का मेरा विचार है। डिसइनवेस्टमेंट, यानी हम राष्ट्र की सम्पति बेचने जा रहे हैं। मैं विपक्ष से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं और हमारे जो सत्ताधारी पक्ष और सहयोगी हैं उनसे भी यही विनती करना चाहूंगा कि मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं उसे कोई व्यक्तिगत अवमानना या अपमान न समझें। मैं चार्टर्ड एकाउंटेट हूं, इसलिए मैंने इसे कुछ विशेष समझने का प्रयत्न किया। जब मुझे अधिक जानकारी मिलती है तो मैं अधिक परेशान हो जाता हूं। यहां बैठे हुए जो तीन हिस्से हैं, इन तीनों ने नौ वर्षों के दरम्यान सरकारें बनाई हैं, इन तीनों सरकारों ने नव वर्ष में नौ रत्नों को ही बेचा हैं। हम जो एक-दूसरे पर अंगुली उठाते हैं, मेरी प्रार्थना है कि हम अंगुली न उठाएं, क्योंकि अगर एक अंगुली मैं उठाऊंगा, वह कांग्रेस और विपक्ष के ऊपर जाएगी तो तीन अंगुलियां मेरे ऊपर भी आएंगी। अब सम्माननीय इन्द्रजीन गुप्त जी ने चर्चा का प्रारम्भ किया तो मैं नोट कर रहा था, लेकिन मैं उस पर ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। मेरे साथी प्रियरंजन दासमुंशी जी ने बात छेड़ी कि नेहरू जी ने जब सोशलिजम शुरू की तो फिर मनमोहन जी और राव जी ने क्यों यू टर्न ले लिया। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मैं राजनीति से ऊपर उठ कर सदन से प्रार्थना करने जा रहा हूं कि हम थोड़ा गहराई से विचार करें। ऐसा न हो जाए, 'हिन्दुस्तान बिकने के लिए तैयार है, आइए और हमारा शोषण कीजिए, चाहे आप हमारे देश के उद्योगपति हों अथवा एक बाहरी बहुराष्ट्रीय कम्पनी हो।'

नववर्ष के अगर हम आंकड़े देखें तो जैसा मैंने कहा है कि मैं किसी टीका-टिप्पणी में नहीं जाना चाहता हूं, माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी ने जब बीजेपी सरकार के ऊपर उंगली उठाई तो वे भी दो-तीन साल मंत्री रह चुके हैं। उस समय क्या हुआ? डिस-इंवेस्टमेंट कमीशन की जो रिक्मेंडिशन मेरे माननीय मित्र प्रियरंजन दासमुंशी जी जो पढ़ रहे थे वह उनके जमाने की रिपोर्ट थी और उनको समर्थन आपकी सरकार कर रही थी। लेकिन मैं फिर भी उसमें जाना नहीं चाहता हूँ।

[अनुवाद]

वर्ष 1991-93 के दौरान उन्होंने 9794 करोड़ रुपये एकत्रित किए। वह पैसा कहां गया? उन्होंने एक संचित निधि, एक पृथक विनिवेश निधि स्थापित की थी। वह पैसा कहां गया? वह घाटे को पूरा करने में चला गया।

[हिन्दी]

फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इसे छोड़ें। जो मैं कहने जा रहा हूँ वह मेरी सरकार के लिए भी आश्चर्य की चीज है। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि आप इस चर्चा को दलों से ऊपर उठायें। आपने जो बात ऑडिट के बारे में कही है, मैं भी ऑडिट की बात चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ कि माननीय अरूण जी इसका प्रारम्भ करें। एक पृथक लेखा परीक्षा होने दीजिए। हमने जो पाइंट उठाये थे और आगे जाकर जिसकी रिसर्च डिस-इंवेस्टमेंट कमीशन ने की। कल्पना यह है कि न केवल इस डिस-इंवेस्टमेंट को पर्टिकूलर कंपनी रखेगी जैसे गेल, एमटीएनएल, बीएसएनएल और आईसीसीएल- यह क्यों हुआ कैसे हुआ? लेकिन उसमें जो कमियां होगीं, उसको सुधारने के लिए हम इस ऑडिट का उपयोग कर पायेंगे। इसके साथ साथ, इससे जिम्मेदारी निर्धारित करने में भी मदद मिल सकती है। इसके लिए इस ऑडिट की संकल्पना बहुत अच्छी है। न केवल ऑडिट बल्कि यह जो विचार रखा गया है कि एक व्हाइट पेपर, पालिसी पेपर निश्चय ही यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसके लिए कोई कमेटी भी नियुक्त हो। केवल सदन के सदस्यों से ही राय न ली जाये बल्कि बाहर भी बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी भी सलाह हमें लेनी चाहिए। एक एक्सपर्ट ने जानकारी दी तभी मुझे पता चला। सदन में 5 मार्च, 1999 को एक उत्तर दिया गया। अगर हम कमियां नहीं बताएंगे तो मंत्री महोदय को कैसे पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है। वित्त मंत्री जी से पांच मार्च 1999 को डिस-इंवेस्टमेंट के बारे में एक प्रश्न पूछा गया कि 1998-99 का आपका टार्गेट क्या है इसका उत्तर था, 5000 करोड़ रुपये जब सिर्फ 26 दिन बाकी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल 1200 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे लेकिन आगे उत्तर में दिया गया कि हम बाकी के तीन हजार आठ सौ करोड़ जल्दी कलैक्ट कर लेंगे।

अभी 7 दिसम्बर, 1999 को जो दूसरा उत्तर आया है उसमें उन्होंने दिया है वर्ष 1998-99 में हम 5,000 करोड़ का अपना लक्ष्य पूरा कर सके न केवल 5,000 करोड़ रुपये का बल्कि हमने 5371 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे। जब मैने उत्तर पढ़ा था तो मैंने वित्त मंत्री का अभिनंदन किया था लेकिन जब मैंने मुंबई में इसकी चर्चा की तो मुझे पता चला यह एक चौंका देने वाली बात है। मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि आप आज नहीं तो कभी स्पष्ट करो कि हम किसको फंसा रहे हैं इस पर तीनों बाजुओं के लोगों को विचार करने की जरूरत है। मैं नहीं जानता, मुझे विश्वास नहीं है, मंत्री महोदय और सरकार को इसकी पुष्टि करने दें। यह 26 दिन में बाकी का जो डिस-इंवेस्टमेंट हुआ यह पूरा दिखावा है। एक सरकारी कम्पनी ने दूसरी सरकारी कंपनी को शेयर बेचे, दूसरी ने तीसरी को और तीसरी सरकारी कम्पनी ने पहले कंपनी के शेयर लिये। गेल ने 1500 करोड़ के शेयर बेचे। माननीय राम नाईक जी उसी दिन बता देते तो इतना हंगमा नहीं होता। साठ रुपये में उन्होंने जो डोमैस्टिक सेल किया है वह मेरे ख्याल से 60 रुपये में गेल ने जो बेचे वे ओएनजीसी को बेचे फिर आईओसी ने 10 प्रतिशत शेयर ओएनजीसी को 1200 करोड़ रुपये के बेचे, फिर ओएनजीसी को 2600 करोड़ रुपये ने शेयर आईओसी और गेल ने परचेज किये।

अपराह्न 5.00 बजे

यह केवल एन.डी.ए. गवर्नमैंट के समय नहीं हुआ। आपकी गवर्नमैंट के समय का मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। इस

[श्री किरीट सोमैया]

पर विचार करने की आवश्यकता है। अब डिसइनवैस्टमैंट कमीशन प्रारम्भ हुआ, मैं उसके पहले की स्थिति बता सकता हूँ।

[अनुवाद]

"लगभग दो दशक पहले विनिर्दिष्ट परम्परागत विचार-धारा, ब्रिटिश निजीकरण कार्यक्रम के संबंध में यह है कि ब्लू चिप सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय घाटा पूरा करने के लिए बेचा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह एक खानसामे को पैसे अदा करने के लिए परिवार का कीमती सामान बेचने के समान होगा।"

[हिन्दी]

डिसइन्वैस्टमैंट के बाद क्या परिस्थिति पैदा हुई? पिछली सरकारों ने जल्दी ही डेफिसिट फाइनेंसिग कवर करने के लिए इसे यूज किया। मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन का यह रिप्लाई है अगर इसे कलैक्ट करके संचित निधि में नहीं डाला जाता तो डेट बढ़ जाता और 60-65 करोड़ रुपए दूसरी जगह पब्लिक सैक्टर में लगते या मिल कर लगते।

[अनुवाद]

आप क्या बेच रहे हैं? आप ब्लू चिप कम्पनियों को बेच रहे हैं आप वी एस एन एल और एम टी एल एल को बेच रहे हैं आप गेल और आई पी सी एल को बेच रहे हैं। ऐसे में क्या रह जाता है? केवल सिक यूनिट्स रह जाएंगी। दस साल के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा और पगार देने के लिए सिक इंडस्ट्रीज रह जाएंगी। ऐसे में क्या परिस्थिति पैदा होगी? आज वी एस एन एल का 49 परसैंट चला गया और 51 परसैंट बाकी है। बाकी कम्पनियों के बारे में भी यही स्थिति है यह किस प्रकार का तर्क है। आप चाहे डिसइनवैस्टमैंट किसी चीज का करें लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग में उसे यूज नहीं करें। सरकार को और ऋण लेना होगा। कभी-कभी हमें सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। हमें कहीं न कहीं लाइन बनानी पड़ेगी। ब्रिटिश प्राइवेटाइजेशन का उदाहरण देखा जाए।

मारग्रेट थैचर का निजीकरण की शैली, जो उस विश्वास पर आधारित थी कि सरकारी नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कम कुशल हैं, कि विपरीत भारत में यह नीति केन्द्र सरकार के बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता पर आधारित है।

[हिन्दी]

क्या इंग्लैंड जैसा प्राइवेटाइजेशन का मॉडल यहां नहीं लाया जा सकता? आप पूरे यूनिट को बेच रहे हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है। अनेक जगहों में इस डिपार्टमैंट ने अगल-अलग रिपोर्ट दी है। हमारा एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। हम 26 अथवा 30 प्रतिशत हिस्सा रखेंगे। हम प्रबंध को स्थानान्तरित कर देंगे।

मुझे सचमुच यह बात समझ में नहीं आती है। आई.पी.सी.एल. का मामला चल रहा है उसमें 59 प्रतिशत गर्वनमैंट की होल्डिंग है।

आप शेयरों का 26 प्रतिशत बेचना चाहते हैं आप शेयरों का 33 अथवा 34 प्रतिशत बेचना चाहते हैं। परसैंट शेयर बेच देंगे कम्पनी ट्रांसफर कर देंगे और बाद में प्राइवेट कम्पनियां आ जाएंगी चाहे यह एक भारतीय कम्पनी है अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनी है आपका एक छोटा हिस्सेदार होगा। वे कम्पनी का प्रॉफिट लेकर बाकी सभी को एक्सप्लॉयट करेंगे। ऐसे में 26 परसैंट की क्या वैल्यू रहेगी? आपको लाभांश मिलेगा। अगर उसने डिविडैंड डिक्लेयर नहीं किया तो हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए। इस पर इन्डैफ्थ डिक्शन करने की आवश्यकता है इसमें सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। किसी कम्पनी को 15-20 परसैंट बेचने के बदले कम्पनी को हन्ड्रेड परसैंट बेच दो आप बताइए यह कौन सी कम्पनी होनी चाहिए। सभा को यह निर्णय लेने दीजिए। कम्पनी को हन्ड्रेड परसैंट बेचने से एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा ब्लू चिप बेच देंगे तो होटल बिजनेस रह जाएगा। क्या गवर्नमैंट होटल चलाएगी? इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है।

आज पब्लिक सैक्टर की क्या स्थिति है। 31 मार्च, 1998 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को हुई हानि 42,500 करोड़ रु. की जबरदस्त धनराशि तक पहुंच गई है।

क्या ब्लू चिप कम्पनी के शेयर इसके लिए बेचे जाएंगे? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। डिसइनवैस्टमैंट का जो भी प्रॉफिट आएगा, उसका अलग फंड बनाया जाए। इसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

वास्तव में यह फंड कुछ उद्योगों के पुनर्निर्माण अथवा नए उद्योग आरम्भ करने के लिए है। ये फंड्स फारेन या एक्सट्रनल डैट को कम करने के लिये यूटिलाइज करना चाहिये। इसका फायदा इतना होगा कि जो इंट्रेस्ट बरडन है, वह कम होता जायेगा इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आपने एक अच्छा डिपार्टमैंट हाथ में लिया है। आई पी सी एल डिसइन्वैस्टमैंट के बारे में मेरे मन में जो सवाल है, मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या मंत्री जी इनका उत्तर देंगे? आई पी सी एल के लिये कितने बिड्स मंगाये गये? कितने फाइनल हुये? चार बिडर्स आये, एक ने विदड्रा कर दिया और दूसरा कम्पनी सैक्रेटरी के कोर ग्रुप ने दूसरे को रिजैक्ट कर दिया अब केवल दो लोग रह गए हैं। आप कहते हैं कि चार में से 3 रह गये और उनमें से दो ने कार्टेल बना लिया, सिंडिकेट बना लिया, आपके हाथ में क्या मिलेगा यहां तक कि इसमें भी हेर फेर किया जा सकता है क्या ऐसा नहीं हुआ है मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि आई पी सी एल के लिये गये डेढ़ साल में क्या व्यवहार हुआ है, उसके संबंध में इंक्वायरी करें। गवर्नमैंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्युशन्स ने खुद से पैसा दिया। फिर इसे केवल हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। आई पी सी एल के शेयर भाव पिछले महीने दीवाली पर 58 से 60 रुपये थे, मार्च तक वे 60 से 100 रुपये के बीच में खेल रहे थे। उसके बाद आज शेयर का भाव 130 से 135 रुपया हो गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यू.टी.आई. ने एक करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर्स बेचे । मेरी बात गलत भी हो सकती है। वह 100 रुपये से कम दाम में बेचेगा या 60 से 70 रुपये के बीच बेचेगा?

वह बाजार के दलाल कौन थे जिन्होंने इन शेयरों पर कब्जा किया? यह तीन अपतटीय निधियां थी। आई पी सी एल शेयरों के 12.5 प्रतिशत शेयर उनके पास हैं आप जानते है क्यों?

वह बेनाम हैं क्योंकि आई.पी.सी.एल. में डिसइन्वैस्टमेंट की कंडीशन ऐसी है कि जो भी बिडर एक्वायर करेगा, गवर्नमेंट का करेगा। उन्हें जनता के लिए इसे खुला रखना पड़ेगा कि उसको 20 परसेंट शेयर मार्किट में से एक्वायर करना पड़ेगा। उन्होंने 12.4 परसेंट ऑफ शोर फंड्स के द्वारा एक्वायर किया है। इसका मतलब यह है कि दूसरे के सिर पर गोली रख रहे हैं क्योंकि मार्किट में अवेलेबल नहीं हैं, यही एवेलेबल है। दूसरा, 10-12 परसेंट या तो उसे अपने फेवर में या फिर बाद में ब्लैक मार्किट में करेंगे। क्या यह सच है? यू.टी.आई. ने गत वर्ष में एक करोड़ के शेयर आई.पी.सी.एल. को बेचे, वे किस रेट पर बेचे? उन्होंने भी कनफर्म किया है कि 1.4.1999 से आज तक एक भी शेयर नहीं बेचा है, मार्च 31 के पहले एक करोड़ 64 लाख के शेयर्स आई.पी.सी.एल. के बेचे। किस दर पर? किसके लिए? किसने निर्णय लिया? मैं इस बारे में चर्चा करूंगा यूनिट-64 के बारे में कि दीपक पारिख कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के समक्ष रखी जाये। एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। यह यू.टी.आई.-64 है कि किस प्रकार यूज होता है क्योंकि कभी कोआलीशन गवर्नमेंट यूज करती है तो कभी कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करता है।

इसलिये मेरा कहना है कि कोई भी ऐसा शेयर सेल न हो जाये जिससे इस देश की बाद में मनोपोली हो जाये। विनिवेश आयोग ने एक उद्योग द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया है जो कि एकाधिकार स्थापित करने जा रहा है। कोर कमेटी ने यह रिजैक्शन हटा दिया, क्यों? मैं यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आई.पी.सी.एल. का मार्किट रिगिंग होता है। अभी 10 दिन पहले मुम्बई स्टाक एक्सचेंज में शेयर का भाव 122 पाइंट ऊपर चढ़ गया क्योंकि इकोनामिक टाइम्स में यह न्यूज आयी थी कि सरकार ने 180 रुपये से 200 रुपये की दर पर आई.पी.सी. एल. का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया है। सरकार 180-200 में शेयर बेचेगी। बाजार में बेईमानी और हेराफेरी के कारण यह आई.पी.सी.एल. शेयर 131 रुपये था, वह 144 रुपये में जाकर रिगिंग के कारण 128 रुपये पर क्लोज हुआ।

जब उसकी नैट ऐसेट वैल्यू 126 थी और ये कोई छः महीने में डैवलप नहीं हुई। पिछली साल का जो फाइनेन्शियल रिजल्ट था कुल परिसम्पत्ति का मूल्य 126 रुपये से दोगुना अधिक था। अब आप कृपया इस बात की जांच करें कि किस सरकारी संस्थान ने इसे बेचा। इसलिए मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहूंगा और सुरेश प्रभु जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। गैल का जो इश्यू था, उसका मार्केट प्राइस 145 था तब मुम्बई स्टॉक ऐक्सचेन्ज का इनडेक्स 4000 था और आज मुम्बई स्टॉक ऐक्सचेन्ज का इन्डैक्स 5000 है लेकिन गैल की मार्केट वैल्यू सिर्फ 72 है। इसमें कोई गवर्नमेंट का सवाल नहीं है। जिनको जिस-जिस कंपनी में इंटरस्ट होता है, वह गवर्नमेंट किसी की भी हो, वह मार्केट मैनिपुलेट करते हैं। वह हमारे अपने वित्तीय संस्थानों को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ और सुझाव देना चाहूंगा कि जब भी डिसइनवेस्टमेंट के बारे में सोचें तो अलग-अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजिक सेल हो। डिसीजन लेने में चार-पांच साल लगते हैं तो अच्छे बिडर्स निकल जाते हैं। इसलिए क्विक डिसीजन होना चाहिए। बेचना है तो बेचो नहीं बेचना है तो बंद करो। सी.एम.सी. का इश्यू अभी आया है और भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी प्रबंधक बन गया है। यह गवर्नमेंट कंप्यूटर कंपनी है। सी.एम.सी. इतनी पुरानी कंपनी है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है—542 रुपये, और काले कंसल्टेन्ट नाम की दो करोड़ रुपये की कंपनी कुछ महीने पहले ही मार्केट में आई और उसका मार्केट प्राइस 625 रुपये है। उसके सामने इनफोसिस 10000 रुपये, सत्यम 1834 रुपये, पी.एस.आई. डैटा 1264 है। इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि टाइम, प्राइस और स्ट्रैटेजी फाइनेन्स पर हम विचार करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो भी पी.एस.यू. और डिसइनवेस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया है उसमें हम अच्छी तरह से सक्सेसफुल होंगे। उसको व्हाइट पेपर कहो या पॉलिसी पेपर कहो जो भी कहना है कहो, लेकिन जो देश की महत्वपूर्ण चीज है, वह सब इसका बैलेन्स करें। एक बाजू नवरत्न बेचें, लेकिन साथ-साथ बोल्ड डिसीजन लें और जो सिक यूनिट्स हैं उनको भी डिस्पोज ऑफ करने का प्रयत्न करें। मुझे विश्वास है कि अरूण जी इस सबको अच्छी स्पिरिट में लेंगे और डिसइनवेस्टमेंट में अरुणोदय लाएंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय सभापति महोदय, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा हमारे देश के प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का उद्घाटन किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वह किसी उद्योग का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह आधुनिक भारत के एक मन्दिर का उद्घाटन कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इन मन्दिरों को अब इस सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है। महोदय 1948 के औद्योगिक नीति वक्तव्य और 1956 के औद्योगिक नीति वक्तव्य दोंनों का मूल सार आत्मनिर्भरता की नीति था 1991 जिस समय उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। इस समय आत्मनिर्भरता की नीति को नजर अंदाज कर दिया गया था। हमने उस समय भी उस पर आपत्ति की थी और उसका विरोध किया था। लेकिन वर्ष 1991 में जब नई औद्यौगिक नीति की घोषण की गई थी और तत्कालीन सरकार द्वारा उसे स्वीकार किया गया था तो सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश के संबंध में क्या कहा था?

संसाधनों को बढ़ाने के लिए और जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी शेयर धारिता के एक भाग को म्युचुअल फंड, वित्तीय संस्थानों, सामान्य जनता और कर्मचारियों को दिया जाएगा। 'गेल' इसका स्पष्ट उदाहरण है। सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण के शेयरों को 127 रु. प्रति शेयर की दर पर बेचने की अनुमति नहीं दी। लेकिन दो वर्ष बाद स्थिति में क्या परिवर्तन आया? सरकार ने कीमतें कम कर दीं और भारतीय गैस प्राधिकरण के शेयरों को 80 रु.

[श्री बसुदेव आचार्य]

प्रति शेयर की दर पर बेच दिया। इसके परिणामस्वरूप राजकोष में कितना घाटा हुआ? 600 करोड़ रु. तक की हानि हुई। भारतीय गैस प्राधिकरण के शेयरों को बेचकर सरकार जनता की व्यापक भागीदारी को कैसे सुनिश्चित कर सकती है?

वर्ष 1996 में विनिवेश आयोग स्थापित किया गया था। संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस बात को शामिल किया गया था, क्योंकि उस समय पारदर्शिता नहीं थी है। इसलिए पारदर्शी नीति बनाने के लिए विनिवेश आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। विनिवेश आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। जब भारत सरकार ने यह पाया कि सिफारिशें उनकी सुविधानुसार नहीं हैं तो उन्होंने जवाब नहीं दिया।

प्रथम सिफारिश, विनिवेश निधि स्थापित करने के संबंध में थी। इस विनिवेश का क्या उद्देश्य था? इस विनिवेश का उद्देश्य वित्तीय घाटे में कमी को पूरा करना नहीं था। इस विनिवेश का उद्देश्य निधि का सृजन करना था। यह संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल था। उन्होंने जो कहा, वह यह था कि ऐसे विनिवेश से सृजित राजस्व का उपयोग देश के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों स्वास्थ्य और शिक्षा, विशेषकर हमारे देश के निर्धन और पिछड़े क्षेत्रों में किया जाएगा। ऐसे राजस्व का एक भाग निवेश निधि-स्थापित करने के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना है कि उन्होंने निर्धन और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए कितना पैसा खर्च किया है और उन्होंने 18,282 करोड़ रु. में से कितनी धनराशि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की थी जो कि 30.11.1999 तक रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों का सुधार पुररुद्धार करने के लिए एकत्रित की गई थी।

मैंने कल ही अपने देश के उर्वरक एककों की समस्या को उठाया था। गोरखपुर से रामागुंडम तक सभी एकक बंद हो गए हैं। गोरखपुर एकक भी बंद हो गया है। कोचीन में 'फैक्ट' भी बंद हो गया है। उत्तर-प्रदेश में गोरखपुर यूनिट है। बिहार और बरौनी के यूनिटों में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर यूनिट में भी कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। असम के नामरूप में तीन यूनिट हैं। एक कार्य कर रही है। दो बंद हो गयी हैं। उड़ीसा में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र, तलचेर यूनिट बंद हो गयी है। आन्ध्र प्रदेश में रामागुंडम यूनिट बंद हो गयी हैं। मेरे तेलगु देशम् पार्टी के मित्र इस बात को मानेंगे कि यह भी एक कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र है और यह भी बंद हो गया है ...*(व्यवधान)*

अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि 18,282 करोड़ रुपयों में से, वह हमारे देश के इन सात अथवा आठ यूरिया यूनिटों जिनकी कृषि उत्पादन के लिए बहुत आवश्यकता है का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से कितनी धनराशि खर्च करने की योजना बना रहे हैं। हम सरकार से जो सुन रहे हैं वह यह है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा हो रहा है। उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कितना उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और लाभांश प्राप्त किया है।

वे इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराये जो रहे रोजगारों के संबंध में कभी नहीं कहते हैं। वे इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए गए सामाजिक कर्त्तव्यों पर कभी नहीं कहते। 242 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, सिर्फ 236 ही कार्य कर रहे हैं। इस सरकार में 74 मंत्री हैं....*(व्यवधान)* एनरॉन और ब्रिटिश गैस कंपनी जैसे कितने निजी क्षेत्र के उपक्रम हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तरह सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं? श्री राम नाईक को 'गेल' को एनरॉन को बेचने की जल्दी है, क्योंकि एनरॉन महाराष्ट्र में है। वे गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया के शेयरों को मिट्टी के मोल बेच रहे हैं। चाहे कुछ भी दाम उन्हें मिल जाए। हमारे देश के करोड़ों लोगों द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों को सरकार द्वारा अपव्यय किया जा रहा है। मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या इसकी अनुमति देनी चाहिए या नहीं, क्या हमें इस सरकार को हमारे देश के करोड़ो श्रमिकों द्वारा मेहनत से बनाई गई इस संपत्ति को बेचने की अनुमति देनी चाहिए।

क्या सरकार बता सकती है कि महा-चक्रवात कालावधि में, कितनी निजी कंपनियाँ जैसे ब्रिटिश गैस कंपनी और एनरॉन ने आगे आकर एक गाँव या एक जिले को अपनाया, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड ने किया था? क्या हम इन बातों को भूल सकते हैं? निःसंदेह कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अति रुग्ण हैं। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी स्थापना के समय से ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं हैं। कुछ इकाइयों को या तो बंद कर दिया गया या उनके तत्कालीन मालिकों ने छोड़ दिया। उन इकाइयों को भारत सरकार ने अपना लिया था और बाद में उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस सम्बंध में कोई निवेश नहीं किया गया था। कुछ उपक्रम जैसे नैशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन, एन.जे.एम.जी. इत्यादि हैं। वे सभी निजी क्षेत्र में थे।

उन्हें अधिगृहीत किया गया और उन्हें बंद कर दिया गया; एक नया पैसा भी इन पर व्यय नहीं हुआ। बंगाल पॉटरीज के संबंध में, मैं प्रधानमंत्री से कम से कम 25 से 30 बार मिला, मैं प्रधानमंत्री से मिलने कुमारी ममता बनर्जी के साथ गया; हम साथ गए, क्योंकि जहाँ तक पश्चिम बंगाल के किसी उद्योग की भलाई या मजदूरों की भलाई से संबंधित बात हो हमारे बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है— लेकिन अंततः उस प्रतिष्ठित कंपनी को बंद कर दिया गया।

एक पैसे का व्यय किए बिना, सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि इस कंपनी का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता। कुछ कंपनियों में क्षमता है जिनका पुररुद्धार किया जा सके। उन में से एक है, रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार ने 1959 में कलकत्ता में स्थापित किया था इसका मुख्य उद्देश्य बंगलादेश, बर्मा और श्री लंका से आए शरणार्थियों का पुर्नवास करना था। रोजगार के

अवसरों को इन औद्योगिक निर्माण सुविधाओं में कम से मध्यम क्षमता के उद्योग जैसे औद्योगिक-क्षेत्र, ट्रेक्सी कापरेटिवों इत्यादि की स्थापना के माध्यम से प्रदान करना था। इसकी स्थापना का उद्देश्य शरणार्थियों का पुर्नवास करना था। लेकिन सरकार ने अब इस कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है और इसके शेयरों को बेचने का फैसला किया है। इसके शेयरों कौन खरीदेगा?

महोदय, माननीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यहाँ बैठ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि निजी कंपनियाँ 'गेल' और आई.पी.सी.एल के शेयरों को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। परन्तु आई.पी.सी.एल के शेयरों के बेचने के संबंध में विनिवेश आयोग का क्या सुझाव था? मैं उद्धृत करता हूँ:

"तथापि निविदाहर्ताओं को अर्ह बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि महत्वपूर्ण बिक्री से बाजार में एक ही कम्पनी का आधिपत्य स्थापित न हो जाए।"

विनिवेश आयोग के दिमाग में "अकेली कम्पनी" शब्द की क्या व्याख्या थी? उन्होंने सोचा है कि शेयरों का अधिकतम भाग किसी विशेष कंपनी के हाथों नहीं जाना चाहिए। अभी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई.पी.सी.एल के शेयरों को खरीदना चाहती है जिससे पैट्राकेमिकल उत्पाद के क्षेत्र में वह हमारे देश की सर्वेसर्वा बन सके। विनिवेश आयोग ने इसके विरुद्ध साफ तौर पर सलाह दी है। परन्तु आई.पी.सी.एल के शेयरों को बेचने के पहले इस बात पर विचार नहीं किया गया।

महोदय, जब सरकार ने नवरत्नों के शेयरों को बेचने का फैसला किया तो हमें आश्चर्य हुआ, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 'छोटे रत्न' भी कहा जाता है।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने अभी शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आपकी, पार्टी को कार्य मंत्रण समिति ने सिर्फ सात मिनिट दिए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके अंतर्गत 242 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 1,92,222 करोड़ रुपये की राशि का प्रश्न है। इसलिए आप मुझे अनुमति हैं।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने समय बांटा है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह समिति समय बाँटने के लिए है। पैनल के अध्यक्ष के लिए, कोई प्रतिबंध नहीं है....*(व्यवधान)*

यही मुख्य कारण है, सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। सकल वित्तीय घाटा भी आधा-अधूरा है। 1998-99 का बजटीय आकलन लगभग 22 प्रतिशत था। कर और गैर-कर प्राप्तियाँ कम हुई हैं। सरकार का कर्ज अपेक्षाकृत से अधिक है। सिर्फ अप्रैल और जून में, सरकार ने संपूर्ण वर्ष के ऋण का 40 प्रतिशत कर्ज लिया। अप्रैल, 1999 का सकल वित्तीय घाटा 16,955 करोड़ रुपये था। अप्रैल, 1998 में यह 12,355 करोड़ रुपये था। इसलिए, इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए, वे ब्लू-चिप कंपनियों और नवरत्नों को भी कौड़ियों के मूल्य बेच रहे हैं।

मैं श्री प्रीतिश नंदी द्वारा लिखे लेख को उद्धृत करना चाहता हूँ। वे न तो लेखक हैं और न ही विपक्ष के सदस्य हैं, लेकिन वे सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। श्री गीते मुझसे सहमत होंगे।

राज्य सभा में वाद-विवाद के पश्चात, श्री नंदी ने एक लेख लिखा और मैं उद्धृत करता हूँ :

"संसद में पिछले सप्ताह देखा गया कि वामपंथी दल बी.जे.पी सरकार द्वारा अपनाई गई जी.ए.आई.एल. विनिवेश नीति के विरुद्ध बोल रहे थे। उनकी बहस इतनी जोरदार थी कि मेरी सत्ता पक्ष में बैठे हुए भी, उनके साथ पूर्ण सहानुभूति थी। जिस बेतुके ढंग से विनिवेश किया गया उससे किसी भी सरकार के आत्मसम्मान को ठेस पहुँच सकती है।"

उन्होंने आगे कहा:

"सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयरों को सार्वजनिक जांच के कड़े ढांचे के अंतर्गत बाजार में बेचा जाना चाहिए। किसी भी सरकार को राष्ट्रीय उपक्रमों को बेचने का जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है, जिनमें से कुछ अमूल्य हैं, जो करोड़ों गर्वशाली भारतीयों द्वारा लगन और मेहनत से बनाए गए हैं (और कर जो आपने और मैंने अपनी आय को अत्यधिक अनुचित उच्च प्रतिशत के रूप में दिए हैं) को कौड़ियों के मूल्य बेचा जा रहा है।"

उन्होंने और आगे कहा:

"किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए कि घर की मूल्यवान वस्तु को रात के अंधेरे में चोरी छिपे उसको बेचा जा रहा है जो इसके वास्तविक मूल्य से बहुत ही कम दे रहे हैं। इस स्थिति में, बी.जे.पी गठबंधन के सहयोगियों के पास भी कोई विकल्प नहीं होगा, सिवाय इसके कि वे भी विपक्ष की आवाज के साथ आवाज मिलाएं और संसदीय जांच की माँग करें।"

यह भारत के गैस अथारिटी ऑफ इंडिया के शेयरों को बेचने के संबंध में हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सरकार न केवल इस सदन के प्रति बल्कि पूरे देश के प्रति जवाबदेह है। मूल्य क्यों घटाया गया?

जब, 1997 में सरकार–उस समय जो भी सरकार रही हो–125 रुपये प्रति शेयर भी बेचने के लिए तैयार नहीं थी, तो यह सरकार गैस अथारिटी ऑफ इंडिया के शेयरों को कौड़ियों के मूल्य बेचने पर कैसे राजी हो गई।

मैं यह माँग करता हूँ कि गैस अथारिटी ऑफ इंडिया के विनिवेश संबंधी संपूर्ण मामले की संसदीय जाँच होनी चाहिए। सत्ता में आने के तुरंत बाद,

[श्री बसुदेव आचार्य]

वे इस तरह के देश के हित के विरुद्ध फैसले कैसे ले सकते हैं? मैं सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का पूर्ण विरोध करता हूँ और सरकार से विनती करता हूँ कि सहकारी क्षेत्र की इकाइयों, जिनमें एन.टी.सी. भी शामिल है.....।

[हिन्दी]

काशी राम राणा जी, आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। अगर आपको 2300 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में मुम्बई में जमीन बेचने से मिल जाता, आपका समूचा एन.टी.सी. रिवाइव हो जाता। हम भी गये थे, जो छोटी कमेटी बनाई थी। वहां तब के मुख्य मंत्री, अब हमारे उद्योग मंत्री हो गये हैं। हम जोशी जी से मिले, लेकिन वे एग्री नहीं हुए, बोले हम लोग जमीन नहीं बेचेंगे। इससे आपको पैसा नहीं मिला। अगर 18,000 करोड़ रुपये में से आपको 5,000 करोड़ रुपया मिल जाता तो आपका समूचा एन.टी.सी. रिवाइव हो जाता।

श्री राम नाईक : आप लैंड बेचना चाहते हैं क्या?....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरप्लस लैंड क्यों नहीं बेचना चाहते हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम लोगो ने आपको कोआपरेट किया। वे मंत्री के साथ उस समिति में गए थे....*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं भी उनके साथ था। लेकिन मैं उसका विरोध करता हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हाँ, वे भी श्री मधुकर सरपोतदार के साथ वहां थे। हम श्री आर.एल. जालप्पा के साथ गए थे।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के जीर्णोधार के लिए जिसकी पुनरुज्जीवन किए जाने की संभावना है, कदम उठाए।

श्रमिकों के कल्याण के लिए और देश के हित के लिए, सरकार को इस विनिवेश नीति को और विदेशी और भारतीय कंपनियों को शेयरों को कौड़ियों के मूल्य बेचना बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार शेयरों को मिट्टी के मोल बेचती है तो किस प्रकार भारत का भारतीयों द्वारा निर्माण किया जा सकेगा? इस प्रकार तो एनरॉन और ब्रिटिश गैस कंपनियों द्वारा ही भारत का निर्माण किया जा सकेगा। क्या सरकार यही चाहती है?

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मलकानी जी क्या बोल रहे हैं, आप जाकर वह सुनो न।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने श्री मलकानी द्वारा दूसरी सभा में कहे गए कथन को उद्धृत नहीं किया है। उन्होंने विनिवेश नीति का पूर्ण विरोध किया था। इसलिए, मैं इस विनिवेश नीति का विरोध करता हूँ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को बेचने का भी विरोध करता हूँ।

मैं माँग करता हूँ कि सरकार की बजटीय प्रक्रिया को विनिवेश से अलग रखा जाए।

मैं सुझाव देता हूँ कि 18,222 करोड़ रुपये की प्राप्त निधि को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पुनरुद्धार पर खर्च करना चाहिए। 30 नवम्बर, 1999, तक 43,000 करोड़ रुपये में से जो इस वर्ष का लक्ष्य था, केवल 14,000 करोड़ रुपये ही जुटा पाए। इसलिए, प्रधानमंत्री ने सोचा कि विनिवेश के लिए अगल विभाग की स्थापना करने में ही बुद्धिमानी होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे परिसमापक हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वे आधिकारिक परिसमापक हैं। श्री जेटली, आप आधिकारिक परिसमापक हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपने आधा घंटे का समय लिया।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं समाप्त करता हूँ। मैंने आधे घंटे का समय नहीं लिया है। मैंने सिर्फ दस मिनट लिए हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप विनती मत कीजिए। विनती करने से क्या फायदा? आप माँग कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : इसलिए, मैं पुनः माँग करता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद न किए जाए, आधुनिक भारत के मंदिरों को ध्वस्त मत कीजिए। आप 18,000 करोड़ रुपये को रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पुनरुद्धार पर खर्च कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एन.टी.सी. को सम्मिलित करके।

डा. वी.वी. रमैया (एलूरू) : माननीय सभापति महोदय, मुख्य चर्चा विनिवेश पर हो रही है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तीन पहलू हमें देखने हैं वे हैं : क्या हमें इस विनिवेश को बनाए रखना है; अगर हाँ, तो किस उद्देश्य के लिए; और हम निधि का उपयोग किस प्रकार करें।

विनिवेश की प्रक्रिया वर्ष 1991-92 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य एकदम साफ था। वह यह कि हम अपने महत्वपूर्ण उद्योगों को मजबूत बना सकें और उनकी रुग्णता पर ठीक प्रकार से ध्यान दे सकें। दूसरे लक्ष्य पर भी जो हमने कहा वह भी स्पष्ट है। जैसा कि श्री आचार्य ने कहा, संयुक्त मोर्चे की सरकार की नीति और संयुक्त सांझा कार्यक्रम, आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय पर लक्ष्य केन्द्रित करते हुए, यह थी कि इस बात पर बल दिया जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय उद्योग का महत्वपूर्ण भाग बना रहेगा। उनका कथन था कि विनिवेश के बारे में लिया गया कोई भी निर्णय पारदर्शिता से लागू किया जाए। यह मुख्य उद्देश्य था।

विनिवेश द्वारा प्राप्त राजस्व को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेषकर भारत के गरीब और पिछड़े जिलों में खर्च किया जाए। यह मुख्य लक्ष्य है। इसलिए, अब हमारा मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि इसका इस्तेमाल किया जाए, और इस उद्देश्य पर अमल किए जाए और इसे लागू किया जाए।

दूसरी बात हमें यह पता चली है कि पिछली विनिवेश नीति में कई खामियाँ थी। इसलिए, हमने कहा था कि हमें विनिवेश समिति से शुरूआत करनी चाहिए। निःसंदेह, विनिवेश समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर को समाप्त हो गया। मुझे आशा है कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी और देखेगी कि वे विनिवेश आयोग को मजबूत बना सकें।

कई माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए हैं। मैं आई.पी.सी.एल., जी.ए.आइ.एल और विभिन्न संगठनों के उन तथ्यों में नहीं जाना चाहता हूँ कि उनका कार्य कैसा था और उनका क्या हुआ। लेकिन हमें इन संगठनों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो देश के हितों के साथ वास्तव में न्याय कर सकें। हमें यह भी देखना है कि श्रमिकों के हितों का ध्यानपूर्वक संरक्षण हो सके। यही मुख्य बात है जिस पर आप को कुछ अवश्य कहना चाहिए।

कुछ समय पहले, हमने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया था लेकिन बाद में हमें लगा कि राष्ट्रीयकरण करने में कुछ समस्याएँ भी हैं। हमने भी अपनी नीतियों को सरकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की शर्तों और हालात के कारण बदला। मैं माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी को अच्छी तरह जानता हूँ। पश्चिम बंगाल में, वे अधिक उद्योगों में निवेश करना चाहते हैं और अधिक भागीदारी चाहते हैं। वे और अधिक सहयोग चाहते हैं। हम यह काम देश, मजदूरों और विकास को देखते हुए कर रहे हैं। जो भी देश के विकास में रुचि लेता है वह ऐसा करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं; हम गलत दिशा में भी जा सकते हैं। इसलिए, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सही दिशा में कार्य करें। अन्य देशों में भी निजी क्षेत्र में रुग्णता है या वे सरकारी क्षेत्र में काफी रुचि दिखा रहे हैं। इस प्रकार इसमें कई देश रुचि ले रहे हैं। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि इसे किस प्रकार मजबूत बनाया जाय, इन संगठनों के संसाधनों का किस तरह उपयोग किया जाए। इसिलिए वित्तीय संस्थाओं या बैंकों या सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन कमियों को सहयोग या विलय या एकत्रीकरण से या यथासंभव तरीके से दूर किया जाए।

यह कमियाँ उत्पाद का गुणवत्ता या प्रौद्योगिकी विकास या विपणन नीति या अन्य कारणों से हैं। हमें इस बात का ध्यान रखने से परहेज नहीं कि इन्हें बेकार रखने की बजाय उन्हें उपयोग में लाना चाहिए ताकि वे घाटा न उठाएं।....*(व्यवधान)*

महोदय जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं यही प्रयास करूँगा कि उनकी तरफ बिना हिचकिचाहट और बिना किसी संकोच के ध्यान दिया जाना चाहिए। हम यह कोशिश करेंगे कि इन इकाइयों की परिसम्पत्तियों का देश और जनता के हितों के लिए उपयोग किया जाए। हमें इसी मुख्य उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में 242 इकाइयां हैं जिनमें से 162 इकाइयां विनिर्माण क्षेत्र में हैं और 74 इकाइयां सेवा क्षेत्र में परन्तु हम देखते हैं कि इन इकाइयों में से 129 इकाइयां अच्छा काम कर रही हैं और 104 इकाइयां काफी घाटे में चल रही हैं। इसलिए यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है कि वे किस तरह से प्रभावी रूप से चल सकें।

मैंने अलग-अलग स्थानों में कई इकाइयों का दौरा किया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग में क्या हुआ है? जब तक वे सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे उन्होंने 200 करोड़ रूपये का लाभ कमाया। जैसे ही यह निर्णय लिया गया कि उन्हें अन्य इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी है उन्हें 95 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसका अर्थ है कि उनके पास एक बड़ी परिसंपत्ति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब वे लाभ कमा रहे हैं।

डा. बी.वी. रमैया : मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। मैं आपको पूरा ब्यौरा दूंगा। फिर, मैंने उन्हें बताया भी था कि यह किस तरह करना है। उनके पास बहुत बड़ी परिसंपत्ति और जनशक्ति है। मैंने कहा था कि उन्हें सहयोग और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है ताकि जनशक्ति और संशाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। इसलिए उन्होंने अपनी नीति बदली । भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में भी यही हुआ। वे केवल ब्लैक एण्ड व्हाइट टी.वी. बना रहे थे। मैंने कहा कि उन्हें अपनी प्रौद्योगिकी बदलनी चाहिए और सहयोग के अलग ही तरीके अपनाने चाहिए। इसलिए, सरकार की नीति देश के औद्योगिक विकास को बचाने और संसाधनों के सही उपयोग से संबंधित होनी चाहिए।

महोदय, सरकारी क्षेत्र में 1,93,000 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं। हमें उसका प्रपिफल क्या है? हमें इसका जो लाभांश मिल रहा है वह 10,000 करोड़ रुपये से भी कम है। हमें इन इकाइयों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमें यह देखना है कि इन इकाइयों को कैसे सुदृढ़ किया जाए और इसके लिए विनिवेश करना भी एक उपाय है। इन इकाइयों से सामाजिक दायित्व की क्या अपेक्षा है? हमने कहा है कि एक विनिवेश आयोग होना चाहिए और एक विकास निधि भी होनी चाहिए। इस विकास निधि का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में मदद करना होना चाहिए। हम इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय टेलीफोन उद्योग, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, इत्यादि को भी नई प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता है। इन निधियों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां उनकी कमी है। मुझे विश्वास है कि निधियों का उपयोग करते समय माननीय मंत्री जी इन बातों पर विचार करेंगे।

[डा. बी.बी. रमैया]

हमें अन्य महत्वपूर्ण पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए अर्थात वित्तीय घाटा। हम 88,000 करोड़ रुपये का ब्याज दे रहे हैं। हमें एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस देश पर समय-समय पर विभिन्न पार्टियों ने शासन किया है। उस समय उनके भिन्न-भिन्न अपने अलग-अलग हित हो सकते हैं। परंतु हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। एशियाई महाशक्तियों के संबंध में क्या हुआ था। वे आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए, हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए और हमें देश भर में होने वाली गतिविधियों को देखते हुए सही रास्ता अपनाना चाहिए।

हमारा रक्षा व्यय भी बढ़ रहा है। यह लगभग 46,000 करोड़ रुपये है और यह अधिक भी हो सकता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अधिक चला जाएगा। अब, सूखा, बाढ़, भूकंप, चक्रवात इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए लोगों को राहत देने हेतु बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। इसलिए, ऐसी आपदाओं के होने के कारण कभी-कभी हम बजट में किया गया प्रावधान भी अपर्याप्त हो जाता है। परंतु हमें संसाधनों की आवश्यकता है, जब तक हम अन्य सुदृढ़ तरीके नहीं अपनाते, हमारा वित्तीय घाटा बढ़ता जाएगा और मुद्रास्फीति बढ़ती ही जाएगी। हमें यह देखना है कि इसे नियंत्रित कैसे किया जाए।

महोदय, भारतीय तेल निगम, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बिजाग स्टील इत्यादि जैसे कई सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रम हैं और इन इकाइयों के पुनर्गठन की बहुत अधिक आवश्यकता है। विजाग स्टील उत्कृष्ट किस्म के स्टील का उत्पादन करता है। उसके पास अच्छा बाजार है। परंतु सरकार को इन इकाइयों के वित्त का पुनर्गठन करना चाहिए। ब्याज उनके लिए एक बड़ी देयता है। इसलिए ब्याज के एक भाग को इक्विटी में बदल दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो वे पूरी इकाई का पुनर्गठन करने में सक्षम होंगे।

बिजाग शिपयार्ड इत्यादि जैसी इकाइयों में पर्याप्त क्षमता है। परंतु इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता है।

अब विनिवेश विभिन्न स्तरों पर भी हो रहा है। यद्यपि इसे 1991-92 में 3038 करोड़ रुपये से आरम्भ किया गया था, 1993-94 में यह घटकर 1,913 करोड़ रुपये हो गया है। बाद में, यह फिर बढ़ गया और यह 1994-95 में 4800 करोड़ रुपये हो गया।

यह फिर 362 करोड़ रुपये हो गया। 1998-99 में यह 5,371 करोड़ रुपये था और इस वर्ष यह घटकर 1,478 करोड़ रुपये हो गया। हमें कम से कम 16,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। परन्तु महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पहली बात यह है कि हमें बाजार स्थितियों को मजबूत बनाना होगा। दूसरी बात बाजार नीतियां हैं। अन्य बात यह है कि जब हम फैसला करते हैं कि हम इतनी मात्रा में विनिवेश करने वाले हैं तो बाजार में मंदी आ सकती है। इसलिए कोई निर्णय लेने से पहले हमें बाजार और अन्य जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा अर्थात आप कितना बेचना चाहते हैं, कितनी मात्रा में बेचना चाहते हैं, इत्यादि। जैसे ही आप कहते हैं कि आप अधिक मात्रा में बिक्री करना चाहते हैं, बाजार फिर से मंदा हो जाता है। इन बातों की नीतियां तय करने के लिए हमें ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो यह कार्य कर सके परन्तु फिर भी हमें विनिवेश करने की आवश्यकता है। यह कब किया जाए और यह कैसे किया जाए, यह बात अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, पार्टी लाइन से हटकर, हमें देश के हित में, विकास के हित में, कर्मचारियों के हित में, हमें अपना सुझाव देना है, अपना सहयोग, अपना समर्थन देना है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह नीति नहीं है जो हम यह करते हैं बल्कि इसकी आवश्यकता सुधारों के लिए है। व्यापक सुधार किए जाना बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें आप सभी से भागीदारी की आशा करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि उन्होंने आपसे परामर्श तक नहीं किया होगा। वे परामर्श लेने में विश्वास नहीं करते।

डा. बी.बी. रमैया : यह चाहे कुछ भी हो, कुछ ऐसी बातों की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि वे इसे सुदृढ़ बनाने में कामयाब होंगे।....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह निर्णय एफ आई सी सी आई (फिक्की) और सी आई आई द्वारा लिया जाता है।

डा. बी.बी. रमैया : ठीक है, मैं समझता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है कि यह काम देश के हित में, लोगों के हित में, मजदूरों के हित में किया जाना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह काम कौन करता है, देश अधिक महत्वपूर्ण है, उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है, न कि वह आधार संभवतः जिस पर सम्भाव्यतया ऐसी कुछ बातें घटित हुई हैं। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने पांच मिनट का अधिक समय ले लिया है। आपको छह मिनट का समय दिया गया था परन्तु आपने पाँच मिनट अधिक समय ले लिया है।

डा. बी.बी. रमैया : महोदय, आज की चर्चा का उद्देश्य केवल यही देखना है कि कौन सी बातें घटित हुई हैं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे कौन से सुझाव हैं जो हम दे सकते हैं। यही इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। मैं अभी भी यही महसूस करता हूँ कि विनिवेश किया जाना चाहिए परन्तु यह सही तरीके से किया जाना चाहिए और सही पद्धति द्वारा किया जाना चाहिए तथा सरकार को आगे की कार्रवाई करने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, मुझे सरकार की विनिवेश नीति संबंधी इस चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिए जाने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर हुई चर्चा में भाग लेने के पश्चात, यह मेरा परम कर्त्तव्य है कि मैं सरकार की विनिवेश नीति के संबंध में भी कुछ कहूँ।

विनिवेश आयोग की स्थापना 23 अगस्त, 1996 को पारित एक संकल्प के द्वारा की गयी थी। यह केवल एक परामर्शदात्री निकाय है। हाल

ही में वह इस नतीजे पर पहुँचे कि एक अलग विभाग की स्थापना की जानी चाहिये। लेकिन किसलिए? ताकि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद किए जाने में सहायता हो सके और 242 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को रुग्ण घोषित किया जा सके। मैं इस अलग विभाग के कार्यकलापों को जानना चाहती हूँ। अलग विभाग की स्थापना द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जो इन सालों में प्राप्त नहीं किया जा सका? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि सरकार ने किसी भी विनिवेश नीति के लिए कौन से मापदण्ड निर्धारित किए हैं। मैं इसके लिए स्पष्ट उत्तर चाहती हूँ।

विनिवेश संबंधी निर्णय लेने के बाद, क्या यह सच है कि शेयरों को बाजार में बेचे जाने की तुलना में कम कीमत पर बेचा जा रहा है? इन शेयरों को कम कीमत पर बेचने का क्या कारण है? इतनी जल्दी क्यों है? इसके लिए क्या बाध्यता है और इन विशिष्ट समूह के अंतर्गत अन्य कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आने वाले हैं?

तीसरा, क्या यह सत्य है कि विदेशी कंपनियों को देशी कंपनियों की तुलना में वरीयता दी जा रही है? अगर हाँ, तो क्यों?

मैं तमिलनाडु से संसद सदस्या हूँ। मैं व्यवसाय से एक डाक्टर हूँ। मैं निवेदन करती हूँ कि यह विनिवेश नीति स्वास्थ्य क्षेत्र पर धीरे-धीरे अतिक्रमण करती जा रही है जिससे 2010 तक प्रत्येक के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाएंगे। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लिमिटेड जो उटी तमिलनाडु में स्थित है एक्स-रे फिल्मों का निर्माण कर रही है। इसे बी.आई.एफ.आर को सौंपा गया था। मैं चाहती हूँ कि इस संबंध में सभा पटल पर श्वेत पत्र रखा जाए क्योंकि मैं उस कंपनी के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहती हूँ। रोगी, न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि संपूर्ण भारत के, अन्वीक्षण सामग्री के अभाव में परेशानी का सामना कर रहे हैं और ये बहुत कष्ट भोग रहे हैं।

इस संबंध में मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वे इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले इन श्रमिकों के लिए अलग रोजगार कार्यालय की स्थापना के संबंध में क्यों नहीं सोच रही है जो शीघ्र ही बेरोजगार हो जाएंगे। किसी भी इकाई को रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम घोषित करना सहज है। लेकिन सरकार का इन रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में क्या प्रस्ताव है? उन्हें उचित रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। श्रमिकों की भी कई समस्याएँ हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अलग रोजगार कार्यालय की स्थापना इन श्रमिकों के लिए की जाए जिससे पुर्नवास की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके।

मेरे कई वरिष्ठ सहयोगियों ने जी.ए.आई.एल. के संबंध में कई बातों की ओर इंगित किया जो न केवल संसद सदस्यों के लिए वरन् संपूर्ण भारत के लोगों के लिए आश्चर्यजनक और धक्कादायक है। सरकार को अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर वचनबद्ध होना चाहिए।

यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि आपने लाभ का अर्जन करने वाले उद्योगों का भी विनिवेश करने संबंधी फैसला क्यों लिया? इसके पीछे क्या आवश्यकता या विवशता थी? सरकार को इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए। आप विनिवेश द्वारा प्राप्त धन का कैसे उपयोग करेंगे? यह कहा गया कि इसे स्वास्थ्य सुविधाओं पर और सामाजिक दायित्वों पर खर्च किया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ कागजों पर ही है। मैं इस संबंध में निश्चित ब्यौरा जानना चहती हूँ। विनिवेश आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में कहा है :

> "समिति यह जानकर प्रसन्न है कि उसकी पाँचवीं रिपोर्ट के बाद, सरकार जी.ए.आई.एल, सी.ओ.एन.सी.ओ.आर. (कोन्कोर) और इंडियन आयल कारपोरेशन के साधारण शेयरों को चालू वित्त वर्ष में बेचने के लिए दृढ़ता से योजना बना रही है और इन निर्णयों को समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझावों के आधार पर अपनी पिछली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अधिक स्वायत्तता देना और गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करना है।"

मुझे लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्व भी इसी प्रकार का है।

सभापति महोदय : मल्लेदया, आपकी पार्टी को दो मिनट का समय मिला है। मैंने आपको 5 मिनट अधिक दिए हैं। कृपया 6 बजे तक समाप्त कीजिए।

डा. वी. सरोजा : धन्यवाद महोदय।

मैं यह सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को सामान्य जनता को बेचने का प्रस्ताव है बनिस्पद इसके कि संपूर्ण शेयरों को सिर्फ कुछ चुनी हुई कंपनियों को बेचा जाए।

मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहती हूँ कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यहां इसका उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि पिछली बार जब रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर चर्चा हो रही थी तब माननीय मंत्री ने इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में और साथ ही उन संस्थानों के बारे में जो इस नीति के अन्तर्गत आते हैं श्वेत पत्र सभा के समक्ष रखने का वचन दिया है।

मैं सुझाव देती हूँ कि सरकार की नीति लोगों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को बनाने की होनी चाहिए, और ऐसी नीति लोगों की कीमत और उनके दुःखों पर आधारित नहीं होनी चाहिए और इससे भारतीय जनता और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : हम यह चर्चा कल भी जारी रखेंगे। अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 1999/26 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008, द्वारा मुद्रित।